जल जीवन मिशन

हर घर जल

के कार्यान्वयन हेतु प्रचालन दिशा-निर्देश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
जलशक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
नई दिल्ली 110003

फ़रवरी, 2020

जल जीवन मिशन

दिनांक 01.04.2019 के अनुसार घरेलू नल कनेक्शनों की स्थिति

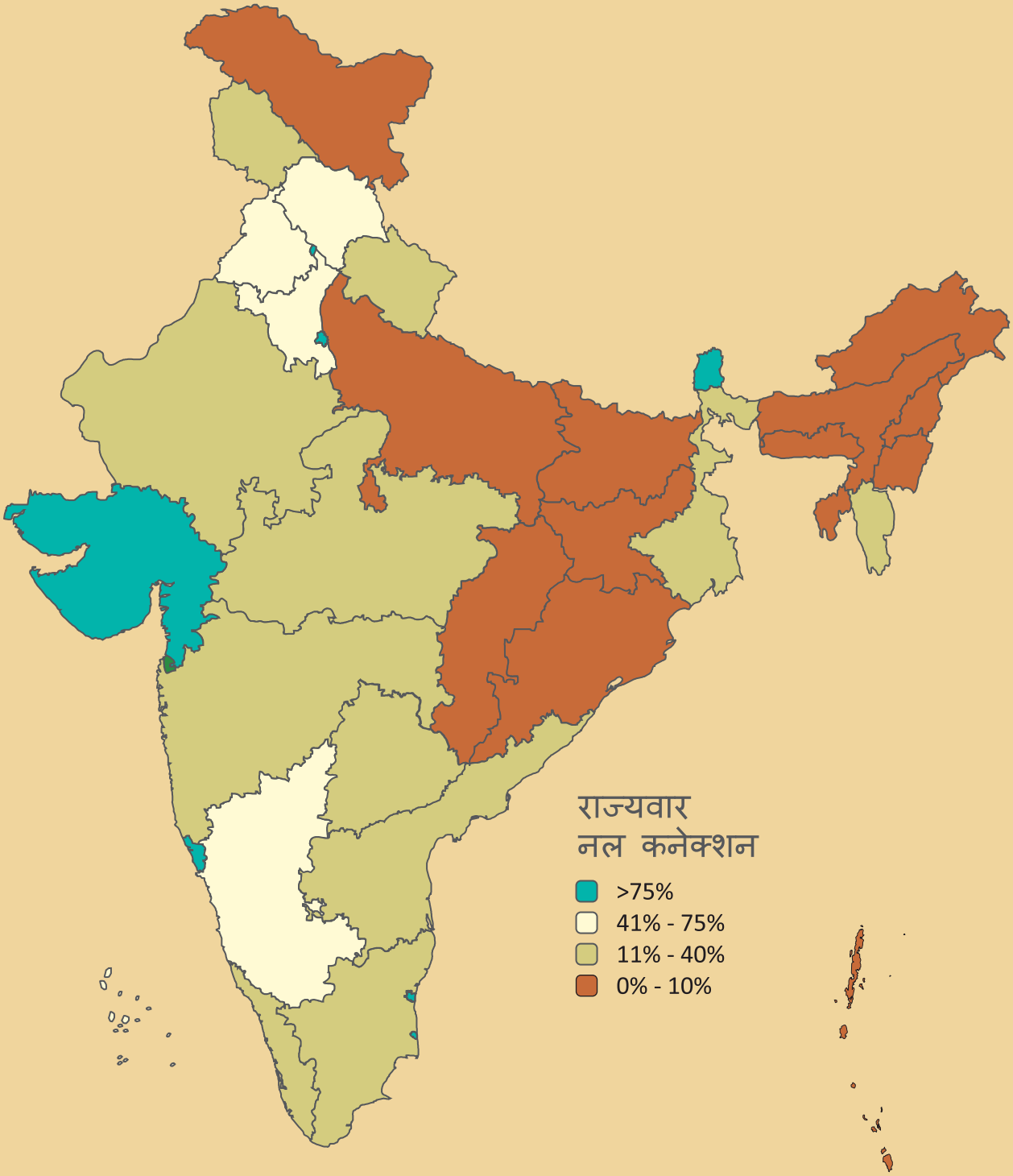

स्रोत: आई.एम.आई.एस., पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

जल जीवन मिशन

हर घर जल

के कार्यान्वयन हेतु प्रचालन दिशा-निर्देश

भारत सरकार
जलशक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
नई दिल्ली 110003

आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन।
महे रणाय चक्षसे।।1।।
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः।
उशतीरिव मातरः।।2।।

(ऋग्वेद संहिता–10.9.1–2)

जल आनंद का स्रोत है, ऊर्जा का भंडार है।
कल्याणकारी है।।
पवित्र करने वाला है।
और माँ की तरह पोषक तथा जीवनदाता है।।

Water is the source of
happiness, energy, health and piety,
and is life giving as mother!

"... और इसलिए मैं आज लालकिले से यह घोषणा करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम **जल जीवन मिशन** पर काम करेंगे। केन्द्र और राज्य सरकारें मिलजुल कर इस जल जीवन मिशन के लिए कार्य करेंगी। आने वाले वर्षों में हम इस मिशन पर **3.50 लाख करोड़ रूपए** से अधिक धनराशि व्यय करेंगे...

...अगले पाँच वर्षों में हमें गत 70 वर्षों में किए गए काम की अपेक्षा चार गुना कार्य अधिक करना है..."

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधान मंत्री, भारत सरकार

(15 अगस्त, 2019 को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधान मंत्री के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन का उद्धरण)

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री

Prime Minister

प्रस्तावना

भारत की आत्मा इसके मेहनतकश लोगों में बसती है। विभिन्न सरकारों ने भारत की विकास यात्रा में अपनी भूमिका भली प्रकार निभाई या नहीं इस बात पर मतभेद हो सकता है, लेकिन यहां की जनता की भूमिका पर कोई मतभेद नहीं है। भारत के लोगों ने बिना इस बात की परवाह किए कि सरकार की तरफ से कितनी सहायता व सुविधाएं मिली हैं, भारत को आगे ले जाने में सदैव ही अग्रणी भूमिका निभाई है।

130 करोड़ भारतीयों की 'कुछ कर गुजरने की इच्छा' की भावना का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम उनके प्रयासों को बल दें। लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए वर्ष 2014 से हमारी सरकार अथक और निरंतर कार्य कर रही है। हमने विशेषकर उन लोगों के सपनों को साकार करने पर ध्यान दिया है जिन्होंने अपने और अपने परिवार के बेहतर जीवन का स्वप्न देखा था पर उसे पूरे करने के साधन उन्हें पहले कभी उपलब्ध नहीं कराए गए।

कार्यों की गति, व्यापकता और स्पष्ट इरादों से हमने सभी के लिए आवास, हर घर को बिजली, हर परिवार को शौचालय, महिलाओं को धुएं से मुक्त जीवन, हर परिवार का वित्तीय समावेशन, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, सबके लिए सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कें, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सहित कई क्षेत्रों पर कार्य किया। ऐसे लक्ष्य जो कभी नामुमकिन लगते थे वह भी जन-भागीदारी से पूरे हो रहे हैं।

जब मैं विद्यार्थी था तब भी और आज भी, विद्यालयों में विद्यार्थियों को यही बताया जाता रहा है कि स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता एक मूलभूत जरूरत है। दशकों से जल को बुनियादी जरूरत बताया जाता रहा है, लेकिन सभी को यह उपलब्ध नहीं कराया गया, तो ऐसे में हम इस सदी में विश्व के अग्रणी राष्ट्र कैसे बन सकते हैं? इसीलिए हमने यह संकल्प लिया है कि वर्ष 2024 तक देश भर के सभी गांवों में 18 करोड़ परिवारों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए हमने राज्यों की भागीदारी से 'जल जीवन मिशन' शुरू किया है ताकि सभी को नल से जल उपलब्ध हो। हमारा लक्ष्य है कि हर घर को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला पेयजल, सहज और सतत मिलता रहे।

लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पेयजल अनिवार्य है। अधिकतर बीमारियां पानी के माध्यम से फैलती हैं। विभिन्न अध्ययनों से निष्कर्ष निकलता है कि केवल शुद्ध जल उपलब्ध कराने मात्र से दुनिया के लाखों बच्चों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है। नल से जल, गरीबों के स्वास्थ्य में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि अक्सर गरीब लोग स्वच्छ जल की कमी के कारण रोगों का शिकार हो जाते हैं। स्वच्छ जल का एक अन्य लाभ यह होगा कि ग्रामीण महिलाओं को जिन्हें लंबी दूरी से पानी लाना पड़ता है, उन्हें मुश्किलों से मुक्ति मिलेगी। ठीक उसी तरह जैसे उज्ज्वला योजना से उन्हें जलावन की लकड़ी जुटाने से मुक्ति मिली है, यह मिशन भी उनके समय और ऊर्जा को बचाते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

इस प्रयास में, सभी हितधारकों, विशेषकर ग्रामीण समुदायों से मैं एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह करता हूं ताकि जल हमारी साझी प्रतिबद्धता बने। हमें इस मिशन को एक 'जन-आन्दोलन' और जल को 'सभी का सरोकार' बनाना है। सतत पेयजल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि स्थानीय समुदाय और ग्राम पंचायतें आगे आएं और ग्रामजल आपूर्ति प्रणालियों और अपने जल संसाधनों के प्रबंधन की और गंदले पानी (ग्रे वाटर) के पुन: उपयोग की जिम्मेदारी लें। इस मिशन के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के प्रति लोग सामूहिक रूप से 'अपनेपन का भाव' विकसित करें।

आइए हम सभी एकजुट होकर जल की हर बूंद को संरक्षित करने, हर ग्रामीण परिवार को साफ पेयजल उपलब्ध कराने और इस प्रकार अपनी भावी पीढ़ियों के लिए पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करें।

मैं जल जीवन मिशन की सफलता की कामना करता हूं।

(नरेन्द्र मोदी)

नई दिल्ली
माघ 29, शक संवत् 1941
18 फरवरी 2020

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

गजेंद्र सिंह शेखावत
GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT

जल शक्ति मंत्री
भारत सरकार

Minister for Jal Shakti
Government of India

24 दिसम्बर, 2019

संदेश

2019 में जल से संबंधित दो बड़े सरकारी विभागों-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का एकीकरण करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। इस नए मंत्रालय के गठन के साथ भारत ने एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की है। संस्थाओं के एकीकरण के इस साहसिक कदम का उद्देश्य, दो प्रमुख विभागों को एक साथ लाकर व्यापक दृष्टिकोण का समावेश करते हुए, जल क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ करना है।

सड़क, बिजली, बैंक खाते, आवास, एलपीजी सिलेण्डर और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के बाद, माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से 'जल' को देश की विकास-कार्यसूची के केन्द्र में स्थापित कर दिया है। उन्होंने ग्रामीण भारत में महिलाओं और बेटियों द्वारा प्रतिदिन मीलों पैदल चलकर पीने योग्य थोड़ा-बहुत जल ढोकर लाने की शताब्दियों पुरानी दुश्वारी को दूर करने पर बल दिया। इस चुनौती को हल करने के लिए उन्होंने **जल जीवन मिशन** की घोषणा की है। इस योजना में वर्ष 2024 तक 'हर घर जल' पहुंचाना सुनिश्चित किया जाना है।

'जल जीवन मिशन' सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसका लक्ष्य सभी घरों तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि स्थानीय जल संसाधनों के सर्वांगीण प्रबंधन को बढ़ावा देना भी है। इस जल आपूर्ति कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते समय जल-स्रोतों का संरक्षण करके उन्हें सतत बनाने और जल के पुनः उपयोग की विधियों का प्रयोग करने जैसे उपायों की जरूरत पर ध्यान दिया गया है और इन्हें पहली बार योजना की रूप-रेखा का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है।

मुझे विश्वास है कि इन प्रचालन दिशा-निर्देशों किए गए उल्लेख के अनुसार, केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच ऐसा मजबूत तालमेल बनेगा, जिससे न केवल इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का कार्यान्वयन हो सकेगा बल्कि अधिक से अधिक जनता को इससे जुड़ने की प्रेरणा भी मिलेगी।

इसलिए हमारे इस महान राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति से मैं आग्रह करता हूँ कि वह 'जल जीवन मिशन' को अपना मिशन समझे और हमारे सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के इस आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाने के लिए कार्य करे।

जय हिन्द,

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

कार्यालयः 210, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001
दूरभाषः (011) 23711780, 23714663 | फैक्सः (011) 23710804 | ई–मेलः minister-mowr@nic.in

सत्यमेव जयते

जल शक्ति
और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली

रतन लाल कटारिया
RATTAN LAL KATARIA

24 दिसम्बर, 2019

संदेश

भारत में पूरे विश्व की 16% आबादी निवास करती है तथा इस आबादी की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के पास विश्व के मीठे जल संसाधनों का केवल 4% भाग ही उपलब्ध है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, पिछले अनेक वर्षों से जल सुरक्षा के विषय पर अपने विचार साझा करते रहे हैं। मई, 2019 में अपने दूसरे कार्यकाल के आरम्भ में ही जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके उन्होंने जल क्षेत्र के सांस्थानिक एकीकरण की शुरूआत की और पूरे भारत की तस्वीर बदलने वाली विभिन्न पहलों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया।

इसी दिशा में कार्य करते हुए 'जल शक्ति अभियान' देश के अति जल संकटग्रस्त 256 जिलों में एक समयबद्ध मिशन के तौर पर चलाया गया और इसका लक्ष्य चयनित जिलों के 1,592 ब्लॉकों में जल संरक्षण उपायों में तेजी लाना था।

माननीय प्रधानमंत्री ने, अपने दूसरे कार्यकाल के प्रथम स्वतंत्रता दिवस अर्थात् 15 अगस्त, 2019 के अवसर पर अपने भाषण के दौरान **जल जीवन मिशन** की घोषणा की। जल आपूर्ति क्षेत्र में एक नए नज़रिए से आगे बढ़ने के क्रम में जल जीवन मिशन की रूप–रेखा इस प्रकार तैयार की गई है कि एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए आपूर्ति से लेकर पुनःउपयोग एवं पुनःभरण जैसे सर्वांगीण उपायों को समाहित किया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन की तरह यह कार्यक्रम भी जन आंदोलन के रूप में काम करेगा।

इन प्रचालन दिशा निर्देशों के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि इस महत्वपूर्ण स्कीम का कार्यान्वयन सुदृढ़ सहयोगात्मक तथा सहकारी संघवाद के सिद्धांतों पर हो सके। इन दिशानिर्देशों को साकार करने के लिए मैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की टीम को बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में सरकार के भिन्न–भिन्न स्तरों पर, इस 'मिशन' को तेजी से पूरा करने के भरसक प्रयास किए जाएंगे।

जय हिंद।

(रतन लाल कटारिया)

215, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
दूरभाष : (011) 23708419, 23718759, फैक्स : 011-23354496

परमेस्वरन अय्यर
PARAMESWARAN IYER

सचिव
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

24 दिसम्बर, 2019

संदेश

अनेक वर्षों से भारत सरकार और राज्य सरकारों का प्रयास रहा है कि लोगों को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उनकी सबसे बड़ी आकांक्षा यह रही है कि हर घर तक पाइपलाइन से जल आपूर्ति की जा सके। फिर भी, अब तक लगभग 20% ग्रामीण परिवारों को ही उनके घरों तक नल से जल की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री ने एक अति महत्वपूर्ण घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि 'भारत सरकार का संकल्प है कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक भारत के सभी घरों तक पाइप लाइन से पेयजल की आपूर्ति की जाए'।

जल जीवन मिशन का लक्ष्य देश के प्रत्येक परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) उपलब्ध कराना है। इसमें जल संरक्षण, जल-स्रोत स्थायित्व तथा वर्षा जल भंडारण पर मुख्य रूप से ध्यान देते हुए ग्राम पंचायतों द्वारा विकेन्द्रीकृत किंतु एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से समुचित स्तर पर जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। जल जीवन मिशन में घरेलू 'नॉन-फीकल' अपशिष्ट जल जिसे ग्रे-वॉटर भी कहा जाता है, के संग्रहण तथा बुनियादी शोधन हेतु ढांचा विकसित करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। औसतन सभी प्रकार के घरेलू जल में 'ग्रे-वॉटर' का हिस्सा लगभग 80% होता है।

भू-जल सम्पन्न क्षेत्रों में, सर्वांगीण स्रोत स्थायित्व उपायों के साथ-साथ एकल ग्राम भू-जल आधारित स्कीमों को बढ़ावा दिया जाएगा। विशेषकर चिह्नित जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों तथा जल गुणवत्ता मुददों से प्रभावित क्षेत्रों, जहां भू-जल पर्याप्त मात्रा में नहीं है, में धरातलीय जल-संग्रह आधारित बहु-ग्राम स्कीमों को बढ़ावा दिया जाएगा।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रयास यह है कि जल जीवन मिशन को स्वच्छ भारत मिशन की तरह एक जन आंदोलन बनाया जाए।

परमेश्वरन अय्यर

(परमेश्वरन अय्यर)

भरत लाल
BHARAT LAL

सत्यमेव जयते

अपर सचिव
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

संदेश

जल एक बुनियादी आवश्यकता है। पेयजल की सुनिश्चित उपलब्धता की कमी का प्रतिकूल प्रभाव, परिवारों और स्थानीय समुदायों – दोनों पर पड़ता है। घर में पेयजल की सुविधा न होने पर लोगों, विशेषकर महिलाओं और बेटियों को दूर-दूर से अपने घरों के लिए पानी लाने के लिए जाना पड़ता है और अपना समय व ऊर्जा बरबाद करने पर मजबूर होना पड़ता है। जल संकट की स्थिति में, राज्य सरकारें/ स्थानीय प्रशासन टैंकर, ट्रेन आदि के माध्यम से जल उपलब्ध कराने के लिए तात्कालिक उपाय करते हैं। इस सरकार ने जन-सामान्य के जीवन को आसान बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, इसलिए लोगों की अब यह स्वाभाविक अपेक्षा है कि सरकार उनके घरों में 'नल से जल' पहुंचाएगी।

इसी पृष्ठभूमि में, राज्यों की सहभागिता से 'जल जीवन मिशन' की शुरुआत की गई है। इस मिशन का लक्ष्य, अगले 5 वर्षों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 'कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन' (एफ.एच.टी.सी.) उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में, हर परिवार को **नियमित आधार** पर **पर्याप्त मात्रा** और **निर्धारित गुणवत्ता** वाले पेयजल की आपूर्ति लंबी अवधि तक किए जाने की योजना है। इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर संस्थागत व्यवस्थाएं की गई हैं और इस कार्य में राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ आर.डब्ल्यू.ए विभागों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्हें गांव-गांव में जल आपूर्ति प्रणालियों की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन तथा उनके रखरखाव के लिए ग्राम पंचायतों और/ अथवा उनकी उपसमितियों की मदद करनी होगी। साथ ही, ग्राम समुदाय में इस मिशन के प्रति 'अपनत्व की भावना' उत्पन्न करनी होगी क्योंकि ग्राम समुदाय और उसमें शामिल लोग ही, इस मिशन के केन्द्र में हैं।

गांवों में, स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिलाओं को जल संसाधन प्रबंधन, जल आपूर्ति तथा गंदले जल के शोधन व इसके पुन:उपयोग की व्यवस्था में भागीदार बनाया जाना चाहिए और उन्हें इस व्यवस्था को, 'उनकी अपनी व्यवस्था' मानने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जहां भी आवश्यक हो, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ आर.डब्ल्यू.एस. विभागों के अलावा, स्वयं सहायता समूहों/ स्वैच्छिक संगठनों/ सी.बी.ओ./ गैर-सरकारी संगठनों, युवा समूहों आदि द्वारा ग्राम पंचायतों को मदद दी जानी होगी तथा एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस., एस.बी.एम., एम.पी.एल.ए.डी., एम.एल.ए.एल.ए.डी., डी.एम.डी.एफ., डोनेशन, सी.एस.आर. आदि जैसे वित्त-पोषण स्रोतों से वित्तीय सहायता जुटानी होगी। जल को 'हर व्यक्ति का सरोकार' बनाने के लिए इस मिशन में विकास भागीदारों, शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थानों के साथ भागीदारियां बनाने के प्रयास करने होंगे और दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा।

जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है, वहां लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ आर.डब्ल्यू.एस. विभागों को जल अन्तरण, जल-शोधन तथा जल-वितरण की योजना बनानी होगी। जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाते समय प्रचालन एवं रख-रखाव के पहलू पर सर्वाधिक ध्यान देना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि जल आपूर्ति स्कीमें अपनी निर्धारित अवधि तक कार्य करती रहें। विशेषकर जल संकट-ग्रस्त इलाकों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक निवेश व्यर्थ न हो, जल स्रोतों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी। जल गुणवत्ता प्रभावित गांवों में प्रौद्योगिकी नवाचारों पर काम करना होगा। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ आर.डब्ल्यू.एस. विभागों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे ग्रामीण समुदायों की सक्रिय सहभागिता से जिला और ग्राम स्तरीय कार्य योजनाएं तैयार करें। ''बॉटम अप एप्रोच'' के मंत्र का पालन करते हुए राज्यों को, लक्ष्य एवं निर्धारित समय-सीमा तय करते हुए, वार्षिक कार्य योजना तथा पंचवर्षीय 'राज्य कार्य योजना' तैयार करनी होगी तथा मिशन-मोड में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करना होगा।

मैं, इस विभाग की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विनम्र कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें इस मिशन का 'विज़न' और प्रेरणा प्रदान की। मुझे पूरा विश्वास है कि हर परिवार को 'कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन' उपलब्ध कराने तथा हर गांव में दीर्घकालिक जल सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए **जल जीवन मिशन** के कार्यान्वयन में यह 'प्रचालन दिशानिर्देश दस्तावेज़' अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

(भरत लाल)
अपर सचिव एवं मिशन निदेश
जल जीवन मिशन

25 दिसम्बर, 2019

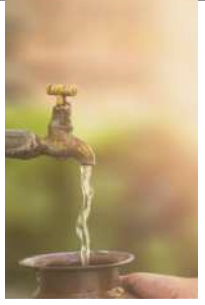

अनुक्रमणिका

संक्षेपाक्षर 3

परिभाषाएं 5

1. प्रस्तावना 7

2. पृष्ठभूमि 9
- 2.1 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
- 2.2 संविधान का 73वाँ संशोधन
- 2.3 वित्त आयोग
- 2.4 बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाएं (ई.ए.पी.)
- 2.5 ग्रामीण जल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति
- 2.6 चुनौतियॉ एवं एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण

3. आयोजना एवं कार्यान्वयन की कार्यनीति 14
- 3.1 विज़न
- 3.2 मिशन
- 3.3 उद्देश्य
- 3.4 जल जीवन मिशन के घटक (8 मुख्य घटक)
- 3.5 कार्यनीति
- 3.6 आयोजना
  - 3.6.1 गांव, जिला और राज्य स्तर पर कार्य योजनाएं
  - 3.6.2 भावी कार्यनीति - सेवा प्रदाय और जन सुविधा विकास

4. जल जीवन मिशन में आमेलित पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. योजनाएं/उप-मिशन 4
- 4.1 कम आय वाले राज्यों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.पी.-एल.आई.एस.)
- 4.2 राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम.)
- 4.3 जापानी एन्सेफलाइटिस-उग्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (जे.ई.-ए.ई.एस.)
- 4.4 स्वजल
- 4.5 जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी (डब्ल्यू.क्यू.एम.एंड.एस.)
- 4.6 सहायक गतिविधियां

5. संस्थागत तंत्र 26
- 5.1 राष्ट्रीय स्तर-राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
  - 5.1.1 डेटा और प्रलेखन केन्द्र
  - 5.1.2 कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.)
- 5.2 राज्य स्तर - राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.)
- 5.3 जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.)
- 5.4 ग्राम पंचायत/ और/ या इसकी उपसमिति अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वी.डब्ल्यू.एस.सी.)/पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि
- 5.5 कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां (आई.एस.ए.)
- 5.6 लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पी.एच.ई.डी.)/ग्रामीण जल आपूर्ति (आर.डब्ल्यू.एस.) विभाग
- 5.7 सेक्टर के साझेदार
- 5.8 राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केन्द्र (एन.सी.डी.डब्ल्यू.एस.क्यू.)

6. कार्यान्वयन 36
- 6.1 अन्त:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना
  - 6.1.1 योजना चक्र
  - 6.1.2 सामुदायिक योगदान
  - 6.1.3 समुदाय के लिए प्रोत्साहन
  - 6.1.4 प्रचालन एवं रख-रखाव (ओ.एंड एम.)
- 6.2 क्षेत्रीय जल आपूर्ति और वितरण नेटवर्क
- 6.3 मेल-जोल

7. वित्तीय आयोजना एवं वित्त-पोषण 44
- 7.1 लागत
- 7.2 केन्द्रीय स्तर पर जे.जे.एम. निधि का आबंटन/निर्धारण

7.3 निधि आबंटन के लिए मानदंड
7.4 जे.जे.एम. के अंतर्गत आमेलित पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के घटकों के लिए निधि भागीदारी पद्धति
7.5 वित्तीय आयोजना
7.6 कार्य-निष्पादन को पुरस्कृत करना
7.7 अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ई.बी.आर.)
7.8 निधि आबंटन और अवमुक्ति की प्रक्रिया
7.9 निधि आप्रवाह
7.10 अमान्य व्यय
7.11 सामुदायिक योगदान
7.12 अंत:ग्राम अवसंरचना विकास हेतु अन्य स्रोतों से प्राप्त धन
7.13 प्रोत्साहन निधि
7.14 जे.जे.एम. के तहत उपलब्ध फ्लेक्सी फंड
7.15 पी.एफ.एम.एस.
7.16 संपरीक्षा
7.17 वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्प/ मॉडल
7.18 राष्ट्रीय जल जीवन कोष (आर.जे.जे.के.)

8. प्रौद्योगिकीय मध्यवर्तन (इंटरवेंशस) और नवाचार 53
8.1 छिट-पुट के/एकान्त/आदिवासी गांवों के लिए सौर-ऊर्जा आधारित स्वतंत्र जल आपूर्ति प्रणाली
8.2 संदूषित भूजल क्षेत्रों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सी.डब्ल्यू.पी.पी.)
8.3 ठंडे रेगिस्तानी/कठोर चट्टानी/पहाड़ी/तटीय क्षेत्र
8.4 आयोजना और निगरानी में प्रौद्योगिकी का उपयोग
8.5 तकनीकी समिति
8.6 नवाचार और अनुसंधान एवं विकास
8.7 जल संपरीक्षा और जल सुरक्षा

9. सहायक गतिविधियां 57
9.1 सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.)
9.2 मानव संसाधान विकास (एच.आर.डी.) और प्रशिक्षण
9.3 जन-सुविधा, नेतृत्व विकास और परिवर्तन प्रबंधन
9.4 कौशल विकास और उद्यमिता
9.5 स्थानीय समुदायों को एकजुट करना
9.6 अन्य पक्ष द्वारा निरीक्षण
9.7 मुख्य संसाधन केन्द्र (के.आर.सी.)
9.8 ज्ञान केन्द्र
9.9 प्रलेखन

10. जल गुणवत्ता की निगरानी और चौकसी (डब्ल्यू.क्यू.एम.एंड एस.) 60
10.1 परीक्षण की आवृत्ति
10.2 वित्त-पोषण
10.3 गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में जल गुणवत्ता की निगरानी
10.4 प्रशिक्षण और आई.ई.सी. गतिविधियों की सूची
10.5 निगरानी

11. निगरानी एवं मूल्यांकन 64
11.1 निगरानी
11.1.1 जल जीवन मिशन-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस.)
11.1.2 रियल टाइम डैशबोर्ड
11.1.3 परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग
11.1.4 एफ.एच.टी.सी. को आधार के साथ जोड़ना
11.1.5 समुदाय द्वारा चौकसी
11.2 मूल्यांकन

12. आउटपुट और परिणामों को मापना 67

13. आपदा प्रबंधन 68

14. बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाएं (ई.ए.पी.) 71

अनुबंध 72

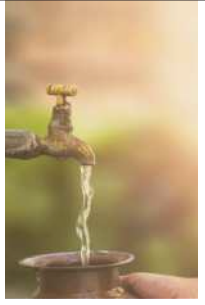

संक्षेपाक्षर

ए.ए.पी.	वार्षिक कार्य योजना
ए.डी.बी.	एशियाई विकास बैंक
ए.डी.डी.	एक्यूट डायरिया रोग
ए.आई.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता
ए.जी.एम.	वार्षिक आम बैठक
बी.सी.सी.	व्यवहार परिवर्तन संचार
सी.पी.एच.ई.ई.ओ.	केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन
सी.बी.ओ.	समुदाय आधारित संगठन
सी.एस.ओ.	सिविल सोसाइटी संगठन
सी.डब्ल्यू.पी.पी.	सामुदायिक जल शोधन संयंत्र
डी.डी.पी.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम
डी.डी.डब्ल्यू.एस.	पेयजल और स्वच्छता विभाग
डी.एम.डी.एफ.	जिला खनिज विकास निधि
डी.पी.ए.पी.	सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.डब्ल्यू.एस.एम.	जिला जल और स्वच्छता मिशन
ई.ए.पी.	बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाएं
ई.बी.आर.	अतिरिक्त बजटीय संसाधन
ई.एस.आर.	उत्थापित भंडारण जलाशय
एफ.सी.	पूरी तरह से कवर्ड
एफ.एच.टी.सी.	कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन
एफ.टी.के.	फील्ड परीक्षण किट
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.बी.एस.	सकल बजटीय सहायता
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.पी.	ग्राम पंचायत
एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास
एच.आर.	मानव संसाधन
आई.एम.आई.एस.	एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली
आई.ई.सी.	सूचना, शिक्षा और संचार
आई.एफ.डी.	एकीकृत वित्त प्रभाग
आई.पी.सी.	पारस्परिक संचार
आई.एस.ए.	कार्यान्वयन सहायता एजेंसी
जे.ई.-ए.ई.एस.	जापानी एन्सेफलाइटिस - उग्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम
जे.जे.एम.	जल जीवन मिशन
के.आर.सी.	मुख्य संसाधन केन्द्र
एल.पी.सी.डी.	लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
एम.एंड ई.	निगरानी और मूल्यांकन
एम.ई.आई.टी.वाई.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एम.पी.एल.ए.डी.एस.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
एम.एल.ए.एल.ए.डी.एस.	विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
एम.वी.एस.	बहु ग्राम योजना
एन.डी.बी.	न्यू डेवलपमेंट बैंक
एन.ई.	पूर्वोत्तर
एन.जी.टी.	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण)
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
एन.जे.जे.एम.	राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
ओ.एंड एम.	संचालन और अनुरक्षण

पी.एम.के.वी.के.	प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र
पी.एफ.एम.एस.	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पी.एच.ई.डी.	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
पी.पी.पी.	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पी.पी.आर.	प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट
पी.आर.ए.	सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन
पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्थान
क्यू.एंड क्यू.	गुणवत्ता एवं मात्रा
आर.एंड डी.	अनुसंधान और विकास
आर.जे.जे.के.	राष्ट्रीय जल जीवन कोष
आर.डब्ल्यू.एच.	वर्षा जल संचयन
आर.डब्ल्यू.एस.	ग्रामीण जल आपूर्ति
एस.सी.ए.डी.ए.	पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा प्राप्ति
एस.बी.एम.(जी)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
एस.डी.जी.	सतत विकास लक्ष्य
एस.एच.जी.	स्वयं सहायता समूह
एस.वी.एस.	एकल ग्राम योजना
एस.डब्ल्यू.एस.एम.	राज्य जल और स्वच्छता मिशन
टी.ओ.आर.	विचारार्थ विषय
टी.एस.एस.	आदिवासी उप योजना
टी.ओ.टी.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
यू.सी.	उपयोग प्रमाण पत्र
यू-डी.आई.एस.ई.	स्कूल शिक्षा संबधी एकीकृत जिला सूचना
वी.ए.पी.	ग्राम कार्य योजना
वी.ओ.	ग्राम संगठन
वी.डब्ल्यू.एस.सी.	ग्राम जल और स्वच्छता समिति
डब्ल्यू.ए.एस.एम.ओ.	जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन
डब्ल्यू.क्यू.एम. एंड एस.	जल गुणवत्ता निगरानी और चौकसी

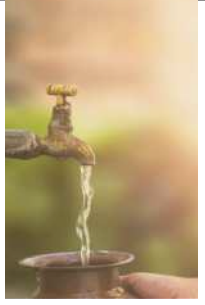

परिभाषाएं

(जल जीवन मिशन के संदर्भ में)

कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन [एफ.एच.टी.सी.] - नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण परिवार के लिए नल कनेक्शन।

कार्यशीलता - नल कनेक्शन की कार्यशीलता का अर्थ है- एक बुनियादी ढांचा तैयार करना अर्थात ऐसा घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना जिससे पर्याप्त मात्रा में, अर्थात कम से कम 55 एल.पी.सी.डी., बीआईएस: 10500 मानक के अनुरूप, निर्धारित गुणवत्ता[1] वाला जल, नियमित आधार पर दीर्घकालिक निरंतर आपूर्ति के रूप में पेयजल प्राप्त होता रहे ।

अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना - अंत:ग्राम नल जल आपूर्ति अवसंरचना में नई योजना अवसंरचना/मौजूदा स्कीम की रेट्रोफिटिंग/मौजूदा जल स्रोत या स्रोतों और इनके आवश्यक घटक जिनमें ई.एस.आर., सॅम्प, वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण अवसंरचना, गंदले पानी के प्रबंधन की अवसंरचना, कपड़े धोने/स्नान करने की जगह, मवेशी कुंड आदि शामिल हैं। रेगिस्तानी, सूखा-प्रवण, पहाड़ी और जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में, सामूहिक जल भंडारण भी, अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना का हिस्सा होगा।

वितरण नेटवर्क - वितरण नेटवर्क के अंतर्गत जहां एक ओर, जल-स्रोत से ग्राम स्तर के सॅम्प तक कच्चे/शोधित जल को ले जाने वाली पाइपलाइनें शामिल होंगी, वहीं दूसरी ओर गाँव के भीतर घरों तक पानी ले जाने वाली पाइपलाइनें भी।

बल्क वाटर ट्रांसफर - किसी जल-स्रोत से उस स्थान तक, जहां कोई स्थानीय जल स्रोत उपलब्ध न हो, खुले चैनलों या पाइपलाइनों के माध्यम से या दोनों के मिल-जुले माध्यम से बड़ी मात्रा में कच्चे/शोधित पेयजल को पहुंचाना। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, घरेलू और औद्योगिक जरूरतों के लिए पानी का प्रावधान किया जाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में थोक (बल्क) जल गाँव की सीमा तक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद, ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि को एकल ग्राम योजना की भांति इस व्यवस्था का प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करना होगा। थोक में जल का अन्तरण दीर्घकालिक निरंतर आधार पर या समय-समय पर और अस्थायी आधार पर किया जा सकता है और जल आपूर्ति की मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता को मापने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

समुदाय - किसी गाँव/बस्ती में रहने वाले लोगों का समूह।

बस्ती - न्यूनतम 20 घरों और/या 100 व्यक्तियों का समूह। तथापि, इससे कम संख्या वाले पहाड़ी/आदिवासी और वन क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल बसावटों को भी इसमें शामिल किया जाना है। गांवों/बस्तियों से दूर एकल घरों/फार्म हाउसों के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए वित्तपोषण जे.जे.एम. के तहत नहीं किया जाएगा।

पीने के पानी का स्रोत - भूजल (खुले कुएं, बोरवेल, ट्यूबवेल, हैंडपंप, आदि)/धरातली पानी (सोता, बंध, नदी, झील, तालाब, जलाशय, आदि)/बारिश का पानी, जो पीने और घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध हो।

परिसर - जनगणना कार्य के लिए यथा-परिभाषित।

ग्रामीण जल आपूर्ति (आर.डब्ल्यू.एस.) विभाग - राज्य में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए उत्तरदायी विभाग जिसमें पी.एच.ई.डी./पंचायती राज/ग्रामीण विकास/बोर्ड/निगम, आदि शामिल हो सकते हैं।

जल-संकटग्रस्त क्षेत्र - समय-समय पर केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) द्वारा अभिनिर्धारित जिले और विकास खंड

जन-सुविधा - मुख्यत: सेवा प्रदाय अर्थात् पर्याप्त मात्रा में नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति और परिचालन तथा वित्तीय स्थायित्व पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए निर्मित संगठन।

जल गुणवत्ता निगरानी - समान पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार एजेंसी द्वारा जल स्रोतों और एफ.एच.टी.सी. से एकत्र पानी के नमूनों के प्रयोगशाला और फील्ड परीक्षण।

जल गुणवत्ता चौकसी - स्थानीय समुदाय, ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि या फील्ड टेस्ट किट (फील्ड परीक्षण किट) का प्रयोग करने वाले स्कूलों द्वारा किए जाने वाले समान पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल पर आधारित एक नियमित गतिविधि और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकने वाले पेयजल से जुड़े कारकों की पहचान करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए इसी तरह के आकलन।

कार्यशीलता मूल्यांकन - नमूना सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शनों की कार्यशीलता का आकलन।

एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ - राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला (एन.ए.बी.एल.) प्रत्यायन (एक्रेडिटेशन) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ।

[1]आईएस 10500:2012 'भारतीय मानक - समय-समय पर यथा-संशोधित पेयजल विनिर्देश ।

ग्राम कार्य योजना -बेसलाइन सर्वेक्षण, संसाधन मानचित्रण और ग्राम समुदाय द्वारा व्यक्त जरूरतों के आधार पर ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने, उत्पन्न ग्रे-वाटर का उपचार करने और इसके पुन: उपयोग की योजना बनाने, निगरानी गतिविधियां संचालित करने आदि के लिए तैयार की गई योजना। ग्राम कार्य योजना के अंतर्गत, मिशन के तहत काम को पूरा करने के लिए निधि की आवश्यकता और समय सीमा का उल्लेख किया जाएगा और ग्राम सभा द्वारा उसे अनुमोदित किया जाएगा। वित्तपोषण का स्रोत चाहे कोई भी हो, लेकिन गांव में पीने के पानी से जुड़े सभी काम, ग्राम कार्य योजना के आधार पर किए जाने हैं।

जिला कार्य योजना (डी.ए.पी.) - समस्त ग्राम कार्य योजनाओं और अतिरिक्त कार्य, यानी थोक (बल्क) वॉटर ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, प्रयोगशालाओं आदि को समेकित करके डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा तैयार की गई योजना, जिसमें वित्तीय विवरणों और समय-सीमा के साथ जिले के सभी गांवों/बस्तियों में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित की गई हो।

'राज्य कार्य योजना' (एस.ए.पी.) - समस्त जिला कार्य योजनाओं और क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना, थोक (बल्क) वॉटर ट्रांसफर और ट्रीटमेंट प्लांट्स आदि को समेकित करके एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा तैयार की गई योजना, जिसका प्रयोग राज्य में समग्र पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को कवर करने की दृष्टि से वित्तीय आयोजना हेतु किया गया हो।

पानी का मिला-जुला उपयोग - पानी की अबाध उपलब्धता और स्रोतों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए धरातली जल, भूजल और वर्षा जल का सामंजस्यपूर्ण उपयोग।

कवरेज - किसी राजस्व गांव में किसी एक निश्चित समय पर, एफ.एच.टी.सी. प्राप्त परिवारों का प्रतिशत।

सामुदायिक स्नान और कपड़े धोने का स्थान - नल के साथ स्नान और शौचालय स्थल; जिन क्षेत्रों में व्यक्तियों के पास अपना शौचालय और/अथवा स्नान एवं कपड़े धोने का स्थान नहीं है, वहां औसतन 20 परिवारों के उपयोग के लिए एकाधिक नल और ग्रे-वॉटर प्रबंधन उपायों के साथ विकसित किया गया कपड़े धोने का स्थान ।

मवेशी कुंड - जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए एक लंबी, संकरी खुली संरचना।

प्रस्तावना

जीवन की मूलभूत आवश्यकता है- जल। जल नहीं, तो जीवन नहीं। मानव विकास के लिए पेयजल की सुनिश्चित उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण होती है। दुनिया की कुल संख्या में से 18% लोग और 15% मवेशी भारत में रहते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि दुनिया की कुल जमीन में से हमारे पास मात्र 2% जमीन और मीठे पानी के मात्र 4% संसाधन हैं। एक अनुमान[2] के अनुसार, वर्ष 1951 में मीठे पानी की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी, जो वर्ष 2011 में घटकर 1,545 घन मीटर रह गई। अनुमान है कि वर्ष 2019 में यह लगभग 1,368 घन मीटर है, जो वर्ष 2025 में और घटकर संभवतः 1,293 घन मीटर रह जाएगी। मीठे पानी की उपलब्धता में यदि यह गिरावट जारी रही, तो वर्ष 2050 में मीठे पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटकर 1,140 घन मीटर ही रह जाएगी।

देश में आबादी बढ़ रही है और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता जा रहा है। इस कारण, विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, उद्योग, घरेलू-उपयोग, मनोरंजन, अवसंरचना विकास आदि में जल की मांग बढ़ गई है, जबकि जल के स्रोत सीमित हैं। इस प्रकार, सीमित उपलब्धता और उत्तरोत्तर बढ़ती मांग के कारण पेयजल प्रबंधन की समस्या जटिल होती जा रही है। मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अन्तराल की समस्या, कुछ अन्य चुनौतियों के कारण गंभीर होती जा रही है। ये चुनौतियां हैं - भू-जल का अत्यधिक दोहन, पुनर्भरण की कमी के कारण भू-जल स्तर घटते जाना, भंडारण की अल्प-क्षमता, जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा, संदूषक तत्वों की मौजूदगी, जल आपूर्ति प्रणाली का प्रचालन एवं रख-रखाव ठीक न होना आदि।

स्वाधीनता-पूर्व भारत में आबादी कम थी इसलिए, कम आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जल प्रबंधन प्रणाली और अवसंरचनाएं पर्याप्त सिद्ध हो रही थीं। मृदा और जलवायु की भिन्न-भिन्न स्थितियों के अनुसार उस समय के स्थानीय समुदाय, अपने पांरपरिक ज्ञान और विवेक का प्रयोग करके समुदाय की जरूरतों को पूरा करने करने के लिए अपनी स्वयं की प्रणाली तैयार करने के लिए जाने जाते थे। तथापि, आबादी बढ़ते जाने, वर्षा-पद्धति में व्यवधान आने तथा भंडारण में कमी के कारण जल संकट संबंधी चुनौतियां गंभीर होती गई हैं।

स्वाधीनता के बाद, ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों ने ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम लागू किए हैं। वर्ष 1972 में, 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' के भाग के रूप में भारत सरकार ने 'त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम' (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के माध्यम से राज्यों को सहायता देनी शुरू की थी। तब से लेकर अब तक, भारत सरकार ने, हर ग्रामीण परिवार को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से, राज्यों के प्रयासों में सहायता देने हेतु अनेक क़दम उठाए हैं।

अब तक संचालित किए जा रहे 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) 2017' के अंतर्गत एक उद्देश्य यह भी था कि 'सभी परिवारों को, जहां तक संभव हो, उनके परिसरों के भीतर ही, उनके प्रयोग के लिए स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाए'। इस उद्देश्य को वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 'सतत विकास लक्ष्य (यू.एन.-एस.डी.जी. 6) में भी यह लक्ष्य 2030 तक ही प्राप्त किया जाना तय था।

ग्रामीण क्षेत्रों में पीने हेतु और अन्य घरेलू प्रयोजनों हेतु पाइपलाइन से जल आपूर्ति करना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्षों से चल रहे जल आपूर्ति कार्यक्रमों से हमने कुछ महत्वपूर्ण सबक लिए हैं जिनमें, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

(i) पूंजीगत आवश्यकताओं के साथ-साथ प्रचालन एवं रख-रखाव (ओ.एण्ड एम.) जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित निवेश अपर्याप्त रहने से जल आपूर्ति प्रणालियां अधूरी रह गईं और/ अथवा निष्क्रिय हो गईं;

(ii) ज्यादातर ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं भू-जल पर आधारित थीं। उधर, खेती की जरूरतों के लिए भू-जल के अत्यधिक दोहन से ये जल आपूर्ति प्रणालियां, अपनी निर्धारित अवधि तक सेवा नहीं दे सकीं;

(iii) यह महसूस किया गया कि एक्वीफर पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, जल भंडारों व जलाशयों की भंडारण क्षमता में वृद्धि, गाद निकालने आदि जैसे स्रोत स्थायित्व उपाय करने से जल आपूर्ति प्रणालियों की उपयोग-अवधि में सुधार आता है;

(iv) प्राय: यह देखा जाता है कि योजनाओं का रख-रखाव अच्छी तरह से न करने पर निवेश निष्फल हो जाता है।

(v) अब यह दिख रहा है कि सुनिश्चित जल आपूर्ति की स्थिति में समुदाय, जल आपूर्ति का भुगतान करने के लिए तत्पर होता है;

[2]जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। जनसंख्या अनुमान के आधार पर भावी आकलन।

(vi) सेवा-प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए 'जन-सुविधा की मानसिकता' विकसित किया जाना आवश्यक है।

(vii) अंत:ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली को सतत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि समुदाय में इसके प्रति 'अपनत्व की भावना' हो। इसलिए यह आवश्यक है कि जल आपूर्ति प्रणालियों की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन और प्रचालन व रख-रखाव में समुदाय को शामिल किया जाए। गुजरात में 'जल एवं स्वच्छता प्रबंधन संगठन' (डब्ल्यू.ए.एस.एम.ओ.), उत्तराखंड में 'स्वजल' और विभिन्न राज्यों में सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा शुरू की गई अनेक अन्य पहलों की सफलता से यह सिद्ध होता है कि स्रोतों और प्रणालियों के दीर्घकालीन स्थायित्व को सुनिश्चित करने का मंत्र यह है कि समुदाय में इनके प्रति अपनत्व की भावना पैदा की जाए।

पिछले पांच वर्ष में चूंकि सरकार का बल मूलभूत सेवाओं जैसे आवास, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, स्वास्थ्य सुविधाएं, वित्तीय सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, सड़कें आदि उपलब्ध कराने पर केन्द्रित रहा है, इसलिए लोगों की स्वाभाविक आकांक्षा अब यह है कि उनके परिसर में पाइप से जल आपूर्ति उपलब्ध हो जाए। इससे उनका जीवन अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी। लोगों के परिसर के भीतर पेयजल की सुनिश्चित उपलब्धता से न केवल ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि इससे ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को भी कठिनाइयों से छुटकारा मिलेगा।

'जल जीवन मिशन' की शुरुआत इसी पृष्ठभूमि में की गई है। इस मिशन का लक्ष्य, वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 'कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन' (एफ.एच.टी.सी.) उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में परिवार स्तर पर सेवा उपलब्ध कराने, अर्थात् नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा और निर्धारित गुणवत्ता वाली जल आपूर्ति पर बल दिया गया है। इससे, जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन, जल स्रोतों के विकास, जल के शुद्धिकरण और आपूर्ति, ग्राम पंचायतों/स्थानीय समुदाय के सशक्तीकरण, जल उपलब्धता पर बल देने, अन्य हितधारकों के साथ भागीदारी करने, अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल बैठाने, कार्यक्रम की विधिवत् निगरानी करने और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल उपलब्धता के आंकड़े स्वचालित रूप से प्राप्त करने में आधुनिक टैक्नोलॉजी का उपयोग आवश्यक हो जाता है। ऐसा करने से हमें, सही मायनों में 'जल जीवन मिशन' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

भारत के संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से पेयजल के विषय को ग्यारहवीं अनुसूची में ला दिया गया है और इसके प्रबंधन की ज़िम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए, 'जे.जे.एम' के अंतर्गत, पेयजल स्रोतों के साथ-साथ अंत:ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली की योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन एवं रख-रखाव में ग्राम पंचायतें और स्थानीय समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्यों के 'लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग' (पी.एच.ई.डी.)/ग्रामीण विकास और पंचायती राज/ग्रामीण पेयजल के प्रभारी ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, संविधान में की गई परिकल्पना के अनुसार, ग्राम पंचायतों को उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेंगे।

इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन विकेन्द्रीकृत, मांग-आधारित और समुदाय प्रबंधित रूप में किया जा रहा है। इस कारण, स्थानीय समुदाय में इस के प्रति 'अपनत्व का भाव' जागृत होगा, विश्वास का माहौल बनेगा और पारदर्शिता आएगी, जिससे जल आपूर्ति प्रणाली का बेहतर कार्यान्वयन और दीर्घ काल तक प्रचालन व रख-रखाव हो सकेगा। ऐसा होने से जल आपूर्ति तक प्रत्येक परिवार की पहुंच में भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी और आपूर्ति नियमित होगी, जिससे वे इस सेवा के लिए भुगतान करने को तत्पर होंगे। जल आपूर्ति का प्रयोग, अन्य प्रयोजनों हेतु किए जाने की घटनाओं की रोकथाम भी हो सकेगी।

जल आपूर्ति क्षेत्र में अनेक हितधारक कार्य कर रहे हैं। ये हितधारक हैं - अनुसंधान और विकास संस्थान, ट्रस्ट, प्रतिष्ठान, गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.), ग्राम संगठन (वी.ओ.), समुदाय आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह, प्रयोक्ता समूह, कॉरपोरेट, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और उत्साही-जन। जल के प्रति सभी को जिम्मेदार बनाने की दृष्टि से, इन सभी संस्थानों/लोगों को भागीदार बनाने और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए यह मिशन भरसक प्रयास करेगा, ताकि 'जे.जे.एम' के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें और दीर्घ काल तक पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने, जल संकटग्रस्त जिलों में पहले ही जल शक्ति अभियान (जे.एस.ए.) नामक सघन अभियान शुरू कर दिया है, ताकि जल संरक्षण के लिए प्रयासरत सभी हितधारकों के कार्यों में तालमेल रखा जा सके।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित 'एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली' के अनुसार, 31 मार्च, 2019 तक देश के कुल 17.87 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 3.28 करोड़ अर्थात् लगभग 18% परिवारों के पास नल कनेक्शन हैं। इस प्रकार, लगभग 14.60 करोड़ परिवारों के पास नल कनेक्शन नहीं हैं और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की भागीदारी से, वर्ष 2024 तक उन्हें इस मिशन के दायरे में लाने की योजना है।

वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए यह आवश्यक है कि सभी स्तरों पर उचित संस्थागत तंत्र के विकास सहित जल आपूर्ति प्रणाली की उचित आयोजना, कार्यनीति बनाई जाए और कार्यान्वयन किया जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन के दौरान यह आवश्यक है कि अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के निर्माण हेतु उचित तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण किया जाए, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाए एवं स्थानीय समुदाय/प्रयोक्ता समूह से आवश्यक अनुमोदन लिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें इस प्रणाली के प्रति 'अपनत्व का भाव' पैदा हो और वे इस प्रणाली के प्रबंधन, प्रचालन एवं रख-रखाव के साथ-साथ पेयजल स्रोतों के दीर्घकालीन स्थायित्व के उपाय करने हेतु तत्पर हो सकें।

पृष्ठभूमि

2.1 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

स्वतंत्रता के बाद भारत के योजनाबद्ध विकास की शुरूआत के दौरान 'पर्यावरण स्वच्छता समिति' ने एक कार्यक्रम की सिफारिश की थी। इस कार्यक्रम के अनुसार, पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) के भाग के रुप में, एक निर्धारित अवधि के दौरान सभी गांवों को स्वच्छ जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जानी थी। इस प्रयोजन से, स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत 1954 में 'राष्ट्रीय जल आपूर्ति कार्यक्रम' की शुरूआत की गई।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) तक, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति का कार्य, समुदाय विकास कार्यक्रम के एक घटक के रूप में शामिल था। स्वास्थ्य मंत्रालय, तत्कालीन राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम के तहत इस प्रयास में सहायता करता था।

वर्ष 1972-73 में, राज्य सरकारों के प्रयासों के पूरक के रूप में, विशेषकर जल-संकटग्रस्त और जलजनित बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों में 'त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम' (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) की शुरूआत की गई। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) के दौरान, 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' के तहत इस कार्यक्रम को और भी गति प्राप्त हुई।

वर्ष 1986 में, राष्ट्रीय पेयजल मिशन, जो 'प्रौद्योगिकी मिशन' के रूप में लोकप्रिय था, की शुरूआत की गई, ताकि जल संकट के समाधान हेतु वैज्ञानिक सूचना और किफायती प्रौद्योगिकीय उपाय उपलब्ध कराए जा सकें।

आठवीं योजना (1992-97) में गुणवत्ता की समस्या अर्थात आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह-तत्व, लवणता की अधिकता वाली, जल स्रोतों की न्यूनता से प्रभावित बस्तियों और स्रोतों एवं प्रणालियों के स्थायित्व की आवश्यकता वाली बस्तियों में गुणवत्ता समस्या को दूर करने हेतु उप-मिशन शुरू किए गए।

वर्ष 1999-2000 में विकेन्द्रित, मांग-आधारित, समुदाय प्रबंधित सेक्टर सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें पेयजल स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन में ग्राम पंचायतों/ स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया। बाद में, इसे 2002 में 'स्वजलधारा' के रूप में विस्तारित किया गया और 2007-08 तक कार्यान्वित किया जाता रहा।

वर्ष 2004-05 में 'ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.' भारत निर्माण का अंग बना, जिसका लक्ष्य वर्ष 2008-09 तक बस्तियों को पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम में कवर किया जाना था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में वर्ष 2008-09 तक 'ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी' का कार्यान्वयन किया गया। वर्ष 2009-10 में इसे परिवर्तित कर इसे 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम' (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)

का नया नाम दिया गया। इस कार्यक्रम में, मुख्यत: पंचायती राज संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों को शामिल करके विकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाकर स्थायी आधार पर जल की शुद्धता, पर्याप्तता, सुलभता, वहनता और भागीदारी से जल की उपलब्धता का स्थायित्व सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

वर्ष 2013 में 'एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.' में कुछ परिवर्तन किए गए। ये परिवर्तन थे- (i) पाइप से जल आपूर्ति करने वाली स्कीमों पर बल देना; (ii) जहां संभव हो, जल उपलब्धता को 40 एल.पी.सी.डी. से बढ़ाकर 55 एल.पी.सी.डी. करना; (iii) जल गुणवत्ता पर और जापानी एनसेफेलाइटिस- उग्र एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम (जे.ई.-ए.ई.एस.) प्रभावित जिलों पर अधिक ध्यान देना; (iv) अपशिष्ट जल का शोधन, पुनर्चक्रण करना; और (v) पुरानी स्कीमों का प्रचालन एवं रख-रखाव करना।

वर्ष 2017 में 'एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.' का पुनर्गठन किया गया ताकि (i) इसे अधिक स्पर्धात्मक, परिणाम-उन्मुख और निर्गम-आधारित बनाया जा सके; (ii) घटकों को आपस में समाविष्ट करके कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान राज्यों को विकल्प (फ्लेक्सीबिलिटी) दिए जा सकें; (iii) जे.ई.-ए.ई.एस. प्रभावित जिलों के लिए अनुमत एकमात्र अपवाद को छोड़कर, पाइप से जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके।

वर्ष 1951 से 2019 के दौरान 'पब्लिक स्टैंड पोस्ट' वितरण केन्द्रों के रूप में हैंड पंपों, संरक्षित कुओं से अथवा पाइपलाइन जल आपूर्ति के माध्यम से ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर देने के प्रयास किए गए। पिछले कुछ दशकों में गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना आदि राज्यों ने, प्राप्त सूचना के अनुसार, ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने पर बल दिया है। पिछले कुछ समय से, विभिन्न राज्य सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप से जल आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु एकजुट प्रयास कर रहे हैं।

'एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.' के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने हेतु नियमित अवसंरचना के वित्तपोषण के अलावा जल गुणवत्ता के मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया है और राज्यों को विशेष परियोजना निधि भी उपलब्ध कराई गई है। इन प्रयासों के भाग के रूप में फरवरी, 2017 में 'राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन' (एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम.) की शुरूआत की गई, जिसका उद्देश्य मार्च 2021 तक आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में सुरक्षित पेयजल का प्रावधान करना है। इस उप मिशन के तहत यह परिकल्पना की गई है कि इन बस्तियों को या तो पाइप से जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी अथवा अल्पकालिक उपाय अर्थात पीने के लिए और रसोई के प्रयोजन हेतु 8 - 1 0 एल.पी.सी.डी. पेयजल के प्रावधान के साथ समुदाय आधारित शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पांच राज्यों में स्थित 60 जिलों की पहचान की है, जो 'जापानी एन्सेफलाइटिस - उग्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम' से प्रभावित हैं। विभाग/ राष्ट्रीय मिशन, इन प्रभावित जिलों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्यों को विशेष सहायता प्रदान कर रहा है।

पी.एच.ई.डी./ ग्रामीण जल आपूर्ति विभागों को जल आपूर्ति की गुणवत्ता की निगरानी में सक्षम बनाने और स्थानीय समुदायों को जल आपूर्ति की गुणवत्ता पर निगरानी का अधिकार देने के लिए 'जल गुणवत्ता निगरानी और चौकसी कार्यक्रम' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन गतिविधियों में शामिल हैं- राज्य, जिला और उप- डिवीजन स्तर पर जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्नयन, मोबाइल प्रयोगशालाओं का प्रावधान (पहुंच के लिए और आपदा के दौरान उपयोग हेतु), फील्ड टेस्ट किट (फील्ड परीक्षण किट) का प्रापण, विभिन्न पेयजल स्रोतों से जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी और बुनियादी जल गुणवत्ता जांच के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का क्षमता संवर्धन।

2.2 संविधान का 73वां संशोधन

वर्ष 1992 में संविधान के 73वें संशोधन से संविधान में "पंचायत" नामक एक नया भाग 'IX' जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 (ओ) तक के प्रावधान शामिल थे; इसके अलावा, पंचायत के प्रकार्यों में शामिल 29 विषयों के साथ एक नई 'ग्यारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई थी। इस अनुसूची की प्रविष्टि 11 के तहत, 'पेयजल' के प्रबंधन का विषय, पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है। इसके साथ ही, पंचायतें, उपयुक्त स्थानीय कर संग्रह कर सकती हैं तथा इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और उक्त प्रकार्यों को पूरा करने के लिए सहायता-अनुदान प्राप्त कर सकती हैं।

2.3 वित्त आयोग

एक के बाद एक गठित वित्त आयोगों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, 'जल आपूर्ति प्रबंधन' के लिए पंचायतों को अनुदान एवं राज्य विशिष्ट अनुदानों के रूप में, सामाजिक सेक्टर को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा, जल आपूर्ति को पंचायत का मूल कार्य बताया गया है। आयोगों ने जल आपूर्ति सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयोक्ता प्रभार की वसूली और उनकी दरों में मुद्रा-स्फीति के अनुसार संशोधन करने की तथा इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए पंचायतों को पूर्ण प्रचालन एवं रख-रखाव लागत वसूल करने देने की सिफारिश भी की है।

14वें वित्त आयोग (2015-2020) ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता की पहचान, राष्ट्रीय महत्व[3] की सार्वजनिक सेवा के रूप में की और स्थायी पेयजल आपूर्ति प्रणाली को औपचारिक प्रबंधन मॉडल के अंतर्गत प्रचालित प्रणाली के रूप में परिभाषित[4] किया है, जिसमें 100% घरेलू मीटर लगाए जाने अपेक्षित हैं और जिसमें जल शुल्क और सब्सिडी से प्राप्त निवल राजस्व, कम से कम, इस प्रणाली की प्रचालन एवं रख-रखाव लागतों को कवर करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि ग्रामीण तथा शहरी - दोनों क्षेत्रों के घरों के अलग-अलग कनेक्शनों, वाणिज्यिक इकाइयों और संस्थानों की 100% मीटरिंग की जाए, तथा कार्यशील जल मीटर लगे होने पर ही व्यक्तिगत कनेक्शन दिए जाएं।

चौदहवें वित्त आयोग ने 9 : 1 के अनुपात में साधारण और कार्यनिष्पादन अनुदानों के दोहरे शीर्षों के तहत स्थानीय निकायों को 2 लाख करोड़ रुपए तक के अनुदान देने की सिफारिश की है। इस बुनियादी अनुदान का प्रयोग, ग्राम पंचायत द्वारा मूलभूत सेवाएं देने के लिए किया जाएगा, जिनमें, अन्य के साथ-साथ, सेप्टेज प्रबंधन, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि सहित जल आपूर्ति, स्वच्छता शामिल है।

2.4 बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाएं (ई.ए.पी.)

विश्व बैंक, ए.डी.बी., एन.डी.बी. जैसी बहु-स्तरीय एजेंसियां और जे.आई.सी.ए. जैसी द्विपक्षीय एजेंसियां, विभिन्न राज्यों में जल आपूर्ति परियोजनाओं का वित्तपोषण करती आ रही हैं। यह वित्तपोषण बड़े पैमाने पर जल पहुंचाने, वितरण नेटवर्क और/ अथवा इस क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा देने हेतु समुदाय प्रबंधित, मांग-आधारित, विकेन्द्रित जल आपूर्ति कार्यक्रम पर केन्द्रित रहा है, जहां ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उप समितियां जैसे ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि इन स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन एवं रख-रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले दो दशकों के दौरान जल आपूर्ति

[3]आयोग की रिपोर्ट का पैराग्राफ 11.59

[4]आयोग की रिपोर्ट के पैराग्राफ 15.49 और 15.50

स्कीमों के कार्यान्वयन में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रचालन एवं रख-रखाव लागत वसूल की जाए और आंशिक पूंजीगत योगदान लिया जाए, ताकि स्थानीय समुदाय अपनी जल आपूर्ति स्कीमों को अपना सकें, इनका प्रबंधन, प्रचालन एवं रख-रखाव कर सकें।

2.5 ग्रामीण जल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति

एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत, बस्ती को एक इकाई मानकर जल आपूर्ति कवरेज की निगरानी की जाती थी। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, देश में सूचित कुल 17,25,576 ग्रामीण बस्तियों में जल आपूर्ति कवरेज की स्थिति निम्नवत रही:-

(बस्तियों की संख्या)

जल उपलब्धता	पूर्ण रूप से कवर की गई[5]	आंशिक रूप से कवर की गई[6]	गुणवत्ता-प्रभावित[7]
40 एल.पी.सी.डी.	13,96,304	2,69,661	59,611
	80.92%	15.63%	3.45%
55 एल.पी.सी.डी.	8,15,523	8,50,442	59,611
	47.26%	49.28%	3.45%

तालिका 1

इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.03.2019 तक, 18.33% परिवारों के पास नल कनेक्शन हैं।

वर्ष 2017 से, एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत, जे.ई.-ए.ई.एस. से प्रभावित जिलों को छोड़कर, अन्य जिलों में नए हैंड पंप लगाना रोक दिया गया। संशोधित 'एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.' के अंतर्गत उद्देश्य यह रखा गया है कि घरेलू नल कनेक्शनों के प्रावधान सहित पाइप से जल आपूर्ति स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाए। वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए और अन्य व्यवधानों के कारण राज्यों ने प्रमुखत: 'पब्लिक स्टैंड पोस्ट' के माध्यम से पाइप से जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार घरेलू नल कनेक्शनों की स्थिति **अनुलग्नक-1** में दी गई है।

[5]बस्तियाँ, जिनमें घरों के 100 मीटर के (क्षैतिज/ लम्बवत) दायरे में, पूरे वर्ष कम से कम 40 एल.पी.सी.डी. स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो।

[6]आंशिक रूप से कवर बस्तियाँ : पूर्ण रूप से कवर तथा गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के अलावा अन्य सभी बस्तियाँ।

[7]बस्तियाँ, जहां कम से कम एक पेयजल स्रोत के मामले में निर्धारित आईएस:10500 मानदण्ड के अनुसार रसायन संदूषण (आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह-तत्व, लवणता, नाइट्रेट और भारी धातु) के मापदंड पूरे न हों और शेष सुरक्षित स्रोतों से 40 एल.पी.सी.डी. की जल उपलब्धता सुनिश्चित न होती हो।

2.6 चुनौतियां और 'एस.डब्ल्यू.ओ.टी.' विश्लेषण

पेयजल सेक्टर के सम्मुख आने वाली चुनौतियों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

वर्षा का बदलता स्वरूप

भारत में वर्षा के संबंध में भारतीय मौसमविज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, देश में समग्र रूप से मौसमी वर्षा सामान्य से कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा में स्थानिक और टैम्पोरल भिन्नताएं रहीं, जिनके परिणामस्वरूप धरातली जल भंडारण में कमी आई।

जल गुणवत्ता मुद्दे

केन्द्रीय भूजल बोर्ड 2018 के डेटा के अनुसार, लगभग 50% आकलन इकाइयां (ब्लॉक/ फिरका/ मंडल) भूमिजनित और मानवजनित - दोनों कारणों से आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोरीन, नाइट्रेट और/ अथवा लवणता से संदूषित पाई गई हैं।

अपर्याप्त अवसंरचना

जल उपलब्धता को 40 एल.पी.सी.डी. से बढ़ाकर 55 एल.पी.सी.डी. करने, अलग-अलग परिवारों को अंतिम छोर तक कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचनाएं अपर्याप्त हैं, अवसंरचनाएं पुरानी हो गई हैं, गंदले जल के प्रबंधन का अभाव है, स्रोत स्थायित्व के उपाय जैसे वर्षा जल संचयन अवसंरचनाएं बनाना, बोरवेल, पुनर्भरण अवसंरचनाएं तैयार करना, आदि कार्य नहीं किए जा पा रहे हैं।

खराब प्रचालन एवं रख-रखाव

हालांकि, राष्ट्रीय जल नीति- 2012 में राज्यों द्वारा रख-रखाव की पूर्ण लागत की वसूली का दिशानिर्देश है तथापि, कुछ राज्यों को छोड़कर, शेष राज्यों में प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए वित्तीय आबंटन अपर्याप्त है, जिसके कारण परिसंपत्तियों का अनुरक्षण नहीं हो पाता और अंततः ये परिसंपत्तियां अनुपयोगी हो जाती हैं।

संसाधनों की क्षमता में कमी

ज़िम्मेदारीपूर्ण उपयोग की कमी, जल की बर्बादी, वितरण नेटवर्क में और प्रयोक्ता स्थलों पर रिसाव, जैविक संदूषण, खेती आदि के लिए जल के अत्यधिक दोहन आदि के कारण संसाधनों का दक्ष उपयोग नहीं हो पाता है।

सामुदायिक भागीदारी की कमी

भारत के संविधान के 73वें संशोधन के बाद पेयजल आपूर्ति की ज़िम्मेदारी स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं को दे दी गई। तथापि, उनका दृष्टिकोण मुख्यतः अभियांत्रिकी/ निर्माण पर संकेन्द्रित रहा है। इसके कारण डिज़ाइन, आयोजना और कार्यान्वयन में समुदाय की भागीदारी सीमित रही है।

समन्वय की चुनौतियां

जल सेक्टर से जुड़े सरकारी विभागों जैसे जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शहरी विकास, भू-जल, ग्रामीण विकास, ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता आदि की बहुलता के कारण, समन्वय की कमी से जुड़ी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं।

एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण

चुनौतियां असंख्य हैं, फिर भी जल जीवन मिशन से हमें बेहतर योजना और कार्यान्वयन के लिए एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण का अवसर प्राप्त होता है। हमने ऐसे विश्लेषण का प्रयास किया है और इसके परिणाम निम्नलिखित हैं:

खूबी (ताकत)

- केन्द्रीय और राज्य वित्त आयोग अनुदानों की उपलब्धता
- भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पी.डब्ल्यू.एस. के कार्यान्वयन का व्यापक अनुभव
- पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां सौंपना
- आयोजना और कार्यान्वयन के लिए अलग तकनीकी संवर्ग की उपलब्धता
- संदूषित भू-जल स्रोतों से सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धता
- वर्तमान अवसंरचनाएं
- जल की अधिकता वाले स्थानों में बस्तियों की सघनता

कमजोरियां (कमियाँ)

- ऊपर से निर्देशित कार्यविधि और समुदाय के अपनत्व/भागीदारी वाली सोच की कमी
- अपर्याप्त वित्तीय संसाधन
- ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी मानव संसाधन का उपलब्ध न होना
- सेवा प्रभारों की वसूली अच्छी न होना/ जल शुल्क का अभाव
- पूर्ण हो चुकी स्कीमों के प्रचालन एवं रख-रखाव पर कम ध्यान दिया जाना
- अभियांत्रिकी विभाग की सोच अवसंरचना निर्माण उन्मुख होना और जन-सुविधा के तौर पर अवसंरचना की कार्यशीलता पर ध्यान न देना

एस.डब्ल्यू.ओ.टी.

अवसर

- जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय स्व-शासी संस्थानों को शामिल करने हेतु समुचित प्रावधान
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय निधियों की उपलब्धता और राष्ट्रीय जल जीवन कोष के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता
- कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित एन.जी.ओ., सी.एस.ओ. को पी.आर.ए. के लिए शामिल करना
- कार्यान्वयन के लिए भिन्न-भिन्न संस्थागत स्तरों पर समर्पित मानव संसाधनों को काम पर लेना
- प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल
- भिन्न-भिन्न हितधारकों के साथ भागीदारी की संभावना तलाशना

जोखिम (खतरा)

- बढ़ती आबादी
- कृषि के लिए भू-जल का अनियंत्रित दोहन जिससे स्रोत घटते जाते हैं और रासायनिक संदूषण बढ़ता जाता है
- कुछ स्थानों पर जल संकट
- जलवायु परिवर्तन और जलवायु चक्र परिवर्तन की घटनाओं की गंभीरता
- कुछ राज्यों में अपर्याप्त प्रावधान और/अथवा राज्य वित्त के अंतरण में विलम्ब
- स्थानीय जलापूर्ति स्कीमें अथवा गैर-कार्यशील स्कीमें पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने में राज्य सरकारों की अनिच्छा
- कार्य की विशालता
- ग्राम पंचायत स्तर पर क्षमता का अभाव

आयोजना और कार्यान्वयन हेतु कार्यनीति

3.1 विज़न

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को किफायती सेवा डिलीवरी प्रभार के बदले, नियमित और दीर्घकालीन आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाली पेयजल आपूर्ति, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना, ताकि ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

3.2 मिशन

जल जीवन मिशन में निम्नलिखित के लिए सहायता, शक्ति और सुविधा प्रदान की जाएगीः

i.) राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यनीति की आयोजना में भागीदारी करने हेतु; ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार और सार्वजनिक संस्था जैसे ग्राम पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, आरोग्यता केन्द्र आदि में दीर्घ-कालीन आधार पर पीने योग्य जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके;

ii.) राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को जल आपूर्ति अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु; ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक कार्यशील नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके और नियमित आधार पर, पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति उपलब्ध हो सके;

iii.) राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को; उनकी पेयजल सुरक्षा की योजना बनाने हेतु;

iv.) ग्राम पंचायतों/ ग्रामीण समुदायों को उनकी स्वयं की ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, अपनत्व, प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु;

v.) राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को; उनके स्वयं के ऐसे सुदृढ़ संस्थानों का विकास करने हेतु, जिनमें जन-सुविधा दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर सेक्टर में वित्तीय स्थायित्व और जल प्रदाय पर बल दिया गया हो;

vi.) जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से जल के महत्व पर हितधारकों की क्षमता बढ़ाने और समुदाय में जागरूकता फैलाने हेतु;

vii.) मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करने और वित्त जुटाने हेतु।

3.3 उद्देश्य

इस मिशन के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

i.) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना;

ii.) गुणवत्ता-प्रभावित क्षेत्रों, सूखाग्रस्त और रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थित गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.) में शामिल गांवों आदि में एफ.एच.टी.सी. के प्रावधान को प्राथमिकता देना;

iii.) स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आरोग्यता केन्द्रों और सामुदायिक भवनों में कार्यशील नल कनेक्शन उपलब्ध कराना;

iv.) नल कनेक्शनों की कार्यशीलता की निगरानी करना;

v.) नकद, वस्तु और/ अथवा मेहनत तथा स्वैच्छिक श्रमदान के द्वारा स्थानीय समुदाय में स्वैच्छिक अपनत्व को बढ़ावा देना और उसे सुनिश्चित करना;

vi.) जल आपूर्ति प्रणाली अर्थात् जल स्रोत, जल आपूर्ति अवसंरचना और नियमित प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु निधियों का स्थायित्व सुनिश्चित करने में सहायता देना;

vii.) इस सेक्टर में मानव संसाधनों का सशक्तीकरण और उनका विकास करना ताकि निर्माण कार्य, प्लंबिंग, बिजली, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जल शोधन, जलागम संरक्षण, प्रचालन एवं रख-रखाव आदि से जुड़ी मांग को, अल्पकाल और दीर्घकाल में पूरा किया जा सके; और

viii.) सुरक्षित पेयजल के विभिन्न पक्षों और महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और हितधारकों को इस प्रकार भागीदार बनाना कि जल, हर किसी का सरोकार बन सके।

3.4 जल जीवन मिशन के घटक

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के लिए सहायता प्रदान की जानी है:

i.) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए अंत:ग्राम पाइपलाइन जल आपूर्ति अवसंरचना का विकास करना;

ii.) जल आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालीन स्थायित्व उपलब्ध कराने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/ अथवा मौजूदा स्रोतों को बढ़ाना;

iii.) जहां आवश्यक हो, वहां प्रत्येक ग्रामीण परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए थोक (बल्क) वॉटर ट्रांसफर, शोधन संयंत्र और वितरण नेटवर्क स्थापित करना;

iv.) जहां जल गुणवत्ता की समस्या हो, वहां संदूषणों के निवारण हेतु प्रौद्योगिकीय मध्यवर्तन करना;

v.) 55 एल.पी.सी.डी. के न्यूनतम सेवा स्तर पर एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने की दृष्टि से, पहले ही पूरी हो चुकी और चालू स्कीमों की रेट्रोफिटिंग करना;

vi.) गंदले जल का प्रबंधन;

vii.) सहायक गतिविधियां जैसे आई.ई.सी., एच.आर.डी., प्रशिक्षण, सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं, जल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी, अनुसंधान और विकास, ज्ञान केन्द्र, समुदायों का क्षमता निर्माण आदि; और

viii.) वित्त मंत्रालय की फ्लेक्सी निधि से जुड़े दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राकृतिक आपदा/ दुर्घटना के कारण उभरने वाली किन्हीं ऐसी अनदेखी चुनौतियों से निपटना, जिनसे वर्ष 2024 तक सभी परिवारों को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रभावित होता हो।

भिन्न-भिन्न स्रोतों/ कार्यक्रमों से निधियां जुटाने का प्रयास किया जाना चाहिए और यह कार्य, तालमेल से ही संभव है।

3.5 कार्यनीति

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे, पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने की योजना बनाएं। प्रत्येक परिवार तक जल आपूर्ति का प्रबंधन करना राज्य सरकार/ विभाग के लिए संभव नहीं है, इसलिए अंत:ग्राम जल आपूर्ति की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव में ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उप-समितियों/ स्थानीय समुदायों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा, पेयजल का प्रबंधन, पंचायत के संवैधानिक कार्यादेश में भी शामिल है। इसके अलावा, यह आवश्यक है कि अंत:ग्राम प्रचालन एवं रख-रखाव, लागत वसूली और सुशासन में स्थानीय समुदाय/ ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उप-समितियां अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

जल आपूर्ति प्रणालियों से संबंधित सभी निर्णयों में समुदाय की भागीदारी, अपनत्व और योगदान जरूरी समझा गया है। अतः जल जीवन मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही कार्यनीति यही रहेगी कि समुदाय के नेतृत्व में राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के साथ भागीदारी की जाए। अतः समुदाय इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी ग्रामीण परिवारों तक ऐसा एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध हो जाए, जिससे ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उपसमिति अर्थात्- ग्राम जल आपूर्ति समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह द्वारा यथा-निर्धारित तौर पर, पर्याप्त मात्रा (न्यूनतम 55 एल.पी.सी.डी.) में, नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएसः 10500) वाला जल उपलब्ध कराया जा सके। राज्य सरकार और इसके विभागों को वास्तविक सुविधा-प्रदाता की भूमिका निभानी है। इस दृष्टिकोण को अपनाने से इस सेक्टर में दीर्घकालीन स्थायित्व आएगा।

दिनांक 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार, देश की लगभग 81% ग्रामीण बस्तियों को विभिन्न स्कीमों के माध्यम से पीने योग्य जल प्राप्त हो रहा है जबकि लगभग 46% ग्रामीण

बस्तियों, जहां लगभग 54% ग्रामीण आबादी रहती है, में न्यूनतम 40 एल.पी.सी.डी. की उपलब्धता के साथ पाइप से जल आपूर्ति उपलब्ध है, जिसमें घरेलू नल कनेक्शन और सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट शामिल हैं। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 18% ग्रामीण परिवारों में नल कनेक्शन हैं।

भारत भर में कुल 20 कृषि-पारितंत्रीय मंडल ऐसे हैं, जहां भिन्न-भिन्न परिमाण में वार्षिक वर्षा और ताज़े पानी की उपलब्धता है। वर्ष 2017 में, 731 जिलों में से 1592 विकास खंडों[8] वाले 256 जिलों को जल संकटग्रस्त जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके कारण पेयजल आपूर्ति की योजना में स्मार्ट जल प्रबंधन/ पद्धतियों सहित जल संरक्षण प्रयासों को शामिल करना अति आवश्यक हो गया है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत आयोजना, कार्यान्वयन, निगरानी, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव के लिए जनगणना में

[8]डायनैमिक ग्राउंडवॉटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, 2017 के बारे में सी.जी.डब्ल्यू.बी. की रिपोर्ट में दी गई सूचना के अनुसार ब्लॉक को ही आकलन इकाई माना गया है।

उल्लिखित राजस्व ग्राम और उनकी बस्तियाँ एक इकाई समझे जाएंगे। किसी राजस्व ग्राम इकाई में सभी संबंधित बस्तियाँ और सभी छिट-पुट बसावटें शामिल होंगी। दीर्घ-काल में प्रचालन एवं रख-रखाव के वित्तीय स्थायित्व और ग्राम स्तर पर संस्थागत व्यवस्था निरंतर सफल जल प्रदाय सेवा की कुंजी होगी।

ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों को, दैनिक उपयोग के लिए जल लाने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप, आय सृजन के अवसरों में महिलाओं की भागीदारी घटती है, बालिकाओं की स्कूली उपस्थिति का हर्जा होता है और उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण समुदाय, विशेषकर महिलाओं के 'जीवन को आसान' बनाने में जल जीवन मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह आवश्यक है कि महिलाएं अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने गांवों में जल जीवन मिशन का नेतृत्व करें।

जल जीवन मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनानी चाहिएः-

i.) मार्च, 2020 से पहले राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा घरेलू जल कनेक्शनों के आधारभूत आंकड़ों की पुनः जांच और पुष्टि की जाए और इसकी सूचना विभाग/ राष्ट्रीय मिशन की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस.) पर दी जाए;

ii.) जल को स्वच्छ रखने और दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रत्येक परिवार में तीन स्थानों अर्थात् रसोई में, कपड़ा धोने और नहाने के स्थान पर और शौचालय में एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाए। इन तीन में से प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक नल हेतु वित्तपोषण किया जाएगा;

iii.) एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने के लिए पिछले वर्षों में निर्मित ग्रामीण जल आपूर्ति अवसंरचनाओं का सदुपयोग, सुधार और नवीनीकरण किया जाएगा। चालू पाइपलाइन जल आपूर्ति स्कीमों में सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद स्टैंड पोस्ट के माध्यम से जल उपलब्ध कराने हेतु पूरी हो चुकी पाइपलाइन जल आपूर्ति स्कीमों को प्राथमिकता दी जाएगी;

iv.) जिन गांवों की सीमा के भीतर उपयुक्त गुणवत्ता का पर्याप्त भू-जल उपलब्ध हो, उन गांवों में उसी स्थानीय जल स्रोत का उपयोग किया जाए;

v.) जिन गांवों में कार्यशील हैंडपंप हों, वहां आवश्यकता पड़ने पर उनकी गहराई बढ़ाई जा सकती है और जल उपलब्धता स्तर को प्राप्त करने के लिए एक स्रोत के रूप में इनका उपयोग किया जा सकता है;

vi.) जनजातीय/ पहाड़ी/ वन क्षेत्रों में गुरूत्वाकर्षण बल अथवा सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति स्कीमों जिनकी प्रचालन एवं रख-रखाव लागत कम हो, का विकल्प खोजा जा सकता है और उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में सोतों को पेयजल के भरोसेमंद स्रोत के रूप में उपयोग किए जा सकने की संभावना तलाशी जाए;

vii.) गर्म और ठंड़े रेगिस्तानी क्षेत्रों में नवाचारी दृष्टिकोण और संभावित प्रौद्योगिकीय मध्यवर्तन की खोज की जाएगी (इसका विवरण अध्याय 8 में दिया गया है);

viii.) जिन गांवों में भू-जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है परन्तु उनमें गुणवत्ता की समस्या है, वहां स्व-स्थाने (इन-टू) उपयुक्त शोधन प्रौद्योगिकी की संभावना तलाशी जा सकती है;

ix.) सूखा-प्रवण क्षेत्रों में स्थित गांवों में जल के विभिन्न स्रोतों जैसे तालाब-पोखरों, झीलों, नदियों, भू-जल, लम्बी दूरी से आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और/ अथवा कृत्रिम पुनर्भरण के मिले-जुले उपयोग पर विचार किया जा सकता है;

x.) जिन गांवों में जल गुणवत्ता की समस्या है और आस-पास के क्षेत्रों में उपयुक्त धरातली जल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, वहां लम्बी दूरी से थोक में पानी पहुंचाना अधिक उपयुक्त होगा। इसके अलावा, सूखा-प्रवण और रेगिस्तानी प्रदेशों में जहां मिले-जुले उपयोग के माध्यम से जल आपूर्ति संभव नहीं है, वहां भी लम्बी दूरी से थोक (बल्क) में पानी पहुंचाने के समान दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है;

xi.) जल-गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों, विशेषकर आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषकों से प्रभावित बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर पीने योग्य जल उपलब्ध कराना आवश्यक है। चूंकि स्वच्छ जल स्रोतों पर आधारित पाइपलाइन जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन में समय लगेगा, इसलिए एकदम अनंतिम उपाय के रूप में ऐसे गांवों/ बस्तियों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के लिए पीने और रसोई के प्रयोजन हेतु जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 8-10 एल.पी.सी.डी. पीने योग्य जल उपलब्ध कराने की दृष्टि से सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सी.डब्ल्यू.पी.पी.) आरंभ किया जा सकता है। तथापि, एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर मार्च, 2021 तक वहां के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफ.एच.टी.सी. के माध्यम से पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जाए;

xii.) जिन राज्यों में जल का अभाव है अथवा जो इलाके रेन शैडो क्षेत्र में आते हैं और जिसके कारण वहां वर्षा कम होती है, वहां यह जरूरी हो जाता है कि बारहमासी धरातली स्रोतों से ऐसे शहरी तथा ग्रामीण - दोनों क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाई जाए। यह ध्यान में रखा जाए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित जल आपूर्ति हेतु ग्रामीण आबादी/ गांवों के लिए केवल आनुपातिक व्यय किया जाए;

xiii.) हालांकि, जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक परिवार को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है, फिर भी, कठिन प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों जैसे ऊंचे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में, अत्यधिक दुर्गम भौगोलिक स्थिति वाले इलाकों में,

बहुत कम आबादी वाले गरम रेगिस्तानी प्रदेशों आदि में यह संभावना हो सकती है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराना व्यवहार्य न हो। ऐसे क्षेत्रों के संबंध में, बिंदु (vi) और (vii) में किए गए उल्लेख के अनुसार, पीने और खाना पकाने के लिए 8-10 एल.पी.सी.डी. तक पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से, स्थानीय नवाचारों/ प्रौद्योगिकी उपायों की संभावना तलाश की जानी चाहिए; तथा घरेलू उपयोगों के लिए दूसरी व्यवस्था की जाए।

xiv.) जल-अभाव वाले क्षेत्रों के अर्धशहरी/ बड़े गांवों में, मूल्यवान स्वच्छ जल को बचाने की दृष्टि से, दोहरी पाइपलाइन जल आपूर्ति प्रणाली वाली नई जल आपूर्ति स्कीम की आयोजना बनाई जानी चाहिए अर्थात् एक पाइप में स्वच्छ जल की आपूर्ति और दूसरे पाइप में शोधित गंदले जल/ अपशिष्ट जल की आपूर्ति की जानी चाहिए। दोनों पाइपों से प्रत्येक परिवार को केवल एक-एक कनेक्शन दिया जाएगा। शोधित गंदले/ अपशिष्ट जल के पाइप से प्राप्त पानी का उपयोग पेयजल से अलावा उपयोग/ बागवानी/ शौचालय फ्लश करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में स्थित परिवारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आई.ई.सी. के भाग के रूप में वे घर के अंदर उपयोग किए जा रहे नलों में फॉसेट एअरेटरों का उपयोग करें जिससे काफी जल की बचत होती है;

xv.) जल के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अभिनव प्रौद्योगिकी की खोज की जाएगी;

xvi.) स्रोत पुनर्भरण (रीचार्ज) अर्थात् समर्पित बोरवेल पुनर्भरण ढांचों, वर्षा जल पुनर्भरण, वर्तमान जल भंडारों के नवीकरण आदि के लिए वॉटरशेड/स्प्रिंगशेड के सिद्धांत का उपयोग मनरेगा, आई.डब्ल्यू.एम.पी., वित्तीय आयोग अनुदानों, राज्य स्कीमों, एम.पी.एल.ए.डी., एम.एल.ए.एल.ए.डी., सी.एस.आर. आदि के तालमेल से किया जाना चाहिए;

xvii.) विशेषकर शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में, एक्वीफर के पुनर्भरण (रीचार्ज) को बढ़ाने के लिए, राज्य सरकारों को वर्तमान नहरी (केनाल) नेटवर्क को सुदृढ़ करने/ बढ़ाने की और/ अथवा नई नहरों को बनाने की आवश्यकता है ताकि बांधों/ रिज़रवायर से बाढ़ के अतिरिक्त पानी को पोखरों/ झीलों और अन्य जल भंडारों में स्थानांतरित किया जा सके और वर्षा ऋतु में भू-जल का पुनर्भरण (रीचार्ज) भी किया जाए। ऐसी गतिविधियों के लिए, अन्य स्रोतों से निधियों का प्रबंध करना चाहिए;

xviii.) अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचाने की जरूरत वाली जल आपूर्ति स्कीमों/ परियोजनाओं की योजना बनाते वक्त बिजली की लागत और साथ ही साथ मासिक बिजली बिलों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है और राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु नीति निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है;

xix.) राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय जल जीवन मिशन' (एन.जे.जे.एम.) कार्य करेगा। राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 'राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) काम करेंगे और प्रत्येक जिले में 'जिला जल एवं स्वच्छता मिशन' (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) होंगे। ग्राम स्तर पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उप-समिति अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समिति आदि कार्य करेगी। अन्य कार्यक्रमों के साथ संबंध और तालमेल बनाते हुए सभी स्तरों पर संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। (संस्थागत तंत्र का विस्तार से विवरण अध्याय 5 में दिया गया है।);

संस्थागत व्यवस्थाओं के सभी स्तरों, विशेषकर ग्राम स्तर पर, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह जल जीवन मिशन की सफलता की कुंजी है;

xx.) राज्य सरकार, पंचायती राज अधिनियम के तहत उपयुक्त अधिसूचना जारी करेगी, (यदि पहले जारी नहीं की हो), ताकि ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उपसमिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि को ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन व रख-रखाव का अधिकार प्राप्त हो सके। इन अधिकारों में अन्य के साथ-साथ वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति आदि की शक्तियां, उत्तरदायित्व, आंतरिक प्रक्रियाएं, गठन और जल सेवा प्रभार आदि के बारे में निर्णय लेने, प्रभार लगाने, संग्रहीत करने की शक्तियां शामिल हैं;

xxi.) एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा वर्ष भर के लिए तिमाही-वार और जिला-वार लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और निधियों की आवश्यकता और व्यय का आकलन किया जाएगा;

xxii.) एस.डब्ल्यू.एस.एम., राज्य सेक्टर की ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों, इस सेक्टर में बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं सहित अन्य स्रोतों और जल जीवन मिशन के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं/ स्कीमों के मध्य सुगम एकीकरण और तालमेल सुनिश्चित करेंगे;

xxiii.) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने के लिए गांव में चलाई जाने वाली स्कीमों की किस्म के आधार पर 'ग्राम कार्य योजना' तैयार की जाएगी। 'जिला कार्य योजना' (डी.ए.पी.) और 'राज्य कार्य योजना' (एस.ए.पी.) तैयार करने की जरूरत के आधार पर, क्षेत्रीय जल आपूर्ति स्कीमों/ थोक (बल्क) जल ट्रान्स्फ़र और शोधन संयंत्रों के साथ-साथ जिले में स्थित सभी गांवों की 'ग्राम कार्य योजनाओं' और राज्य में सभी जिलों की 'जिला कार्य योजनाओं' को क्रमश: समेकित किया जाना होगा। इसके अलावा, राज्य भी, वार्षिक आबंटन के अनुरूप सालाना लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए वार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे। (आगे का विवरण पैरा 3.6 में दिया गया है);

xxiv.) जल आपूर्ति और इससे जुड़े सभी कार्यों के लिए गांव का मुख्य दस्तावेज़, 'ग्राम कार्य योजना' होगा और ग्राम सभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिए जाने पर भिन्न-भिन्न स्रोतों से प्राप्त सभी निधियों को जल जीवन

मिशन सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधियों के साथ 'ग्राम कार्य योजना' के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन हेतु समन्वित किया जाएगा। केवल इस आधार पर कि किसी पृथक् स्रोत से निधियां उपलब्ध हैं, गांव में 'ग्राम कार्य योजना' से अलावा कोई अन्य कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। एकजुट परिणाम प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग में इससे सहायता मिलेगी;

xxv.) दीर्घ कालीन जल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए 'राज्य कार्य योजना' (एस.ए.पी.) और 'जिला कार्य योजना' (डी.ए.पी.) में विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों के तहत चलाई जा रही अन्य गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा;

xxvi.) जल की बर्बादी को हतोत्सहित करने और साथ ही साथ थोक (बल्क) जल ट्रान्स्फ़र, इसके शोधन, वितरण नेटवर्क और घरेलू स्तर तक की जल आपूर्ति पर होने वाले आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए नीति में उपयुक्त प्रोत्साहन और हतोत्साहन तंत्र तैयार किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराने और साथ ही जल आपूर्ति करने के लिए प्रयोक्ता प्रभार का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उप समिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि को सुविधा प्रदान की जाएगी;

xxvii.) अंत:ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली का निर्धारण करते वक्त पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उपसमिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि के समक्ष सबसे कम लागत पर संभव जल आपूर्ति प्रणाली के तीन विकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें पी.आर.ए. गतिविधियों आदि जैसे संवाद साधनों का उपयोग करके समुदाय की भागीदारी के साथ संपूर्ण प्रौद्योगिकीय-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण मौजूद हो। प्रणाली और इसके स्थान आदि का निर्धारण करते वक्त, प्रचालन एवं रख-रखाव की कम लागत पर बल दिया जाएगा और इस प्रणाली के प्रचालन एवं रख-रखाव में स्थानीय समुदाय की क्षमता पर विचार किया जाएगा;

xxviii.) परिवार स्तर पर जल प्रदाय की निगरानी के लिए 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' आधारित सेंसरों और 'आई-क्लाउड' का उपयोग करके कार्यशीलता से संबंधित आंकड़ों अर्थात् पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति की अवधि-बारंबारता का पता लगाया जाएगा और यथा-आवश्यक सुधार उपाय किए जाएंगे;

xxix.) विभाग द्वारा प्रयोगशाला परीक्षणों के माध्यम से जल गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी और क्षेत्र जांच किट (फील्ड परीक्षण किट) तथा स्वच्छता जांच के माध्यम से समुदाय द्वारा जल गुणवत्ता चौकसी बरती जाएगी। (आगे का विवरण अध्याय 10 में दिया गया है);

xxx.) ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उप-समिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि के परामर्श से राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र, 24X7 जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के विकल्प की तलाश कर सकते हैं ताकि निजी घरेलू भंडारण टैंक की आवश्यकता ही न पड़े। इस प्रयोजन से, सामुदायिक विश्वास और अपनत्व की भावना, जल के विवेकपूर्ण उपयोग और ऐसी कार्यशील प्रणाली के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए हर संभव उपाय करना होगा।

xxxi.) एफ.एच.टी.सी. के प्रावधान के बाद घरेलू स्तर पर अतिरिक्त गंदला जल सृजित होगा, जिसे कृषि अथवा गैर-पेय इस्तेमाल में लाने से पूर्व, शोधित किए जाने की आवश्यकता होगी। कई क्षेत्रों में, शोधित गंदला जल ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उपसमिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समिति आदि के लिए राजस्व का उपयुक्त स्रोत बन सकता है जिसका उपयोग प्रचालन एवं रख-रखाव व्यय के कुछ हिस्से की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। (आगे का विवरण पैरा 6.1 में विस्तार से दिया गया है।);

xxxii.) प्राथमिकता और निरंतरता के आधार पर 'पी.एम.के.वी.के.' के साथ तालमेल की संभावना तलाशी जाए ताकि निर्माण कार्य और प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए राजमिस्त्रियों, पंप ऑपरेटरों, प्लंबरों, बिजली मिस्त्रियों, मोटर मेकैनिकों आदि जैसे कुशल मानव संसाधन के क्षमता संवर्धन की भारी मांग को पूरा किया जा सके;

xxxiii.) स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.)/ सी.बी.ओ./ एन.जी.ओ./ वी.ओ. जैसी कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आई.एस.ए.) की पहचान की जाए और उन्हें सूचीबद्ध किया जाए ताकि वे समुदाय को रास्ता दिखा सकें और ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उप समितियों अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा अंत:ग्राम अवसंरचना में भागीदारी व्यवस्था के तहत अनुमोदन तथा कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन एवं रख-रखाव आदि में मदद प्रदान कर सकें;

xxxiv.) कई राज्यों में पिछले कुछ दशकों से ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उपसमिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह को जल आपूर्ति प्रबंधन की ज़िम्मेदारी लेने योग्य बनाया जा रहा है। तथापि, अब भी ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उपसमिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समिति आदि को ऐसी कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे गांवों में, आई.एस.ए. की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है;

xxxv.) क्षेत्रीय जल आपूर्ति/ बल्क (थोक) वॉटर ट्रान्स्फ़र की स्कीमों और वितरण नेटवर्क के मामले में कार्यान्वयन हेतु राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा मौजूदा प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा। तथापि, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा 2-5 वर्षों के रख-रखाव किए जाने की शर्त के साथ, उस एजेंसी से ई.पी.सी. विधि से काम कराया जाना पसंदीदा विकल्प होगा;

xxxvi.) ई.पी.सी. संविदा को अंतिम रूप देने से पूर्व निविदा दस्तावेज़ों में ऐसी उपयुक्त धारा को जोड़ना आवश्यक है, जिसमें यह उल्लिखित हो कि संविदागत एजेंसी द्वारा

निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री संगत भारतीय मानकों के अनुरूप होगी। इसके अलावा, भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों/स्थितियों में उपयोग की जाने वाली सामग्री ऐसी स्थिति के लिए समय-समय पर यथा-संशोधित और अनुसंशित सी.पी.एच.ई.ई.ओ. सिफारिशों के अनुरूप हो । उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस./ विभाग/ बोर्ड/ कॉर्पोरेशन आदि और कार्य करने वाली एजेंसी की होगी। इस प्रयोजन से वे, आपूर्तिकर्त्ता से आग्रह करेंगे कि आपूर्तिकर्ता इस सामग्री को मानकों/ विनिर्देशों के अनुरूप सिद्ध कराने हेतु प्रत्यायित (अक्रिडेटेड) जांच एजेंसी/ संस्थान से इनका प्रमाणन करवाएं। यह एजेंसी/संस्थान यह प्रमाणित करेगा कि सामग्री मानकों/विनिर्देशों के अनुरूप है। भुगतान करने की दृष्टि से, पूरे हो चुके कार्य का अन्य पक्ष एजेंसी द्वारा निरीक्षण किए जाने के समय इस पहलू की जांच की जाएगी और इसे रिकार्ड किया जाएगा;

xxxvii.) इतने बड़े पैमाने पर चलाए जाने वाले कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने और तीव्रता से इसे पूरा करने के लिए अंत:ग्राम अवसंरचना निर्माण के कार्य के लिए कार्यान्वयन एजेंसी की आवश्यकता होगी, जिसके लिए केन्द्रीकृत ई-निविदा तंत्र को अपनाया जाएगा ताकि सर्वाधिक उपयुक्त दरों, सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों की तलाश की जा सके और इतने व्यापक पैमाने पर कार्यान्वयन को गति मिल सके;

xxxviii.) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जाएगी:

क.) ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उपसमिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि को शामिल करते हुए गांव में कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु हर पहलू पर विचार करते हुए एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के संभावित डिज़ाइन तैयार किए जाएंगे और जल आपूर्ति स्कीमों के सभी घटकों जैसे ई.एस.आर., संप, कपड़े धोने और नहाने के स्थानों आदि पर आने वाली लागत का आकलन आबादी, प्रोफाइल और मृदा की स्थिति के आधार पर किया जाएगा;

ख.) एस.डब्ल्यू.एस.एम., ऐसी मदों/ घटकों के लिए संविदा में मदवार दर निश्चित करने और अभियांत्रिकी प्रापण (प्रोक्योरमेंट) व निर्माण (ई.पी.सी.) विधि पर कार्य कराने के लिए एकाधिक एजेंसियों को सूचीबद्ध करने हेतु ई-निविदा आमंत्रित करेगा। यह संविदा 2-3 वर्षों के लिए वैध रखी जा सकती है;

ग.) जहां भूमि-अधिग्रहण कार्य पूर्ण हो चुका हो और संबंधित प्राधिकरण को सौंप दिया गया हो (अर्थात् जहां भूमि अवसंरचना निर्माण के लिए तुरंत सुलभ हो) वहां एस.डब्ल्यू.एस.एम., राज्य के वार्षिक लक्ष्य, निधियों की उपलब्धता, परियोजनाओं की संख्या और कार्य करने हेतु एजेंसी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सूचीबद्ध एजेंसियों को कार्य सौंपे जाने की अधिकतम संख्या का निर्धारण करेगा;

घ.) ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उप-समिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि के परामर्श से डी.डब्ल्यू.एस.एम. और पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग कार्यान्वयन के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों की सूची में से एक एजेंसी का निर्धारण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी एक गांव में सभी कार्यों के लिए एक ही एजेंसी कार्य करे;

ड.) ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उप समिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि के परामर्श से डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा चयनित एजेंसी को कार्य सौंपा जाएगा और डी.डब्ल्यू.एस.एम., ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उप-समिति और कार्यान्वयन एजेंसी के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि वहां पर कोई कार्यान्वयन सहायता एजेंसी हो, तो वह भी समझौते का हिस्सा बनेगी। चूंकि यह समयबद्ध मिशन मोड कार्यक्रम है, इसलिए संविदा दस्तावेज़ों में उपयुक्त दाण्डिक शर्त शामिल करना भी आवश्यक है ताकि एजेंसी को कार्यान्वयन में विलम्ब करने से हतोत्साहित किया जा सके। कार्य करने वाली कार्यान्वयन एजेंसी को, बिना किसी विलम्ब के भुगतान किए जाने के बारे में भी इसी प्रकार का प्रावधान किया जाना चाहिए;

च.) ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उपसमिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के परामर्श से वह एजेंसी कार्य आरंभ करेगी और कार्यान्वयन के दौरान हितों में टकराव के किसी मामले के समाधान में तथा समय पर कार्य पूरा करने हेतु कार्यान्वयन एजेंसी को आवश्यक सहायता दी जाएगी;

छ.) कार्यान्वयन एजेंसी से, चालू भुगतान जारी किए जाने का अनुरोध प्राप्त होने पर (i) ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उपसमिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि; (ii) पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग (iii) एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा सूचीबद्ध अन्य पक्ष की जांच एजेंसी द्वारा डी.डी.डब्ल्यू.एस. द्वारा तैयार मानदंड[9] के आधार पर मौके पर संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। सहमत चर्चा बिंदुओं को, ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उपसमिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा इस कार्य हेतु निर्मित 'कार्य रजिस्टर' में नोट किया जाएगा और उस पर हस्ताक्षर किये जाएंगे। इसके आधार पर पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग माप पुस्तिका (एम.बी.) में माप को रिकार्ड करेगा और फिर भुगतान हेतु प्रक्रिया शुरू करेगा;

ज.) कार्य पूरा होने पर, उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही अंतिम बिल का भुगतान किया जाएगा और एजेंसी, दोष दायित्व अवधि के दौरान जल आपूर्ति प्रणाली के सुगम संचलन हेतु ज़िम्मेदार होगी;

झ.) भुगतान हेतु बिल जमा करने के बाद, अन्य पक्ष द्वारा कार्य का निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण के बाद 30-45 दिनों में भुगतान कर दिया जाएगा। भुगतान में

[9]अन्य पक्ष निरीक्षण एजेंसी के चयन के लिए सुझाए गए मानदंड और विचारार्थ विषय अनुबंध - VIII पर दिए गए हैं।

विलम्ब होने पर इसके लिए दाण्डिक प्रावधान अर्थात् ब्याज सहित भुगतान, जवाबदेही का निर्धारण और वसूली की व्यवस्था की जाएगी;

ञ.) जल आपूर्ति स्कीम के घटकों (मशीनरी, बिजली के उपकरणों आदि) की गारंटी और/ अथवा वारंटी की ज़िम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी। तथापि, इसकी जांच/ सत्यापन पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा किया जाएगा;

i.) भू-जल पुनर्भरण वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा के भीतर भू-जल के विभिन्न उपयोगों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन द्वारा नियामक नीतियां बनाई जाएंगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारी मात्रा में सरकारी खजाने से और समुदाय की ओर से व्यय किया जाएगा और इस कारण यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किया गया निवेश, जल की उपलब्धता के अभाव में व्यर्थ न हो जाए। इसके लिए कृषि, औद्योगिक उपयोग आदि के लिए भू-जल के अतिशय उपयोग को हतोत्साहित जाएगा;

ii.) समवर्ती निगरानी, जल जीवन मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उप-समितियों अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि, डी.डब्ल्यू.एस.एम., एस.डब्ल्यू.एस.एम. आदि द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति पर नज़र रखने के लिए डी.डी.डब्ल्यू.एस. द्वारा एक रियल टाइम डैशबोर्ड सहित आई.एम.आई.एस. को तैयार करने, इसकी व्यवस्था संभालने और उसकी निगरानी करने का काम किया जाएगा (आगे का विवरण अध्याय 11 में विस्तार से दिया गया है);

iii.) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर शामिल विभिन्न हितधारकों का क्षमता संवर्धन निरंतर किया जाता रहेगा। जल सेक्टर में विशेषज्ञता रखने वाले प्रख्यात संस्थानों को इन गतिविधियों में नियोजित किया जाएगा और समुदाय को प्रभावी तरीके से इस कार्य के साथ जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

3.6 आयोजना

3.6.1 ग्राम, जिला और राज्य स्तर पर कार्य योजनाएं

यदि जनगणना में कूटबद्ध किसी राजस्व ग्राम के सभी वार्डों/ बस्तियों/ मोहल्लों/ फलिया/ मजरा/ कौर्ड/ पल्ली/ खेड़ा/ टोला आदि में स्थित सभी बस्तियों में 100% एफ.एच.टी.सी. का प्रावधान हो जाए, तो उसे 100% एफ.एच.टी.सी. गांव घोषित कर दिया जाएगा। यदि किसी जिले के भीतर, जनगणना में कूटबद्ध सभी राजस्व गांवों की सभी बस्तियों में 100 एफ.एच.टी.सी. का प्रावधान हो जाए, तो उस जिले को 100% एफ.एच.टी.सी. जिला घोषित कर दिया जाएगा। यदि किसी राज्य के सभी जिलों के सभी घरों में 100% एफ.एच.टी.सी. का प्रावधान हो जाए, तो उस राज्य को 100% एफ.एच.टी.सी. राज्य घोषित कर दिया जाएगा।

[10]वी.ए.पी. हेतु सुझाया गया प्रारूप अनुबंध- Xक पर दिया गया है।

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

आधारभूत सर्वेक्षण, संसाधन मैपिंग और ग्रामीण समुदाय द्वारा व्यक्त आवश्यकता के आधार पर आई.एस.ए., पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग, डी.डब्ल्यू.एस.एम. की सहायता से ग्राम पंचायत अथवा इसकी उपसमिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा एक 'ग्राम कार्य योजना' (वी.ए.पी.)[10] तैयार की जाएगी। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

i.) गांव की जल आपूर्ति/ जल उपलब्धता का पूर्ववृत्त, किसी सूखा/ जल अभाव/ चक्रवात/ बाढ़ अथवा किसी अन्य प्राकृतिक आपदा पद्धति का विवरण; टैंकरों, रेलगाड़ियों आदि के माध्यम से जल आपूर्ति जैसी किसी आपात व्यवस्था का पूर्ववृत्त, जल आपूर्ति, स्रोत सुदृढ़ीकरण से संबंधित आंशिक कार्यों, जल की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति, प्रमुख जल जनित बीमारियों का पूर्ववृत्त;

ii.) स्रोत, जल गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों, यदि कोई हों तो, और प्रचालन एवं रख-रखाव व्यवस्था सहित गांव की जल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति;

iii.) जल स्रोत में जल की वर्तमान उपलब्धता (उपलब्ध जल की मात्रा) और इसका दीर्घकालीन स्थायित्व;

iv.) गांव में जल की आवश्यकता का आकलन और उपलब्ध संसाधन। इस विवरण के आधार पर, एकल ग्राम स्कीम (एस.वी.एस.) अथवा बहु ग्राम स्कीम (एम.वी.एस.) के भाग के निर्माण के बारे में निर्णय किया जाएगा;

v.) सभी बस्तियों में मौजूद एफ.एच.टी.सी. की संख्या और उन एफ.एच.टी.सी. की संख्या जो अभी उपलब्ध कराए जाने हैं;

vi.) प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए नगद/ वस्तु और/ अथवा मज़दूरी के रूप में आंशिक पूंजीगत लागत और नियमित अंशदान की लोगों की क्षमता और तत्परता;

vii.) ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उपसमिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि, ज़मीनी तकनीशियनों का क्षमता संवर्धन करना, जल के विवेकपूर्ण उपयोग और जीवन स्तर में बदलाव के बारे में समुदाय में जागरूकता पैदा करना;

viii.) प्रस्तावित जल स्रोत का स्थान, कपड़े धोने/ नहाने का स्थान, मवेशी कुंड, प्रौद्योगिकी विकल्प का निर्धारण, कार्यान्वयन समय-तालिका, दीर्घ-कालीन प्रचालन एवं रख-रखाव योजना आदि;

ix.) अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उपसमिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि के पक्ष में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

x.) ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उपसमिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि और इसके सदस्यों की समग्र भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां और डी.डब्ल्यू.एस.एम., एस.डब्ल्यू.एस.एम., आई.एस.ए., एजेंसी, पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के साथ तालमेल;

xi.) गांव के सार्वजनिक संस्थानों अर्थात् स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम पंचायत भवन आदि में जल उपलब्ध कराने की योजना;

xii.) मामूली मरम्मत कार्यों, प्रचालन एवं रख-रखाव आदि के लिए ज़मीनी तकनीशियनों की पहचान करना;

xiii.) फील्ड परीक्षण किट के माध्यम से जल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए गांव में समर्पित व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित करना;

xiv.) गंदले जल के प्रबंधन के उपाय;

xv.) स्वच्छता जांच के लिए समय-तालिका निर्धारित करना;

xvi.) जल सुरक्षा और संरक्षा योजना।

ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उपसमिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम समुदाय सहित इसकी सभी बस्तियाँ, आई.एस.ए., डी.डब्ल्यू.एस.एम., पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग आदि ग्राम सभा में भागीदारी करें। ग्राम सभा तभी 'ग्राम कार्य योजना' का अनुमोदन करे, जब बैठक में मौजूद 80% ग्राम समुदाय, तैयार की गई योजना से सहमत हो। इसके बाद आगे की कार्रवाई हेतु 'ग्राम कार्य योजना' को डी.डब्ल्यू.एस.एम. के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग/ बोर्ड द्वारा इस योजना को तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

जिला कार्य योजना' (डी.ए.पी.)

'जिला कार्य योजना' (डी.ए.पी.)[11] को तैयार करने और अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी डी.डब्ल्यू.एस.एम. की होगी। इस योजना में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:-

i.) तिमाही और वार्षिक योजना सहित वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने के लिए कार्यनीतिक योजना;

ii.) प्राप्त हो चुकी समस्त 'ग्राम कार्य योजनाओं' का समेकन;

iii.) ग्राम कार्य योजना' से उभरे विभिन्न घटकों का डेटाबेस तैयार करना और उसका विश्लेषण;

iv.) एफ.एच.टी.सी. कवरेज और वित्तीय आवश्यकता के लिए अभिनिर्धारित सभी गतिविधियों के लिए समय-सारणी निर्धारित करना; भिन्न-भिन्न स्तरों पर मानव संसाधन की समग्र आवश्यकता बताना और उनका क्षमता संवर्धन करना भी 'जिला कार्य योजना' का हिस्सा होगा;

v.) उन गांवों की पहचान करना, जहां जल आपूर्ति प्रणाली स्थानीय जल स्रोत आधारित होगी, आवश्यक रेट्रोफिटिंग/ विस्तारण और/ अथवा धरातली जल से जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी;

vi.) पेयजल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ऐसी स्थानिक पारंपरिक जल भंडारण तकनीकों/ संरचनाओं की पहचान करना, जिन्हें नवीकृत और पुनर्जीवित किया जाना हो;

vii.) जिले के भीतर जल स्रोतों के प्रकार, राइजिंग मेन्स, आवश्यक शोधन सुविधाओं, ऊंचाई पर बनाए जाने वाले जल भंडारण टैंक , संप, जल पंप, सौर पैनल, वितरण नेटवर्क, एफ.एच.टी.सी., कपड़े धोने/ नहाने के स्थान, मवेशी कुंड, गंदले जल के शोधन और पुनः उपयोग के उपाय, स्रोत स्थायित्व के उपाय आदि की जांच करना और इनकी लागत का आकलन करना;

viii.) सूचीबद्ध आई.एस.ए. में से आवश्यक आई.एस.ए. की संख्या की पहचान करना, उनकी तैनाती की योजना बनाना और 'ग्राम कार्य योजना' की तैयारी के प्रारंभ से गांव में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना;

ix.) क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण, अन्य पक्ष की जांच, प्रचालन एवं रख-रखाव और आई.ई.सी. गतिविधियों की योजना बनाना;

x.) ग्राम कार्य योजना' की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तालमेल के स्रोतों की पहचान करना;

xi.) जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के एन.ए.बी.एल. प्रत्यायन की योजना बनाना और ब्लॉक/ ग्राम स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण मॉडल की पहचान करना;

xii.) जिला कार्य योजना' की समग्र लागत और निधियों की आवश्यकताओं व आउटपुट के साथ समय-सारणी का निर्धारण करना;

xiii.) अन्त:ग्राम और क्षेत्रीय जल आपूर्ति - दोनों के प्रचालन एवं रख-रखाव, वित्तीय और संस्थागत आवश्यकताओं और व्यवस्था का विवरण;

xiv.) एस.डब्ल्यू.एस.एम. के समक्ष अंतिम 'जिला कार्य योजना' का प्रस्तुतीकरण।

'राज्य कार्य योजना' (एस.ए.पी.)

राज्य में समग्र पेयजल सुरक्षा की स्थिति लाने के उद्देश्य के साथ 'राज्य कार्य योजना' (एस.ए.पी.)[12] इस प्रकार बनाए जाने की आवश्यकता है कि किसी भी गांव में टैंकर/ रेलगाड़ी, हैंडपंप संस्थापना आदि के माध्यम से जल आपूर्ति की व्यवस्था न करनी पड़े।

एस.ए.पी. तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने का काम, एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा, 'जिला कार्य योजना' के आधार पर पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग की सहायता से किया जाएगा।

i.) प्राथमिकता, वर्तमान अवसंरचनाओं की रेट्रोफिटिंग को दी जानी चाहिए अर्थात पूर्ण हो चुकी पाइप जल आपूर्ति स्कीमों और चालू पाइप जल आपूर्ति स्कीमों की पहचान की जानी चाहिए और पहले दो वित्तीय वर्षों में इन पर रेट्रोफिटिंग का काम शुरू करके इन्हें पूरा कर लिया जाना चाहिए। इसके अलावा, जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, जे.ई.-ए.ई.एस. क्षेत्रों, डी.डी.पी. क्षेत्रों, डी.पी.ए.पी. क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.) गांवों में मार्च, 2021 तक एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए;

ii.) संसाधनों और प्रयासों आदि के तालमेल से वर्षा जल संचयन, पेयजल स्रोतों के कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा स्थानीय स्तर पर जल की उपलब्धता में सुधार लाने का प्रयास किया जाना चाहिए;

[11]जिला कार्य योजना' हेतु सुझाया गया प्रारूप अनुबंध-Xख पर दिया गया है।
[12]एस.ए.पी. हेतु सुझाया गया प्रारूप अनुबंध- Xग पर दिया गया है।

iii.) सभी जिलों की 'जिला कार्य योजना' को ध्यान में रखते हुए और राज्य में अधिक जल वाले क्षेत्रों की पहचान कर एस.डब्ल्यू.एस.एम. यह निर्णय लेगा कि क्या अधिक जल वाले क्षेत्र से कम जल वाले क्षेत्र में जल ट्रान्स्फ़र किया जाए और फिर एकाधिक गांवों को कवर करते हुए क्षेत्रीय जल आपूर्ति स्कीमों के लिए वितरण नेटवर्क तैयार किया जाए या नहीं;

iv.) सूखा-प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्र वाले राज्यों में संबंधित एजेंसियों/ विभागों के परामर्श से बहु-उद्देश्यी रिज़रवायर/ भंडारण से घरेलू आवश्यकता के लिए जल सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है;

v.) एस.ए.पी. में विशेष रूप से उन अपेक्षित संस्थागत सुधारों का उल्लेख किया जाएगा, जिनमें जल आपूर्ति के विशिष्ट पहलुओं अर्थात थोक में जल पहुंचाने/ अवसंरचना निर्माण करने, अन्तः जिला और अंतर-जिला वितरण प्रणाली और ग्रामीण स्तर की संस्थागत व्यवस्था को मदद देने पर ध्यान केन्द्रित करने वाली भिन्न-भिन्न एजेंसियां तैयार करने के लिए मौजूदा जल आपूर्ति विभागों को विभाजित करने की आवश्यकता भी शामिल होगी;

vi.) उक्त एजेंसियां, विशिष्ट जल आपूर्ति सेवाओं पर ध्यान देने के साथ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जन- सुविधाओं के रूप में कार्य करेंगी। इस कार्य के लिए, स्रोत से पानी लेने और ग्रिड से उसकी आपूर्ति करने के लिए जल शुल्क का विनिर्देश भी राज्य कार्य योजना में किया जाएगा;

vii.) राज्य कार्य योजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) अर्थात् हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एच.ए.एम.), डिज़ाइन, निर्माण, प्रचालन, स्वामित्व, हस्तांतरण (डी.बी.ओ.ओ. टी.), निर्माण, प्रचालन, हस्तांतरण (बी.ओ.टी.), आदि जैसे भिन्न-भिन्न वित्तपोषण मॉडलों की रूपरेखा भी बताई जाएगी;

viii.) घरेलू नल कनेक्शन और जल गुणवत्ता निगरानी और चौकसी (डब्ल्यू.क्यू.एम. एण्ड एस.) की कार्यशीलता सुनिश्चित करने के लिए एस.ए.पी. में विस्तृत कार्ययोजना होनी चाहिए। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की ढांचागत आवश्यकताओं और मानव संसाधन जुटाने के लिए आयोजना बनाना भी शामिल होगा;

ix.) एस.ए.पी. में विशेष रूप से उन क्षेत्रों (पहाड़ी/आदिवासी/ वन/गर्म और ठंडे रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों) की पहचान की जाएगी, जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी;

x.) जिला कार्य योजनाओं' के आधार पर, एस.ए.पी. में स्रोत स्थायित्व और गंदले जल के प्रबंधन से संबंधित उपायों के बीच तालमेल करने की योजना का उल्लेख होगा;

xi.) इसके अलावा, एस.ए.पी. में ग्राम पंचायत/गाँवों की जिलेवार सूची प्रस्तुत की जाएगी। इन विस्तृत सूचियों में प्रत्येक गाँव में उपलब्ध कराए जाने वाले एफ.एच.टी.सी. की संख्या, प्रदान करने हेतु शेष एफ.एच.टी.सी. की संख्या, अपेक्षित पी.आर.ए. कार्यविधियां, उपलब्ध कराई जाने वाली स्कीमों के प्रकार (रेट्रोफ़िटिंग/नई एस.वी.एस./एम.वी.एस./ दुर्गम और दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र योजनाएं, आदि), पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले अनुमान, कार्यान्वयन समय-तालिका आदि का विवरण शामिल होगा;

xii.) इसमें, एफ.एच.टी.सी. के जिलेवार कवरेज के अंतर्गत अभिनिर्धारित समस्त गतिविधियों और उनकी वित्तीय जरूरतों को शामिल किया जाएगा;

xiii.) भिन्न-भिन्न स्तरों पर मानव संसाधन की समग्र आवश्यकता भी राज्य कार्य योजना का हिस्सा होगी, जिसमें उक्त मानव संसाधन का क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण आदि शामिल होगा;

xiv.) पाइप से जल आपूर्ति की योजना बनाने के लिए सभी स्तरों पर एच.जी.एम. नक्शों/अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता होती है। (प्रौद्योगिकी का विस्तृत विवरण अध्याय 8 में दिया गया है);

xv.) एस.ए.पी. के अंतर्गत गांव के जल भंडारों/पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं के नवीकरण और सफाई के लिए राज्यव्यापी कार्यनीति विकसित की जाएगी। गंदले जल का शोधन और पुन: उपयोग, जल सुरक्षा कार्यनीति का एक अभिन्न अंग होगा। पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने में जल भंडारों की रक्षा और उनका संरक्षण सहायक होगा। इस उद्देश्य से, एस.डब्ल्यू.एस.एम. को भिन्न-भिन्न स्रोतों अर्थात मनरेगा, आई.डब्ल्यू.एम.पी., एस.बी.एम.(जी), एम.पी.एल.ए.डी., एम.एल.ए.एल.ए.डी., डी.एम.डी.एफ. आदि की गतिविधियों और निधियों के साथ तालमेल करने का निर्णय लेना होगा ।

वर्ष 2024 तक राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जल जीवन मिशन 'परियोजना कार्यनीति' का पालन करेगा।

इस प्रयोजन से, राज्य कार्य योजनाएं, 2024 तक की अवधि के लिए तैयार की जाएंगी, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, समग्र कार्यनीतिक योजना, कार्यान्वयन के तौर-तरीके, कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियाँ, समय-सीमा सहित प्राप्त किया जाने वाला आउटपुट, वार्षिक वित्तीय परिव्यय आदि को कवर किया जाएगा। एस.ए.पी. की कार्यनीतिक योजना में इस प्रणाली के लिए स्रोत स्थायित्व, कार्यशीलता, निगरानी, कार्यान्वयन के लिए अन्य पक्षीय निरीक्षण, जल मापन, गंदले जल का प्रबंधन और रख-रखाव एवं प्रचालन की व्यापक योजना का विस्तृत विवरण शामिल होगा। संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ परामर्श के आधार पर डी.डी.डब्ल्यू.एस. द्वारा एस.ए.पी. पर विचार किया जाएगा और उसका अनुमोदन किया जाएगा। एस.ए.पी. के आधार पर, वित्तपोषण की व्यवस्था की जानी होगी।

वास्तविक और वित्तीय जिला-वार लक्ष्यों को तय करने के बाद अनुमोदित एस.ए.पी. से ही राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) बनेगी और फिर उसे डी.डी.डब्ल्यू.एस./ राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। डी.डी.डब्ल्यू.एस./ राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ परामर्श के आधार पर ए.ए.पी. को मंजूरी दी जाएगी और वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) के तहत प्राप्त उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए धनराशि जारी की जाएगी।

3.6.2 भावी कार्यनीति - सेवा प्रदाय और जन-सुविधा विकास

मिशन की योजना, समग्र रूप से, राज्य जल आपूर्ति क्षेत्र की दीर्घकालिक योजना पर आधारित होगी और इसमें जल सुरक्षा व स्रोतों तथा प्रणालियों के स्थायित्व से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए, वर्तमान प्रशासनिक संरचना को वर्तमान के 'विभाग-आधारित और निर्माण या बुनियादी ढांचे के विकास' के दृष्टिकोण से बदलकर 'जन सुविधा-आधारित' दृष्टिकोण में बदलना होगा। आवश्यकता इस बात की है कि जल आपूर्ति अवसंरचना निर्माण के बजाय जल प्रबंधन अर्थात सेवा प्रदाय पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। इस दृष्टिकोण में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रणाली का सतत प्रचालन एवं रख-रखाव करना, नियमित रूप से जल बजट और संपरीक्षा का कार्य, लागत वसूली, जल के सामंजस्यपूर्ण उपयोग की विधि अपनाने के साथ-साथ पारंपरिक और गैर-पारंपरिक ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा प्रभार को घटाना, दोहित जल की माप और उसका लेखा-जोखा रखना, शिकायतों का सक्रिय रूप से समाधान करना आदि शामिल है।

इसके अलावा, जल की उपलब्धता और वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए पहले से तैयार की गई कार्यनीति के आधार पर, इस क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का तर्कसंगत रास्ता यह है कि संस्थागत सुधार किए जाएं जैसे कि मौजूदा संस्थानों को मुक्त किया जाए और एक स्वतंत्र एजेंसी को जल आपूर्ति नियामक कार्य सौंप दिया जाए। इससे निजी निवेश का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

कुछ राज्यों में, मौजूदा संस्थानों में सुधार लाने की दृष्टि से निम्नलिखित का सृजन किए जाने की आवश्यकता है:

i.) शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक उपयोग के लिए पेयजल उपलब्ध कराने हेतु थोक (बल्क) जल ट्रान्स्फ़र और शोधन की योजना बनाने के लिए एक समर्पित एजेंसी का सृजन किया जाए। यह जन-सुविधा, पुष्ट वाणिज्यिक सिद्धांतों पर कार्य करेगी;

ii.) ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि के साथ-साथ नगरपालिका निकायों को जल उपलब्ध कराने के लिए अंत:-जिला और अंतर-जिला जल वितरण प्रणाली की योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन के लिए एक एजेंसी बनाई जाए; तथा

iii.) ग्रामीण स्तर के संस्थानों, जो एफ.एच.टी.सी. के माध्यम से सेवा प्रदाय और लंबे समय तक इसके प्रबंधन, संचालन और रख-रखाव के लिए ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति यानी वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का हिस्सा होंगे, के सशक्तीकरण, सहायता और मार्गदर्शन के लिए एक अलग एजेंसी बनाई जाए।

राज्य, यह निर्णय ले सकते हैं कि वे अपनी-अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार उपर्युक्त तीन विकल्पों में से कम से कम दो एजेंसियां बना लें। एस.डब्ल्यू.एस.एम., उक्त एजेंसियों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस तरह के सुधार से ये संस्थान, प्रचालन और रख-रखाव खर्च को पूरा करने के लिए प्रयोक्ताओं से जल शुल्क की वसूली और सेवाओं पर ध्यान देते हुए सार्वजनिक सुविधा के रूप में कार्य कर पाने में सक्षम हो सकेंगे।

ग्राम स्तर पर काम करने वाली कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आई.एस.ए.) की मदद से आदर्श प्रबंधन संविदा तैयार की जा सकती है, ताकि ग्रामीण स्तर पर स्वतंत्र रूप से या क्लस्टर-आधारित मॉडल पर युवा उद्यमियों/स्वयं सहायता समूहों द्वारा जल आपूर्ति सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसी विधि का उपयोग गंदले जल के प्रबंधन के लिए भी किया जा सकता है। इससे नई प्रौद्योगिकी लाने, प्रबंधन की मजबूत पद्धतियां अपनाने और प्रयोक्ता शुल्क की वसूली में मदद मिलेगी और इस प्रकार से प्रणाली में दीर्घकालिक स्थायित्व आ सकेगा।

राज्य, जल आपूर्ति क्षेत्र के लिए एक ऐसा स्वतंत्र नियामक निकाय भी बना सकते हैं, जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के नियम और शर्तें तय करेगा, शुल्क निर्धारित करेगा और इसके संग्रह की निगरानी करेगा और विवादों को हल करेगा तथा जल आपूर्ति लोकपाल के रूप में भी कार्य करेगा ताकि कोई भी व्यथित प्रयोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए उससे संपर्क कर सके।

जल जीवन मिशन में आमेलित पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. योजनाएं/ उप-मिशन

तत्कालीन एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत चल रहे निम्नलिखित कार्यक्रमों को जल जीवन मिशन में आमेलित किया गया है:

4.1 कम आय वाले राज्यों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.पी.-एल.आई.एस.)

कम आय वाले राज्यों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना (नीर निर्मल परियोजना) को वर्ष 2014 में, विश्व बैंक, आई.डी.ए. की सहायता से छः वर्षों अर्थात् मार्च, 2020 तक 4 राज्यों नामतः असम, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की 78 लाख की आबादी को कवर करने हेतु शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य, उपर्युक्त राज्यों के चयनित ग्रामीण समुदायों में विकेन्द्रीकृत जल प्रदाय प्रणाली के माध्यम से पाइपलाइन जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार लाने और आपातकालीन स्थिति में तुरंत और कुशल कार्रवाई करने की राज्यों की क्षमता में वृद्धि का था। आर.डब्ल्यू.एस.एस.पी.-एल.आई.एस. का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 70 एल.पी.सी.डी. क्षमता पर घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना था। जल जीवन मिशन की शुरुआत से, आर.डब्ल्यू.एस.एस.पी.-एल.आई.एस. को जल जीवन मिशन में आमेलित कर दिया गया है।

4.2 राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम.)

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम.) मार्च, 2017 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मार्च, 2021 तक अभिनिर्धारित 27,544 आर्सेनिक/ फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।

चूंकि पाइप से जल आपूर्ति की योजनाओं को शुरू करने में 2-3 साल लग सकते हैं, इसलिए राज्यों को सलाह दी गई है कि वे आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सी.डब्ल्यू.पी.पी.) स्कीमें चलाएं ताकि तात्कालिक (अल्पकालिक) उपाय के रूप में केवल पीने और खाना पकाने के लिए 8-10 एल.पी.सी.डी. सुरक्षित जल उपलब्ध कराया जा सके। हालांकि, राज्यों को कहा गया है कि वे इन बस्तियों में एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक उपायों की योजना बनाएं।

राज्यों को यह अधिकार है कि वे, मार्ग में आने वाली बस्तियों के लिए जल जीवन मिशन निधि का उपयोग कर सकें, बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं (ई.ए.पी.)/ राज्य स्कीमों और अन्य निधियों को पात्रता की सीमा के भीतर उपयोग में ला सकें।

[13]60 जिलों की सूची अनुबंध-XII पर है।

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो जाएगा। तदनुसार, राज्यों को एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम. के तहत 31 मार्च, 2021 तक व्यय करने की अनुमति होगी। 31 मार्च, 2021 के बाद राज्यों के पास शेष बची राशि को जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी होने वाली राशि के साथ समायोजित किया जाएगा। अपूर्ण योजनाओं के मामले में, व्यय होने वाली शेष राशि को संबंधित राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा वहन किया जाएगा।

एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम. के तहत अनुमोदित पाइपलाइन जल आपूर्ति (धरातली जल/ भूजल) के मामले में, राज्यों द्वारा ऐसे उपाय किए जाएंगे कि वर्ष 2021 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में 55 एल.पी.सी.डी. के सेवा प्रदाय स्तर की एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए उक्त प्रणाली की रेट्रोफिटिंग करके उसे जल जीवन मिशन के अनुरूप बना दिया जाए। एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम. के तहत अनुमोदित अल्पकालिक उपायों (सामुदायिक जल शोधन संयंत्र) के मामले में राज्य, वर्ष 2021 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 एल.पी.सी.डी. सेवा स्तर पर एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए कदम उठाएंगे।

4.3 जापानी एन्सेफलाइटिस - उग्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (जे.ई.-ए.ई.एस.)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जे.ई.-ए.ई.एस. से सर्वाधिक प्रभावित 60 जिलों[13] की पहचान की है। उच्च प्राथमिकता वाले इन 60 जिलों में पेयजल स्रोतों की संख्या और संदूषण के स्तर के आधार पर प्रभावित राज्यों को धन आबंटित किया जाता है। पहले, जे.ई.-ए.ई.एस. घटक के लिए एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. आबंटन 2% था। तथापि, जल जीवन मिशन के बजट में वृद्धि होने के कारण, यह राशि अब राज्यों को दिए जाने वाले कुल वार्षिक आबंटन का 0.5% भाग होगी। जे.ई.-ए.ई.एस. प्रभावित जिलों में 55 एल.पी.सी.डी. के सेवा स्तर पर एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए पाइप से जल आपूर्ति (धरातली जल/ भूजल) स्कीमें चलाकर मौजूदा नीति के अनुसार उनमें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य शुरु किया जाएगा। पूरी हो चुकी/ चल रही सभी योजनाओं में सुधार करके उन्हें जल जीवन मिशन के अनुरूप बनाकर राज्यों द्वारा वर्ष 2021 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 एल.पी.सी.डी. सेवा स्तर पर एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए उपाय किए जाएंगे।

4.4 स्वजल

'स्वजल' योजना का कार्यान्वयन, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, समुदाय निर्धारित, कार्यान्वित, अनुरक्षित और सुरक्षित रूप से प्रबंधित एकल गांव जल आपूर्ति स्कीम के माध्यम से आकांक्षी जिलों में किया जा रहा है। स्वजल के तहत चल रही योजनाएं मौजूदा स्वजल दिशानिर्देशों के तहत जारी रहेंगी और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित किया जाएगा। इन आकांक्षी जिलों में भविष्य में प्रारंभ की जाने वाली

नई योजनाएँ, जल जीवन मिशन के तहत शुरू की जाएंगी। पूरी हो चुकी स्वजल योजनाओं जिनमें एफ.एच.टी.सी. का प्रावधान नहीं है, उनमें जल जीवन मिशन के तहत सुधार किया जाएगा।

4.5 जल गुणवत्ता निगरानी और चौकसी (डब्ल्यू.क्यू.एम.एण्ड एस.)

जल गुणवत्ता निगरानी के तहत विभाग द्वारा विभिन्न जल स्रोतों से एकत्र जल के नमूनों का प्रयोगशालाओं में जल गुणवत्ता परीक्षण किया जाना शामिल है। समुदाय द्वारा निगरानी, जल जीवन मिशन के तहत क्षेत्र जांच किट (फील्ड परीक्षण किट), स्वच्छता निरीक्षण आदि के माध्यम से की जाती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, एफ.एच.टी.सी. से जल के नमूने भी एकत्र किए जाएंगे। डब्ल्यू.क्यू.एम.एण्ड एस. को अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत आमेलित कर दिया गया है और इसके लिए जल जीवन मिशन हेतु निर्धारित निधियों का 2% तक हिस्सा इसे दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत विवरण अध्याय 10 में दिया गया है।

4.6 सहायक गतिविधियां

पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. की सभी सहायक गतिविधियों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत आमेलित कर दिया गया है और इसके लिए इन्हें, जल जीवन मिशन हेतु निर्धारित निधियों का 5% तक हिस्सा दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत विवरण अध्याय 9 में दिया गया है।

संस्थागत तंत्र

जल जीवन मिशन एक समयबद्ध मिशन-मोड कार्यक्रम है और इसके सफल कार्यान्वयन के लिए मजबूत संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है, ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अत: राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर एक चार स्तरीय संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाना है जो निम्नानुसार होगा:

5.1 राष्ट्रीय स्तर - राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एन.जे.जे.एम.)

एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय जल जीवन मिशन' और एक निदेशालय कार्य करेगा। इस मिशन के पास, ग्रामीण समुदायों को दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा उपलब्ध कराकर मिशन का सफल कार्यान्वयन करने हेतु आवश्यक सभी शक्तियां होंगी। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं:

i.) यह, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन और राज्यों को नीतिगत मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और तकनीकी मदद प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा;

ii.) नियमित निगरानी और समय-समय पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करना;

iii.) त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर निधि के उपयोग की निगरानी करना;

iv.) नियमित कार्यशीलता आकलन, मूल्यांकन और प्रभाव आकलन करना;

v.) लक्ष्य प्राप्ति हेतु अन्य संस्थानों और कार्यक्रमों के साथ साझेदारी बनाना;

vi.) तालमेल हेतु अन्य मंत्रालयों/ विभागों के साथ समन्वय करना;

vii.) मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं का अनुमोदन करना;

viii.) बाह्य स्रोतों से धन प्राप्त करने में राज्यों को सुविधा प्रदान करना;

ix.) राष्ट्रीय जल जीवन कोष (आर.जे.जे.के.) संचालित करना और संसाधन जुटाना;

x.) सर्वोत्तम प्रथाओं, सफलता की गाथाओं आदि को साझा करके आपस में ज्ञान बांटना;

xi.) उपयोगी सिद्ध हो चुकी नवीन परियोजनाओं का स्तर बढ़ाने में सहायता देना;

xii.) नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना;

xiii.) सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) अभियान चलाना;

xiv.) एस.डब्ल्यू.एस.एम., डी.डब्ल्यू.एस.एम., राज्य अभियांत्रिकी विभागों/बोर्डों और उनके मानव संसाधनों के क्षमता संवर्धन में सहायता देना;

xv.) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय और सहयोग के लिए अवसरों की तलाश करना;

xvi.) आवश्यकता पड़ने पर परामर्शदाताओं, एजेंसियों और विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना;

xvii.) विभिन्न हितधारकों की पहचान करना और उनके कार्यनिष्पादन को पुरस्कृत करना;

xviii.) मिशन की गतिविधियों को चलाने के लिए छात्रों, युवाओं, महिलाओं जैसे अन्य हितधारकों को मिशन से जोड़ने से संबंधित गतिविधियां चलाना।

निदेशालय के अलावा, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में निम्नलिखित की व्यवस्था भी होगी:

5.1.1 डेटा और प्रलेखन केन्द्र

इस मिशन के तहत, इसके क्रियान्वयन की निगरानी, राज्यों से जानकारी एकत्र करने और सूचना को संसाधित करने के लिए एक डेटा और प्रलेखन केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इस केन्द्र को मुख्य रूप से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा चलाया जाएगा। एन.आई.सी., राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक आई.टी. सलाहकार के रूप में काम करेगा और इसकी जिम्मेदारियां निम्नलिखित होंगी:

i.) एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस.) का प्रबंधन करना और परियोजना प्रबंधन तथा मध्यवर्तन के लिए आवश्यक रिपोर्टें तैयार करना;

ii.) जल जीवन मिशन के तहत निगरानी मापदंडों/ घटकों के सभी मास्टर कोड और अवस्थिति कोड एन.आई.सी. द्वारा बनाए जाएंगे और केन्द्रीय डेटाबेस के रूप में रखे जाएंगे। राज्य भी इस कोडिंग पद्धति का पालन करेंगे;

iii.) राज्य स्तर पर, एन.आई.सी. की राज्य इकाई, राज्य के एम.आई.एस. कार्यक्रम को तकनीकी सहायता देगी, जिसमें पारस्परिक रूप से सहमत प्रस्तावों के अनुसार सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का विकास और प्रशिक्षण शामिल होगा;

iv.) डैशबोर्ड का रखरखाव;

v.) वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी और एफ.एच.टी.सी. की कार्यशीलता का विश्लेषण करना और मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करना;

vi.) जल जीवन मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य में आवश्यक समझी जाने वाली और विकसित की जाने वाली कोई भी अन्य आई.टी. गतिविधि।

5.1.2 परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.)

जल जीवन मिशन को लगभग 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। यह संख्या आधारभूत आंकड़ों के पुन:सत्यापन के बाद बढ़ सकती है। चूंकि पाइप से जल आपूर्ति की योजनाएं ग्रामीण स्तर पर शुरू की जाएंगी, इसलिए काम की मात्रा कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा, जल अभाव और गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए अभिनव प्रौद्योगिकी समाधानों की तलाश की जानी है। साथ ही, इस मिशन का उद्देश्य नल कनेक्शनों की कार्यशीलता की निगरानी करना है ताकि हर घर में नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। न केवल परियोजना प्रबंधन के लिए, बल्कि आई.ई.सी. अभियान चलाने, उत्तम मॉडल खोजकर लाने, अंत:ग्राम और थोक (बल्क) जल ट्रान्स्फ़र एवं वितरण का तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण करने, शोधन प्रौद्योगिकियों, गंदले जल के पुन: उपयोग, वास्तविक और वित्तीय प्रगति और परियोजना को सही मार्ग पर रखने के लिए समय पर कार्रवाई करने का गुरुतर कार्य किया जाना होगा। प्रौद्योगिकी के मामले में राज्यों को बहुत अधिक सूचना की आवश्यकता होगी और राज्यों की योजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की निरंतर आवश्यकता होगी ताकि किफायती और सतत जल आपूर्ति योजनाएं शुरू की जा सकें। मिशन को प्रचालन व रख-रखाव के विभिन्न पहलुओं पर काम करने के साथ-साथ सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र के साथ राज्य विभागों/ बोर्डों/ निगमों की सहायता करनी होगी ताकि वे इस मिशन पर जन-सुविधा सृजित करने की सोच से कार्य करें।

राष्ट्रीय स्तर पर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, इस मिशन के पास एक ओर तो लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन में विशेषज्ञता रखने वाली एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) होगी; और दूसरी ओर इसके पास, सॉफ्ट स्किल जैसे सामुदायिक प्रेरणा, आई.ई.सी., क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण आदि की सुविधा भी होगी। पी.एम.यू. के तहत दो टीमें कार्य करेंगी - एक तकनीकी सहायता के लिए और दूसरी प्रबंधन सहायता के लिए, जिसके लिए उपयुक्त स्रोत तंत्र विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

तकनीकी सहायता दल, राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, किफायती कार्यान्वयन के लिए परियोजना का तकनीकी मूल्यांकन करेगा व सुधारात्मक कार्रवाईयों के बारे में सुझाव देगा, डिजाइन टेम्पलेट्स का विकास करेगा और छोटी स्वतंत्र योजनाओं के लिए लागत का आकलन करेगा, सामान्य प्रौद्योगिकीय मध्यवर्तनों और आई.ओ.टी .आधारित निगरानी प्रणाली की राह में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रायोगिक तौर पर अभिनव समाधान खोजने में सहायता प्रदान करेगा।

प्रबंधन सहायता टीम, परियोजना प्रबंधन/ निगरानी में सहायता प्रदान करेगी, कार्यान्वयन से जुड़ी बाधाओं की पहचान और वित्तीय नियोजन के लिए डेटा विश्लेषण उपकरणों का प्रयोग करेगी, इस विश्लेषण के आधार पर आई.एम.आई.एस. रिपोर्टों को डिजाइन करेगी, सफलता की गाथाएं खोजेगी और उनके प्रलेखन के प्रारूप विकसित करेगी, आई.एस.ए., अन्य पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों के कार्य-निष्पादन की निगरानी करेगी, कार्यशीलता मूल्यांकन में समन्वय करेगी, क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करेगी, प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करेगी, अंतर-क्षेत्रीय बाहरी समस्याओं का अध्ययन करेगी और कार्य-पद्धति में सुधार के लिए नीतिगत सिफारिशें करेगी, महत्वपूर्ण आई.ई.सी. सामग्री अर्थात् सूचना सामग्री, विज्ञापन सामग्री आदि विकसित करेगी।

5.2 राज्य स्तर - राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.)

राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वर्ष 1999 में राज्य स्तर पर समन्वय, मेल-जोल और नीतिगत मार्गदर्शन के लिए 'राज्य जल और स्वच्छता मिशन' (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) की संकल्पना की गई थी। एस.डब्ल्यू.एस.एम. को संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। राज्य सरकारें, जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए एस.डब्ल्यू.एस.एम. को आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करेंगी। जल जीवन मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा एस.डब्ल्यू.एस.एम. को और सुदृढ़ किया जा सकता है। एस.डब्ल्यू.एस.एम., एक राज्य स्तरीय संस्था है, जो राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संगठन है, जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होते हैं और पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के प्रधान सचिव/ प्रभारी सचिव इसके मिशन निदेशक होते हैं।

अधिकांश मिशन अधिकारियों को जल जीवन मिशन के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों/ एजेंसियों/ संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा। फिर भी, नियमित अधिकारियों के अलावा, नवीनतम ज्ञान के साथ तालमेल स्थापित करने और ऊर्जा का संचार करने के लिए, विषय विशेषज्ञों की सेवाएं अनुबंध पर ली जाएंगी। विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए, एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा परामर्शदाताओं को काम पर लिया जा सकता है, जिसके लिए सहायता गतिविधियों के तहत प्रदान की गई निधियों का उपयोग किया जा सकता है। मौजूदा जल और स्वच्छता सहायता संगठन (डब्ल्यू.एस.एस.ओ.) को एस.डब्ल्यू.एस.एम. में आमेलित कर दिया जाएगा। मिशन की संरचना और मानव संसाधन का निर्धारण, राज्य द्वारा किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों के अलावा, मिशन में परियोजना प्रबंधन, वित्त प्रबंधन, आई.टी., आई.ई.सी., क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण, एन.जी.ओ. समन्वय आदि के लिए अधिकारी/ कर्मचारी भी रखे जाएंगे। लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों के अलावा, कार्य की मात्रा और राज्य के आकार के आधार पर निम्नलिखित को नियोजित किए जाने का सुझाव है:

i. कार्यनीति और कार्यान्वयन का प्रभारी निदेशक

ii. तकनीकी, वित्तीय और निगरानी प्रयोजन के लिए परियोजना प्रबंधक

iii. कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आई.एस.ए.) के लिए समन्वयक

iv. सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) समन्वयक

v. क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण समन्वयक

vi. एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस.) हेतु समन्वयक

vii. जल गुणवत्ता निगरानी और चौकसी (डब्ल्यू.क्यू.एम.एण्ड एस.) समन्वयक

viii. हाइड्रो-जियोलॉजिस्ट

ix. अन्य व्यक्ति, आवश्यकतानुसार।

एस.डब्ल्यू.एस.एम. में i) शीर्ष समिति और ii) कार्यकारी समिति शामिल होगी।

शीर्ष समिति का नेतृत्व, राज्य के मुख्य सचिव करेंगे और पी.एच.ई./ ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विकास (आर.डी.), पंचायती राज (पी.आर.), प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, योजना, सूचना और जनसंपर्क के प्रभारी सचिव तथा भारत सरकार का एक प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा, ग्रामीण जल आपूर्ति, सार्वजनिक सेवा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सामुदायिक विकास आदि के क्षेत्र में काम करने वाले तीन विशेषज्ञ/ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी शीर्ष समिति का सदस्य बनाया जाएगा। पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के प्रधान सचिव/ प्रभारी, इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। राज्य द्वारा, प्रशासनिक अनुभव रखने वाले एक अधिकारी को मिशन निदेशक बनाया जा सकता है अथवा पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के प्रधान सचिव/ प्रभारी सचिव को भी मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। शीर्ष समिति, वर्ष में कम से कम दो बार, और यदि संभव हो तो तिमाही आधार पर बैठक करेगी। राज्य को इस संबंध में एस.डब्ल्यू.एस.एम. के सदस्य सचिव और मिशन निदेशक को सूचित करना होगा।

शीर्ष समिति के कार्य निम्नलिखित हैं:

i.) नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करना, इसके अलावा यह समिति, राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की समग्र आयोजना, कार्यनीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी;

ii.) वर्ष 2024 तक राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए 'राज्य कार्य योजना' (एस.ए.पी.) को अंतिम रूप देना;

iii.) ग्रामीण घरों को एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए शुल्क तय करना;

iv.) जल सेवा मानक तय करना;

v.) विभाग/ राष्ट्रीय मिशन के साथ चर्चा के बाद 'राज्य कार्य योजना' (एस.ए.पी.) का मूल्यांकन और सैद्धांतिक अनुमोदन करना;

vi.) समिति, वित्तीय नियोजन के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें समय पर निधियों का उपयोग सुनिश्चित करना और निधियों को अप्रयुक्त पड़े रहने से बचाना भी शामिल है;

vii.) तालमेल के लिए विभिन्न विभागों और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना;

viii.) शक्तियां सौंपने की जिम्मेदारी इसी समिति की होगी, जिससे अंत:ग्राम अवसंरचना के प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत/ उप-समिति को सशक्त बनाने वाली शक्तियाँ उन्हें दी जा सकें, अगर पहले से ऐसा न कर दिया गया हो तो;

ix.) अन्त:-जिला स्तर पर और अंत:ग्राम अवसंरचना जल आपूर्ति स्कीमों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए डी.डब्ल्यू.एस.एम. को अधिकार प्रदान करना;

x.) एकल नोडल खाते के संचालन के लिए तौर-तरीके तय करना;

xi.) जल की बर्बादी रोकने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ थोक जल अन्तरण, वितरण नेटवर्क और घरेलू स्तर की आपूर्ति पर होने वाले आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन देने या हतोत्साहित करने के लिए नीतिगत तंत्र का निर्माण करना;

xii.) अन्य सेक्टरों द्वारा जल के उपयोग के लिए प्रभावी नीतियाँ और विनियम बनाना, ताकि उद्योगों, खेती-बाड़ी के कामों या व्यक्तिगत परिवारों/ संस्थाओं द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट के गलत प्रबंधन के कारण होने वाले जल प्रदूषण की रोक-थाम की जा सके;

xiii.) भूजल पुनर्भरण की वार्षिक पुन:पूर्ति की मात्रा के अंदर ही विभिन्न उपयोगों के लिए भूजल के उपयोग हेतु एक-समान नीति कार्यान्वित करना;

xiv.) समिति, जल आबंटन के लिए जिम्मेदार होगी;

xv.) फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण के साथ-साथ चौकसी सुनिश्चित करने के लिए समर्पित मानव संसाधन नियोजित करने की राज्य नीति तय करना;

xvi.) विभिन्न संविदाओं के नियमों व शर्तों को अंतिम रूप देना, विशेष रूप से इनमें विलंब से जुड़े प्रावधान शामिल करना और इनकी निगरानी करना;

xvii.) प्रणाली/ स्कीम का वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रचालन एवं रख-रखाव रणनीति और मासिक शुल्क/ प्रयोक्ता शुल्क निर्धारित करना। ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति द्वारा प्रचालन एवं रख-रखाव खातों और इनकी संचालन प्रक्रिया के बारे में नीति बनाना;

xviii.) आई.ई.सी./ बी.सी.सी. गतिविधियों के लिए सहायता निधि के निर्धारित प्रतिशत के अनुसार नीति बनाना;

xix.) जल/ राजस्व की निरंतर क्षति को रोकने के लिए अनधिकृत/ मीटर रहित/ अज्ञात कनेक्शनों पर कार्रवाई करना।

एक कार्यकारी समिति, मिशन निदेशक की सहायता करेगी। इस समिति में 5 से 10 सदस्य होंगे। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के प्रभारी अभियंता/ मुख्य अभियंता, संबंधित विभागों अर्थात् जल संसाधन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, वित्त, आदि के अधिकारी इसके पदेन सदस्य होंगे। जल, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक/ सामुदायिक स्वास्थ्य और साफ-सफाई, स्वच्छता के क्षेत्र से संबंधित अधिकतम तीन विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों को सह-योजित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

एस.डब्ल्यू.एस.एम. की कार्यकारी समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे:

i.) डी.डब्ल्यू.एस.एम. के निर्माण में सहायता देना, आवश्यक क्षमता संवर्धन सुनिश्चित करना, इसके कामकाज की नियमित निगरानी करना; डी.डब्ल्यू.एस.एम. के साथ समन्वय करना, जानकारी का मिलान करना, वार्षिक कार्य योजनाओं (ए.ए.पी.) को अंतिम रूप देना;

ii.) जल आपूर्ति परियोजनाओं के वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन और प्रबंधन की निगरानी करना;

iii.) एकल नोडल खाता खोलने के लिए अनुमोदन देना और पी.एफ.एम.एस. का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

iv.) डी.डब्ल्यू.एस.एम. के साथ मिलकर भिन्न-भिन्न प्रकार की योजनाओं का डिज़ाइन तैयार करना और उन्हें साझा करना;

v.) जहां भी संभव हो, नवाचार, नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा/ समर्थन देना;

vi.) मूल्यांकन अध्ययन, प्रभाव आकलन अध्ययन करना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां चलाना;

vii.) आई.एम.आई.एस. पर जल जीवन मिशन की वास्तविक और वित्तीय प्रगति को नियमित रूप से अपडेट करना और उसका सत्यापन करना;

viii.) त्वरित कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीकृत निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दर अनुबंधों पर निर्णय लेना और सूचीबद्ध प्रतिष्ठित निर्माण एजेंसियों/ विक्रेताओं को पैनल में शामिल करना;

ix.) भागीदार एन.जी.ओ./ वी.ओ./ एस.एच.जी. को कार्यान्वयन सहायक एजेंसियों (आई.एस.ए.) के रूप में सूचीबद्ध करना;

x.) भुगतान से पूर्व, कार्य के निरीक्षण के लिए अन्य पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों को नियोजित करना;

xi.) राज्य सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.)/ व्यवहार परिवर्तन संचार (बी.सी.सी.) कार्यनीति निर्धारित करना। आई.ई.सी. गतिविधियों के लिए निर्धारित सहायता निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना;

xii.) मिशन के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कर्मियों के लिए क्षमता संवर्धन की कार्य योजना तैयार करना और उसके कार्यान्वयन की निगरानी करना, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.), आई.ई.सी. सामग्री के उपयोग आदि की व्यवस्था करना;

xiii.) सुनिश्चित करना कि उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.), संपरीक्षित लेखा विवरण (ए.एस.ए.) आदि समय पर भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाएं;

xiv.) रिपोर्टों, सफलता की कहानियों, सर्वोत्तम प्रथाओं को आई.एम.आई.एस. और राज्य के भीतर साझा करना और राज्य के सोशल मीडिया द्वारा उसका प्रसार करना;

xv.) केन्द्र और राज्य - दोनों की सरकारों द्वारा शुरू किए अभियान पूरे राज्य में चलाना;

xvi.) अच्छे कार्यनिष्पादन वाले जिलों, ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि, और आई.एस.ए. को समय-समय पर चिह्नित करना और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाना;

xvii.) जी.आई.एस. प्लेटफॉर्म पर जल जीवन मिशन परिसंपत्तियों की डिजिटल इन्वेंट्री बनाना और उसे अपडेट करना;

xviii.) किसी गांव में स्थित घरों की संख्या के आधार पर जल जीवन मिशन के लिए राज्य विशिष्ट नारों, दीवार चित्रकारी के बारे में और उन क्षेत्रों के बारे में निर्णय लेना, जहां इन्हें चित्रित किया जाना हो।

समिति की वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) में निम्नलिखित का निर्णय/ अनुमोदन किया जा सकता है,

i.) खाता खोलना;

ii.) सी.ए.जी के सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों में से सोसाइटी के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति;

iii.) वार्षिक योजना की कार्यनिष्पादन समीक्षा; तथा

iv.) अगले वर्ष की वार्षिक योजना की मंजूरी, आदि।

हर राज्य में 'राज्य स्तरीय योजना संस्वीकृति समिति' (एस.एल.एस.एस.सी.) होती है जो मूल रूप से 'राज्य स्तरीय तकनीकी समिति' के रूप में काम करती है और इसी समिति को जल जीवन मिशन के लिए पुनर्गठित किया जाएगा/जारी रखा जाएगा। मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता वाली एस.एल.एस.एस.सी. में, यथा-स्थिति, निम्नलिखित सदस्य हो सकते हैं:

i.) विभाग/ मिशन से, भारत सरकार का प्रतिनिधि

ii.) एस.डब्ल्यू.एस.एम. के मिशन निदेशक

iii.) निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रीय भूजल बोर्ड कार्यालय

iv.) निदेशक, राज्य जल संसाधन/ भूजल विभाग

v.) केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय का निदेशक

vi.) राज्य और/ या राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के तकनीकी विशेषज्ञ

vii.) मुख्य अभियंता, नियोजन, पी.एच.ई.डी. / आर.डब्ल्यू.एस. विभाग

viii.) राज्य के मुख्य सचिव द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य (आवश्यकता आधारित)

ix.) इंजीनियर-इन-चीफ, पी.एच.ई.डी. / आर.डब्ल्यू.एस. विभाग, इस समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

विभाग/ राष्ट्रीय मिशन को बैठक से कम से कम 15 दिन पहले बैठक की कार्यसूची भेजी जाएगी ताकि वह प्रस्ताव की जांच कर सके, अपना मत बना सके, सर्वश्रेष्ठ तकनीकी-आर्थिक जानकारी प्रदान कर सके और उसके प्रतिनिधियों द्वारा एस.एल.एस.एस.सी. बैठक में भाग लिया जा सके। सदस्य-सचिव उन योजनाओं के अनुमोदन के लिए एस.एल.एस.एस.सी. की बैठक बुलाएंगे, जो डी.डब्ल्यू.एस.एम. के अनुमोदन के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आती हैं अर्थात अंत:जिला/ अन्तर-जिला वितरण नेटवर्क, क्षेत्रीय जल आपूर्ति स्कीमें, वॉटर ग्रिड्स, शोधन संयंत्रों आदि के माध्यम से थोक जल आपूर्ति से संबंधित योजनाओं के अनुमोदन के लिए। एस.एल.एस.एस.सी. के समक्ष रखे गए प्रस्तावों की निरपवाद रूप से समीक्षा, योजना की तय अवधि के दौरान पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल की उपलब्धता की जांच हेतु 'स्रोत खोज समिति' द्वारा की जानी चाहिए। स्रोत खोज समिति के सदस्यों के बारे में निर्णय, एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा लिया जा सकता है। प्रत्येक राज्य को भिन्न-भिन्न स्तरों के अधिकारियों को तकनीकी स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त है और जल जीवन मिशन के लिए उन्हें अधिसूचित किया जा सकता है।

5.3 जिला जल और स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.)

जिला स्तर पर, डी.डब्ल्यू.एस.एम., जल जीवन मिशन के समग्र कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। डी.डब्ल्यू.एस.एम. की अध्यक्षता उपायुक्त/ जिला कलेक्टर (डीसी) करेंगे। इसके सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

i.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.)-जिला परिषद/ जिला विकास अधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी

ii.) संभागीय वन अधिकारी

iii.) आई.टी.डीए./ आई.टी.डी.पी. जिलों के परियोजना निदेशक

iv.) जिला चिकित्सा अधिकारी

v.) जिला शिक्षा अधिकारी

vi.) कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन/ भूजल/ सिंचाई

vii.) जिला कृषि अधिकारी

viii.) जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी

ix.) कार्यकारी अभियंता, पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग (सदस्य-सचिव)

जल प्रबंधन, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास आदि के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और स्थानीय सांसद को सदस्य के रूप में सह-योजित किया जा सकता है। कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग, इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। अंत:ग्राम जल आपूर्ति स्कीमों को प्रशासनिक अनुमोदन देने पर विचार करने और उन्हें अनुमोदन देने, गाँव के जल स्रोतों की रक्षा और संरक्षा की योजना बनाने, ग्रे-वॉटर का प्रबंधन करने, जल निकायों/ स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने आदि के लिए डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा मासिक बैठक आयोजित की जाएगी। हर वर्ष जिले की वार्षिक कार्य योजना बनाने में, जिला पंचायत के अध्यक्ष/सांसद/ विधायक जैसे जन प्रतिनिधियों से उनके मत की जानकारी मांगी जा सकती है।

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को समर्थन देने के लिए कार्य की मात्रा, जिले के आकार के आधार पर निम्नलिखित मानव संसाधन नियोजित करने का सुझाव है:

i.) तकनीकी, वित्तीय प्रबंधन और निगरानी के लिए परियोजना प्रबंधक

ii.) आई.एस.ए. के लिए समन्वयक

iii.) आई.ई.सी. के लिए समन्वयक

iv.) क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण के लिए समन्वयक

v.) एम.आई.एस. के लिए समन्वयक

vi.) डब्ल्यू.क्यू.एम.एण्ड एस. के लिए समन्वयक

यदि इन्हें अनुबंध के आधार पर नियोजित किया हो तो, उपर्युक्त तकनीकी/ विषय विशेषज्ञों को पारिश्रमिक, समग्र सहायता गतिविधि निधि में से दिया जाएगा।

डी.डब्ल्यू.एस.एम. के कार्य निम्नलिखित होंगे:

i.) एफ.एच.टी.सी. के लिए प्रत्येक गांव का जायजा लेने के बाद 'ग्राम कार्य योजना' तैयार करना;

ii.) वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने की दृष्टि से 'जिला कार्य योजना' ('जिला कार्य योजना') को अंतिम रूप देना;

iii.) एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, जिला स्तर पर अंत:ग्राम जल आपूर्ति स्कीमों/ परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना;

iv.) तालमेल स्थापित करके गाँवों के भीतर मौजूद स्रोतों के स्थायित्व से जुड़े कार्यों और ग्रे-वॉटर प्रबंधन के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और परियोजनाओं को तभी मंजूरी देना, जब ये घटक डी.पी.आर. का हिस्सा बनाए गए हों;

v.) आई.एस.ए. समर्थन की आवश्यकता वाले गांवों की पहचान करना, तैयार की गई पैनल-सूची में से आई.एस.ए. को नियोजित करना और उनके कार्य निष्पादन की निगरानी करना;

vi.) ग्राम कार्य योजना' में सक्रिय भागीदारी के लिए पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश देना और ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि के परामर्श से तकनीकी-आर्थिक फ़ीज़िबिलिटी शुरू करना, डी.पी.आर. तैयार करना;

vii.) ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.) को अनुमोदित करना, जिसमें अंत:ग्राम अवसंरचना के निर्माण अर्थात् रेट्रोफिटिंग या नई योजना का प्राक्कलन और इसके कार्यान्वयन की समय-सारणी शामिल हो;

viii.) इकाई की किस्म के डिजाइन का निर्धारण करना और एस.डब्ल्यू.एस.एम. या पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग, आई.एस.ए., ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, यानी वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि द्वारा तय की गई लागत को अनुमोदन देना।

ix.) 'ग्राम कार्य योजना' से उभरने वाली अनुमानित वार्षिक आवश्यकता के आधार पर पैनल-सूची में से एजेंसी को नियोजित करना और उसे कार्य सौंपना;

x.) एजेंसी को भुगतान करने से पहले कार्य के निरीक्षण के लिए अन्य पक्ष की एजेंसी को नियुक्त करना;

xi.) ग्राम पंचायतों की उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूहों, आदि के गठन में सहायता देना और योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन देना;

xii.) ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि के साथ समन्वय करना, सूचनाओं का मिलान करना, 'जिला कार्य योजना' ('जिला कार्य योजना') तैयार करना और इसे एस.डब्ल्यू.एस.एम. को भेजना;

xiii.) पी.एम.के.वी.के. के साथ मिलकर जल जीवन मिशन के तहत अन्त:ग्राम अवसंरचना बनाने के लिए ग्राम पंचायत और/ या उसकी उप-समिति, यानी वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि द्वारा नियुक्त किए जाने योग्य कुशल मानव संसाधन का एक समूह बनाना। उनका पारिश्रमिक भुगतान, सहायता निधि में से किया जा सकता है;

xiv.) आई.एम.आई.एस. पर जल जीवन मिशन की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का नियमित अपडेट सुनिश्चित करना और उनका सत्यापन करना;

xv.) वास्तविक और वित्तीय कार्यनिष्पादन की निगरानी और मूल्यांकन करना;

xvi.) एन.जी.ओ./ वी.ओ./ सी.बी.ओ. भागीदारों की तैनाती, कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आई.एस.ए.) के रूप में सुकर बनाना;

xvii.) आई.ई.सी./ बी.सी.सी. रणनीति को कार्यान्वित करना और उसके लिए निर्धारित सहायता निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना;

xviii.) राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किए जाने वाले ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना, जो ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, यानी वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि का क्षमता संवर्धन करेंगे;

xix.) ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि से कार्यारम्भ का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद आई.एम.आई.एस. पर एफ.एच.टी.सी. अपलोड करना;

xx.) जल जीवन मिशन के आई.एम.आई.एस. और जिले के भीतर की रिपोर्टों, सफलता की कहानियों, सर्वोत्तम प्रथाओं को अनुमोदन देना और उन्हें साझा करना;

xxi.) जल जीवन मिशन के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकार - दोनों द्वारा शुरू किए गए सभी अभियानों का संचालन करना;

xxii.) समय-समय पर अच्छे कार्यनिष्पादन वाली ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी. / पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि और आई.एस.ए. को मान्यता देना;

xxiii.) सुधारात्मक कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य संकेतकों, जल जनित बीमारियों आदि के आंकड़ों का विश्लेषण करना;

xxiv.) जहां भी आवश्यक हो, ग्राम पंचायत और/ या उसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि के लिए प्रत्यक्ष अनुभव- यात्राओं की व्यवस्था करना;

xxv.) सुनिश्चित करें कि जल जीवन मिशन आरंभन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गांवों में निर्धारित प्रारूप में राज्य-विशिष्ट नारे चित्रित किए जाएं;

xxvi.) सूखे/ बाढ़ जैसी आपदाएं आने पर आवश्यक कदम उठाना;

xxvii.) शिकायत निवारण करना;

xxviii.) सुनिश्चित करना कि समस्त जानकारी आई.एम.आई.एस. पर उपलब्ध हो।

5.4 ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वी.डब्ल्यू.एस.सी.)/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि।

जे.जे.एम. के तहत यह परिकल्पना की गई है कि समुदाय, अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रख-रखाव में मुख्य भूमिका निभाएगा, जिसके परिणामस्वरूप, हर ग्रामीण घर में एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध हो सकेगा। ग्राम सभा संकल्प और सामुदायिक योगदान के माध्यम से प्रतिबिंबित समुदाय की तत्परता, गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण मानदंड होगा।

ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि संविधान

के 73वें संशोधन में परिकल्पित विधिमान्य इकाई के रूप में कार्य करेंगे। ग्राम सभा तय करेगी कि ग्राम पंचायत या उसकी उप-समिति गाँव में जल आपूर्ति प्रबंधन की ज़िम्मेदारियों को निभाएगी या नहीं। जहाँ भी उप-समितियों अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, इत्यादि को चुना जाएगा, वहां उनका नेतृत्व सरपंच/ उप-सरपंच/ ग्राम पंचायत सदस्य/ पारंपरिक मुखिया/ वरिष्ठ ग्राम नेता कर सकते हैं, जिसका निर्णय ग्राम सभा ले सकती है और सचिव के रूप में कार्य पंचायत सचिव/ पटवारी/ तलाती द्वारा किया जा सकता है। इस समिति में 10-15 सदस्य शामिल हो सकते हैं, जिसमें 25% तक पंचायत के निर्वाचित सदस्य शामिल हों; **50% महिला सदस्य हों (जो सफलता की कुंजी हैं);** और शेष 25% में गाँव के कमजोर वर्ग (एस.सी./ एस.टी.) के प्रतिनिधि, उनकी आबादी के अनुपात में शामिल हों। आमतौर पर, उप-समिति का कार्यकाल 2-3 साल का होगा और जल जीवन मिशन अवधि के दौरान ग्राम सभा को उप-समिति का पुनर्गठन करने का अधिकार होगा। यदि उप-समिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि में पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल, किन्हीं कारणों से समाप्त हो गया हो, तो डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा उप-समिति की निरंतरता सुनिश्चित की जाएगी जब तक कि ग्राम पंचायत का पुनर्गठन नहीं हो जाता। इसी तरह, जिन राज्यों में निर्वाचित ग्राम पंचायत मौजूद नहीं है, वहां उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का नेतृत्व पारंपरिक ग्राम नेताओं/ वरिष्ठ ग्राम नेता द्वारा किया जा सकता है, जिसका निर्णय ग्राम परिषद ले सकती है और इनका कार्यकाल निर्दिष्ट कर सकती है। ग्राम पंचायत या उसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य सरकार, उपयुक्त अधिसूचना जारी करेगी।

यदि छिट-पुट बसावटों/ बस्तियों में स्वतंत्र जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाई जाती है, तो ऐसी बसावटों/ बस्तियों में एक प्रयोक्ता समूह गठित किया जाना होगा, जो जल आपूर्ति प्रणाली का अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव करेगा। ऐसे प्रयोक्ता समूह, ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति आदि के प्रति जवाबदेह होंगे। जल जीवन मिशन निधि का उपयोग गाँव/ बस्ती से दूर स्थित किसी एकल घर/ फार्म हाउस के लिए नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेंगे:

i.) हर मौजूदा ग्रामीण परिवार और भविष्य में अस्तित्व में आने वाले किसी नए परिवार को एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि मुख्य बस्तियों से दूर स्थित छिट-पुट घरों को भी एफ.एच.टी.सी. प्राप्त हो;

ii.) जल आपूर्ति योजना के लिए ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.) की तैयारी सुनिश्चित करना;

iii.) गाँव के भीतर जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाना, इनकी रूपरेखा बनाना, कार्यान्वयन, प्रचालन और रख-रखाव करना और मौसमी आपूर्ति का समय तय करना;

iv.) केन्द्रीकृत वस्तु दर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा यथा-निर्धारित एजेंसियों/ विक्रेताओं से निर्माण सेवाओं/ वस्तुओं/ सामग्री का प्रापण करना;

v.) अंत:ग्राम अवसंरचना निर्माण की पूंजीगत लागत में यथा-स्थिति 5% या 10% अंशदान करने के लिए और एकजुट होने के लिए समुदाय को प्रेरित करना। यह अंशदान नकद और/ या वस्तु और/ या श्रम के रूप में हो सकता है;

vi.) स्रोत स्थायित्व, गंदले जल के पुन: उपयोग, जल संरक्षण उपायों, आदि सहित अंत:ग्राम अवसंरचना के निर्माण का पर्यवेक्षण करना;

vii.) सामुदायिक अंशदान के लिए और प्रचालन एवं रख-रखाव सेवा शुल्क जमा करने के लिए बैंक खाता खोलना/ ग्राम पंचायत के मौजूदा खाते का उपयोग करना। यदि किसी मौजूदा खाते का उपयोग किया जा रहा हो, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अंशदान और प्रोत्साहन राशि के लिए एक अलग बही-खाता बनाया जाए;

viii.) उन खातों के लिए रजिस्टर बनाएं और उसका रख-रखाव करें, जो नकदी और/ या वस्तु और/ या श्रम के संदर्भ में सामुदायिक योगदान; निर्माण की लागत; प्रचालन एवं रख-रखाव लागत/ जल शुल्क संग्रह और प्राप्त प्रोत्साहन राशि को दर्शाते हों;

ix.) पी.आर.ए. गतिविधियों के लिए समुदाय को एकजुट करना;

x.) जल शुल्क/ प्रयोक्ता शुल्क निश्चित करना और एकत्र करना;

xi.) स्थानीय जल स्रोतों सहित अंत:ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन और नियमित प्रचालन एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी लेना;

xii.) ग्राम पंचायत/ ग्राम परिसंपत्ति रजिस्टर में पेयजल परिसंपत्ति विवरण दर्ज करना;

xiii.) योजना के पूरा होने पर उसका प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल सुगम बनाना;

xiv.) अन्य पक्ष द्वारा निरीक्षण और कार्यशीलता मूल्यांकन सुगम बनाना;

xv.) एक वर्ष में कम से कम चार बार आवधिक बैठकें आयोजित करना और उनका कार्यवृत्त/ रिकॉर्ड रखना;

xvi.) फील्ड जांच किट (फील्ड परीक्षण किट) का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करना, प्रयोगशालाओं में समय-समय पर परीक्षण कराना और समुदाय के बीच इसका प्रचार-प्रसार करना और सफाई निरीक्षण करवाना। इन गतिविधियों को करने के लिए ग्रामीण युवाओं/ छात्रों/ महिलाओं को नियोजित/ प्रशिक्षित करना;

xvii.) संबंधित राज्य की नीति के अनुसार, फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है;

xviii.) सामाजिक संपरीक्षा करवाना;

xix.) जल के विवेकपूर्ण उपयोग पर जागरूकता अभियान चलाना; पानी का कोई दुरुपयोग न करे, यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना और दीवार पर चित्रकारी आदि करवाने सहित निर्धारित आई.ई.सी. अभियान चलाना;

xx.) पंप ऑपरेटर, जमीनी तकनीशियन को नियुक्त करना/ काम पर लेना, नियमित रूप से मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य करना और प्रणाली का संचालन करना।

5.5 कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां (आई.एस.ए.)

गैर-सरकारी संगठनों/ स्वयंसेवी संगठनों/ महिला स्व-सहायता समूहों/ सी.बी.ओ./ न्यासों/ प्रतिष्ठानों को आई.एस.ए. कहा जाएगा और वे अंत:ग्राम आपूर्ति अवसंरचना की आयोजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव के लिए समुदायों को प्रेरित करने और साथ लाने में एक भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा पैनल में शामिल कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों[14] में से एक आई.एस.ए. की नियुक्त डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा की जाएगी।

पांच साल की 'जिला कार्य योजना' के आधार पर, हर साल कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या निर्धारित की जाएगी। ये चिन्हित गाँव भिन्न-भिन्न श्रेणियों अर्थात् वितरण नेटवर्क और एफ.एच.टी.सी. के दृष्टि से केवल अंतिम छोर की कनेक्टिविटी की आवश्यकता वाले गांव, वे गांव जिनमें जल के विवेकपूर्ण उपयोग पर केवल आई.ई.सी. अभियान चलाए जाने हैं, प्रचालन एवं रख-रखाव सहायता की जरूरत वाले गांव, नई योजनाओं की आवश्यकता वाले गांव आदि के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे, और मार्गदर्शन के लिए आई.एस.ए. को नियुक्त करने हेतु इन गांवों को समूहबद्ध किया जाएगा। तदनुसार, प्रत्येक वर्ष इन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए नियोजित की जाने वाली आई.एस.ए. की आवश्यकतानुसार संख्या और समय-सारणी निर्धारित की जाएगी। नई योजनाओं के लिए, प्रत्येक आई.एस.ए. एक बार में 40-60 गांवों के लिए अधिकतम 18 महीने के पूरे परियोजना चक्र के लिए जिम्मेदार होगा।

जिले की आवश्यकता के आधार पर और आई.एस.ए. के कार्य-निष्पादन को देखते हुए उन्हें चार से छह महीने के बाद 40-60 गांवों का अगला समूह दिया जाएगा या दूसरा आई.एस.ए. नियुक्त किया जाएगा। जिले में, कार्य और मार्गदर्शन की आवश्यकता के आधार पर कई आई.एस.ए. नियुक्त किए जा सकते हैं। आयोजना इस तरह से तैयार की जानी चाहिए कि जल जीवन मिशन को मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा सके और वर्ष 2024 तक जिलों के सभी गाँवों के सभी ग्रामीण परिवारों को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध हो सके।

आई.एस.ए., अंत:ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली और योगदान की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी को सुगम बनाएगा।

परिणाम प्राप्त करने के लिए, आई.एस.ए. को 6-8 सदस्यों वाली एक टीम नियोजित करने और परियोजना गतिविधियों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा आई.एस.ए. के चयन के बाद, पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग की सहायता से संपूर्ण योजना चक्र के लिए उसे सौंपे गए गांवों की कार्य योजना एजेंसी को ही तैयार करनी होगी और स्पष्ट रूप से तिमाही आउटपुट तय करना होगा। यह आयोजना एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा सुझाए गए योजना चक्र के अनुरूप होगी। आई.एस.ए. को किया जाने वाला भुगतान समय-तालिका और तिमाही आउटपुट से जोड़ा जाएगा। आई.एस.ए. का भुगतान, सहायता निधियों में से किया जाएगा।

आई.एस.ए. के कार्य निम्नलिखित होंगे:

i.) ग्राम पंचायत की उप-समिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि का गठन सुगम बनाना और इसके कार्यकर्त्ताओं के क्षमता संवर्धन की व्यवस्था करना;

ii.) पैरा 5.4 में निर्धारित सभी कार्यों, जिनमें अन्य के साथ-साथ बैंक खाते खोलना, सामुदायिक अंशदान जुटाना, प्रचालन एवं रख-रखाव की व्यवस्था करना, ग्राम सभा का आयोजन करना, उप-समिति की बैठकें आयोजित करना, ग्राम सभा में संकल्प पारित किया जाना सुगम बनाना और ग्राम योजना की स्वीकृति देना, स्वच्छता और ग्रे-वॉटर प्रबंधन गतिविधियों, आदि को सुकर बनाना आदि शामिल हैं, में ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि को सहायता देना;

iii.) एफ.एच.टी.सी. की आवश्यकता का मूल्यांकन करना और एफ.एच.टी.सी. प्राप्त करने के लिए समुदाय को प्रेरित करना;

iv.) डी.डब्ल्यू.एस.एम. और वी.डब्ल्यू.एस.सी. के बीच समन्वय मंच के रूप में कार्य करना;

v.) सामुदायिक जागृति हेतु सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए.) उपकरणों का उपयोग करना और आवश्यकता मूल्यांकन करना;

vi.) भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जल अभियानों में समुदाय की सहायता करना;

vii.) जल के विभिन्न पहलुओं जैसे वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल गुणवत्ता, जल जनित बीमारियों, जल की बचत, जल का रख-रखाव, पेयजल के स्रोत में वृद्धि/ स्थायित्व के पहलुओं, आदि के बारे में जागरूकता पैदा करना;

viii.) गांवों से प्राप्त होने वाली सफलता की कहानियों का प्रलेखन करना और उन्हें अपलोड करना;

ix.) गांवों में उचित स्थानों पर दीवार पर चित्रकारी सुनिश्चित करना;

x.) सामाजिक व्यवहारगत परिवर्तन संचार (एस.बी.सी.सी.) कार्यविधियाँ चलाना।

[14]60 जिलों की सूची अनुबंध-XII पर है

5.6 लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग/ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग

राज्य सरकार द्वारा यथा-निर्धारित लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पी.एच.ई.डी.)/ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग, राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए संबद्ध/ नोडल विभाग होंगे। दिशानिर्देश के पैरा 6.2 में बहु-ग्राम योजनाओं के लिए अंत:ग्राम अवसंरचना और बुनियादी ढाँचे (वितरण नेटवर्क/ क्षेत्रीय जल आपूर्ति ग्रिड) के निर्माण में इसकी भूमिका वर्णित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि पंचायती राज संस्थाएं, निर्मित की गई अंत:ग्राम अवसंरचना के मालिक और प्रबंधक हैं, लेकिन इसकी रूपरेखा निर्माण, प्राक्कलन, निविदा, तकनीकी मार्गदर्शन और कार्य निष्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी विभाग की होगी। वे गांव के घरों से पी.आर.आई. द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शुल्क को निर्धारित करने में मार्गदर्शन देंगे, स्रोत स्थायित्व और ग्रे वाटर प्रबंधन, आई.एम.आई.एस. पर आंकड़े प्रविष्टि करने और आंकड़ों का रख-रखाव आदि करने लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय करेंगे।

हर राज्य में, एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए इंजीनियरिंग विभाग/ बोर्ड/ एजेंसी चिन्हित की जाएगी। गाँव के भीतर के अवसंरचना निर्माण में इस विभाग/ बोर्ड/ एजेंसी की भूमिका निम्नानुसार होगी :

i.) पी.आर.ए. गतिविधियों में भाग लेना, गांवों की आवश्यकता का आकलन करना, और 'ग्राम कार्य योजना' तैयार करने में तकनीकी सहायता प्रदान करना;

ii.) पेयजल स्रोतों की पहचान करने के लिए ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि को वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी प्रदान करना;

iii.) संबंधित जलविदों (हाइड्रोलॉजिस्ट)/ भूजल अधिकारियों को शामिल करते हुए स्थायी रूप से स्रोत की मात्रा और गुणवत्ता के लिए ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि द्वारा चयनित स्रोत का प्रमाणन सुनिश्चित करना;

iv.) रेट्रोफिट की जा सकने वाली मौजूदा परिसंपत्तियों की पहचान करना;

v.) ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा विचारण और स्वीकृति के लिए अन्त:ग्राम अवसंरचना डिजाइन का प्राक्कलन तैयार करना और तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना;

vi.) जहां भी आवश्यक हो, कार्यों के निष्पादन के लिए वैधानिक/ कानूनी और अन्य अनापत्तियां प्राप्त करना;

vii.) बहु ग्राम स्कीमों के मामले में स्रोत विकास सहित थोक (बल्क) जल अंतरण के प्रबंधन, शोधन और वितरण नेटवर्क की आयोजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और प्रबंधन का कार्य करना और यह सुनिश्चित करना कि गाँव में बनाए गए हौद तक जल पहुँचाया जाए;

viii.) जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के मामले में, यह सुनिश्चित करना कि उपयुक्त जल शोधन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए और आपूर्ति के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाता रहे;

ix.) एम.बी. में प्रविष्टि करना और चल रहे कार्यों का बिल बनाना;

x.) ट्रायल रन करना और स्कीम के कार्यारम्भ को सुगम बनाना;

xi.) मौजूदा/ निर्मित की गई परिसंपत्तियों का विवरण प्राप्त करना और उन्हें जियो-टैग करना;

xii.) आधारभूत मानचित्रण के भाग के रूप में आधार के माध्यम से घर के मुखिया को मौजूदा एफ.एच.टी.सी. से लिंक किया जाना सुनिश्चित करना;

xiii.) अंत:ग्राम अवसंरचना वाले स्थान पर चारदीवारी से घिरे 'जल कार्य' परिसर का डिज़ाइन बनाना और इसे स्थानीय संस्कृति के अनुसार उपयुक्त नाम देना।

5.7 सेक्टर साझेदार

सेक्टर साझेदार का आशय संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों, फाउंडेशन/ न्यास/ एन.जी.ओ./ सी.बी.ओ./ सी.एस.आर. निधि वाले कॉरपोरेट जैसे संगठनों से है, जो व्यापक स्तर पर प्रभावशाली तरीके से जल क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उनसे उम्मीद है कि उनके विस्तृत अनुभव को देखते हुए वे जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। सुविधा प्रदाता की उनकी भूमिका से, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तरीके से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। जल जीवन मिशन में योगदान करने के लिए केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर, साझेदारों की क्षमता के आधार पर उन्हें चिह्नित किया जाएगा।

राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार से सेक्टर साझेदारों को चिह्नित किया जाएगा। विभाग/ राष्ट्रीय मिशन, राज्य द्वारा मानव संसाधन सहायता उपलब्ध कराने, डिजाइनिंग अभियान चलाने, जल जीवन मिशन संस्थागत तंत्रों का क्षमता संवर्धन करने, प्रौद्योगिकी में नवाचार लाने, प्रबंधन, निगरानी आदि के लिए सेक्टर साझेदारों के साथ भागीदारी की जाएगी।

इन साझेदारों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

i.) संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन;

ii.) सी.एस.आर. निधियों वाला व्यापार और उद्योग जगत;

iii.) समुदाय-आधारित संगठन;

iv.) ज्ञान और अनुसंधान एवं विकास संस्थान;

v.) पैरवी भागीदार;

vi.) प्रशिक्षण/ कौशल विकास संस्थान;

vii.) विश्व विद्यालय/ तकनीकी संस्थान।

सेक्टर साझेदार निम्नलिखित कार्यों में सहायता देंगे:

i.) एस.डब्ल्यू.एस.एम./ डी.डब्ल्यू.एस.एम. स्तरों पर, उनके कार्यों के निर्वहन के लिए विशेषज्ञता-प्राप्त मानव संसाधन सहायता प्रदान करना;

ii.) प्रशिक्षण के लिए उचित सामग्री, कार्यक्रम, संकलन तैयार करके जे.जे.एम. से जुड़े विभिन्न कार्यकर्त्ताओं के क्षमता संवर्धन की आयोजना बनाना;

iii.) आई.ई.सी./ आउटरीच अभियानों की रूपरेखा बनाना;

iv.) सामुदायिक प्रबंधन, प्रौद्योगिकी नवाचार, जल संरक्षण, आदि संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी का प्रलेखन करना और उसका प्रसार करना;

v.) समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यशालाएं, सम्मेलन, सेमिनार आदि के आयोजन में मदद प्रदान करना। जहां भी विभाग/ राष्ट्रीय मिशन, सेक्टर साझेदारों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि में शामिल होता है, वहां वास्तविक जरूरतों के आधार पर इसके लिए जे.जे.एम. के तहत सहायता निधि में से धन उपलब्ध कराया जा सकता है।

5.8 राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केन्द्र (एन.सी.डी.डब्ल्यू.एस.क्यू.)

कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केन्द्र को डी.डी.डब्ल्यू.एस., जल शक्ति मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था के रूप में संस्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य देश में आर्सेनिक और फ्लोराइड पर विशेष बल देते हुए, पेयजल की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी समस्याओं की पहचान करने, उनका शमन करने और प्रबंधन करने के क्षेत्र में कार्य करना और नीति निर्माण के लिए सूचना उपलब्ध कराना है। यह केन्द्र, समग्रतापूर्ण और एकीकृत तरीके से जल प्रबंधन से जुड़े जटिल मुद्दों से निपटने के लिए जल और स्वच्छता के उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में काम करेगा। जे.जे.एम. के कार्यान्वयन में एक बड़ी और सार्थक भूमिका निभाने के लिए इसे सुदृढ़ किया जाएगा।

कार्यान्वयन

जल जीवन मिशन एक समयबद्ध मिशन-मोड कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना है कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास ऐसा कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) हो, जिसके द्वारा नियमित रूप से, निर्धारित गुणवत्ता वाला (बीआईएस: 10500) और पर्याप्त मात्रा में (न्यूनतम 55 एल.पी.सी.डी.) पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। एफ.एच.टी.सी. के द्वारा प्रत्येक घर में तीन स्थानों यानी रसोई, कपड़े धोने एवं स्नान करने के स्थान और शौचालय में पानी (नल) उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा सकती है ताकि जल स्वच्छ रहे और इसका दुरुपयोग न हो। जल जीवन मिशन के तहत, इन तीनों स्थानों में से प्रति घर केवल एक स्थान पर ही नल पहुंचाने के लिए वित्तपोषण किया जाएगा।

इस संबंध में, राज्य सरकारें/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, संबंधित राज्य /संघ राज्यक्षेत्रों के सभी गांवों को कवर करने की समय सीमा के साथ बनाई गई 'राज्य कार्य योजना' (एस.ए.पी.) के आधार पर इस मिशन को कार्यान्वित करेंगे। पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ग्राम पंचायतों और/ या उनकी उप-समिति, अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि और आई.एस.ए. के परामर्श से मौजूदा जल आपूर्ति अवसंरचना के आधार पर प्रत्येक गाँव का मूल्यांकन किया जाएगा। उसी के आधार पर, सुझाई गई निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के तहत गाँव के भीतर स्रोत के विकास सहित जल आपूर्ति अवसंरचना का निर्माण करके प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफ.एच.टी.सी. प्रदान किया जाएगा :-

i.) अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी देने के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत चल रही योजनाओं की रेट्रोफिटिंग;

ii.) पूरी हो चुकी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को जल जीवन मिशन के अनुकूल बनाने के लिए उनकी रेट्रोफिटिंग;

iii.) निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भूजल/सोता जल/ स्थानीय या धरातली जल स्रोत वाले गाँवों में एकल ग्राम योजना (एस.वी.एस.);

iv.) शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भूजल वाले गाँवों में एकल ग्राम योजना (एस.वी.एस.);

v.) जल ग्रिड/ क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना के साथ बहु ग्राम योजना (एम.वी.एस.); तथा

vi.) एकान्त/ जनजातीय छोटे गांवों में लघु सौर ऊर्जा आधारित पाइप जल आपूर्ति।

केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) ने मात्रा[15] और गुणवत्ता[16] की समस्या वाले ऐसे विकास खंडों की एक सूची तैयार की है, जिनमें पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का भूजल मौजूद है। जिन गांवों में भूजल/ धरातली जल / सोते का जल पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार उपलब्ध है, वहां उन राज्यों को सलाह दी गई है कि वे इन स्रोतों के आधार पर एकल ग्राम योजनाएं शुरू करें। बहु ग्राम स्कीम का सुझाव उन विकास खंडों के लिए दिया गया हैं, जो मात्रा और गुणवत्ता की समस्या वाले विकास खंडों[17] के अंतर्गत नहीं आते हैं।

मोटे तौर पर, जल आपूर्ति अवसंरचना निर्माण कार्य को इन दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा : -

i.) स्रोत विकास/ सुदृढ़ीकरण/ संवर्द्धन और ग्रे-वॉटर प्रबंधन सहित अंत:ग्राम अवसंरचना का निर्माण; तथा

ii.) थोक (बल्क) जल ट्रान्स्फ़र, शोधन और वितरण प्रणालियों के लिए अवसंरचना का निर्माण।

एकल ग्राम योजना (एस.वी.एस.), एक भूजल/ सोता आधारित/ स्थानीय धरातली जल योजना है, जिसे ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् ग्राम जल आपूर्ति समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा नियोजित और प्रबंधित किया जाता है। बहु ग्राम योजना (एम.वी.एस.), एक भूजल/ धरातली-जल आधारित योजना है, जो कई गांवों की आवश्यकता को पूरा करती है और आमतौर पर पी.एच.ई.डी./ ग्राम जल आपूर्ति विभाग/ बोर्ड/ एजेंसी द्वारा इसकी आयोजना बनाई जाती है, जिसमें ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि अन्त:ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली का प्रबंधन, संचालन और रख-रखाव करती हैं।

एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा मौजूदा अवसंरचना अर्थात् पाइपलाइन जल आपूर्ति की पूरी हो चुकी योजनाओं और पाइपलाइन जल आपूर्ति की पहले से जारी योजनाओं जिन्हें पहले दो वर्षों में पूरा किया जाना है, के सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी । इसके अलावा, जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों, डी.डी.पी. क्षेत्रों, डी.पी.ए.पी. क्षेत्रों और एस.ए.जी.वाई. गांवों में एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

अंत:ग्राम अवसंरचना निर्माण और प्रबंधन की जिम्मेदारी, ग्राम पंचायत और/ या उसकी उप-समिति अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि की होगी जिसमें पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग/ एजेंसी और आई.एस.ए. सहयोग देंगे, जबकि गांव की सीमा तक बल्क वाटर ट्रांसफर और वितरण प्रणाली के बुनियादी ढांचे की जिम्मेदारी पी.एच.ई.डी./ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग/ बोर्ड/ निगम की होगी।

पी.एच.ई.डी./ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सभी तकनीकी पहलुओं पर ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि को मार्गदर्शन देगा। यह विभाग, पानी की जांच करवाएगा और स्रोत से प्राप्त जल की मात्रा और गुणवत्ता को प्रमाणित करेगा, डिजाइन प्राक्कलन तैयार करेगा

[15]डायनैमिक ग्राउंड वॉटर रिसोसेज़ ऑफ इंडिया, 2017; 2019 में प्रकाशित
[16]ग्राउंडवॉटर क्वालिटी इन विलो एक्वीफर्स इन इंडिया, 2018
[17]मात्रा और गुणवत्ता की समस्या वाले इन विकास खंडों की सूची जल जीवन मिशन पोर्टल पर उपलब्ध है

और ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि की सहायता, कार्य-निष्पादन के लिए एजेंसी की पहचान करने, कार्यान्वित किए गए कार्य की गुणवत्ता की निगरानी करने, अन्य पक्ष द्वारा कार्य का निरीक्षण करवाने, कार्यान्वित किए गए कार्यों के मापन को सुगम बनाएगा तथा चल रहे कार्य का भुगतान के लिए बिल तैयार करेगा, ट्रायल संचालन करवाएगा और योजना का शुभारम्भ करेगा। जिन गाँवों में ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि कार्य निष्पादित करने में असमर्थ हैं, वहां पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग, डिज़ाइन प्राक्कलन आदि ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने और इनको स्वीकृत किए जाने के बाद इस कार्य को पूरा करेगा। तथापि, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि की होगी।

यदि गांव को एम.वी.एस. के तहत कवर किया जाना है, तो पी.एच.ई.डी./ ग्राम जल आपूर्ति विभाग, वितरण प्रणाली से गांव के संप हाउस तक जल पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। अंत:ग्राम अवसंरचना के निर्माण के लिए पी.एच.ई.डी./ ग्राम जल आपूर्ति विभाग की भूमिका एस.वी.एस. और एम.वी.एस. दोनों के लिए समान रहेगी।

एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा अन्त:ग्राम अवसंरचना के कार्यान्वयन के लिए निर्मित की जाने वाली इंजीनियरिंग संरचनाओं (जैसे ई.एस.आर., संप, मवेशी कुंड, कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान इत्यादि) की विशिष्ट संख्या का पता लगाया जाएगा और उन्हें ग्राम सभा में प्रस्तुत किए जाने एवं अनुमोदित किए जाने के बाद उनके टाइप डिजाइन का अनुमोदन किया जाएगा। यह मिशन, इंजीनियरिंग, प्रापण (प्रोक्योरमेंट) और निर्माण (ई.पी.सी.) विधि से पूरे की जाने वाली संविदाओं को अंतिम रूप देगा और इन अभिनिर्धारित संरचनाओं के निष्पादन के लिए एकाधिक एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। प्रत्येक सूचीबद्ध एजेंसी को निर्दिष्ट समय में कवर करने के लिए निर्धारित संख्या में गांव की जिम्मेदारी लेने की अनुमति दी जाएगी, जिसका निर्धारण एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा किया जाएगा। सूचीबद्ध करने और लागत निर्धारण करने के लिए निविदाएं राज्य स्तर पर जारी की जाएंगी लेकिन अन्त:ग्राम अवसंरचना का निर्माण करने के कार्य आदेश डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा जारी किए जाएंगे।

चूंकि यह मिशन पांच साल की अवधि में विस्तृत है, इसलिए राज्य, प्रत्येक चरण में कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या के आधार पर, चरणों में ई.पी.सी. संविदाओं की योजना बना सकते हैं। चूँकि यह एक समयबद्ध मिशन-मोड कार्यक्रम है, इसलिए संविदा दस्तावेजों में उपयुक्त दंड धारा को शामिल किए जाने की आवश्यकता है ताकि कार्यान्वयन में देरी होने पर एजेंसियों को हतोत्साहित किया जा सके। भुगतान से पहले सभी कार्यों का अन्य पक्ष द्वारा निरीक्षण और प्रमाणन किया जाना अनिवार्य है।

6.1 अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना

सभी ग्रामीण परिवारों को एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए, एकल ग्राम योजना (एस.वी.एस.)/ बहु ग्राम योजना (एम.वी.एस.)/ छिट-पुट बस्तियों के लिए सौर ऊर्जा आधारित स्वतंत्र योजनाओं के माध्यम से अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना तैयार की जाएगी। ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि पेयजल और घरेलू जरूरतों के लिए ग्रे-वाटर मैनेजमेंट सहित जल आपूर्ति अवसंरचना और जल संसाधनों की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। इसमें पेयजल स्रोतों के संरक्षण के साथ-साथ जल-शोधन और ग्रे-वाटर का पुन: उपयोग करना भी शामिल होगा।

प्रत्येक गांव के लिए, सभी परिवारों को एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने की ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.) में लागत प्राक्कलन, कार्यान्वयन समय-सूची, प्रचालन एवं रख-रखाव व्यवस्था, आंशिक पूंजीगत लागत और प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए प्रत्येक घर से अंशदान प्राप्त करने, ई.एस.आर./ सम्प की टाइप डिजाइन, गरीब भूमिहीन परिवारों के लिए शौचालय के साथ कपड़े धोने और स्नान करने हेतु परिसर, मवेशी कुंड, ग्रे-वॉटर प्रबंधन, स्रोत स्थायित्व के उपाय, गांवों में सभी जल निकायों को बरकरार रखने की योजना आदि घटक शामिल होंगे। 'ग्राम कार्य योजना' के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार छिट-पुट बसावटों में पाइप से जल आपूर्ति की योजना बनाई जाएगी। 'ग्राम कार्य योजना' तैयार करने का प्रारूप अनुबंध Xक पर दिया गया है, जिसे स्थानीय आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। जल जीवन मिशन के तहत 'ग्राम कार्य योजना' को ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) के साथ एकीकृत किया जाएगा।

सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण और पी.एच.ई.डी./ ग्राम जल आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले कम से कम 3 तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता विकल्पों के आधार पर ग्राम सभा द्वारा गाँव में प्रदान की जाने वाली जल आपूर्ति योजना की किस्म के बारे में निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लेते समय, आई.एस.ए. और पी.एच.ई.डी./ ग्राम जल आपूर्ति विभाग, पसंदीदा जल आपूर्ति योजनाओं के लिए बिजली पर आने वाले खर्च सहित प्रचालन एवं रख-रखाव खर्चों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि इनका प्रभाव, पूंजीगत लागत के साथ-साथ प्रचालन एवं रख-रखाव के संदर्भ में सामुदायिक अंशदान पर पड़ेगा। सर्वोत्तम तकनीकी-आर्थिक विकल्पों का चयन करते समय, पूंजीगत व्यय और साथ ही साथ, प्रचालन एवं रख-रखाव व्यय को न्यूनतम रखना होगा। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डी.डब्ल्यू.एस.एम./ एस.डब्ल्यू.एस.एम. की होगी कि कोई भी ओवर-डिज़ाइनिंग न की जाए और सार्वजनिक धन का इष्टतम उपयोग किया जाए। अन्त:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के विभिन्न घटकों के लिए तकनीकी विनिर्देशों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वार्ड/पंचायतें भी इन्हें समझ सकें। इसके लिए, पी.एच.ई.डी./ ग्राम जल आपूर्ति विभाग और/या आई.एस.ए. मांग का आकलन करेंगे, विभिन्न आई.ई.सी. उपकरणों का उपयोग करके जल जीवन मिशन की जानकारी देंगे, योजना की किस्म तय करने में समुदाय की मदद के लिए पी.आर.ए. गतिविधियाँ चलाएंगे।

आई.एस.ए. द्वारा, ग्राम समुदाय को ग्राम सभा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा और ग्राम सभा के सदस्य बहुमत से

इस योजना को शुरू करने के लिए एक संकल्प पारित करेंगे और इसके आधार पर, पी.एच.ई.डी./ ग्राम जल आपूर्ति विभाग, डी.डब्ल्यू.एस.एम. से अनुमोदन लेने के लिए अंत:ग्राम अवसंरचना का प्राक्कलन तैयार करेंगे। डी.डब्ल्यू.एस.एम. से अनुमोदन लेने के बाद ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि, पी.एच.ई.डी./ ग्राम जल आपूर्ति विभाग, क्रियान्वयन के लिए किसी भी सूचीबद्ध एजेंसी को कार्य सौंपेंगे।

पेयजल आपूर्ति की मात्रा कम से कम 55 एल.पी.सी.डी. होनी चाहिए। राज्यों द्वारा, पेयजल स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर अधिक मात्रा में जल आपूर्ति की जा सकती है, जिसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है और इस अतिरिक्त धन की व्यवस्था राज्य सरकार या स्थानीय समुदाय या दानदाताओं से की जा सकती है। इसके अलावा, विशेषकर पहाड़ी इलाकों, सूखा-प्रवण और रेगिस्तानी इलाकों में पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए मवेशियों के कुंड का निर्माण किया जा सकता है।

एस.वी.एस. योजनाओं में, कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने के लिए अंत:ग्राम पाइपलाइन जल आपूर्ति अवसंरचना में पेयजल स्रोत का विकास/ संवर्द्धन, स्रोत स्थायित्व के उपाय, जल शोधन संयंत्र (यदि स्रोत, गुणवत्ता की समस्या से ग्रस्त हो), पम्पिंग व्यवस्था (वरीयतन सौर ऊर्जा से संचालित) ओवरहेड टैंक (ओ.एच.टी.)/ भूमिगत हौदी और वितरण नेटवर्क शामिल होगा। प्रत्येक ई.एस.आर. से की जाने वाली जल आपूर्ति को आधुनिक सेंसर आधारित आई.ओ.टी .उपकरणों का उपयोग करके मापा जाएगा।

एम.वी.एस. योजनाओं के लिए, कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने के लिए अन्त:ग्राम पाइपलाइन से जल आपूर्ति अवसंरचना में पम्पिंग की व्यवस्था, ओएचटी/ भूमिगत हौद, पानी की आपूर्ति के लिए पाइप लाइन, वितरण नेटवर्क के साथ-साथ बल्क मीटर/ सेंसर होगा, जिसके माध्यम से आपूर्ति किए गए पानी को मापा जाएगा। जल आपूर्ति प्रणाली को संचालित करने के लिए ग्राम स्तर पर ऊर्जा/ बिजली की आवश्यकता, यदि कोई हो, तो वह भी अन्त:ग्राम अवसंरचना के अंतर्गत आती है। ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली की आवर्ती ऊर्जा लागत को कम करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित पंपिंग प्रणाली के संयोजन से ऊर्जा का उपयोग करने के विकल्पों की तलाश की जाएगी।

गांव की जल आपूर्ति प्रणाली के लागत प्राक्कलन में निम्नलिखित घटक भी शामिल होंगे:

i.) स्थानीय भूजल स्रोत के मामले में बोरवेल पुनर्भरण संरचना;

ii.) गरीबों, भूमिहीनों, एस.सी./ एस.टी. बस्तियों में कपड़े धोने और स्नान करने का परिसर (जरूरत के आधार पर);

iii.) मवेशी कुंड (विशुद्ध रूप से जरूरत आधारित);

iv.) हरी बाड़ वाला परिसर जिसमें गांव की जल आपूर्ति अवसंरचनाएं अर्थात ई.एस.आर./ हौद, पंप ऑपरेटर रूम, सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (यदि कोई हो), आदि अवस्थित हों। एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा इस परिसर के लिए स्थानीय संस्कृति के आधार पर एक उपयुक्त नाम तय किया जाएगा। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में इसे 'जल देवालयम' कहा जाता है;

v.) एक विशिष्ट स्थान पर 8x6 फीट का साइन बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें इस योजना के सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होंगे जैसे जल जीवन मिशन चिन्ह (लोगो), योजना की कुल लागत, कार्यान्वयन एजेंसी/सेवा प्रदाता, कार्यकारी अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता/ पानी समिति के अध्यक्ष और सचिव के नाम और संपर्क विवरण, कार्य-आरंभन और समापन तिथि आदि। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पूरे ग्राम समुदाय को कार्यक्रम के बारे में सूचित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

जिन गाँवों में मौजूदा कार्यशील पाइपलाइन जल आपूर्ति व्यवस्था है, उन्हें कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए निम्नानुसार रेट्रोफिट किए जाने की आवश्यकता है:

i.) मौजूदा/ चल रही योजनाएं, जो सार्वजनिक स्टैंड-पोस्ट/ हैंड पंपों के माध्यम से न्यूनतम 55 एल.पी.सी.डी. जल प्रदाय का सेवा स्तर बनाए हुए हैं, उनकी रेट्रोफिटिंग में वितरण नेटवर्क, आपूर्ति में वृद्धि और ग्रे-वाटर प्रबंधन जैसी अन्य अवसंरचना शामिल करनी होगी, जिससे कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जा सके;

ii.) मौजूदा/ चल रही योजनाएं, जो सार्वजनिक स्टैंड-पोस्ट/ हैंड पंपों के माध्यम से 40 एल.पी.सी.डी. जल प्रदाय का सेवा स्तर बनाए हुए हैं, उनकी रेट्रोफिटिंग में, जल की मात्रा न्यूनतम 55 एल.पी.सी.डी. तक बढ़ाने के लिए पेयजल स्रोत विकास/ वृद्धि, आपूर्ति प्रणाली और वितरण नेटवर्क में सुधार, ग्रे-वाटर प्रबंधन करना शामिल है ताकि कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जा सके।

पेयजल स्रोतों और योजनाओं के दीर्घकालिक स्थायित्व की आयोजना से, संकट की अवधि में भी सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। स्रोत स्थायित्व का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जल आपूर्ति योजना अपनी पूरी निर्धारित अवधि तक कार्य करती रहे। यह उद्देश्य वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण जैसे स्थायित्व उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। भूजल आधारित स्रोतों के लिए, बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएं भी प्राक्कलन में शामिल की जाएंगी। धरातली जल पर आधारित एस.वी.एस. (सिंगल विलिज स्कीम) के लिए, वाटरशेड प्रबंधन, जल संरक्षण आदि जैसे स्रोत स्थायित्व उपायों को तालमेल के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। सभी सार्वजनिक संस्थाओं, विशेषकर जल-संकट ग्रस्त क्षेत्रों की संस्थाओं में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनमें वर्षा जल संचयन सुविधाएं हों।

ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्त किए गए कुल जल का 65-70% भाग, घरों से गंदले पानी के रूप में बाहर आता है। इस व्यापक श्रेणी में स्नान करने, बर्तन धोने, कपडे धोने, रसोई इत्यादि में उपयोग के बाद निकलने वाला पानी शामिल है। जब सही शोधन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, तो यह ग्रे-वाटर कृषि और अन्य पेयजल-इतर उपयोगों के लिए उपयोगी संसाधन बन जाता है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रे-वाटर प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है और इसका संग्रह, शोधन और पुन: उपयोग, ग्राम कार्य

योजना और अन्त:ग्राम अवसंरचना का हिस्सा होगा। जैसा पैरा 6.3 में उल्लिखित है, इसके लिए धन का उपयोग मेल-जोल से किया जा सकता है। इस घटक के लिए निधियां 'स्वच्छ भारत मिशन' से प्राप्त की जा सकती हैं और दान-दाताओं, सी.एस.आर. और एम.पी.एल.ए.डी./ एम.एल.ए.एल.ए.डी. से योगदान लेने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे, इन निधियों के उचित प्रबंधन और गाँवों को स्वच्छ रखने में इनकी भूमिका के बारे में सही संदेश जाएगा।

शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के अधिकांश गाँवों में, घरों से निकलने वाले ग्रे वाटर के निपटान हेतु 'सोख्ता गड्ढा' बनाना बेहतर विकल्प होगा। इस पानी का उपयोग गाँव के परिवेश में हरियाली लाने और घरेलू उपभोग के लिए फलों का उत्पादन करने में किया जा सकता है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि i) हरियाली और छाया बढ़ाने के लिए एक पेड़ लगाएं; (ii) इन संरचनाओं के आस-पास फलदार वृक्ष लगाएं बशर्ते भूमि उपलब्ध हो। आई.एस.ए. को वी.डब्ल्यू.एस.सी. की सहायता करनी चाहिए और इसे अलग-अलग परिवारों द्वारा अपनाए जाने और प्रसार के लिए आई.ई.सी. गतिविधि का हिस्सा भी बनाया जाना चाहिए।

6.1.1 योजना चक्र

आमतौर पर, अन्त:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के विकास में 12 से 18 महीने लग सकते हैं। इसे निम्नलिखित तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

i.) योजना और सामग्री-संचय चरण;

ii.) कार्यान्वयन चरण;

iii.) कार्यान्वयन के बाद का चरण।

एकल ग्राम योजनाओं के लिए, योजना चक्र ग्राम पंचायत संकल्प के दिन से 12 से 18 महीने के बीच का हो सकता है।

योजना और सामग्री संचय चरण (3-6 महीने)

योजना और सामग्री-संचय चरण, डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए किसी गांव को चिन्हित करने से प्रारंभ होकर डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा अन्त:ग्राम अवसंरचना कार्यान्वयन के प्राक्कलन के अनुमोदन तक बना रहता है। इस चरण में निम्नलिखित चिन्हित कार्य शामिल होते हैं:

गतिविधियां	जिम्मेदार एजेंसी
मौजूदा कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की आधारभूत मैपिंग	डी.डब्ल्यू.एस.एम.
जल जीवन मिशन के तहत योजना के कार्यान्वयन हेतु गांवों की पहचान करना	डी.डब्ल्यू.एस.एम.
गाँवों को आई.एस.ए., पी.एच.ई.डी./ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग का कार्मिक सौंपना	डी.डब्ल्यू.एस.एम.
जे.जे.एम. के कार्यान्वयन के बारे में कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों के लिए कार्यशालाएं	डी.डब्ल्यू.एस.एम.
पी.एच.ई.डी./ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के समन्वय से, आई.ई.सी. अभियानों के माध्यम से जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के बारे में समुदाय को बताना	आई.एस.ए.
गांव में जल जीवन मिशन शुरू करने के लिए ग्राम पंचायत संकल्प	ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा
ग्राम पंचायत, उप समिति अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का गठन	ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा
पी.आर.ए. गतिविधियाँ चलाना	ग्राम पंचायत और आई.एस.ए.
ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप समिति अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि के कार्यकर्त्ताओं का क्षमता संवर्धन	आई.एस.ए.
'ग्राम कार्य योजना' तैयार करना	ग्राम पंचायत/ पी.एच.ई.डी./ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग
'ग्राम कार्य योजना' का अनुमोदन	ग्राम सभा
डिजाइन तथा प्राक्कलन तैयार करना और उन्हें अंतिम रूप देना तथा मौजूदा विभागीय प्रक्रियाओं के अनुसार तकनीकी अनुमोदन देना।	पी.एच.ई.डी./ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग
प्राक्कलनों की प्रशासनिक स्वीकृति	डी.डब्ल्यू.एस.एम.
सामुदायिक अंशदान का निर्धारण और बैंक खाते में इसे जमा करना	ग्राम पंचायत
आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना	डी.डब्ल्यू.एस.एम.
काम सौंपना और संविदा जारी करना	ग्राम पंचायत/ पी.एच.ई.डी./ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग
कार्य निष्पादन की आयोजना बनाना	ग्राम पंचायत/ पी.एच.ई.डी./ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग

नोट: डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा उन गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने आयोजना और सामग्री-संचय चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

तालिका 2

कार्यान्वयन चरण (6-12 महीने)

कार्यान्वयन चरण का आरंभ, काम सौंपे जाने और जमीनी स्तर पर कार्य शुरू होने से होता है और योजना चालू हो जाने तक चलता है।

गतिविधियां	जिम्मेदार एजेंसी
प्राप्त होने वाले जल और इसकी गुणवत्ता का परीक्षण	पी.एच.ई.डी./ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग
स्रोत का विकास/ संवर्धन	ग्राम पंचायत और पी.एच.ई.डी./ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग
स्रोत स्थायित्व सहित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन तक पानी की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का निर्माण	ग्राम पंचायत और पी.एच.ई.डी./ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग
एम.बी. में प्रविष्टि और चल रहे कार्य का बिल बनाना	पी.एच.ई.डी./ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग
ग्रे वाटर प्रबंधन निर्माण कार्य (उपर्युक्त के साथ समानांतर रूप से क्रियान्वित किया जाना है)	डी.डब्ल्यू.एस.एम. और ग्राम पंचायत
अन्य पक्ष द्वारा निरीक्षण के बाद भुगतान की व्यवस्था	डी.डब्ल्यू.एस.एम. और ग्राम पंचायत
परिसंपत्ति की जियो-टैगिंग	पी.एच.ई.डी./ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग
लेखाओं के लिए रजिस्टर बनाना और उसका रख-रखाव करना	ग्राम पंचायत और पी.एच.ई.डी./ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग
ट्रायल रन	ग्राम पंचायत और पी.एच.ई.डी./ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग
पानी मापने के उपकरण अर्थात् मीटर या सेंसर स्थापित करना, और इसे आई.एम.आई.एस. में एकीकृत करना	डी.डब्ल्यू.एस.एम., ग्राम पंचायत और पी.एच.ई.डी./ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग
प्रचालन एवं रख रखाव लागत जल प्रभार निर्धारित करना और एकत्र करना	ग्राम पंचायत
योजना का आरम्भन	ग्राम पंचायत और पी.एच.ई.डी./ ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग

तालिका 3

कार्यान्वयन के बाद का चरण (3-4 महीने)

स्कीम के आरंभन के बाद कार्यान्वयन के बाद का चरण शुरू होता है।

गतिविधियां	जिम्मेदार एजेंसी
जल आपूर्ति, प्रचालन एवं रख-रखाव और जल शुल्क संग्रह	ग्राम पंचायत
ग्रे-वाटर प्रबंधन	ग्राम पंचायत
बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाली अन्य ग्राम पंचायतों और/ अथवा इनकी उप समिति से संवाद	डी.डब्ल्यू.एस.एम./ एस.डब्ल्यू.एस.एम.
ग्राम पंचायत और अथवा इसकी उप समिति का निरंतर क्षमता संवर्धन	डी.डब्ल्यू.एस.एम.
ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उप समिति को प्रोत्साहन निधि देना	डी.डब्ल्यू.एस.एम.

तालिका 4

जहां पर भी जिम्मेदार एजेंसी, ग्राम पंचायत और/ या उसकी उप-समिति, अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, इत्यादि है, वहां पर आई.एस.ए. अपने आप शामिल हो जाती है।

कई गांवों में, ग्राम पंचायतें बहुत सक्रिय होती हैं और वहां उसकी उप-समितियाँ, अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का गठन सेक्टर सुधारों, स्वजल धारा आदि जैसे पूर्व-संचालित कार्यक्रमों के तहत पहले ही किया जा चुका है। उन गाँवों में जहाँ उप-समितियाँ कार्यशील हैं, डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा सीधे कार्यान्वयन चरण पर जाने का निर्णय लिया जा सकता है और आई.एस.ए. की आवश्यकता से बचा जा सकता है।

6.1.2 सामुदायिक योगदान

ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली अन्त:ग्राम पाइपलाइन जल आपूर्ति अवसंरचना और संबंधित स्रोत विकास के लिए पहाड़ी और वन प्रदेशों, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, 50% से अधिक एस.सी.

और/ या एस.टी. आबादी वाले गांवों में समुदाय द्वारा पूंजीगत लागत का 5% नकद/ या वस्तु और/ या श्रम के रूप में दिया जाएगा और अन्य गांवों में पूंजी लागत का 10% भाग दिया जाएगा।

समुदाय की सम्मति और गांव के कम से कम 80% घरों से अंशदान लेना जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजना चलाने की अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता है। ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि, गरीब, निर्बल, दिव्यांगजन या विधवा, जिनकी आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है, से व्यक्तिगत अंशदान न लेने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, यह नियम के बजाय एक अपवाद है।

समुदाय द्वारा एकमुश्त नकद भुगतान किए जाने के बोझ को कम करने के लिए ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि यह अनुमति दे सकते हैं कि अलग-अलग परिवार किस्तों में अंशदान का भुगतान कर दें। स्थानीय संस्थाओं, परोपकारी व्यक्तियों, समुदाय आधारित संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अंशदान करें। हालांकि, इस तरह के अंशदान सामुदायिक योगदान का हिस्सा नहीं होंगे। इसे योजना की समग्र लागत में योगदान के रूप में लिया जाएगा। इसी तरह से एम.पी.एल.ए.डी. आदि से योगदान को केन्द्रीय शेयर के रूप में गिना जाएगा, एम.एल.ए.एल.ए.डी. आदि को राज्य के योगदान में गिना जाएगा, डी.एम.डी.एफ. को राज्य के योगदान के रूप में और अन्य दान को समग्र लागत का हिस्सा माना जाएगा। स्थानीय स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) द्वारा किया गया योगदान सामुदायिक योगदान का हिस्सा होगा। (इसका विवरण पैरा 7.11 में दिया गया है।)

चल रही पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. स्कीमों के संबंध में, पूंजी लागत की मद में कोई सामुदायिक अंशदान नहीं होगा। तथापि, उन्हें जल जीवन मिशन के अनुरूप बनाने के लिए रेट्रोफिटिंग करते समय, समुदाय द्वारा नकद और/ या वस्तु और/या श्रम के तौर पर, यथा-स्थिति, पूंजी लागत का 5% या 10% भाग का अंशदान किया जाना होगा जो कि रेट्रोफिटिंग/ वृद्धि और/ या अतिरिक्त मदों जैसे मवेशी कुंड, स्नान और कपड़े धोने के ब्लॉक, वर्षा जल संचयन आदि की लागत की मद में योगदान समझा जाएगा।

6.1.3 समुदाय के लिए प्रोत्साहन

समुदाय को, अपने-अपने गांव की अन्त:ग्राम जल आपूर्ति स्कीम पर आने वाले पूंजीगत व्यय के 10% तक पुरस्कार/प्रोत्साहन राशि चरण-बद्ध तरीके से, स्कीम के आरंभन के बाद प्रदान की जाएगी। यह राशि, स्कीम की आपातकालीन मरम्मत/ रख रखाव को पूरा करने के लिए 'आवर्ती निधि' के रूप में काम करेगी। इसकी भरपाई प्रयोक्ता समूह/ स्थानीय समुदाय द्वारा की जाएगी।

6.1.4 प्रचालन एवं रख रखाव

घरेलू नल कनेक्शनों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रचालन व रख रखाव महत्वपूर्ण है। प्रचालन व रख रखाव में बिजली शुल्क, रसायन लागत, निवारक एवं टूट-फूट मरम्मत पर किया जाने वाला व्यय, पम्प ऑपरेटर का पारिश्रमिक आदि जैसी आवर्ती लागतें शामिल होंगी। इसलिए, नीचे दिए गए मामलों में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी:

i.) सरकार से प्राप्त आवर्ती निधि का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना;

ii.) वित्त आयोग की सिफारिश के हिस्से के रूप में प्राप्त धन;

iii.) जमीनी तकनीशियन के माध्यम से सिस्टम के प्रचालन की व्यवस्था करना;

iv.) मामूली मरम्मत कार्य करना;

v.) क्लोरीनेशन;

vi.) पानी की गुणवत्ता की जांच/ चौकसी;

vii.) बुनियादी ढांचे का उचित उपयोग, स्रोतों के आस-पास सफाई इत्यादि सुनिश्चित करना।

ग्राम पंचायत और/ इसकी उपसमिति अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि को आवर्ती शुल्कों को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन से प्रोत्साहन निधि, वित्त आयोग अनुदान तथा सामुदायिक योगदान जैसे भिन्न-भिन्न स्रोतों से प्रचालन व रख रखाव हेतु धनराशि प्राप्त करने के लिए एक खाता खोलना होगा।

ग्राम पंचायत और/ अथवा इसकी उप समिति अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा जल आपूर्ति स्कीम का प्रबंधन, प्रचालन एवं रख रखाव; प्रयोक्ता के प्रभारों की वसूली तथा पूर्ण प्रचालन व रख रखाव वसूली, इस स्कीम के दीर्घकालिक स्थायित्व की आधारशिला होगी।

6.2 क्षेत्रीय जल आपूर्ति और वितरण नेटवर्क

जल की गुणवत्ता के मुद्दों से ग्रस्त तथा धरातली जल स्रोतों की कमी वाले गांवों में, विशेषकर, सूखा-प्रवण और रेगिस्तानी इलाकों में, जल सुरक्षा प्राप्त करने हेतु लंबी दूरी से भारी मात्रा में जल ले कर आना एक सच्चाई है। इसके अलावा, उन सूखा-प्रवण तथा रेगिस्तानी इलाकों में, जहां मिले-जुले उपयोग के माध्यम से पानी की आपूर्ति संभव नहीं है, लंबी दूरी से भारी मात्रा में जल लाने के लिए ऐसी ही पद्धति अपनायी जाएगी। जल की कमी वाले राज्यों, अपर्याप्त वर्षा वाले वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने वाले इलाकों में बारहमासी धरातली स्रोत से पानी की सोर्सिंग करके इस क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण - दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए, क्षेत्रीय जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाना आवश्यक है।

चूंकि जल, बहुत अधिक लागत पर लंबी दूरी से ढोकर लाया जाता है, अत: आवश्यक है कि जल ढोकर लाने के दौरान जल का रिसाव कम से कम हो। इस प्रयोजन से गैर-राजस्व जल की मात्रा न्यूनतम रखने के लिए एस.सी.ए.डी.ए. प्रणाली तथा/ या सेंसर आधारित तंत्र के साथ जिला मीटरिंग क्षेत्र (डी.एम.ए.) का होना जरूरी है।

बल्क वाटर ट्रांसफर/ बहु ग्राम स्कीमों में प्रति व्यक्ति लागत और रख रखाव लागत अधिक होती है और कुशल मानव

संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए राज्यों को संसाधनों की उपलब्धता तथा भावी प्रचालन व रख रखाव व्यय को ध्यान में रखते हुए, इन कार्यों को विवेकपूर्ण तरीके से अंतिम विकल्प के रूप में करने की आयोजना बनानी होगी।

जल के अंतरण की आवश्यकता वाली स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन तथा निगरानी का कार्य एस.डब्ल्यू.एस.एम./ राज्य सरकार द्वारा यथा-निर्धारित पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग/ बोर्ड/ एजेंसी द्वारा किया जाएगा। तथापि, इस तरह की स्कीमों की अन्त:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना की जिम्मेदारी, ग्राम पंचायत और/ या इसकी उपसमिति अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि की होगी, और पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग तथा कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आई.एस.ए.) इसे सुगम बनाएंगी। ग्राम पंचायत और/ या इसकी उपसमिति अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि राज्य सरकार या नियामक, जैसा भी मामला हो, द्वारा तय किए गए अनुसार थोक जल के आपूर्तिकर्त्ता को थोक जल प्रभारों का भुगतान करेंगे।

जल अंतरण के घटकों में हैड वर्क, इंटेक वर्क, नलकूप, पम्पिंग स्टेशन, ट्रंक्स/ मेन्स/ पार्श्विक वितरण नेटवर्क, शोधन संयंत्र, एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर (ई.एस.आर.), हौद, बल्क मीटर, थोक जल आपूर्ति संभालने के लिए उप-स्टेशन आदि सम्मिलित हैं।

एकाधिक गांवों को कवर करने वाली थोक जल अन्तरण/ क्षेत्रीय जल आपूर्ति स्कीमों के लिए इस मिशन के तहत शुरू किए जाने वाले ऐसे कार्यों की संख्या को देखते हुए चरणबद्ध आधार पर अलग-अलग ई.पी.सी. संविदा सौंपी जा सकती है।

गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने या तो जलग्रिड/ धरातली जल आधारित बड़ी योजनाएं तैयार कर ली हैं या वे धरातली जल का उपयोग करके सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ऐसी योजनाएं चलाने की आयोजना बना रहे हैं।

ऐसी विशाल योजनाओं के डिजाइन, प्रचालन और रख रखाव के लिए राज्यों को सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मानदंडों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। स्कीमों में वितरण केन्द्र अर्थात् गांव/ बसावट के हौद पर थोक जल मीटर के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

एम.वी.एस. स्कीमों के मामले में, अपेक्षित भूमि अधिग्रहण की सीमा, इसकी समय-सारणी एवं लागत के साथ भूमि अधिग्रहण के विभिन्न चरणों हेतु समय-तालिका का विवरण एस.ए.पी. में दिए जाने की आवश्यकता है। अन्त:ग्राम जल निर्माण कार्य के लिए भूमि, ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जानी होगी। यदि ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी/ भूमि की व्यवस्था की जाएगी। भूमि की लागत जल जीवन मिशन के केन्द्रीय हिस्से के तहत स्वीकार्य नहीं होगी।

6.3 मेल-जोल

जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, वर्षाजल संचयन तथा गंदला जल प्रबंधन के लिए वर्तमान में अनेक केन्द्रीय तथा राज्य पोषित स्कीमें चल रही हैं, जिनका लक्ष्य, जल सुरक्षा प्राप्त करने का है। चल रही ऐसी स्कीमों के साथ जल जीवन मिशन का मेल-जोल कराने से गतिविधियों की धनराशि में वृद्धि होगी तथा गुणवत्ता, मात्रा तथा स्थायित्व के संबंध में जल संसाधन बढ़ेंगे। जहां कहीं भी अन्त:ग्राम अवसंरचना के तहत मेल-जोल गतिविधियों को शुरू किया जाना है, वहां डी.डी.पी./ डी.पी.ए.पी., वनाच्छादित तथा जनजातीय क्षेत्रों, जल गुणवत्ता प्रभावित तथा जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों आदि में जल सुरक्षा प्राप्त किए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने हैं। मेल-जोल के माध्यम से चलाई जाने वाली जल संरक्षण गतिविधियों के अलावा, यह मिशन केन्द्रीय और राज्य सरकार के अन्य कार्यक्रमों के साथ कौशल विकास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से भी ताल-मेल करेगा।

केन्द्रीय सरकार की उन चालू स्कीमों के नाम जिनका आपस में मेल-जोल कराया जा सकता है:

योजना का नाम	केन्द्र/ राज्य सरकार का विभाग	घटक जिनका मेल-जोल कराया जा सकता है
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एस.बी.एम.-जी)	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	गंदला जल प्रबंधन - सोख्ता गड्ढे, (व्यक्तिगत/सामुदायिक), अपशिष्ट तलछट तालाब आदि।
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ।
पी.एम.के.एस.वाई. के तहत वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यू.डी.सी.)	भूमि संसाधन विभाग	वॉटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./कृत्रिम पुनर्भरण, जल भंडारों आदि का निर्माण/ संवर्द्धन।
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और उनका जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का पुनरूद्धार।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	वाटरशेड से संबंधित कार्य।

योजना का नाम	केन्द्र/ राज्य सरकार का विभाग	घटक जिनका मेल-जोल कराया जा सकता है
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	एक्वीफर्स से जल के दोहन को कम करने के लिए अधिक पानी चाहने वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान।
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सी.एम.पी.ए.)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारितंत्र का पुन:सृजन, स्रोतों की बहाली और सुदृढीकरण, वाटरशेड विकास आदि।
प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र (पी.एम.के.वी.के.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आदि।
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के विवेकाधीन कोष के तहत जल संरक्षण गतिविधियां।
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.डी.एफ.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियां।
एम.पी.एल.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	अन्त:ग्राम अवसंरचना।
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अन्त:ग्राम अवसंरचना।
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान/ जनजातीय उप-योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य	अन्त:ग्राम अवसंरचना।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन/ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	ग्रामीण विकास मंत्रालय	जल आपूर्ति सेवाओं के लिए महिला उद्यमिओं तथा स्वयं सहायता समूहों के नेतृत्व वाले उद्यमों का विकास।

तालिका 5

इसके अलावा, स्रोत स्थायित्व और गंदला जल प्रबंधन गतिविधियों को शुरू करने के लिए केन्द्रीय और राज्य वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग किया जा सकता है।

जल शक्ति अभियान (जे.एस.ए.) देश के 1,592 विकास खंडों में फैले 256 जल-संकटग्रस्त जिलों में चलाया जाने वाला एक समयबद्ध मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत, केन्द्र और राज्य सरकारों की अन्य जल संरक्षण योजनाओं के मेल-जोल से गहन आई.ई.सी. अभियानों के माध्यम से, समुदायों को शामिल करते हुए, वर्षा जल संचयन/पुनर्भरण संरचनाओं आदि जैसे कार्यक्रमों को चलाया जाना है। जे.एस.ए. के तहत, विशेष रूप से जल संकटग्रस्त इन जिलों में, पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने पर ध्यान दिया जा सकता है।

केन्द्र और राज्य सरकारों की स्कीमों से परे, न्यासों/प्रतिष्ठानों/सी.एस.आर./दानकर्त्ताओं/सामुदायिक पहलों आदि के मेल-जोल का भी पता लगाया जा सकता है, जो पेयजल सुरक्षा के लिए जल संरक्षण गतिविधियों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए कार्य कर रही हैं/कार्य करने की इच्छुक हैं। उन दानदाताओं के मामले में जो गांव की अवसंरचना की लागत में 25% से अधिक का योगदान करते हैं, उनका नाम या जिस नाम से वे इस प्रयास को समर्पित करना चाहते हैं, उसका उल्लेख जल निर्माण-कार्य स्थल के एक प्रमुख स्थान पर किया जा सकता है।

'ग्राम कार्य योजना' के तहत अभिनिर्धारित तालाबों/जल भंडारों/झीलों की गाद निकालकर ग्राम पेयजल सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। इस कार्य को विभिन्न हितधारकों के साथ मेल-जोल और सहयोग के माध्यम से किफायती तरीके से कार्यान्वित किया जा सकता है। डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा इस संभावना की तलाश की जा सकती है कि क्या गाद निकालने के लिए भारी मशीनरी किराये पर लेने, सरकारी कार्यक्रम के तहत ईंधन के लिए धन दिए जाने और उत्पादकता में वृद्धि की दृष्टि से किसानों को अपने खेत/बागों में गाद का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सी.एस.आर. निधियों का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से, गाँवों में जल की उपलब्धता में सुधार के लिए गाँव के तालाबों की 'सफाई' की जानी है। 'ग्राम कार्य योजना', ग्रामीण स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन का आधार है और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए समस्त धनराशि 'ग्राम कार्य योजना' के अनुसार खर्च की जानी है। इस प्रकार, संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सकता है तथा किसी भी दोहराव से बचा जा सकता है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जल क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ मेल-जोल और सहयोग किया जाएगा, ताकि जल को सभी का सरोकार बनाया जा सके।

वित्तीय आयोजना एवं वित्त पोषण

जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) एक समयबद्ध मिशन मोड कार्यक्रम है और इसके सफल कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय आयोजना मजबूत हो, वित्त पोषण समय से हो, पर्याप्त संसाधन जुटाए जाएं और संचित निधियों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। एस.डब्ल्यू.एस.एम./डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा केन्द्रीय निधि, राज्य निधि, अन्य कार्यक्रमों, एम.पी.एल.ए.डी. योजना, एम.एल.ए.-एल.ए.डी. योजना, डी.एम.डी.एफ़., सी.एस.आर. निधि, दान इत्यादि जैसे उपलब्ध सभी संसाधनों का संचय करके ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए वर्ष-वार वित्तीय योजना तैयार की जाएगी।

जल जीवन मिशन के लिए केन्द्र से प्राप्त वित्तीय सहायता के दो स्रोत होंगे - सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस.) और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ई.बी.आर.) । मिशन की निधि भागीदारी पद्धति निम्नानुसार रहेगी:

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	केन्द्र का भाग प्रतिशत में	राज्य का भाग प्रतिशत में
हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्य	90	10
अन्य राज्य	50	50
विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्र	90	10
विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्र	100	-

तालिका 6

7.1 लागत

जे.जे.एम. के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के लिए निधि की आवश्यकता का आकलन, भिन्न-भिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत 'प्रति घर लागत' के अनुसार एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाने हेतु शेष परिवारों को आधार बनाकर किया गया है। आई.एम.आई.एस. पर राज्यों द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के आधार पर, एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए शेष घरों की संख्या तय की गई थी। एक औसत घर में व्यक्तियों की कुल संख्या पाँच मानी गई है। यह गणना केवल और केवल जल जीवन मिशन के लिए कुल परिव्यय का आकलन करने की दृष्टि से की गई है और इस आकलन को, योजनाओं के अनुमोदन का आधार नहीं बनाया जा सकता। कुल निधि आवश्यकता हेतु अपनाई गई प्रति परिवार औसत लागत निम्नानुसार है:

योजना का प्रकार	प्रति परिवार औसत लागत (रुपये में)
एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने की दृष्टि से अंतिम छोर तक संयोजन उपलब्ध कराने के लिए चालू योजनाओं की रेट्रोफिटिंग	7,500
अच्छी गुणवत्ता और समृद्ध भूजल वाले विकास खंडों में एस.वी.एस.	15,000
कठोर चट्टानी क्षेत्र/शोधित भूजल पर आधारित एस.वी.एस.	25,000
बहु-ग्राम योजना	47,000
एकान्त/ जनजातीय इलाक़ों में लघु सौर ऊर्जा आधारित पाइपलाइन जल आपूर्ति योजना	7,00,000

तालिका 6

मिशन का अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें केन्द्र और राज्य का भाग क्रमशः 2.08 लाख करोड़ रुपये और 1.52 लाख करोड़ रुपये है। तदनुसार, पांच वर्षों का अनुमानित परिव्यय इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रु में)

वर्ष	भारत सरकार का भाग	राज्य का भाग	कुल
2019-20	20,798	15,202	36,000
2020-21	34,753	25,247	60,000
2021-22	58,011	41,989	1,00,000
2022-23	48,708	35,292	84,000
2023-24	46,382	33,618	80,000
कुल	**2,08,652**	**1,51,348**	**3,60,000**

तालिका 8

7.2 केन्द्रीय स्तर पर जे.जे.एम. निधि का आबंटन/ निर्धारण

क.) जल जीवन मिशन के तहत वार्षिक आबंटन (क) = (सकल बजटीय सहायता) + (अतिरिक्त बजटीय संसाधन)

ख.) विभाग/ राष्ट्रीय मिशन स्तर की गतिविधियों के लिए निर्धारण = 'क' का 2 प्रतिशत तक (जिसमें एन.सी.डी.डब्ल्यू.एस.क्यू. निधि भी शामिल है)

ग.) जे.ई.-ए.ई.एस. के लिए आबंटन = 'क' का 0.5 प्रतिशत, जिसे इस संबंध में मौजूदा मानदंडों के अनुसार जे.ई.-ए.ई.एस. राज्यों के बीच आबंटित किया जाना है।

घ) उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए आबंटन = 'क' का 10 प्रतिशत

ड.) आर.डब्ल्यू.एस.एस.पी.-एल.आई.एस. के ई.ए.पी. के लिए आबंटन = संचालन समिति द्वारा तय की जाने वाली आवश्यकता के अनुसार राज्यों के बीच आबंटित किया जाएगा

च.) विभाग/ राष्ट्रीय मिशन द्वारा तय की गई राज्यों की आवश्यकता के अनुसार एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम. के लिए आबंटन

छ.) उत्तर-पूर्वी राज्यों से इतर राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए शेष राशि = 'क' - (ख+ग+घ+ड.+च)

इसके, घ) और छ) की राशि को क्रमशः पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों से इतर राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के बीच, निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार आबंटित किया जाना है:

7.3 निधि आबंटन के लिए मापदंड

जल जीवन मिशन के तहत बजटीय और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों - दोनों के लिए निधि आबंटन हेतु निर्धारित मापदंड और वेटेज निम्नानुसार हैं:

मापदंड	वेटेज प्रतिशत
ग्रामीण जनसंख्या **(पिछली जनगणना के अनुसार)**	30
ग्रामीण एस.सी. और एस.टी. जनसंख्या **(पिछली जनगणना के अनुसार)**	10
डी.डी.पी., डी.पी.ए.पी., एच.ए.डी.पी. और ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में विशिष्ट श्रेणी के पहाड़ी राज्यों के अंतर्गत आने वाले राज्य	30
भारी धातुओं सहित रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या (आई.एम.आई.एस. के अनुसार) (पूर्व वित्त वर्ष के 31 मार्च के अनुसार)	10
उपलब्ध कराने हेतु शेष व्यक्तिगत घरेलू कनेक्शनों के लिए वेटेज	20

तालिका 9

किसी राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र को आबंटित कुल धनराशि के 5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत तक का उपयोग क्रमशः सहायक गतिविधियों और डब्ल्यू.क्यू.एम. एंड एस. गतिविधियों के लिए किया जाएगा। शेष राशि का उपयोग ग्रामीण घरों में एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए किया जाएगा। एस.सी. और एस.टी. के लिए निधि, कम से कम राज्य में उनकी आबादी के अनुपात में नियत की जाएगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामीण गांवों/बस्तियों में एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को निष्पादित करने के संबंध में राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले संस्वीकृति आदेशों में बताए गए अनुसार, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में, उनके लिए तय घटक का उपयोग किया जाए।

7.4 जे.जे.एम. के अंतर्गत आमेलित पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के घटकों के लिए निधि भागीदारी पद्धति

विभिन्न उप-घटक/उप-मिशन जो पहले की एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. का हिस्सा थे, उन्हें कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) के साथ ही निम्नलिखित विवरणों के अनुसार वित्तपोषित किया जाएगा:

क्र.सं.	जे.जे.एम.के तहत उप-घटक/उप-मिशन	केन्द्र: राज्य वित्तपोषण पद्धति
1.	i.) कवरेज अर्थात, हर घर जल के लिए अवसंरचना (ग्रामीण परिवारों को प्रदान किए गए एफ.एच.टी.सी. के संदर्भ में)	• विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिए - 100:0 • विधायिका सहित पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए - 90:10 • अन्य राज्यों के लिए - 50:50
	ii.) सहायक गतिविधियाँ iii.) डब्ल्यू.क्यू.एम.एंड एस.	• विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिए - 100:0 • विधायिका सहित पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए - 90:10 • अन्य राज्यों के लिए - 60:40
2.	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना - निम्न आय वाले राज्यों (आर.डब्ल्यू.एस.एस.पी.-एल.आई.एस.) अर्थात चार राज्यों असम, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में	• जे.जे.एम. के माध्यम से 50 प्रतिशत बाह्य सहायता • जे.जे.एम. के तहत जारी किए गए कवरेज घटक में से 33 प्रतिशत (पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. शेयर) • 16 प्रतिशत* राज्य का योगदान • 1 प्रतिशत सामुदायिक योगदान *सभी चार राज्यों को देखते हुए औसतन 16 प्रतिशत का आंकड़ा।
3.	जे.ई.-ए.ई.एस. प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले (60 जिले)	• असम के लिए - 90:10 • अन्य राज्यों के लिए - 50:50
4.	आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम.	• पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए - 90:10 • अन्य राज्यों के लिए - 50:50

तालिका 10

विभाग/ राष्ट्रीय मिशन स्तर पर, निम्नलिखित गतिविधियों के लिए वार्षिक आबंटन का 2 प्रतिशत तक अलग रखा जाएगा:

i.) एन.सी.डी.डब्ल्यू.एस.क्यू. से संबंधित प्रशासनिक और पूंजीगत व्यय; तथा

ii.) पी.एम.यू., व्यावसायिक सेवाओं, अन्य पक्ष कार्यशीलता मूल्यांकन, आई.ई.सी. एवं क्षमता निर्माण, एम. एंड ई., आर. एंड डी., एक्शन रिसर्च, एच.आर.डी., कम्प्यूटरीकरण और एम.आई.एस., उत्कृष्टता केन्द्र, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, आदि जैसी विभागीय/ राष्ट्रीय मिशन की गतिविधियों के लिए।

7.5 वित्तीय आयोजना

प्रत्येक राज्य को एक पंचवर्षीय 'राज्य कार्य योजना' तैयार करनी होगी, जिसमें एफ.एच.टी.सी. के वार्षिक लक्ष्यों और तदनुरूप वित्तीय आवश्यकताओं को दर्शाया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत सभी योजनाओं को निर्धारित लागत और समय- सीमा के भीतर लागू किया जाएगा। अनुमोदित लागत से परे अतिरिक्त लागत वृद्धि होने पर, इसे विधायिका वाले संबंधित राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों को वहन करना होगा और केन्द्रीय हिस्से से किसी भी अतिरिक्त व्यय की अनुमति नहीं होगी।

7.5.1 चल रही एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. योजनाओं के लिए

i.) एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत चलायी जा रही पूर्ववर्ती सभी योजनाएं, जिन्हें मूल अनुमोदन के अनुसार 31 मार्च, 2019 और/ या 2019-20 के दौरान पूरा किया जाना था, को पूरा किया जाना चाहिए और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 31 मार्च, 2020 तक लक्षित एफ.एच.टी.सी. प्रदान कर दिया जाना चाहिए। इन योजनाओं के लिए समय या लागत में किसी बढ़ोतरी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने हेतु रेट्रोफिटिंग के लिए, जे.जे.एम. से प्राप्त अतिरिक्त निधि का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी किसी भी योजना, जो दी गई समय सीमा के भीतर पूरी नहीं की जा सकी है, के लिए व्यय राज्य निधि से वहन किया जाएगा और केन्द्रीय हिस्से से परे किसी व्यय की अनुमति नहीं है;

ii.) पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत मंजूर की गई सभी योजनाएं, जिनकी निर्धारित पूर्णता तिथि 31 मार्च, 2020 के बाद की है, को मूल रूप से अनुमोदित समय-

सारणी के भीतर और अनुमोदित लागत के अनुसार पूरा करके प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफ.एच.टी.सी. प्रदान किया जायेगा। किसी भी प्रकार से समय या लागत वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने हेतु रेट्रोफिटिंग के लिए, जल जीवन मिशन में से अतिरिक्त फंड का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी किसी भी योजना को, जिसे अपेक्षित समय सीमा में पूरा नहीं किया जा सका है, को पूरा करने के लिए व्यय राज्य निधि से वहन किया जाएगा और अनुमोदित समय सीमा के बाद केन्द्रीय हिस्से से परे कोई व्यय करने की अनुमति नहीं होगी।

7.5.2 जे.जे.एम. के तहत नई योजनाओं के लिए

जल जीवन मिशन के तहत नई योजनाओं की आयोजना बनाते समय, योजनाओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित समय-सीमा का अनुपालन किया जा सकता है:

i.) एस.वी.एस. और एम.वी.एस. को पूरा करने के लिए अधिकतम अनुमत समय क्रमशः 18 और 36 महीने है;

ii.) 3 साल तक की अवधि में पूरी की जा सकने वाली योजनाओं के संबंध में, कार्यान्वयन पूरा करने के लिए संविदा मार्च, 2021 से पहले जारी कर दी जानी चाहिए। ऐसी योजना के लिए मार्च, 2021 के बाद कोई संविदा जारी नहीं की जाएगी। किसी अति विशेष मामले, जहां इस तरह की योजना आवश्यक है, वहां इस मामले को, विस्तृत औचित्य देते हुए, विचारण/ अनुमोदन के लिए डी.डी.डब्ल्यू.एस./ मिशन को भेजा जायेगा;

iii.) 2 साल तक में पूरी की जा सकने वाली योजनाओं के संबंध में, कार्यान्वयन पूरा करने के लिए संविदा मार्च, 2022 से पहले जारी कर दी जानी चाहिए। ऐसी योजना के लिए मार्च, 2022 के बाद कोई संविदा जारी नहीं की जाएगी। किसी अति विशेष मामले में, इस मामले को, विस्तृत औचित्य देते हुए, विचारण/ अनुमोदन के लिए डी.डी.डब्ल्यू.एस./ मिशन को भेजा जायेगा;

iv.) किसी मौजूदा विफ़ल स्कीम अर्थात ऐसी स्कीम जो अपनी तयशुदा अवधि से पहले काम करना बंद कर चुकी है, की एवज में कोई नई स्कीम नहीं लाई जाएगी। अपवाद स्वरूप, यदि कोई राज्य मौजूदा योजना को त्यागने के उचित कारणों के साथ प्रतिस्थापन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उस प्रस्ताव को डी.डी.डब्ल्यू.एस./ मिशन के समक्ष भेजा जाएगा।

7.5.3 वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.)

प्रत्येक वर्ष, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा, 'राज्य कार्य योजना' (एस.ए.पी.) के अनुरूप फरवरी माह में एक वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) तैयार की जाएगी और इसे विभाग/ राष्ट्रीय मिशन द्वारा विकसित प्रारूपों में ऑनलाइन जमा कराया जाएगा। इसे विभाग/ राष्ट्रीय मिशन और राज्य के बीच परामर्श के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। ए.ए.पी. में, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे;

i.) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान किए जाने वाले एफ.एच.टी.सी. की तिमाही-वार संख्या;

ii.) अंतिम छोर तक संयोजन के लिए, जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, रेगिस्तानी और सूखा-प्रवण क्षेत्रों, जे.ई.-ए.ई.एस. जिलों और एस.ए.जी.वाई. गांवों में रेट्रोफिटिंग के माध्यम से वरीयता देकर प्रदान किए जाने वाले एफ.एच.टी.सी. की संख्या;

iii.) वार्षिक निधि आवश्यकता;

iv.) वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदान किए जाने वाले एफ.एच.टी.सी. की संख्या और मासिक व्यय आयोजना;

v.) केन्द्रीय हिस्से से इतर निधि के स्रोत;

vi.) सहायक गतिविधियों की आयोजना;

vii.) डब्ल्यू.क्यू.एम. एंड एस. आयोजना

मार्च/ अप्रैल के महीने में राज्यों के साथ परामर्श के बाद ही, दिशानिर्देशों के पैरा 7.8 में उल्लिखित विवरण के अनुसार, अप्रैल माह में राज्यों को निधि जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्यों द्वारा, जे.जे.एम. के तहत नई योजनाओं के अलावा, राज्यों में चल रही/ पूरी हो चुकी पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. योजनाओं, पूरी हो चुकीं राज्य योजनाओं जिन्हें जे.जे.एम. के अनुरूप बनाने हेतु रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता है, और जिनके लिए कार्य आदेश 1 अप्रैल, 2019 के बाद जारी किया गया है, को भी शामिल किया जा सकता है, और इस प्रकार एक समग्र वार्षिक कार्य योजना सुनिश्चित की जाएगी। राज्य क्षेत्र/ एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. से इतर या किसी अन्य स्रोत के तहत चल रही योजनाओं के मामले में, एफ.एच.टी.सी. को भी उसी कार्यक्रम से कवर किया जाना है। ऐसी योजनाओं में जल जीवन मिशन फंड का पूरक के तौर पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

7.6 कार्य-निष्पादन को पुरस्कृत करना

जे.जे.एम. चूँकि एक समयबद्ध देशव्यापी कार्यक्रम है, इसलिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को, उनके कार्य-निष्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम दौर में अन्य राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उठाई न गई धनराशि में से अतिरिक्त फंड, उनके वार्षिक आबंटन के अनुपात में, उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के कार्य-निष्पादन का आकलन करने के लिए निर्णायक मापदंड विभाग/ राष्ट्रीय मिशन द्वारा जारी किए जाएंगे।

इस फंड का लाभ लेने के लिए, आवश्यक है कि राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के बजटीय संसाधनों/ राज्य के अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ई.बी.आर.)/ बाह्य सहायता इत्यादि से मिशन के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करके कार्यक्रम को पूरा करने की आयोजना बनाएं, ताकि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त धनराशि उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग में लाई जा सके। अतिरिक्त फंड, जी.बी.एस. या ई.बी.आर. या दोनों में से, पैरा 7.3 में वर्णित आबंटन के मानदंडों के आधार पर, कार्य-निष्पादन करने वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वितरित किया जाएगा, जिसका उपयोग केवल एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने के लिए किया जाना है।

7.7 अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ई.बी.आर.)

जल जीवन मिशन को मंजूरी देते समय, सरकार ने अतिरिक्त बजटीय संसाधन तक पहुंच को भी मंजूरी प्रदान की। प्रति वर्ष, धन की आवश्यकता को देखते हुए वित्त मंत्रालय, विभाग/ राष्ट्रीय मिशन को अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देगा। इन अतिरिक्त संसाधनों का आबंटन, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में नियमित बजट आबंटन के साथ ही, पैरा 7.2 में वर्णित आबंटन मानदंड के अनुसार किया जाएगा। विभाग/ राष्ट्रीय मिशन जी.बी.एस. के तहत दी गई निधि के उपयोग की समीक्षा करेगा और समय-समय पर ई.बी.आर. की आवश्यकता का आकलन करेगा। तदनुसार, आवश्यकता के अनुसार ई.बी.आर. की मांग की जाएगी।

7.8 निधि आबंटन और अवमुक्ति की प्रक्रिया

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के अनुमोदन के पश्चात, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही, अनुमोदित मानदंडों के अनुसार राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार जी.बी.एस. और ई.बी.आर.- दोनों का आबंटन किया जाएगा। वार्षिक आबंटन दो समान किस्तों में और प्रत्येक किस्त को दो भागों में जारी किया जाएगा। सभी पात्र राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को, किस्तें जारी करने के लिए डी.डी.डब्ल्यू.एस. के एकीकृत वित्त प्रभाग की समग्र सहमति प्राप्त करनी होगी और उसके बाद राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा निधि के उपयोग का आकलन करने के बाद विभाग, निधि को किस्त-वार जारी करेगा। इस प्रकार, निधि-अवमुक्ति की आयोजना, वित्त मंत्रालय के 'जस्ट इन टाइम' सिद्धांत के अनुरूप तैयार की गई है ताकि फंड के अप्रयुक्त पड़ा रहने की स्थिति से बचा जा सके।

7.8.1 विभाग/ राष्ट्रीय मिशन द्वारा राज्यों को धनराशि जारी करना

पी.एफ.एम.एस. प्लेटफॉर्म/आई.एम.आई.एस. में परिलक्षित फंड उपयोग को आधार मानकर राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को किस्तें जारी की जाएंगी। जल जीवन मिशन के तहत आने वाले निम्नलिखित उप-घटकों/ उप-मिशनों के लिए धनराशि उपलब्ध होगी:

क.) कवेरज

ख.) जे.ई.- ए.ई.एस.

ग.) आर.डब्ल्यू.एस.एस.पी. - एल.आई.एस.

घ) एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम.

आर.डब्ल्यू.एस.एस.पी.-एल.आई.एस, जे.ई.-ए.ई.एस. और एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम. उप-घटकों के लिए, संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों में निर्धारित आबंटन और अवमुक्ति प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इन घटकों की निधि जारी करने की प्रक्रिया का विवरण अनुबंध- XIII में वर्णित है। कवरेज उप-घटक हेतु पहली और दूसरी किस्त जारी करने के लिए निम्नलिखित अवमुक्ति प्रक्रिया लागू होगी:

7.8.1.1 पहली किस्त जारी करना

i.) उन राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दूसरी किस्त उठा ली है

पहली किस्त की राशि, वित्त वर्ष में किसी राज्य को स्वीकार्य कुल आबंटन का 50 प्रतिशत होगी और पहली किस्त के रूप में फंड जारी करने के लिए, अवमुक्ति के समय पिछले वर्ष की 10 प्रतिशत से परे की आदि शेष की राशि को मिलाकर बनी राशि दी जाएगी। पहली किस्त को दो भागों में चरणबद्ध तरीक़े से रिलीज़ किया जाएगा। पी.एफ.एम.एस. पोर्टल/ आई.एम.आई.एस. में दर्शाए गए इसके उपयोग के आधार पर रिलीज स्वचालित रूप में की जाएगी। समूची पहली किस्त की रिलीज़ के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और आई.एफ.डी. की सहमति प्राप्त की जानी होगी।

अतिरिक्त आदि शेष को मिला लेने के बाद पहला भाग, पहली किस्त के 50 प्रतिशत के बराबर होगा और यह भाग, अप्रैल के महीने में जारी किया जाएगा। पहली किस्त के दूसरे भाग की रिलीज़, पी.एफ.एम.एस. पोर्टल/ आई.एम.आई.एस. पर दर्शाए गए इसके उपयोग पर निर्भर करेगी । जैसे ही उपलब्ध निधि अर्थात, वित्तीय वर्ष का आदि शेष और पहली किस्त के पहले भाग की 80 प्रतिशत राशि का उपयोग कर लिया जाता है, पहली किस्त का दूसरा भाग, विभाग/ राष्ट्रीय मिशन द्वारा स्वचालित रूप से (किसी भी प्रस्ताव के बिना और आई.एफ.डी. की सहमति के बिना) जारी कर दिया जायेगा।

तथापि, पहली किस्त की शेष धनराशि अर्थात पहली किस्त का पहला भाग जारी करते समय मिलाई गई आदि शेष की अतिरिक्त धनराशि तभी जारी की जाएगी जब राज्यों द्वारा, केन्द्र और राज्य के उपलब्ध फंड के कम से कम 60 प्रतिशत के व्यय को दर्शाता हुए एक 'उपयोग प्रमाणपत्र' प्रस्तुत किया जाएगा। उपलब्ध निधि (ओ.बी. + पहली किस्त के पूरे पहले भाग के तहत जारी फंड) के 80 प्रतिशत के उपयोग के आधार पर पहली किस्त का दूसरा भाग स्वचालित रूप से जारी हो जायेगा।

राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किसी भी समय प्रस्तुत किए जाने वाले 'उपयोग प्रमाणपत्र' को, राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिव या सचिव या समकक्ष अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

ii.) उन राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दूसरी किस्त नहीं उठाई है

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाणपत्र., संपरीक्षित लेखा विवरण, आदि सहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद ही फंड जारी किया जाएगा (अनुबंध-II और अनुबंध -III में दी गई सूची देखें)।

फंड के इस हिस्से को जारी करते समय, आदि शेष (पिछले वर्ष की रिलीज का 10 प्रतिशत) की निर्धारित सीमा से ऊपर की किसी भी राशि को इसमें मिला दिया जाएगा। हालाँकि, पहली किस्त की शेष राशि अर्थात अतिरिक्त आदि शेष के कारण पहली किस्त का हिस्सा जारी करते समय मिलाई गई धनराशि, तभी जारी की जाएगी जब राज्यों द्वारा, केन्द्र और राज्य के

हिस्से के उपलब्ध फंड के कम से कम 60% के व्यय को दर्शाने वाला उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

पहली किस्त, चरणबद्ध तरीके से दो भागों में अवमुक्त की जाएगी। अवमुक्ति, पी.एफ.एम.एस. पोर्टल/ आई.एम.आई.एस. पर दर्शाए गए, इस राशि के उपयोग के आधार पर ही की जाएगी।

पहला भाग, अतिरिक्त आदि शेष मिला लिए जाने के बाद बनी पहली किस्त की राशि के 50 प्रतिशत के बराबर होगा। इसे तभी जारी किया जायेगा जब राज्य द्वारा, पहली किस्त को जारी करने की मांग करते हुए एक पूर्ण औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे ही उपलब्ध फंड अर्थात वित्तीय वर्ष की आदिशेष राशि और पहली किस्त के पहले भाग में जारी निधि के 80 प्रतिशत भाग का प्रयोग कर किया जाता है, पहली किस्त का दूसरा भाग, विभाग/ राष्ट्रीय मिशन द्वारा स्वचालित रूप से (अर्थात बग़ैर किसी प्रस्ताव के और आई.एफ.डी. के समक्ष प्रस्तुत किए बिना) जारी हो जायेगा।

7.8.1.2 दूसरी किस्त की रिलीज़

दूसरी किस्त की राशि, वित्तीय वर्ष में राज्य के लिए स्वीकार्य कुल आबंटन का 50 प्रतिशत होगी और दूसरी किस्त भी दो भागों में चरणबद्ध तरीके से पहली किस्त के लिए अपनाई गई पद्धति के अनुरूप जारी की जाएगी।

दूसरी किस्त जारी करने के लिए, राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज़ों के आधार पर वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा:

i.) उपलब्ध शेष राशि (केन्द्रीय निधि) और राज्य समतुल्य अंशदान के 60 प्रतिशत के बराबर राशि के संबंध में चालू वर्ष के लिए अनंतिम उपयोग प्रमाणपत्र;

ii.) पिछले वर्ष के पहले के वर्ष के लिए महालेखाकार की रिपोर्ट/ सी.ए.जी के सूचीबद्ध सी.ए. से पिछले वर्ष का संपरीक्षित लेखा विवरण

iii.) पिछले वर्ष के लिए अंतिम केन्द्रीय और राज्य उपयोग प्रमाणपत्र

पहला भाग, दूसरी किस्त के 50 प्रतिशत के बराबर होगा और इसे तब जारी किया जाएगा, जब राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र वित्तीय प्रगति से संबंधित उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे। जैसे ही उपलब्ध फंड (सेंट्रल और स्टेट शेयर) की 80 प्रतिशत धनराशि का उपयोग कर लिया जाता है, दूसरी किस्त का दूसरा भाग भी विभाग/ राष्ट्रीय मिशन द्वारा स्वतः जारी कर दिया जायेगा (यानी बिना किसी प्रस्ताव के और आई.एफ.डी. के समक्ष प्रस्तुत किए बिना) ।

राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों से, दूसरी किस्त सहित कोई भी रिलीज प्रस्ताव, अनुबंध -II और अनुबंध - III पर दी गई जाँच सूची के अनुसार सभी प्रकार से परिपूर्ण स्थिति में प्राप्त करने की अंतिम तिथि, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 15 फरवरी की तिथि होगी। अगले वित्तीय वर्ष में आदिशेष, इस वर्ष जारी की गई कुल राशि के 10 प्रतिशत तक रखने की अनुमति दी जाएगी। मार्च के महीने में जारी किए गए संस्वीकृति आदेश की राशि को अतिरिक्त आदि शेष में मिलाते समय गणना में नहीं लिया जाएगा।

7.8.1.3 अच्छा कार्य-निष्पादन करने वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त निधि जारी करना

i.) अतिरिक्त धन की उपलब्धता को हर वित्तीय वर्ष के अंत में निश्चित कर दिया जाएगा;

ii.) राज्यों की पात्रता विभाग/ राष्ट्रीय मिशन द्वारा तय की जाएगी;

iii.) कार्य-निष्पादन करने वाले राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धनराशि, आबंटन मानदंडों के अनुसार पुरस्कार के रूप में जारी की जाएगी;

iv.) अतिरिक्त फंड को सामान्य पूल के दो सेटों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात पहला - उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए और दूसरा उत्तर-पूर्वी राज्यों से इतर राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए और यह निधि, उत्तर-पूर्वी/उत्तर-पूर्वी से इतर राज्यों के संबंधित वर्गों के, कार्य-निष्पादन करने वाले राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को उनके वार्षिक आबंटन के अनुपात में जारी किया जाएगा।

7.9 निधि आप्रवाह

एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा, किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक एकल नोडल खाता खोला जाएगा। एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा, जे.जे.एम. कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पी.एफ़.एम.एस. अनुपालन जैसी सेवाओं के बारे में राज्य मुख्यालय में कार्यरत इन बैंकों से विवरण प्राप्त किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी किए गए फंड, उनके राज्य कोषागार में भेजे जाएंगे, जहां से राज्यों को संबंधित राज्य के मैचिंग शेयर के साथ 15 दिनों के भीतर एस.डब्ल्यू.एस.एम. के एकल नोडल खाते में फंड ट्रांसफर किया जाएगा। एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा, पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के मौजूदा एकल नोडल खाते का उपयोग किया जा सकता है या जे.जे.एम. के तहत नोडल खाते के संचालन के लिए राज्य मुख्यालय पर स्थित किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक नया खाता खोला जा सकता है, यदि वहां एकल नोडल खाता उपलब्ध न हो तो।

नोडल खाते में किसी भी परिवर्तन की अनुमति केवल विभाग/ राष्ट्रीय मिशन की सहमति से दी जाएगी। बैंक से लिखित में एक वचनपत्र इस आशय के साथ उपलब्ध कराया जायेगा कि बैंक द्वारा, विभाग/ राष्ट्रीय मिशन निधि में से भुगतान करने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा, विभाग/ राष्ट्रीय मिशन को बैंक शाखा, आई.एफ.एस.सी. कोड और खाता संख्या का विवरण सूचित किया जाएगा। बैंक द्वारा, नोडल खाते में लेन-देन की अनुमति तभी दी जाएगी, जब लेनदेन का अनुरोध पी.एफ़.एम.एस. मोड के माध्यम से प्राप्त होता है और यदि यह कार्य राजकोष के माध्यम से किया जाता है, तो संबंधित राज्य राजकोष और पी.एफ़.एम.एस. सिस्टम के बीच उपयुक्त इंटरफेस बनाकर पी.एफ़.एम.एस. सिस्टम में इसे दर्शाया/ प्रतिबिंबित किया जाएगा और तब जाकर लेनदेन की अनुमति मिलेगी। बैंक, खाते के संचालन के संबंध में विभाग/ मिशन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत होगा।

एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस.) सॉफ्टवेयर, लेखांकन प्रणाली के अनुरूप बनाया जाएगा, और इसमें, ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग/ एस.डब्ल्यू.एस.एम. और संबंधित बैंक शाखा के लिए यह सुविधा होगी कि उनके द्वारा किए जाने वाले लेनदेन के लिए ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि की जा सके।

ब्याज के रूप में उपार्जित धन उसी खाते में जमा किया जाएगा और संबंधित वर्ष के उपयोग प्रमाणपत्र (यू.सी.) में दर्शाया जाएगा। ब्याज राशि में से व्यय, दिशानिर्देशों में अनुमत कार्यों की मदों पर किया जाएगा। व्यय में किसी भी प्रकार का विचलन, समय-समय पर विभाग/ राष्ट्रीय मिशन द्वारा जारी निर्देशों/ दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होगा। बैंक, एस.डब्ल्यू.एस.एम. को उसके द्वारा जमा की गई ब्याज राशि के सम्बन्ध में त्रैमासिक आधार पर सूचित करेगा।

राज्य सरकार/ एस.डब्ल्यू.एस.एम., निर्धारित वित्तपोषण पद्धति के अनुसार मैचिंग फंड के बारे में निर्णय लेंगे। एकल नोडल खाते में एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा केन्द्र और राज्य दोनों से जे.जे.एम. का हिस्सा प्राप्त होने पर, जिलों के बीच इसका आबंटन, दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा और इसका आधार, संबंधित एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा तय की गई वार्षिक जिला कार्य योजनाओं ('जिला कार्य योजनाओं') को बनाया जाएगा। आबंटन के आधार पर, एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक आहरण सीमा निर्धारित की जाएगी और एस.डब्ल्यू.एस.एम. ही, भुगतान बिल तैयार करने के लिए जिलों को अधिकृत करेगा और भुगतान, एकल नोडल खाते में से किया जाएगा। डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा जिला स्तर पर उपलब्ध 'जिला कार्य योजना' और निधि के अनुसार, यथा-स्थिति, ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह या पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के माध्यम से कार्य को पूरा कराएगा।

कार्य समाप्ति के बाद, पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा बिल, डी.डब्ल्यू.एस.एम./ एस.डब्ल्यू.एस.एम. को, यथा-स्थिति, प्रेषित किया जाएगा, जो, बिल प्राप्त होने पर, पैनल में शामिल किसी अन्य पक्ष एजेंसी द्वारा कार्य का निरीक्षण कराएगा। इसके बाद, किए गए कार्य की गुणवत्ता और काम की मात्रा से संतुष्ट होकर, डी.डब्ल्यू.एस.एम./ एस.डब्ल्यू.एस.एम., जैसा भी मामला हो, एजेंसी को भुगतान किए जाने की व्यवस्था करेगा। डी.डब्ल्यू.एस.एम./ एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा उस वर्ष विशेष में एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा जिले के लिए निर्धारित किए गए धन आबंटन / आहरण की सीमा के अधीन, निष्पादित कार्यों के लिए एजेंसी को पी.एफ.एम.एस. मोड में भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। ट्रेजरी मोड के माध्यम से तैयार किए गए भुगतान आदेश की अनुमति केवल तभी दी जाएगी, जब संबंधित राज्य ट्रेजरी और पी.एफ.एम.एस. के बीच उपयुक्त इंटरफेस बनाकर पी.एफ.एम.एस. प्रणाली में इसे दर्शाया गया हो। संबंधित एजेंसी के खाते में पी.एफ.एम.एस. मोड में, एकल नोडल खाते से भुगतान करने के लिए, यथा-अधिकृत रूप में, डी.डब्ल्यू.एस.एम./ एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा ही भुगतान आदेश भेजा जाएगा। संविदा के अनुसार सम्बंधित एजेंसी के अलावा किसी अन्य खाते में कोई अग्रिम भुगतान, सामग्री जुटाने के लिए अग्रिम राशि के तौर पर, नहीं किया जायेगा।

7.10 अमान्य व्यय

कोई व्यय जैसे कि लागत वृद्धि, निविदा प्रीमियम और कार्यक्रम सम्बन्धी दूसरे ख़र्चे जो केन्द्रीय हिस्से के तहत अमान्य हैं, जे.जे.एम. के केन्द्रीय हिस्से के तहत वित्त पोषित होने के योग्य है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य सरकार/ एस.डब्ल्यू.एस.एम. करेगी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान सहायता में से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो यह राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। नियमित कर्मचारियों को सहायक गतिविधियों की राशि में से 'वेतन' का भुगतान नहीं किया जाएगा और अनुबंध पर रखे गए कर्मियों/ पेशेवरों/परामर्शदाताओं को केवल पारिश्रमिक/ मानदेय का भुगतान किया जा सकता है। जे.जे.एम. के तहत प्रदान की गई भारत सरकार की निधि में से, प्रचालन व रख-रखाव अर्थात जल आपूर्ति कार्यों से संबंधित बिजली बिलों आदि का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अमान्य व्ययों की एक सांकेतिक सूची, अनुबंध - IV पर दी गई है।

7.11 सामुदायिक योगदान

जैसा कि पैरा 6.1.2 में उल्लेख किया गया है, सामुदायिक योगदान नकद और/ या वस्तु और/या श्रम के रूप में हो सकता है। वस्तु और/ या श्रम के रूप में किए गए योगदान की गणना की जाएगी और इसकी समकक्ष राशि को नकद योगदान के रूप में ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति यानी वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह इत्यादि द्वारा एक अलग रजिस्टर में दर्ज और व्यवस्थित किया जायेगा। इसे दिशानिर्देशों के पैरा 7.16 के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर, उपलब्ध कराया जाए और इसकी संपरीक्षा कराई जाए।

अंत:ग्राम अवसंरचना के निर्माण के लिए नकद में किए गए सामुदायिक योगदान को ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि के संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाएगा; यह खाता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोला जा सकता है। इस खाते को ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह इत्यादि के अध्यक्ष और संबंधित पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। सामुदायिक योगदान (अंत:ग्राम अवसंरचना सृजन हेतु), प्राप्त प्रोत्साहन राशि के लिए और प्रचालन व रख-रखाव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवारों द्वारा प्रदान किए गए प्रयोक्ता शुल्क के लिए अलग-अलग लैज़र रखे जाने होंगे। डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा तय की गई एजेंसी/ विक्रेता को सामुदायिक योगदान का भुगतान किया जाएगा।

7.12 अंत:ग्राम अवसंरचना सृजन हेतु अन्य स्रोतों से प्राप्त धन

निर्वाचित प्रतिनिधि (संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य इत्यादि), विभिन्न संगठन, सी.एस.आर. कानून के अंतर्गत आने वाली सस्थाएं, परोपकारी लोग भी जे.जे.एम. के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली स्थापित करने हेतु अपना योगदान

दे सकते हैं। ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली की स्थापना के लिए किसी सांसद द्वारा किए गए योगदान को, योजना की पूंजीगत लागत का केन्द्रीय हिस्सा माना जाता है और तदनुसार, योगदान में इतनी ही राशि की कटौती करके योजना के केन्द्रीय हिस्से को संशोधित किया जा सकता है। इसी तरह, विधायक या राज्य के किसी निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किए गए योगदान को राज्य के हिस्से से किया गया योगदान माना जाएगा और तदनुसार, योजना के राज्य के हिस्से के योगदान में कटौती करके उसे संशोधित किया जा सकता है।

भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/ विभागों से पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए प्राप्त धन, निश्चित रूप से एफ.एच.टी.सी. के लिए ही उपयोग में लाया जाएगा। इन योजनाओं में भारत सरकार का हिस्सा, यदि ये योजनाएं आंशिक रूप से जे.जे.एम. के तहत वित्त पोषित हैं तो, पूंजीगत लागत के लिए केन्द्रीय शेयर में शामिल माना जाएगा। राज्य द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रावधान के साथ प्रस्तावित किसी भी नई बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजना को केवल तभी सहायता दी जाएगी, यदि इसमें एफ.एच.टी.सी. का प्रावधान हो या इसके परिणामस्वरूप एफ.एच.टी.सी. प्राप्त होने हों। दोनों ही मामलों में, उनकी गणना, उपलब्ध कराए गए एफ.एच.टी.सी. की संख्या की गिनती करते समय विभाग के आई.एम.आई.एस. के हिस्से के तौर पर की जाएगी।

अंत:ग्राम अवसंरचना सृजन की लागत की मद में अन्य संगठनों, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) में शामिल संस्थाओं, परोपकारी व्यक्तियों इत्यादि के योगदान को, योजना की कुल अंत:ग्राम अवसंरचना सृजन की लागत में से घटा दिया जाएगा और अनिवार्य सामुदायिक योगदान के अंतर्गत शेष राशि को अनुपातिक रूप में संशोधित किया जा सकता है। इस तरह के समस्त योगदान को योजना के पूंजीगत व्यय का हिस्सा माना जाएगा। कटौती करने के बाद केन्द्र के शेयर, राज्य के शेयर और सामुदायिक योगदान की गणना की जाएगी। योजना के अन्त:ग्राम घटक की शेष लागत पर सामुदायिक योगदान फ़िर भी अनिवार्य होगा। किए गए सभी योगदान आई.एम.आई.एस. में दर्ज किये जायेंगे।

डी.डब्ल्यू.एस.एम./ एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा, जल आपूर्ति के लिए तैयार की गई 'ग्राम कार्य योजना' के तहत परिकल्पित, भिन्न-भिन्न एजेंसियों के ऐसे सभी प्रयासों का समन्वय, मेल-जोल और संयोजन किया जा सकता है। अनुमोदित 'ग्राम कार्य योजना' के बाहर कोई समांतर कार्य नहीं किया जाएगा, इससे संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सकेगा और दोहराव से बचा जा सकेगा।

7.13 प्रोत्साहन निधि

ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप- समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह इत्यादि, योजना को सफलतापूर्वक एक वर्ष तक संचालित किए जाने, जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि योजना के तहत कवर किए गए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण जल प्राप्त हो रहा है और प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए जल प्रभार नियमित रूप से एकत्र किया जा रहा है, के बाद प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं । इस निधि को प्रदान करने के लिए एस.डब्ल्यू.एस.एम., ऐसे मूर्त और पारदर्शी मानदंड विकसित कर सकती है, जिनका उद्देश्य ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप- समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह इत्यादि द्वारा जल आपूर्ति प्रणाली और प्रचालन एवं रख-रखाव के स्थायित्व को प्रोत्साहित करने का हो।

प्रोत्साहन निधि, अंत:ग्राम अवसंरचना लागत का 10 प्रतिशत होगी, जिसे पांच वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से वितरित किया जायेगा। प्रोत्साहन निधि, किसी भी अंत:ग्राम अवसंरचना की किसी ऐसी तत्काल मरम्मत लागत का भुगतान करने के लिए एक आवर्ती निधि के रूप में इस्तेमाल की जाएगी, जिससे पानी की आपूर्ति बाधित होने की संभावना हो और समुदाय द्वारा फ़िर से इसकी प्रतिपूर्ति की जाए। प्रोत्साहन निधि, प्रचलित वित्तपोषण पद्धति में जे.जे.एम. (केन्द्र और राज्य के मैंचिंग शेयर) के तहत राज्य के पास उपलब्ध निधि में से प्रदान की जाएगी।

7.14 जे.जे.एम. के तहत उपलब्ध फ्लेक्सी फंड

अनुबंध- VII पर रखे दिनांक 06.09.2016 के कार्यालय ज्ञापन 55(5)/पीएफ़-II/2011 और बाद में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी किए गए संशोधनों के अनुसार, जल जीवन मिशन के तहत फ्लेक्सी फंड का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जा सकता है:

i.) प्राकृतिक आपदाओं के मामले में बचाव/ पुनरुद्धार गतिविधियाँ संचालित करना, या आंतरिक सुरक्षा गड़बड़ी से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना;

ii.) दक्षता में सुधार करने के लिए प्रायोगिक तौर पर नवाचार करना;

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्राकृतिक आपदाओं और आंतरिक समस्याओं से उत्पन्न अप्रत्याशित चुनौतियों/ मुद्दों से निपटने के लिए, जे.जे.एम. के तहत किये गए वार्षिक आबंटन का 5 प्रतिशत हिस्सा अलग रख दें और इस्तेमाल में न लाए जा पाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दौर में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र भी ए.ए.पी. के अनुरूप जे.जे.एम. के तहत नवाचार की आयोजना बना सकते हैं। प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप पर अधिक जानकारी के लिए अध्याय 8 देखें।

7.15 पी.एफ़.एम.एस.

जे.जे.एम. के तहत किये जाने वाले सभी लेनदेन अनिवार्यतः पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से ही किये जायेंगे और समय-समय पर पी.एफ.एम.एस. पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाना होगा। जे.जे.एम. के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधि का उपयोग कैसे किया जा रहा है, पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी। भविष्य में जारी की जाने वाली निधि को, पी.एफ.एम.एस. में निधि की उपलब्धता और उपयोग के विवरण के साथ जोड़ दिया जाएगा और की गई भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी आई.एम.आई.एस. के माध्यम से की जाएगी।

7.16 संपरीक्षा

i.) सोसाइटी के मामले में, एस.डब्ल्यू.एस.एम. यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर उसके खातों की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक टीम द्वारा की जाए। कार्यान्वयन एजेंसी के खातों का समाशोधन विवरण और इसकी सटीकता पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र भी इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे;

ii.) डी.डब्ल्यू.एस.एम. यह भी सुनिश्चित करेगा कि ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप- समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह इत्यादि द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सामुदायिक अंशदान, प्रोत्साहन राशि आदि के लिए रखे जाने वाले हर खाते/ लेज़र का लेखा-परीक्षण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाए;

iii.) ग्राम पंचायत या इसकी उप-समिति के खातों की नियमित समवर्ती लेखा-परीक्षा, सेवानिवृत्त स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा की जाएगी;

iv.) जे.जे.एम. के संबंध में राज्यों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट का एक प्रारूप अनुबंध-III पर दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अलावा, इस मिशन के तहत किए गए कार्यों का संपरीक्षण, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सी.एंड ए.जी.) द्वारा भी किया जा सकता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा की गई संपरीक्षा में, वित्तीय संपरीक्षा के अलावा किए गए कार्यों की गुणवत्ता के पहलुओं को भी शामिल किया जा सकता है;

v.) यदि किसी अप्रत्याशित कारणवश महालेखाकार/सी.ए. से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो उस दशा में यदि राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, देरी के लिए विशिष्ट कारण सूचित करता है और यह वचन देता है कि महालेखाकार/ सी.ए. के कार्यालय से इसकी प्राप्ति होते ही इसे उपलब्ध कराया जायेगा, तो निधि अवमुक्ति को रोका नहीं जाएगा। यदि ए.जी./ सी.ए. की रिपोर्ट में, कुछ विसंगतियों/कमियों की सूचना दी जाती है, तो बाद में की जाने वाली अवमुक्ति में इसे समायोजित कर लिया जायेगा / राज्य सरकार द्वारा इस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी;

vi.) वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को एस.डब्ल्यू.एस.एम. के खाते में अर्जित ब्याज सहित उपलब्ध शेष राशि के संबंध में लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ बैंक प्राधिकारी से प्राप्त विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

7.17 वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्प/ मॉडल

अतिरिक्त निधि की आवश्यकता को, राज्यों द्वारा, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.), हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एच.ए.एम.), व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वी.जी.एफ.), आदि जैसे अभिनव वित्तपोषण तंत्रों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा, भारत सरकार विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक आदि जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों, जो ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं का समर्थन करने की इच्छुक हैं, के माध्यम से निधि इकट्ठा करने में सहायता करेगी। बाहरी वित्तपोषण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले परियोजना प्रस्तावों को जे.जे.एम. के उद्देश्यों के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता होगी।

7.18 राष्ट्रीय जल जीवन कोष (आर.जे.जे.के.)

पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता के भारतीय लोकाचार के हिस्से के रूप में, विभिन्न व्यक्ति, कॉर्पोरेट/ औद्योगिक घराने, धर्मार्थ संस्थान, आदि नियमित रूप से योगदान/ दान करते हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित ऊपरी सीमा से अधिक निवल मूल्य वाली प्रत्येक कंपनी को, अपने औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत हिस्सा, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) गतिविधियों में खर्च करना होता है। ऐसे सभी दान/ योगदान को सुकर बनाने के लिए, एन.जे.जे.एम. के तहत 'राष्ट्रीय जल जीवन कोष' की स्थापना की जा रही है। यह कोष, जे.जे.एम. के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु धर्मार्थ योगदान/ दान और सी.एस.आर. फंड के लिए एक पात्र के रूप में काम करेगा।

इस कोष से निम्नलिखित गतिविधियों को वित्तपोषित किया जाएगा:

i.) जे.जे.एम. के तहत ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पेयजल स्रोतों (धरातली और भूजल - दोनों) का और अवसंरचना का विकास;

ii.) विशेष रूप से जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए अनुसंधान एवं विकास और अभिनव परियोजनाएं;

iii.) गाँव में ग्रे-वाटर प्रबंधन;

iv.) प्रदर्शन के प्रयोजन से अभिनव प्रस्ताव;

v.) समुदायों का क्षमता संवर्धन;

vi.) विभिन्न स्तरों पर जे.जे.एम. के कार्यान्वयन में शामिल अभिनिर्धारित कर्मियों का कौशल विकास; तथा

vii.) जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य और/ या जिला स्तर पर मानव संसाधन उपलब्ध कराना/ उनका वित्त पोषण करना;

viii.) दानकर्ता द्वारा अनुरोध की गई कोई भी विशिष्ट गतिविधि जो जे.जे.एम. के लक्ष्य के अनुरूप हो।

प्रौद्योगिकीय मध्यवर्तन (इंटरवेंशंस) और नवाचार

ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र को भू-भाग, प्राकृतिक और अन्य कारणों (प्रदूषण) से जल (जमीनी और धरातली जल दोनों) की उपलब्ध मात्रा और उसकी गुणवत्ता, लंबी दूरी से पानी लाने, पंपिंग के लिए बिजली की आवश्यकता को पूरा करने, पहले से चलाए जा रहे प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों को जारी रखने (उनका नियमित रख रखाव करने और उससे निकले गाद/कचरे का उचित निपटान आदि), दूर-दूर तक फैली प्रणालियों के कारण दैनिक निगरानी/प्रबंधन में कठिनाई, वितरण प्रणाली में रिसाव, पानी का दुरुपयोग/अति प्रयोग आदि के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रौद्योगिकी से अधिकांश चुनौतियों का समाधान प्राप्त हो जाता है। तथापि, कुछ मामलों में, चुनौतियों की जटिल प्रकृति के कारण, उपलब्ध तकनीक से कोई व्यापक समाधान प्राप्त नहीं होता और इसलिए अभिनव समाधानों की आवश्यकता पड़ती है।

अत्यधिक कठिन जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों जैसे अधिक ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तानों में, और दुर्गम भू-भाग से जुड़ी कठिन चुनौतियों का सामना करने वाले क्षेत्रों या कम आबादी वाले गर्म रेगिस्तानी इलाकों में यह संभावना बन सकती है कि हर घर में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान न किया जा सके। ऐसे क्षेत्रों में, स्थानीय नवाचारों/प्रौद्योगिकीय समाधानों की तलाश की जा सकती है। पीने के पानी के क्षेत्र में नवाचारों की खोज से समुदाय को मौजूदा बुनियादी ढांचे, पूंजी निवेश, परिचालन लागत का इष्टतम उपयोग करने और इस तरह से किफायती कीमत पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता[18] (ए.आई.), डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉक-चेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, नैनो-टेक्नोलॉजी आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से सुरक्षित जल की उपलब्धता और जल आपूर्ति प्रणाली तथा नल कनेक्शनों की कार्यशीलता सुनिश्चित की जा सकती है। पेयजल की आपूर्ति में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सांकेतिक प्रौद्योगिकीय समाधान निम्नानुसार हैं:

8.1 छिट-पुट/एकान्त/आदिवासी/पहाड़ी गांवों के लिए सौर ऊर्जा आधारित स्वतंत्र जल आपूर्ति प्रणाली

न्यूनतम प्रचालन एवं रख रखाव लागत के साथ सौर ऊर्जा द्वारा संचालित स्वतंत्र जल आपूर्ति प्रणाली के विकल्प को छिट-पुट/एकान्त/जनजातीय/पहाड़ी गांवों में आजमाया जा सकता है। सोलर पैनल और बैटरी बैक-अप, मोटर ऑन-ऑफ सेंसरों, ड्राई-रन सेंसर और जल स्तर सेंसर जैसे सेंसरों, स्टील स्टेजिज के साथ पर्याप्त क्षमता के भंडारण टैंक की सुविधा वाली एक समर्पित लघु जल आपूर्ति प्रणाली, इन मामलों में स्थापित की जा सकती है। सूचना है कि इस तरह की प्रणालियां महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में चलाई जा रही हैं।

8.2 संदूषित भूजल क्षेत्रों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सी.डब्ल्यू.पी.पी.)

सी.जी.डब्ल्यू.बी.[19] रिपोर्ट में यह विवरण दिया गया है कि भूजल में छह पैरामीटर पाए जाते हैं नामत: आर्सेनिक, क्लोराइड, फ्लोराइड, लोहा, नाइट्रेट और लवणता। देश के 6,834 विकास खंडों/फ़िरकों/मंडलों/तालुकों में से 3,559 इन पैरामीटरों के संदर्भ में प्रभावित क्षेत्र हैं जो छह मापदंडों में से किसी न किसी से प्रभावित हैं। आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन और अन्य भारी धातु प्रभावित बस्तियों में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए, पीने और खाना बनाने के लिए अल्पकालिक उपाय के रूप में 8-10 एल.पी.सी.डी. जल प्रदान करने के लिए सी.डब्ल्यू.पी.पी. स्थापित किया जा सकता है। तथापि, एक स्थायी उपाय के रूप में, सुरक्षित भूजल (आस-पास के गाँव से) या धरातली जल आपूर्ति आधारित प्रणाली को 55 एल.पी.सी.डी. क्षमता के साथ एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए संस्थापित किया जाना होगा। इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इन गुणवत्ता-प्रभावित बस्तियों विशेष रूप से आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम आदि जैसे संदूषकों से प्रभावित बस्तियों में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

प्रौद्योगिकी चयन का काम राज्यों पर छोड़ दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस तरह की सी.डब्ल्यू.पी.पी. प्रणालियों में संस्थापना के बाद सुदृढ़ प्रचालन एवं रखरखाव प्रणाली कार्य करे और अवशेषों का सुरक्षित निपटान होता रहे ताकि वे निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करते रहें। हालांकि भिन्न-भिन्न संदूषकों के लिए नैनो तकनीक आधारित, रिवर्स ऑस्मोसिस[20], कैपेसिटिव डी-आयनीकरण, अवशोषण (सोखना), इलेक्ट्रोलाइटिक डी-फ्लोरिडेशन, आदि जैसे कई जल शोधन समाधान उपलब्ध हैं, फिर भी किसी विशेष तकनीक का चयन करते समय निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाना चाहिए i.) फ़िल्टर माध्यम की उपलब्धता, ii.) रिजेक्ट जल का प्रबंधन और iii.) समाधान की किफायती लागत, आदि।

8.2.1 रिजेक्ट जल का प्रबंधन

गाँव में संस्थापित रिवर्स ओस्मोसिस आधारित शोधन संयंत्र से बहुत सा पानी (रिजेक्ट जल) निकलता है जिसे वर्तमान में या तो खुली नालियों में बहा दिया जाता है या पास में छोड़ दिया जाता है जिससे छोटा-मोटा तालाब बन जाता है। संयंत्र के रिकवरी अनुपात के आधार पर, रिजेक्ट जल की मात्रा आमतौर पर बहुत अधिक होती है और अनुमान है कि यह संयंत्र में इस्तेमाल पानी का लगभग 60% होता है। रिजेक्ट जल की समुचित व्यवस्था करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि इस जल को, इसके भंडारण के लिए विशेष रूप से निर्मित संरचनाओं में अलग से संग्रहीत किया जाए और इसे पेयजल से इतर तथा गैर-कृषि क्षेत्रों जैसे वाहनों की धुलाई, कृषि उपकरणों, घर की धुलाई, बर्तनों की धुलाई, नजदीकी सामुदायिक शौचालयों की फ्लशिंग/सफाई आदि में इस्तेमाल किया जाए। आर.ओ. के रिजेक्ट जल के

[18]कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग डेटा अपलोड करने, मेकेनिकल विफलताओं का पता लगाने, जल के इष्टतम उपयोग आदि में किया जा सकता है।
[19]ग्राउंड वाटर क्वालिटी इन शैलो एक्वीफर्स इन इंडिया, 2018
[20]रिकवरी अनुपात, रिजेक्ट जल प्रबंधन तथा इस संबंध में एनजीटी के आदेश के संबंध में उचित तैयारी के बाद ही आर.ओ. टेक्नोलॉजी अपनाई जानी चाहिए।

भंडारण की अवसंरचना पर और उसके आस-पास, रिजेक्ट किए गए पानी का उपयोग पीने और कृषि हेतु न करने के संबंध में संकेत/चेतावनी के संदेश चित्रित किए जाने चाहिए।

8.3 ठंडे रेगिस्तानी/कठोर चट्टानी/पहाड़ी/तटीय क्षेत्र

8.3.1 ठंडे रेगिस्तान

ठंडे रेगिस्तान मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आदि के हिमालयी क्षेत्र में, ऊंचाई पर अवस्थित हैं। इन क्षेत्रों में पानी का प्राथमिक स्रोत ग्लेशियर के पिघलने से प्राप्त जल होता है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा सर्दियों के दौरान पाइपलाइनों में पानी जमने के कारण पानी की आपूर्ति बाधित हो जाती है। बहकर चले जाने वाले जल को छोटे जलाशयों - पारंपरिक जल संचयन संरचना, अर्थात् ज़िंग में एकत्रित करने और इसके भंडारण को बढ़ाने के लिए समाधान तलाशे जा सकते हैं। इसके अलावा बहकर चले जाने वाले जल को ग्लेशियर के रूप में फ्रीज करके और उसके भंडारण द्वारा कृत्रिम हिमनद जलाशय बनाए जा सकते हैं। भंडार किया और जमा हुआ यह जल वसंत ऋतु के प्रारंभ में, पीने और सिंचाई - दोनों के स्रोत के रूप में काम करेगा। सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग को बढ़ावा देने से सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता कम हो सकती है और पेयजल सुरक्षा बढ़ सकती है।

8.3.2 कठोर चट्टानी क्षेत्र

कठोर चट्टानी क्षेत्रों में, भूजल तक पहुँचने के लिए कुशल पर्यवेक्षण में बोर-ब्लास्ट तकनीक, फ्रैक्चर सील सीमेंटेशन, स्ट्रीम ब्लास्टिंग आदि के उपयोग की संभावना तलाशी जा सकती है।

8.3.3 पहाड़ी क्षेत्र

पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेष रूप से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जहां घरों की संख्या बहुत कम होती है, वहां घाटी से पानी पंप करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होता है। इन स्थानों पर, सोता (स्प्रिंग) - आधारित स्रोतों, वर्षा जल संचयन और स्वतंत्र बोरवेल सिस्टम (यदि संभाव्य हो तो) को अपनाना किफायती होगा। सोता (स्प्रिंग) आधारित प्रणालियों को सावधानी से पहचानने और स्प्रिंगशेड का रेखा-चित्रण करने, सोते में जिन एक्वीफर्स से पानी आता है, उनका पता लगाने और उन्हें स्थायी बनाए रखने के लिए उनका इंजेक्शन पुनर्भरण करना आवश्यक होगा।

जल सुरक्षा के लिए समुदायों को वर्षा जल संचयन (जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में बांस का उपयोग करके किया जाता है) के पारंपरिक ज्ञान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में, डब्ल्यू.क्यू.एम.एण्ड एस. पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

8.3.4 तटीय क्षेत्र

तटीय क्षेत्रों में, उच्च रिकवरी अनुपात वाले ऊर्जा कुशल छोटे विलवणीकरण संयंत्रों के साथ जल प्रदाय सेवाओं का संवर्द्धन किया जा सकता है। इसके अलावा, समुद्री जल के प्रवेश को रोकने के लिए, नदियों में उप-धरातली डाइक का निर्माण किया जा सकता है, जिससे आस-पास के क्षेत्रों में भूजल आधारित पेयजल स्रोतों में भी सुधार हो सकता है। इसके लिए एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस, राज्य की योजनाओं के तहत जारी निधियों का उपयोग किया जा सकता है।

8.4 आयोजना और निगरानी में प्रौद्योगिकी का उपयोग

स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ, तत्समय केन्द्रीयकृत और निरंतर निगरानी करना संभव है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.)[21], भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) सॉफ्टवेयर आदि का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। आंकड़ा विश्लेषण विज्ञान का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण संभव हो सकता है, जिसका उपयोग जन सुविधाओं द्वारा विभिन्न कार्यों के स्मार्ट प्रबंधन और बेहतर सेवाओं में हो सकता है। कल्याणकारी उपायों के लिए आवश्यक नीतिगत स्तर पर मध्यवर्तन में यह पद्धति मददगार हो सकती है।

निम्नलिखित का उपयोग किया जा सकता है:

आयोजना

i.) भूजल स्रोतों के स्थान का पता लगाने के लिए एच.जी.एम. नक्शों का उपयोग। मौजूदा जल स्रोत के स्थानों को खोजने में जी.आई.एस. प्रौद्योगिकी मददगार होगी;

ii.) पीने के पानी के बुनियादी ढांचे के स्थान की खोज के लिए और गांव में पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में व्याप्त अंतराल की पहचान करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई.) द्वारा तैयार मौजूदा ग्राम डिजिटल 6 डी कंटूर मानचित्रों का उपयोग किया जाना चाहिए;

iii.) अतिरिक्त आवश्यक अवसंरचना की आयोजना हेतु मौजूदा परिसंपत्तियों (हैंड पंप, बुनियादी ढांचे, आदि) की डिजिटल इन्वेंट्री तैयार करना और उन्हें जी.आई.एस. मैप पर डालना होगा;

iv.) कार्यान्वयन की निगरानी के लिए परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग;

v.) योजनाओं को शुरू करने के लिए गाँवों को प्राथमिकता देना;

vi.) सभी प्रकार की परिसंपत्तियों के कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए निर्णय सहायक प्रणाली।

निगरानी

i.) जल स्तर, डिस्चार्ज, पानी की गुणवत्ता, स्वचालित मोटर प्रचालन, डेटा प्राप्त करने के लिए डेटा लॉगर, आदि की निगरानी के लिए सेंसरों का उपयोग;

ii.) उपचार संयंत्रों (दाब, पानी की गुणवत्ता, प्रवाह दर, आदि जैसे पैरामीटर) और वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए एम.वी.एस. में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा एक्सेस (एस.सी.ए.डी.ए.) प्रणाली का उपयोग;

iii.) विश्लेषण के लिए मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करके उपर्युक्त डेटा को प्राप्त और प्रेषित करने के लिए

[21]सेंसर आधारित मॉनीटरिंग प्रणाली से अवधि, प्रमात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में गांवों/बस्तियों में जल आपूर्ति का पता लगाया जा सकता है।

आई.ओ.टी .का उपयोग और निर्णय उपकरण के रूप में इसका उपयोग;

iv.) तत्समय वास्तविक और वित्तीय प्रगति को कैप्चर करने के लिए विभाग/राष्ट्रीय मिशन द्वारा जल जीवन मिशन का आई.एम.आई.एस. तैयार किया जाएगा। सामाजिक निगरानी के लिए यह सुविधा, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगी;

v.) घरेलू नल कनेक्शन की कार्यशीलता की लगातार निगरानी करने के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड;

vi.) जल जीवन मिशन के तहत सृजित परिसंपत्तियों की कार्यशीलता की स्थिति की निगरानी के लिए जी.आई.एस. प्रौद्योगिकी और आई.ओ.टी .आधारित सेंसरों का उपयोग;

vii.) निवारक प्रचालन एवं रख रखाव आयोजना बनाने और उसके कार्यान्वयन के लिए सभी प्रकार की योजनाओं (पाइप, वैल्व, पंप, मोटर, आदि) में पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे का आकलन करने के लिए ए.आई. प्रौद्योगिकियों/मशीनी समझ का उपयोग;

viii.) विश्वसनीय वास्तविक और वित्तीय डेटा के लिए उपयुक्त ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी का उपयोग;

ix.) पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग इत्यादि द्वारा उपयोग किए जाने वाले निगरानी उपकरण, आदि।

राज्यों को प्रौद्योगिकी/नवाचार के उपयोग की योजना बनानी है और इसे डी.पी.आर. की तैयारी में जोड़ना है।

8.4.1 हाइड्रो-जियो मॉर्फोलॉजिकल (एच.जी.एम.) नक्शे का उपयोग

डी.डी.डब्ल्यू.एस. की सहायता से, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र (एन.आर.एस.सी.), हैदराबाद ने देश के लिए 1:50,000 के पैमाने पर हाइड्रो-जियो-मॉर्फोलॉजिकल (एच.जी.एम.) नक्शे (4,898) तैयार किए हैं, जिनका उपयोग भू-जल की उपलब्धता के संभावित स्थान और एक्वीफर्स के पुनर्भरण के स्थान का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। एच.जी.एम. नक्शे सर्वे ऑफ इंडिया टोपो-शीट पर आधारित हैं, जिनमें स्थानीय विशेषताएं भी उपलब्ध हैं और कुछ राज्यों ने बोरवेलों के स्थान का पता लगाने के लिए इनका सफलतापूर्ण उपयोग शुरू कर दिया है। चूंकि राज्यों ने 1:10,000 के पैमाने पर नक्शे बनाने की आवश्यकता व्यक्त की है, इसलिए उन्हें जरूरतों और वास्तविक मांग के आधार पर गांवों/बस्तियों के ऐसे मानचित्र प्राप्त करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

भूजल संभावना मानचित्र राज्यों को सौंप दिए गए हैं और वे पीडीएफ प्रारूप में विभाग/राष्ट्रीय मिशन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। एच.जी.एम. मानचित्रों से, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के लिए उत्पादन कुओं और स्थायित्व संरचनाओं के लिए सही स्थलों की तलाश करने में मदद मिलती है। भू-भौतिक अध्ययनों के साथ इन मानचित्रों के उपयोग से बोरवेल/ट्यूबवेलों की विफलता को कम करने में और कुछ रासायनिक संदूषकों का स्व-स्थाने डायल्यूशन करने में भी मदद मिलती है।

8.4.2 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से तत्समय भू-स्थैतिक और टैंपोरल आंकड़े प्राप्त होते हैं। अंतरिक्ष आधारित चित्रणों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्यविधि का उपयोग करके क्रमशः जल संसाधनों की उपलब्धता और गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूर-संवेदी उपग्रहों का उपयोग करते हुए जल उपलब्धता के बारे में पूर्वानुमान लगाना, पीने के पानी के स्रोतों के रूप में कार्य करने वाले धरातली जल की गुणवत्ता की भविष्यवाणी करना, क्षेत्र जाँच के लिए भूजल उपलब्धता के संभावित क्षेत्रों को सीमित दायरे में लाने और सूखे के मामलों में वैकल्पिक जल स्रोतों की पहचान करने में मदद करना संभव हो सका है। यह मिशन, पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहायता करेगा।

8.5 तकनीकी समिति

वर्ष 2014 में, पूर्ववर्ती पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने जल और स्वच्छता से संबंधित सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों की जांच के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया था। समिति की अध्यक्षता वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉ. मशेलकर ने की थी। जल और स्वच्छता की कई प्रौद्योगिकियों पर समिति द्वारा विचार किया गया और विभिन्न सेक्टरों में उपयोग की दृष्टि से उनका अनुमोदन किया गया।

इतने व्यापक पैमाने पर और तीव्रता के साथ, वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को एफ.एच.टी.सी. प्रदान करके सर्वव्यापी कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने में कई चुनौतियां सामने आई हैं, जिनके लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ अभिनव समाधानों की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। नई समिति के विचारार्थ विषय (टी.ओ.आर.) इस प्रकार हैं:

i.) विभाग/राष्ट्रीय मिशन पोर्टल के माध्यम से पेयजल, स्वच्छता, ग्रे वाटर प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों में अभिनव प्रौद्योगिकियों को आमंत्रित करना;

ii.) तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकियों को सूचीबद्ध करना;

iii.) एश्योर्ड' मैट्रिक्स फ्रेमवर्क के अनुसार प्रौद्योगिकियों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन सुगम बनाना;

iv.) मूल्यांकित प्रौद्योगिकियों को स्वीकृति देने पर विचार करना;

v.) ऐसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग का पैमाना बढ़ाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किन्हीं गैर-प्रौद्योगिकीय मध्यवर्तनों की सिफारिश करना;

vi.) प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन के संबंध में कोई अन्य पहलू/इस संबंध में शुरू की जाने योग्य गतिविधियां।

यह समिति राज्यों की सहायता से पानी की आपूर्ति के प्रावधान में आने वाली विशिष्ट चुनौतियों की पहचान करेगी, उन्हें हल

करने के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित करेगी, चुनौतियों का समाधान करने और कार्यनिष्पादन व प्रौद्योगिकी मानकों को विकसित करने के लिए प्रदर्शन परियोजनाओं सहित आगे की कार्रवाई के लिए सुझाव देगी और उनके बारे में निर्णय लेगी।

8.6 नवाचार और अनुसंधान एवं विकास

विभाग/राष्ट्रीय मिशन द्वारा एन.आई.सी., 'इसरो' और राज्यों के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जल जीवन मिशन की आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इस प्लेटफार्म में एकाधिक जी.आई.एस. और रिमोट सेंसिंग आधारित स्तर होंगे, जिनमें ड्रेनेज, वाटरशेड, मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क, भू-जनित संदूषकों आदि का विवरण होगा। इससे, राज्यों को यह सहायता मिल सकेगी कि वे क्षेत्रों की प्राथमिकता तय करने के साथ-साथ राज्य के भीतर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अपनाए जाने वाले मध्यवर्तन के प्रकार की पहचान कर सकें।

इसके अलावा, अनुसंधान और विकास संस्थाओं तथा नव-प्रवर्तनकर्ताओं से प्राप्त जल और स्वच्छता संबंधी उच्च मूल्य वाले प्रस्तावों को प्रायोगिक आधार पर प्रदर्शन के लिए अपनाया जाएगा। तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तावों के अनुमोदन के बाद, विभाग/राष्ट्रीय मिशन, राज्यों के परामर्श से, प्रदर्शन का स्थान तय करेंगे। किफायती समाधान उपलब्ध कराने के लिए जल के क्षेत्र में काम करने वाले युवा उद्यमियों/स्टार्ट-अप्स को इससे बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, हर वर्ष विभाग/राष्ट्रीय मिशन, एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए साक्ष्य आधारित नीतिगत हस्तक्षेपों को अपनाने के लिए कार्रवाई अनुसंधान और समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन शुरू किए जाएंगे।

8.7 जल संपरीक्षा और जल सुरक्षा

एकाधिक कारणों से पानी की उपलब्धता में कमी को देखते हुए अब समय आ गया है कि वितरण प्रणाली में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए नियमित रूप से आपूर्त किए जाने वाले पानी की संपरीक्षा की जाए। नुकसान, दो प्रकार के हो रहे हैं - वास्तविक नुकसान और स्पष्ट नुकसान। वास्तविक नुकसान में वितरण प्रणाली, सेवा कनेक्शन और भंडारण टंकियों में रिसाव (ओवरफ्लो सहित) के कारण बर्बाद होने वाला पानी शामिल है। स्पष्ट नुकसान में, मीटर और रिकॉर्ड की गड़बड़ी और अनधिकृत जल उपयोग जैसे जल की चोरी और अनधिकृत कनेक्शन शामिल हैं। जल आपूर्ति प्रणालियों की दक्षता में सुधार लाने के लिए, राज्यों को प्रभावी सुधार की दृष्टि से अभिनिर्धारित प्रणालियों की नियमित रूप से जल संपरीक्षा शुरू करनी होगी।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि जल जीवन मिशन के तहत किया गया निवेश दीर्घकालिक आधार पर टिका रहे, यह महत्वपूर्ण है कि सभी स्रोतों (भू-जल और धरातली जल - दोनों) से कुल उपलब्ध पानी का आकलन करके गाँव का जल बजट तैयार किया जाए। इसके अलावा, घरेलू/कृषि/औद्योगिक प्रयोजनों आदि के लिए पानी के उपयोग का आकलन भी किया जाना चाहिए।

कृषि में जल के अत्यधिक दोहन और अकुशल उपयोग से गांवों में भूजल/धरातली जल स्रोतों का क्षय होता है, जिससे पेयजल सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित होती है। 'ग्राम कार्य योजना' के हिस्से के रूप में तैयार किए गए जल बजट को स्थानीय समुदाय के बीच प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें सूक्ष्म सिंचाई और/या कृषि-जलवायु जोन के अनुकूल फसल उपजाने की पद्धति को अपनाकर कृषि में जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए प्रेरित किया जा सके। उपर्युक्त के अतिरिक्त, एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस, राज्य योजनाओं, पी.एम.के.एस.वाई. आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध धन का उपयोग करके, गाँव में घटते भूजल एक्वीफर्स का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्भरण किया जा सकता है, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि हो और गर्मी के महीनों के दौरान पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

कई राज्यों ने पहले से ही इस तरह के संरक्षण उपाय शुरू कर दिए हैं और भूजल उपलब्धता में सुधार लाया है। हाल ही में संपन्न हुए जल संरक्षण के एक गहन अभियान अर्थात 'जल शक्ति अभियान' के द्वारा जल संरक्षण के बारे में लोगों और किसानों के बीच जागरूकता पैदा की गई है और कृषि में जल उपयोग दक्षता में सुधार लाया गया है। दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए आई.ई.सी. गतिविधियों के तहत राज्यों द्वारा ऐसे अभियान चलाए जा सकते हैं।

सहायक गतिविधियाँ

वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जल की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ जल के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को संवेदनशील बनाकर सामुदायिक योगदान और अपनत्व को बढ़ावा देने, ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि की क्षमता बढ़ाने, अंत:ग्राम अवसंरचना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख रखाव करने, दीर्घकालिक टिकाऊ संस्थागत तंत्र स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित करने, आवश्यक विभिन्न मानव संसाधनों अर्थात् राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर आदि के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की गतिविधियों से जल आपूर्ति प्रणालियों का दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए समुदायों के बीच जिम्मेदारी और उत्तरदायी नेतृत्व विकसित करने में मदद मिलेगी।

इस प्रयोजन से, इस मिशन के अंतर्गत सहायक गतिविधि कोष के रूप में राज्यों के वार्षिक आबंटन की पाँच प्रतिशत तक राशि का प्रावधान किया है। सभी राज्य ए.ए.पी. के हिस्से के रूप में, सहायक गतिविधियों को चलाने के लिए एक विस्तृत कार्यान्वयन कार्यनीति विकसित करेंगे।

निम्नलिखित कार्यों को संचालित करने के लिए सहायता कोष राज्यों के लिए उपलब्ध होंगे:

i.) स्थानीय समुदायों के बीच सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.);

ii.) मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.);

iii.) जन सुविधा और नेतृत्व विकास;

iv.) प्रशिक्षण और कौशल विकास;

v.) स्थानीय समुदायों को एकजुट करना;

vi.) अन्य पक्ष निरीक्षण;

vii.) परिवर्तन प्रबंधन;

viii.) प्रमुख संसाधन केन्द्र (के.आर.सी.);

ix.) ज्ञान केन्द्र;

x.) सर्वोत्तम प्रथाओं, सफलता की गाथाओं का प्रलेखन, प्रकाशन आदि;

xi.) जल जीवन मिशन संबंधी सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, समीक्षा बैठकों का आयोजन, प्रत्यक्ष अनुभव दौरों का आयोजन;

xii.) आई.एम.आई.एस. सहायता और संबंधित आई.टी. अवसंरचना।

सहायक गतिविधियों की निगरानी, जल जीवन मिशन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापन जारी करने, उपहारों, प्रचार आदि के लिए परिहार्य समारोहों की मेजबानी आदि के लिए किसी सहायक गतिविधि निधि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

9.1 सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.)

जल जीवन मिशन का संबंध केवल पानी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के विषय से ही नहीं है, बल्कि इसमें भिन्न-भिन्न हितधारकों का क्षमता संवर्धन भी शामिल है, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों, जिम्मेदार और उत्तरदायी नेतृत्व की क्षमताओं को बढ़ाना भी इसमें शामिल है, ताकि वे अंत:ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली का प्रबंधन, प्रचालन और रख रखाव कर सकें। इसलिए, आई.ई.सी. कार्यनीति, आयोजना और उनका प्रभावी कार्यान्वयन जल जीवन मिशन की सफलता की कुंजी होगी। इस मिशन के अंतर्गत आई.ई.सी. गतिविधियां जैसे पी.आर.ए. गतिविधियां, अंतर-वैयक्तिक सम्प्रेषण (आई.पी.सी.), व्यवहारगत परिवर्तन संचार (बी.सी.सी.) और अन्य सभी संबंधित संचार गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। आई.ई.सी./व्यवहारगत परिवर्तन संचार (बी.सी.सी.) योजनाओं का नेतृत्व एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा किया जाएगा और वही, पूरे राज्य में इस तरह के कार्यों को अमल में शामिल कराने के लिए जिम्मेदार होगा।

वर्तमान में, डब्ल्यू.एस.एस.ओ. द्वारा, कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ये कार्य किए जा रहे हैं। डब्ल्यू.एस.एस.ओ. को एस.डब्ल्यू.एस.एम. में शामिल कर लिए जाने के बाद आई.ई.सी., एच.आर.डी., प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण के लिए गतिविधियों की एक वार्षिक आयोजना/कैलेंडर, एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा तैयार की जाएगी और यह आयोजना/कैलेंडर ए.ए.पी. का हिस्सा होगा। ये गतिविधियाँ जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे प्रमुख कार्यकलापों का हिस्सा होंगी और इन्हें प्रमुखता दी जाएगी।

आई.ई.सी. गतिविधियों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i.) जल के विवेकपूर्ण उपयोग, उचित रखरखाव और भंडारण, जल आपूर्ति प्रणाली के अपनत्व आदि के संबंध में हितधारकों के बीच सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाना;

ii.) पेयजल के स्रोतों की सुरक्षा और पानी के दुरुपयोग को रोकने के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना;

iii.) जल संसाधनों के संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और उन्हें इसके लिए प्रेरित करना;

iv.) स्वास्थ्य और स्वच्छता के पहलुओं के प्रति व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना;

v.) सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी संचार कार्यनीति बनाना;

vi.) जल प्रदाय सेवा सुनिश्चित करने के लिए अपनी जल आपूर्ति प्रणालियों के प्रबंधन, प्रचालन और रख रखाव के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना;

vii.) 'अपनत्व की भावना' का संचार करने के लिए पूंजीगत लागत में सामुदायिक योगदान को प्रोत्साहित करना;

viii.) पानी को मापने और जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क को बढ़ावा देने के लिए समुदाय को प्रोत्साहित करना;

ix.) विभिन्न हितधारकों के कार्यनिष्पादन की सराहना करना।

विभाग/राष्ट्रीय मिशन द्वारा राज्यों और जिलों के लिए अलग से आई.ई.सी./पी.आर.ए. गतिविधियों की रूपरेखा के साथ आई.ई.सी. दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। तथापि, एस.डब्ल्यू.एस.एम. को सलाह दी जाती है कि वे आई.ई.सी. गतिविधियों के लिए सहायता निधि के निर्धारण पर नीति तैयार करें और इसका अनुवर्ती एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें।

9.2 मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) और प्रशिक्षण

मानव संसाधन विकास सहायक गतिविधि के तहत, विभिन्न हितधारकों के क्षमता संवर्धन के माध्यम से प्रमुख दक्षताओं का अभिनिर्धारण और विकास किया जाता है, जो निम्नानुसार हैं:

i.) क्रमिक कार्यनीति पर आधारित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम चलाने हेतु मुख्य संसाधन केन्द्र (के.आर.सी.);

ii.) एस.डब्ल्यू.एस.एम. और डी.डब्ल्यू.एस.एम. के तहत संविदा पर कर्मचारी नियोजित करना;

iii.) कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां;

iv.) ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि;

v.) ग्राम स्तर के कुशल मानव संसाधन जैसे राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर आदि।

केन्द्रीय और राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थान, के.आर.सी., जिनके नाम केन्द्रीय पैनल में शामिल हैं, को राज्यों और जिलों द्वारा पूर्व-निर्धारित दरों पर सीधे नियोजित किया जा सकता है; क्षमता निर्माण में अनुभव रखने वाले सूचीबद्ध गैर-सरकारी संगठनों/आई.एस.ए. को इस तरह के प्रशिक्षण के लिए नियोजित किया जा सकता है। ए.ए.पी. में उपर्युक्त हितधारकों के लिए क्षमता संवर्धन कार्य योजना शामिल होगी।

विभाग/राष्ट्रीय मिशन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की क्षमता संवर्धन के लिए पहले से ही 'सुजल और स्वच्छ गाँव' प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

9.3 जन सुविधा, नेतृत्व विकास और परिवर्तन प्रबंधन

जन सुविधा से तात्पर्य उस उपक्रम से है, जो आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराता है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति सेवाओं के प्रावधान में मानसिकता परिवर्तन की परिकल्पना की गई है। सेवा प्रावधान को 'बुनियादी ढांचे के विकास के दृष्टिकोण' से 'जन सुविधा आधारित दृष्टिकोण' में बदलना चाहिए। इसके लिए, इंजीनियरिंग और अन्य मानव संसाधनों - दोनों को फिर से इस ओर उन्मुख करना आवश्यक है। जरूरत के अनुसार निर्धारित अभिविन्यास कार्यक्रम, प्रत्यक्ष अनुभव यात्रा आदि के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा। ऐसी संस्थाओं का कर्तव्य होगा कि वे, मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संबंध में निर्धारित सेवा मानकों के अनुसार, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर में पानी की आपूर्ति प्रदान कराएं। वे पानी का यथा-निर्धारित प्रशुल्क/प्रयोक्ता शुल्क एकत्र करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे और इस तरह के सेवा प्रावधान से उत्पन्न सार्वजनिक शिकायतों का समाधान भी करेंगे। सभी स्तरों, अर्थात् गाँव, ग्राम पंचायत, जिला और राज्य में जल आपूर्ति सेवाओं का प्रबंधन करने वाले कार्मिकों को अपेक्षित रूप से तैयार प्रशिक्षण और नेतृत्व कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है ताकि वे इन जन सुविधाओं के प्रबंधन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें।

परिवर्तन प्रबंधन का आशय 'एक ऐसी व्यवस्थित कार्यनीति से है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवर्तन पूरी तरह और सुचारू रूप से कार्यान्वित किए जाएं और परिवर्तन के स्थायी लाभ प्राप्त होते रहें'। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संगठन द्वारा ऐसे व्यवहार और साधनों की स्थापना और सहायता का कार्य किया जाए, जिससे अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को अधिक दक्षता से प्राप्त किया जा सके।

इन उद्देश्यों के भाग के रूप में, राज्यों में पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभागों के इंजीनियरिंग और प्रबंधकीय संवर्ग के लिए जरूरत के अनुसार वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाना होगा। इस कार्यक्रम को विभिन्न तकनीकी, प्रबंधकीय और नेतृत्व-संबंधी पहलुओं को कवर करने वाले भिन्न-भिन्न स्तरों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। ग्रामीण जल आपूर्ति उपलब्ध कराने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देशों का दो सप्ताह का प्रशिक्षण और स्थल दौरा करना अनिवार्य होगा और इसके लिए विभाग/राष्ट्रीय मिशन द्वारा देश और विदेश - दोनों में उपयुक्त भागीदारों/संस्थानों की पहचान की जाएगी। दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए, इंजीनियरों को लोक स्वास्थ्य इंजीनियर और जन सुविधा/सेवा प्रबंधक का रूप दिए जाने के लिए मानसिकता में बदलाव लाने के ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

9.4 कौशल विकास और उद्यमिता

प्रत्येक ग्रामीण परिवार, प्रत्येक गांव/बस्ती को दीर्घकालिक आधार पर एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राजमिस्त्री, प्लम्बिंग, फिटिंग, बिजली आदि जैसे क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों को बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी क्योंकि परियोजना की अवधि के दौरान काम की मात्रा कई गुना बढ़ती जाएगी। निरंतर प्रचालन एवं रखरखाव की दृष्टि से, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।

प्रत्येक जिले और प्रत्येक गांव में कुशल मानव संसाधन की व्यवस्था के लिए आयोजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रत्येक जिले में कार्यरत प्रधान मंत्री कौशल विकास केन्द्र (पी.एम.के.वी.के.) के साथ तालमेल किया जाना होगा। राज्यों को ऐसे कुशल मानव संसाधन की जिलेवार आवश्यकता की पहचान करनी होगी और पी.एम.के.वी.के. के माध्यम से प्रशिक्षण देने हेतु उन्हें प्राथमिकता दी जानी होगी। उचित प्रशिक्षण मैनुअल स्थानीय भाषा में तैयार किया जाना है। यह अनुशंसा की जाती है कि ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी किए जाएं और ऐसे लोगों की सेवाओं का उपयोग जल जीवन मिशन के तहत शुरू की जाने वाली योजनाओं/कार्यों में किया जाए।

प्लंबिंग, मेसन, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, आदि की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए कुशल मानव संसाधन को ग्रामीण उद्यमी बनने और ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

9.5 स्थानीय समुदायों को एकजुट करना

जल जीवन मिशन को एक 'जन आन्दोलन' बनाने के लिए बड़े पैमाने पर समुदायों को एकजुट करना आवश्यक है। आई.ई.सी. दिशानिर्देशों के भाग के रूप में इससे संबंधित और अधिक जानकारी अलग से जारी की जाएगी।

9.6 अन्य पक्ष द्वारा निरीक्षण

एस.डब्ल्यू.एस.एम., विभाग/राष्ट्रीय मिशन द्वारा जारी किए गए 'विचारार्थ विषय' - टी.ओ.आर.के आधार पर अन्य पक्ष सत्यापन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा, जो एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्य की गुणवत्ता, प्रत्येक योजना में संस्थापित मशीनरी के निर्माण और उपयोग में लाई गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच करेंगी।

9.7 मुख्य संसाधन केन्द्र (के.आर.सी.)

के.आर.सी. एक ऐसी संस्था है जो एक से अधिक राज्यों में क्षमता निर्माण, भिन्न-भिन्न हितधारकों के पुन: अभिमुखीकरण, ज्ञान और सूचना का प्रचार-प्रसार, सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण आदि का कार्य करती है, जिससे ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के क्षेत्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। के.आर.सी. के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i.) जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के संदर्भ में परिवर्तन प्रबंधन के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/पी.एच.ई.डी. इंजीनियरों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित करना;

ii.) पी.आर.आई. अधिकारियों, मास्टर ट्रेनरों और अन्य हितधारकों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को उन्नत बनाना;

iii.) जल क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के बारे में कर्मियों को अपडेट (अद्यतन) करना;

iv.) योजना और कार्यनिष्पादन में शामिल प्रमुख कर्मियों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव यात्रा (स्थल दौरा) का आयोजन;

v.) अन्य समान कार्यक्रमों के साथ तालमेल के बारे में ज्ञान और कौशल बढ़ाना;

vi.) प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और राजनीतिक वातावरण के साथ-साथ व्यावसायिक आवश्यकताओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देना; तथा

vii.) संचार और क्षमता विकास इकाई की क्षमता को बढ़ाना।

विभाग/राष्ट्रीय मिशन द्वारा के.आर.सी. का पैनल बनाया जाएगा और 100% सहायता-अनुदान के आधार पर राष्ट्रीय के.आर.सी. को वित्त उपलब्ध कराया जाएगा तथा उनके ट्रैक रिकॉर्ड, अर्थात् राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, समग्र अनुभव, ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में पिछला कार्य आदि के आधार पर उनका चयन किया जाएगा।

9.8 ज्ञान केन्द्र

प्रतिष्ठित भारतीय विश्व विद्यालयों/संस्थाओं में विभाग/राष्ट्रीय मिशन द्वारा निरंतर अनुसंधान कराने, अध्ययन, नीति निर्माण के लिए इनपुट उपलब्ध कराने, कार्यक्रम विकास आदि के लिए ज्ञान केन्द्र या उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। अनुसंधान उपलब्धियों, पानी और स्वच्छता के क्षेत्र में उनके अनुभव, क्षमता और अन्य योगदान के आधार पर विश्व विद्यालयों/संस्थानों का चयन किया जाएगा।

9.9 प्रलेखन

राज्यों द्वारा, जिलों और गांवों से प्राप्त सर्वोत्तम प्रथाओं/सफलता की गाथाओं का प्रलेखन किया जाएगा। इसके अलावा, स्थानीय भाषाओं और अन्य भाषाओं में मिशन की गतिविधियों के लिए आवश्यक प्रकाशनों/समाचार पत्रकों आदि पर होने वाला व्यय इन निधियों में से पूरा किया जाएगा।

जल गुणवत्ता की निगरानी और चौकसी

जल आपूर्ति के प्रचालन की निगरानी, पेयजल की सुरक्षा का सत्यापन, बीमारी के प्रकोप की जांच, मान्यकरण प्रक्रिया और निवारक उपायों के लिए जल परीक्षण किया जाना महत्वपूर्ण है। पेयजल की सुरक्षा तय करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों का उपयोग स्रोत पर; किसी पाइप लाइन वितरण प्रणाली के भीतर या प्रयोक्ता के सिरे पर किए जाने की आवश्यकता होती है।

पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी और जल गुणवत्ता की चौकसी के कार्य अलग-अलग होते हैं परंतु फिर भी, ये कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी पी.एच.ई.डी./ग्राम जल आपूर्ति विभाग अर्थात् आपूर्तिकर्ता/ पानी की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार/निर्धारित एजेंसी द्वारा की जाएगी, जबकि ज़मीनी स्तर पर पानी की गुणवत्ता की चौकसी की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत/ ग्रामीण समुदाय की होगी।

पानी की गुणवत्ता की निगरानी में जल स्रोतों और कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन से एकत्र पानी के नमूनों का प्रयोगशाला में और मौके पर परीक्षण करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों की जल गुणवत्ता निगरानी के लिए राज्य/ जिला/ उप-मंडल/ ब्लॉक स्तर पर पहले से स्थापित प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, जहां तक संभव हो, मोबाइल जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रयोग में लाया जाएगा।

प्रत्येक ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस .सी. / पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि को निगरानी गतिविधियों का प्रचालन करने के लिए हर गाँव में पांच-पांच महिलाओं की पहचान करनी है और उन्हें प्रशिक्षित करना है। स्थानीय समुदाय के तालमेल के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी निर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार की जानी है। जल गुणवत्ता चौकसी गतिविधियों में शामिल हैं :

i.) ग्राम पंचायत स्तर पर क्षेत्र परीक्षण किट का उपयोग करके संदूषण की सीमा का पता लगाना और परीक्षण में संदूषित पाए गए नमूनों को पुष्टि के लिए आस-पास की जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में भेजना; तथा

ii.) सफाई निरीक्षण: यह एक अन्वेषणात्मक गतिविधि है, जिसमें पेयजल से जुड़े ऐसे कारकों की पहचान और उनका मूल्यांकन किया जाएगा जो स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। सफाई निरीक्षण में जोखिमों की रोकथाम और पहचान को में रखा जाता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के पैदा होने से पहले ही, समय पर उपचारात्मक कार्रवाई करने में इससे मदद मिलती है। इसके अलावा, जल जनित बीमारी के प्रकोप से जुड़े स्रोतों की समय पर पहचान करना और तुरंत ही आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करना भी चौकसी के दायरे में आता है।

नोट: सफाई निरीक्षण प्रणाली का आशय, किसी जल आपूर्ति केन्द्र का मौके पर निरीक्षण किए जाने से है ताकि बाहरी पर्यावरणीय कारकों (जैसे शौचालय की अवस्थिति) और जल आपूर्ति प्रणाली भौतिक संरचना तथा उसके प्रचालन के मूल्यांकन के लिए सूक्ष्मजीव संदूषण के वास्तविक और संभावित स्रोतों की पहचान की जा सके। इस सूचना का उपयोग, पेयजल स्रोत और आपूर्ति प्रणाली में सुधार या सुरक्षा के लिए उचित उपचारात्मक कार्रवाई तय करने के लिए किया जा सकता है। पानी के सभी नए और मौजूदा स्रोतों के लिए स्वच्छता निरीक्षण समय-समय पर किया जाएगा। सफाई निरीक्षण के परिणामों और स्थितियों में सुधार लाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाइयों के बारे में चर्चा, समुदाय के साथ की जाएगी। जे.ई.-ए.ई.एस. और उग्र दस्त की बीमारी से प्रभावित जिलों में स्वच्छता निरीक्षण, वर्ष में दो बार करने की सलाह दी जाती है।

जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों के विस्तार के कारण जल की उपलब्धता और इसकी गुणवत्ता में गिरावट और हाइड्रोलॉजिकल चक्र पर जलवायु परिवर्तन प्रेरित परिवर्तन अब पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। जल गुणवत्ता की निगरानी और चौकसी अब अनिवार्य हो गई है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समुदाय, पानी की उपलब्धता को तो बहुत अधिक प्राथमिकता देता है, लेकिन पानी की गुणवत्ता के मुद्दे पर समान रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि जमीनी स्तर पर पानी की गुणवत्ता की पहचान, आमतौर पर, पानी के रंग, गंध और स्वाद से ही की जाती है। अधिकांश रासायनिक संदूषकों की उपस्थिति से पेयजल की तुलना में संदूषित पानी के रंग, गंध या स्वाद में कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है और लोग इस तरह के दूषित पानी के सेवन के संभावित खतरों को अनदेखा करके गुणवत्ता प्रभावित पानी का उपभोग करना जारी रखते हैं। कुछ समुदायों का मानना है कि पानी को उबालने से यह हानिकारक संदूषक समाप्त हो जाते हैं और वे खाना पकाने के लिए गुणवत्ता प्रभावित पानी का उपयोग करना जारी रखते हैं। इसलिए, पानी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को जानकारी देने तथा जल गुणवत्ता चौकसी में समुदायों की भागीदारी बनाए रखने की निश्चित आवश्यकता है।

जल गुणवत्ता की निगरानी और चौकसी की गतिविधियों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

i.) स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम पंचायत/पी.आर.आई., आदि में पानी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम;

ii.) पानी की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं के बारे में सभी स्तरों पर इसके महत्व, जल जनित रोगों, स्वास्थ्य प्रभावों, सुरक्षित प्रचालन, भंडारण आदि पर सभी हितधारकों में जागरूकता पैदा करना और क्षमता संवर्धन करना;

iii.) अनिवार्य स्वच्छता निरीक्षण जैसी चौकसी गतिविधियों में समुदायों को भागीदार बनाना;

iv.) फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करते हुए समुदायों को जल गुणवत्ता की पूर्वानुमानित जांच करने में सक्षम बनाना;

v.) समुदाय के सभी प्रमुख हितधारकों अर्थात् सरपंच, उप-सरपंच, ग्राम सभा सदस्यों/ वी.डब्ल्यू.एस .सी. / पानी समिति के सदस्यों आदि के साथ एस.एम.एस./पोस्ट कार्ड के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणाम साझा करना। सकारात्मक परिणाम आई.एम.आई.एस. पर अपलोड किए जाएं और जहां भी पी.एच.ई.डी./ग्राम जल आपूर्ति या स्वास्थ्य विभाग से इंटरवेंशन आदि की आवश्यकता हो, उनके अधिकारियों को सतर्क करने वाले संदेश भेजे जाएं;

vi.) ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस .सी. / पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा फील्ड परीक्षण किट/बैक्टीरियोलॉजिकल वायल की सहायता से जल गुणवत्ता परीक्षण करने तथा परिणामों की सूचना देने के लिए 5 महिलाओं की पहचान, प्रशिक्षण और नियोजन किया जाए;

vii.) राज्य/जिला/ उप-मंडल/ ब्लॉक/ मोबाइल प्रयोगशालाओं की स्थापना/ उन्नयन करके जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना और प्रयोगशाला मूल्यांकन व सुधार योजनाओं की निगरानी करना। प्रयोगशाला मूल्यांकन के समय, वहां उपलब्ध मानव संसाधन और उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण, भौतिक अवसंरचना (प्रयोगशाला का वातावरण), उपकरण और इंस्ट्रूमेंटेशन, वार्षिक रख रखाव अनुबंध तंत्र, लक्ष्य और आवश्यकता के अनुसार जांचे जा रहे नमूनों की संख्या को ध्यान में लिया जाएगा। प्रत्येक प्रयोगशाला की सुधार योजना में, पाई गई कमी को दूर करने की प्रक्रिया का उल्लेख होगा;

viii.) फील्ड परीक्षण किट/बैक्टीरियोलॉजिकल वायल प्रापण (प्रोक्योरमेंट) /रीफिल करने की प्रणाली स्थापित करना और उनके उपयोग की निगरानी करना;

ix.) जल गुणवत्ता परीक्षण, निगरानी, डेटा व्याख्या और रिपोर्टिंग में भिन्न-भिन्न प्रबंधकीय स्तरों के कर्मियों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करना;

x.) जल गुणवत्ता संदूषण के बड़े मामले में, यदि आवश्यक हो, तो राज्य पी.एच.ई.डी./ ग्राम जल आपूर्ति विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी और शमन और/या विशेष रूप से आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम संदूषकों तथा बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषणों के बारे में स्वास्थ्य विभाग को सचेत किया जाएगा;

xi.) आई.एस./ आई.एस.ओ./ आई.ई.सी.: 17025 के अनुसार, कम से कम बुनियादी जल गुणवत्ता महत्व के मापदंडों पर, पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए धीरे-धीरे इसे अन्य मापदंडों तक अपग्रेड करना;

xii.) पानी की गुणवत्ता के आंकड़ों का परस्पर सत्यापन और राज्य/केन्द्र सरकार की एजेंसियों की अन्य प्रयोगशालाओं के साथ इनका एकीकरण करना।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पी.एच.ई.डी./ग्राम जल आपूर्ति विभाग, इस संबंध में 'एकसमान पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल' का संदर्भ ले सकते हैं। यह प्रोटोकॉल सामान्य तौर पर सांकेतिक है और इसमें जल गुणवत्ता परीक्षण, मॉनीटरिंग और चौकसी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों हेतु मार्गदर्शन और सहायता के लिए परामर्श दिए गए हैं। भिन्न-भिन्न स्तरों पर प्रयोगशालाओं में जांचे जाने वाले जल गुणवत्ता मापदंडों का और ग्राम पंचायत स्तर पर फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करके परीक्षण के लिए आवश्यक जल गुणवत्ता मापदंडों को इस प्रोटोकॉल में परिभाषित किया गया है। प्रोटोकॉल के संशोधित संस्करण की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैं- i.) संस्थागत ढांचा जो प्रयोगशालाओं को मजबूत कर सकता है, ii.) पी.एच.ई.डी./ग्राम जल आपूर्ति विभागों और प्रयोगशालाओं की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां; iii.) गुणवत्ता हेतु निगरानी फ्रेमवर्क; iv.) राज्य और जिला प्रयोगशालाओं की रैंकिंग; v.) स्रोतों का पूर्व-निर्धारित रोस्टर; और vi.) अन्य पक्ष द्वारा सत्यापन। विशेष रूप से जी.ई.एम. पोर्टल, एन.ए.बी.एल. प्रत्यायन का उपयोग करते हुए, पानी की जांच एवं जवाबदेही मानकों में सुधार के लिए उन्नत उपकरणों को शामिल करते हुए प्रापण प्रक्रियाओं पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को, इस कार्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें पी.एच.ई.डी./ ग्राम जल आपूर्ति विभाग द्वारा, एन.ए.बी.एल./ आई.एस.ओ./ उपयुक्त रूप से मान्यता प्राप्त अन्य निजी फर्मों के साथ सहायता संगठन (एस.ओ.) के रूप में सहयोग किया जा सकता है और सरकारी प्रक्रियाओं के अनुसार सभी मानक प्रचालन पद्धतियों का पालन करते हुए उनके पास उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में हब और स्पोक मॉडल, पेयजल गुणवत्ता परीक्षण क्षेत्र में पश्चिम बंगाल पी.एच.ई.डी. मॉडल से बहुमूल्य योगदान प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक-निजी भागीदारी का भी पता लगाया जा सकता है जिसमें पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा, राज्य/ केन्द्र सरकार की अन्य समान एजेंसियों की जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र द्वारा, सरकारी प्रक्रियाओं में निर्धारित समस्त आचारिक औपचारिकताओं का पालन करते हुए, किन्हीं भी एन.ए.बी.एल./ आई.एस.ओ./ उपयुक्त मान्यता प्राप्त अन्य सार्वजनिक या निजी जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं/ फर्मों को बारी-बारी से नामित किया जा सकता है।

उदाहरण : हिमाचल प्रदेश आई.पी.एच. विभाग मॉडल।

राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा स्थानीय स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए ग्रामीण उद्यमिता और उद्यमों को प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जा सकता है। स्थानीय उद्यम, गांवों के एक

समूह या विकास खंडों की जिम्मेदारी ले सकते हैं और पानी की गुणवत्ता के परीक्षण तक पहुंच को आसान बना सकते हैं।

राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा डी.डब्ल्यू.एस.एम. और संबंधित संस्थान के बीच परस्पर सहमति से नाममात्र के भुगतान पर, जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों/ पॉलिटेकनीक संस्थानों में स्थापित प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जा सकता है।

निर्धारित गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति एक महत्वपूर्ण कारक है, जिससे एच.टी.सी. की कार्यशीलता तय होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए, पूर्ववर्ती ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी., एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. और अब जल जीवन मिशन के तहत स्थापित जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में, सामान्य जनता द्वारा संग्रहीत जल नमूनों की मामूली दर पर जांच कराने का प्रावधान किया जाएगा; दर का निर्धारण विभाग द्वारा किया जा सकता है। इसके बारे में व्यापक प्रचार किया जाए ताकि जनता को इस पहल के बारे में पता चल सके।

10.1 परीक्षण की आवृत्ति

भिन्न-भिन्न स्तरों पर स्रोतों/नमूनों का परीक्षण कराने के लिए व्यापक दिशानिर्देश:

i.) **उप-मंडल/ब्लॉक प्रयोगशाला:** यह सुझाव दिया जाता है कि उप-मंडल/ब्लॉक प्रयोगशाला अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले 100% जल स्रोतों का परीक्षण करेगी; एक वर्ष में एक बार रासायनिक मापदंडों के लिए और दो बार बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंडों (मानसून से पहले और बाद) के लिए, जिसमें कम से कम 13 बुनियादी जल गुणवत्ता मानकों[22] के लिए किसी ब्लॉक के सभी स्रोतों को कवर किया जाएगा। परीक्षण में संदूषित पाए गए नमूनों को तुरंत जिला प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। अन्य मापदंडों का परीक्षण स्थानीय संदूषण के अनुसार किया जा सकता है। यदि, ब्लॉक स्तर की प्रयोगशालाएँ उपलब्ध नहीं हैं, तो आसपास के शिक्षण संस्थानों या विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है और उनका लाभ उठाया जा सकता है।

ii.) **जिला प्रयोगशाला:** यह सुझाव दिया जाता है कि जिला प्रयोगशाला द्वारा 250 जल स्रोतों/नमूनों का प्रति माह परीक्षण किया जाएगा (अर्थात् विभाग/राष्ट्रीय मिशन आई.एम.आई.एस. पर उपलब्ध रोस्टर के लक्ष्य के अनुसार एक वर्ष में 3000), जिसमें उस भौगोलिक क्षेत्र के औचक रूप से चुने गए सभी स्रोतों को कवर किया जाएगा और जिसमें कम से कम 13 बुनियादी जल गुणवत्ता मानकों के लिए उप-मंडल/ब्लॉक प्रयोगशाला/मोबाइल प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण में संदूषित पाए गए नमूनों को भी शामिल किया जाएगा। परीक्षण में संदूषित पाए जाने वाले नमूनों को जिला प्रयोगशाला द्वारा तुरंत राज्य की प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जिला स्तर पर स्थानीय संदूषण के अनुसार अन्य मापदंडों का परीक्षण किया जा सकता है।

iii.) **राज्य प्रयोगशाला:** राज्य प्रयोगशाला द्वारा, यादृच्छिक (रेंडम) तौर पर तथा समान भौगोलिक विस्तार में, जिला स्तर की सभी प्रयोगशालाओं के कुल पेयजल नमूनों के कम से कम 5% का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें जिला/उप-मंडल/ब्लॉक/मोबाइल लैब द्वारा जांच में संदूषित पाए गए नमूने शामिल होंगे। यदि किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में जिलों की संख्या बहुत अधिक (> 50) है, तो नमूनों/स्रोतों का परीक्षण राज्य प्रयोगशाला के लिए 3% तक सीमित किया जा सकता है। शेष 2% नमूनों को अन्य क्षेत्रीय/जिला प्रयोगशालाओं के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

iv.) **फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर जल की गुणवत्ता का परीक्षण:** ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के निजी स्रोतों और सफाई निरीक्षण को शामिल करते हुए 100% पेयजल स्रोतों का परीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षण के परिणाम और स्वच्छता निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को प्रस्तुत की जाएगी।

10.2 वित्त पोषण

i.) राज्यों के आबंटन का 2% तक हिस्सा, डब्ल्यू.क्यू.एम.एण्ड एस. गतिविधियों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है;

ii.) उपर्युक्त सभी गतिविधियों के संबंध में वित्त-पोषण की संरचना, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 की होगी, जबकि शेष राज्यों के लिए वित्त-पोषण संरचना 60:40 की होगी। विधानमंडल रहित संघ राज्यक्षेत्र में निधि साझीदारी की संरचना केन्द्र तथा संघ राज्यक्षेत्र के बीच 100:0 की होगी, जबकि विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए यह संरचना 90:10 की होगी;

iii.) निधि का उपयोग, राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना (केवल राज्य स्तर की प्रयोगशाला के भवन निर्माण लागत के लिए), नई जिला/उप-संभागीय प्रयोगशालाओं (राज्य सरकार द्वारा निर्माण की लागत वहन की जाएगी, किराया आदि इस निधि में से लिया जा सकेगा), पी.पी.पी. मोड के तहत प्रयोगशालाओं, मौजूदा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करना जिसमें, अन्य बातों के साथ, उपकरणों, यंत्रों, रसायनों/री-एजेंटों, कांच के बर्तनों, उपभोज्य सामग्री की खरीद शामिल है, आउटसोर्स पर मानव संसाधन नियुक्त करने (नियमित कर्मचारियों के वेतन का भुगतान राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाएगा), पानी के नमूनों को ले जाने के लिए वाहनों को किराए पर लेने से लेकर प्रयोगशाला और एन.ए.बी.एल. प्रत्यायन प्रक्रिया (परामर्शदाता शुल्क, संपरीक्षा लागत, आवेदन शुल्क और वार्षिक शुल्क) के खर्च के लिए किया जा सकता है;

iv.) इन निधियों का उपयोग फील्ड परीक्षण किट, रीफिल और बैक्टीरियल डिटेक्शन किट की खरीद के लिए भी किया जा सकता है;

[22] 13 बुनियादी जल गुणवत्ता मानक अनुबंध-XI पर दिए गए हैं।

v.) नियमित कर्मचारियों के वेतन और किसी भी सेवा के लिए भुगतान, 2% आबंटन से ऊपर किया गया व्यय, राज्य सरकार के कोष में से पूरा किया जाएगा। एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा भी निर्धारित समय में फील्ड परीक्षण किट/बैक्टीरियोलॉजिकल वायल के माध्यम से पानी की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने और उच्चतर अधिकारियों को डेटा पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर एक समर्पित व्यक्ति को मानदेय आधार पर रखने का निर्णय लिया जा सकता है।

10.3 गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में जल गुणवत्ता की निगरानी

ऐसे भी जल स्रोत हो सकते हैं, जहां रासायनिक संदूषक की सांद्रता (कॉन्सेंट्रेशन) सीमा रेखा पर हो, यानी बीआईएस: 10500 में निर्धारित अनुमत्य सीमा से थोड़ा ही कम हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एफ.एच.टी.सी. के माध्यम से पानी की आपूर्ति निर्धारित गुणवत्ता की है, ऐसे जल स्रोतों का उपयोग करने वाले गांवों की समय-समय पर निगरानी करने की आवश्यकता होती है और इन्हें 'हॉट स्पॉट' के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। इस तरह के 'हॉट स्पॉट' की सूची पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा एस.डब्ल्यू.एस.एम., डी.डब्ल्यू.एस.एम. और ग्राम पंचायत के साथ साझा की जानी चाहिए। पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग ऐसे जल स्रोतों की पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करेंगे और पानी की गुणवत्ता की चौकसी ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि और स्थानीय समुदाय द्वारा की जाएगी। जहां भी और जब भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।

जल जीवन मिशन आई.एम.आई.एस. के माध्यम से 'हॉट स्पॉट्स' के जल स्रोतों की जल गुणवत्ता के आंकड़ों की विशेष रूप से निगरानी की जाएगी। पाइपलाइन जल आपूर्ति प्रणाली के लिए इस तरह के किसी भी जल स्रोत का चयन करने से पहले, ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा इस पर चर्चा की जाएगी और ग्राम सभा के माध्यम से उसे अनुमोदित किया जाएगा, जैसा कि अध्याय 6 में उल्लिखित है।

10.4 प्रशिक्षण और आई.ई.सी. गतिविधियों की सूची

i.) गांवों/विकास खंडों/जिलों के प्रमुख स्थानों पर निकटतम जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला का विवरण दर्शाना;

ii.) विभागीय हितधारकों, ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि, आई.एस.ए., पी.आर.आई., जमीनी स्तर के तकनीशियनों, आदि का जल गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण;

iii.) जल गुणवत्ता के मुद्दों, जल जनित रोगों और स्वास्थ्य प्रभावों पर जागरूकता पैदा करना;

iv.) जल सुरक्षा आयोजना;

v.) गुणवत्ता प्रभावित स्रोत से पानी उपयोग करने से बचने' के बारे में व्यवहारगत परिवर्तन संबंधी संचार;

vi.) पोषाहार में अच्छी गुणवत्ता वाले पेयजल के महत्व पर अंतर-वैयक्तिक संचार (घर-घर जाकर);

vii.) दूषित जल के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में, स्वच्छता निरीक्षण के महत्व, निजी जल गुणवत्ता स्रोतों का परीक्षण करने की प्रक्रिया के बारे में श्रव्य-दृश्य प्रचार, आदि;

viii.) नल से जल के उपयोग को बढ़ावा देने वाली सूचना को दीवार पर लिखना- जैसे 'यह जल संदूषण से मुक्त है', और;

ix.) जल गुणवत्ता के बारे में नारे, समूह बैठकें, नुक्कड़ नाटक, पी.आर.ए. गतिविधियाँ, प्रदर्शनी, आदि का आयोजन।

10.5 निगरानी

जल गुणवत्ता डेटा को स्वत: प्राप्त करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग से, निर्णय लेने और जल आपूर्ति सुविधाओं के कार्यनिष्पादन को बढ़ावा मिलेगा। लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी द्वारा भी जल गुणवत्ता के लिए सेंसर और आई.ओ.टी .आधारित निगरानी प्रणाली नियोजित की जाएगी। एस.डब्ल्यू.एस.एम./ पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल और फील्ड दौरे के माध्यम से निगरानी की वर्तमान प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। जल गुणवत्ता स्थिति की निगरानी के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करेंगे। यह डेटा सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराया जाएगा।

जल जीवन मिशन आई.एम.आई.एस. पोर्टल पर निम्नलिखित सूचना स्वत: प्रदर्शित होगी:

i) आवृत्ति के अनुसार सभी स्तरों पर प्रयोगशाला परीक्षणों के माध्यम से जलगुणवत्ता की निगरानी;

ii) परीक्षण की आवृत्ति के अनुसार सभी गांवों में फील्ड परीक्षण किट के माध्यम से समुदाय द्वारा जल गुणवत्ता की निगरानी;

iii) जल गुणवत्ता प्रभावित जिलों और जे.ई.-ए.ई.एस. जिलों में एफ.एच.टी.सी. प्रावधान की प्रगति;

iv) आर्सेनिक, फ्लोराइड और लौहतत्व से प्रभावित गांवों और किन्हीं अन्य, जिनके बारे में निर्णय विभाग/राष्ट्रीय मिशन द्वारा लिया जा सकता है, की निगरानी के लिए अलग रिपोर्ट तैयार की जाएंगी;

v) प्रयोगशाला मूल्यांकन और संबंधित सुधार आयोजनाएं;

vi) एन.ए.बी.एल. से प्रत्यायित राज्य/जिला प्रयोगशालाओं की संख्या और ब्लॉक/उप-मंडल प्रयोगशालाओं की संख्या;

vii) प्रयोगशाला रैंकिंग;

viii) परीक्षणों की अनुशंसित संख्या के अनुसार समुदायों द्वारा फील्ड परीक्षण किट/जैविक वायल का उपयोग;

ix) जल गुणवत्ता के संबंध में सामने आने वाले अन्य मामले।

निगरानी एवं मूल्यांकन

11.1 निगरानी

प्रभावी निगरानी तंत्र से नल कनेक्शन की कार्यशीलता, अर्थात् नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

जल जीवन मिशन निगरानी तंत्र, वैश्विक मानकों अर्थात् वैश्विक स्पर्धात्मकता सूचकांक (जी.सी.आई.) के अनुरूप बनाया गया है। जी.सी.आई. के अंतर्गत राष्ट्रीय स्पर्धात्मकता का निर्धारण 'उत्पादकता के स्तर को विनिर्धारित करने वाली संस्थाओं, नीतियों और कारकों के समूह' के रूप में किया गया है। जी.सी.आई. में निम्नलिखित दो संकेतक शामिल हैं:

i.) असुरक्षित पेयजल का उपयोग: इसके अंतर्गत, किसी आबादी द्वारा असुरक्षित पेयजल के उपयोग का मापन किया जाता है और ऐसा करते समय, जोखिम स्तर के अनुसार असुरक्षित जल के उपयोग की मात्रा और बीमारी उत्पन्न होने में उस जोखिम के योगदान की गंभीरता को ध्यान में रखा जाता है;

ii.) जल आपूर्ति की विश्वसनीयता: यह संकेतक इस बात पर आधारित है कि पानी की आपूर्ति कितनी विश्वसनीय है (व्यवधान और प्रवाह में उतार-चढ़ाव का अभाव)।

निगरानी के लिए आपूर्त जल का मापन

कहते हैं कि जो मापा नहीं जा सकता है, उस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। एस.वी.एस. के लिए अंत:ग्राम अवसंरचना, एम.वी.एस. के लिए विशाल अवसंरचना परियोजनाओं और पाइप से स्टैंड पोस्ट के माध्यम से जल आपूर्ति योजनाओं - के संबंध में, हर दिन आपूर्त किए जाने वाले पानी की मात्रा के आंकड़े, आपूर्त किए गए पानी की गुणवत्ता के साथ-साथ बोरवेल में पानी की गहराई से जुड़ी सूचना होना आवश्यक है। इसके अलावा, एम.वी.एस. (मल्टी विलिज स्कीम) के मामले में, हर दिन विभिन्न गांवों को उपलब्ध कराया जाने वाला पानी भी मापा जाना है। चूंकि ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं दूर-दूर तक फैली होती हैं, इसलिए प्रबंधन के संबंध में निर्णय लेने के लिए डेटा को नियमित रूप से प्राप्त करने और उसके विश्लेषण के लिए सेंसर, आई.ओ.टी., अनुकूलित डैशबोर्ड आदि जैसे आई.टी. उपकरणों का सहारा लेना आवश्यक है। इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं:

i.) एस.वी.एस. और स्टैंड पोस्ट पाइपलाइन जल आपूर्ति के लिए, विभिन्न स्रोतों से हर दिन आहरित किए जाने वाले पानी को मापने के लिए सेंसर, भूजल आधारित योजना के मामले में बोरवेल में पानी का स्तर, भंडारण टंकियों के मामले में ओवरफ्लो होने पर, सेंसर आधारित पंपों के बंद और चालू होने की व्यवस्था आवश्यक है। इसके अलावा, पानी की गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं जैसे पीएच, नाइट्रेट्स, लवणता आदि की उपस्थिति को मापने के लिए कुछ बुनियादी सेंसरों के उपयोग की संभावना का पता लगाकर उनकी स्थापना की जा सकती है। यह डेटा, नियमित अंतराल पर प्राप्त किया जाएगा और मैन्युअल रूप से पुन: देखने हेतु डेटा स्टोर में संग्रहीत किया जाएगा या सिम का उपयोग करके क्लाउड सर्वर में प्रेषित कर दिया जाएगा;

ii.) एम.वी.एस. के मामले में, प्रत्येक गाँव में पानी का एक बड़ा मीटर उस स्थान पर लगाया जाना है जहां के हौद में पानी लाया जाता है। इसके अलावा, हौद में जल स्तर को मापकर पंप को चालू और बंद करने के लिए सेंसर लगाए जाने हैं। संयंत्र के प्रचालन के साथ-साथ उनकी निगरानी के लिए बड़े-बड़े शोधन संयंत्रों के लिए एस.सी.ए.डी.ए. प्रणाली लगाई जानी अनिवार्य है। आपूर्त किए गए पानी के दबाव, रिसाव और गुणवत्ता संबंधी पहलुओं को मापने के लिए वितरण प्रणालियों में एस.सी.ए.डी.ए. का उपयोग करने की संभावना तलाशकर, उनकी स्थापना राज्यों द्वारा की जा सकती है;

iii.) सेंसरों के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा को प्राप्त करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एम.आई.एस. तैयार की जानी चाहिए। डेटा हैंडलिंग में एकरूपता लाने के लिए राज्यों में एक जैसे डेटा प्राप्ति प्रारूप और प्रोटोकॉल होना महत्वपूर्ण है। डेटा एकरूपता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा, जरूरत होने पर, मौजूदा एम.आई.एस. का संशोधन किया जा सकता है;

iv.) निम्नलिखित के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए डैशबोर्ड बनाया जाना है:

- क.) आयोजना
- ख.) कार्यसंपादन
- ग.) प्रचालन और रख रखाव
- घ.) मात्रा और गुणवत्ता सहित गांवों की दैनिक जल आपूर्ति का विवरण।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन पहलुओं को प्राक्कलनों के भाग के रूप में आयोजना चरण में ही व्यवस्थित रूप से एकीकृत किया जाए, ताकि योजना/परियोजना के साथ ही उनका परीक्षण और आरंभन किया जा सके।

विभाग/राष्ट्रीय मिशन द्वारा, मिशन की वित्तीय और वास्तविक प्रगति की स्थिति दर्ज करने के लिए एक आई.एम.आई.एस. तैयार की जाएगी और ग्रामीण जल आपूर्ति/पी.एच.ई. विभाग, उक्त आई.एम.आई.एस. में आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए जिम्मेदार होगा।

11.1.1 जल जीवन मिशन-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस.)

हर कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) की स्थिति दर्ज करने के लिए एक समर्पित जल जीवन मिशन आई.एम.आई.एस. डिज़ाइन किया गया है। जल जीवन मिशन आई.एम.आई.एस. में निम्नलिखित शामिल होंगे:

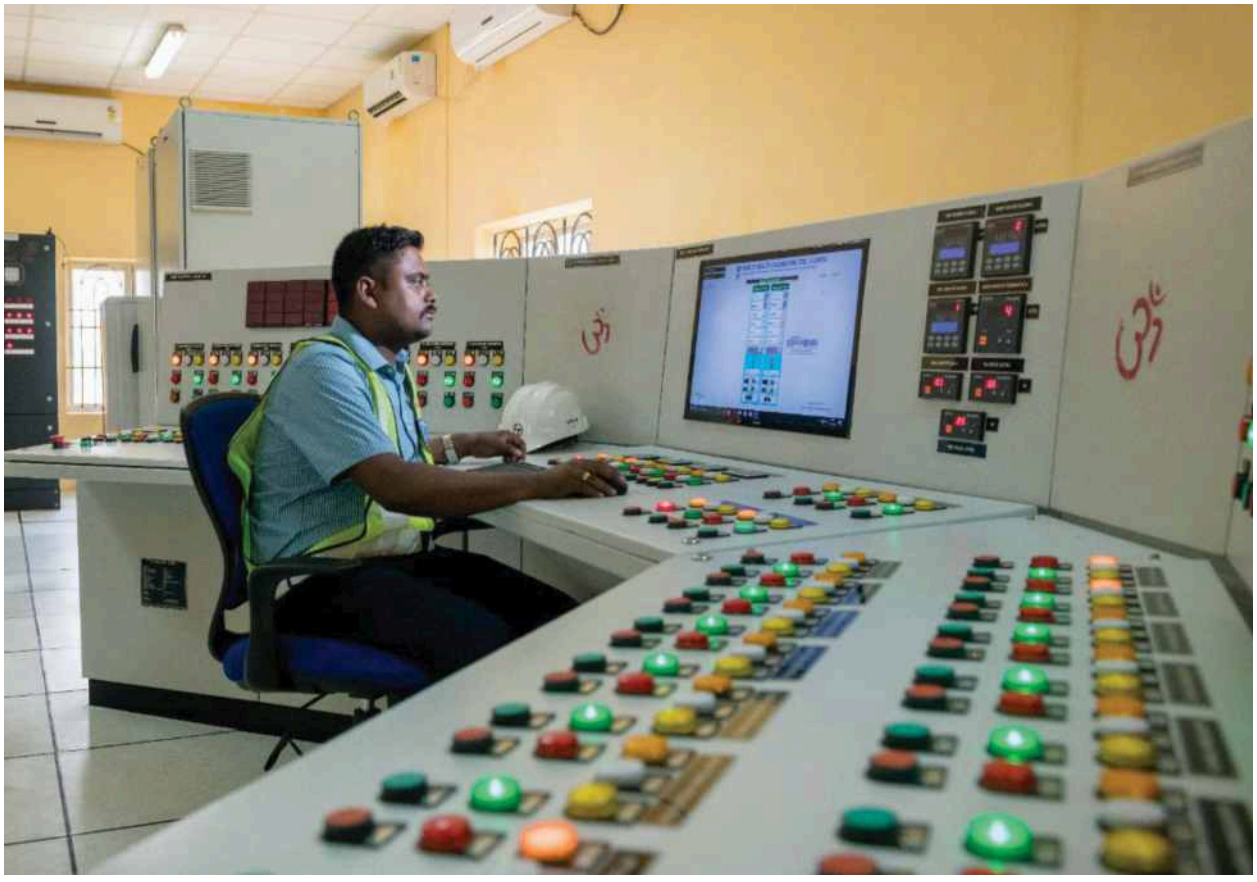

i.) ग्राम कार्य योजना, 'जिला कार्य योजना', राज्य कार्य योजना और राज्य-वार वार्षिक कार्य योजना को अपलोड करने का प्रावधान;

ii.) ग्राम पंचायत उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि के गठन की निगरानी, बैंक खाता खोलना, सामुदायिक योगदान आदि;

iii.) आबंटित गांवों में आई.एस.ए. के निष्पादन अर्थात् संसाधन मानचित्रण, पी.आर.ए. गतिविधियों आदि की निगरानी करना;

iv.) सभी योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करना;

v.) फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करके समुदायों द्वारा पानी की गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की निगरानी और चौकसी;

vi.) परिवर्तन प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी;

vii.) सहायक गतिविधियों की निगरानी आदि।

तैयार की गई रिपोर्टों का उपयोग क्षेत्र दौरों, कार्यशालाओं, वीडियो सम्मेलनों आदि के माध्यम से नियमित निगरानी के लिए किया जाएगा। योजनाओं के बेहतर प्रबंधन और उनकी निगरानी के लिए पेयजल परिसंपत्तियों की एक डिजिटल जिला वस्तु-सूची बनाई जाएगी। राज्य स्तर पर एस.सी.ए.डी.ए. प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक एम.वी.एस. नेटवर्क प्रणाली की निगरानी की जाएगी ताकि इसका समुचित कार्यकरण सुनिश्चित किया जा सके।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विभिन्न परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति, परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, परियोजनाओं पर किए गए खर्च, परियोजनाओं की कार्यशीलता की स्थिति के संबंध में, राज्यों से प्राप्त डेटा को जल जीवन मिशन आई.एम.आई.एस. पर दर्ज किया जाएगा और उसे सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा, ताकि अंतिम प्रयोक्ता और विभिन्न संस्थागत संरचनाओं द्वारा इसका पर्यवेक्षण और सामाजिक संपरीक्षा संभव हो सके।

आपूर्ति की बारंबारता, गुणवत्ता और मात्रा को मापने के लिए सेंसर आधारित जल आपूर्ति व्यवस्था अपनाई जाएगी। जल आपूर्ति प्रणाली की कार्यशीलता की निगरानी करने के लिए नियंत्रण और कमांड तथा आई.एम.आई.एस. के साथ इसका लगातार एकीकरण किए जाने की आवश्यकता होगी।

11.1.2 रियल-टाइम डैशबोर्ड

एक रियल टाईम डैशबोर्ड के माध्यम से, सभी आवश्यक निगरानी मापदंडों अर्थात् अब तक प्रदान किए गए एफ.एच.टी.सी. की संख्या, वर्ष 2024 से पहले प्रदान किए जाने के लिए शेष एफ.एच.टी.सी. की संख्या, प्रदान किए गए कार्यशील नल कनेक्शन और बन्द पड़े नल कनेक्शन की संख्या दर्ज की जाएगी। यह डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगा।

11.1.3 परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग

पारदर्शिता लाने और निगरानी के प्रयोजन से, जल आपूर्ति योजनाओं की सभी परिसंपत्तियों को राज्यों द्वारा जियो-टैग किया जाना आवश्यक है। हर अवसंरचना परिसंपत्ति चाहे वह नई हो या पुरानी, सभी को जियो-टैग किया जाएगा, जिसमें

कपड़े धोने और स्नान करने के स्थान, ग्रे-वाटर संग्रह और शोधन संयंत्र, स्रोत स्थायित्व संरचनाएं आदि शामिल हैं।

11.1.4 एफ.एच.टी.सी. को आधार के साथ जोड़ना

लक्षित डिलीवरी और उसके विशिष्ट परिणाम की निगरानी के लिए यह प्रस्तावित है कि सांविधानिक प्रावधानों के अधीन एफ.एच.टी.सी. को घर के मुखिया के आधार नंबर के साथ जोड़ा जाए।

11.1.5 समुदाय द्वारा चौकसी

समुदाय द्वारा, अपनी जल आपूर्ति योजना के कामकाज पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी और अपनी अंत:ग्राम जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन, संचालन और रख रखाव के लिए भी समुदाय ही जिम्मेदार होगा। समुदाय द्वारा, अध्याय 10 में वर्णित नियमित सफाई निरीक्षण कार्य किया जाएगा और पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा। एक समर्पित टोल फ्री नंबर, ऑनलाइन पोर्टल, आदि के माध्यम से संबंधित डी.डब्ल्यू.एस.एम./एस.डब्ल्यू.एस.एम. में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार भी समुदाय को होगा।

11.2 मूल्यांकन

कार्यशीलता आकलन

कार्यशीलता से तात्पर्य अवसंरचना अर्थात् नियमित आधार पर (प्रति दिन अथवा ग्राम पंचायत और/अथवा इसकी उप-समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार) पर्याप्त मात्रा (55 एल.पी.सी.डी.) में, निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) वाला जल उपलब्ध कराने वाले घरेलू नल कनेक्शन की उपलब्धता से है। इसमें स्रोत और प्रणाली का दीर्घकालिक स्थायित्व भी शामिल होगा।

नल कनेक्शनों की कार्यशीलता का वर्गीकरण, तालिका 11 में दिए गए मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।

चूंकि नल कनेक्शनों की कार्यशीलता तय करने के लिए निर्धारित की गई शर्तों में स्रोत स्थायित्व भी शामिल है, इसलिए कार्यशीलता आकलन मापदंडों में, भिन्न-भिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाने/कार्यान्वित करने हेतु किए गए स्रोत स्थायित्व उपायों पर पूछे जाने वाले प्रश्न तथा यह कार्य एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस., आई.डब्ल्यू.एम.पी. के माध्यम से किए जाने वाले मेल-जोल से किए गए होने का विवरण भी शामिल किया जाएगा (मेल-जोल पर अधिक जानकारी के लिए पैरा 6.3 का संदर्भ लें)।

भारत सरकार द्वारा, घरेलू नल कनेक्शन की कार्यशीलता का आकलन करने के लिए नमूना सर्वेक्षण किया जाएगा। कार्यशीलता आकलन के आधार पर, राज्यों को धनराशि जारी की जाएगी। कार्यशीलता आकलन[23] के अंतर्गत, जल आपूर्ति प्रणाली के दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए आवश्यक अन्य जानकारी भी दर्ज की जाएगी।

	पूर्णतया कार्यशील	आंशिक रूप से कार्यशील	निष्क्रिय
मात्रा	>=55 एल.पी.सी.डी.	>40 एल.पी.सी.डी. <55 एल.पी.सी.डी.	<40 एल.पी.सी.डी.
गुणवत्ता	पीने योग्य	पीने योग्य	न पीने योग्य
नियमितता	12 महीने अथवा दैनिक आधार	9-12 महीने <दैनिक आधार	<9 महीने <दैनिक आधार

तालिका 11

[23]कार्यक्षमता आकलन अनुबंध-VI पर दिया गया है।

आउटपुट और परिणामों का मापन

जल जीवन मिशन का मूल-भूत आउटपुट, वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को एक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) उपलब्ध कराना है। इस के समांतर, इस मिशन के अंतर्गत, ग्रामीण समुदायों के स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति; महिलाओं और लड़कियों की दुश्वारी में कमी और महिलाओं का सशक्तिकरण, उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी के तौर पर मापे जा सकने योग्य 4 मुख्य परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना और ग्रामीण समुदायों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि सुनिश्चित करना शामिल है। इस तरह की कार्यनीति से ग्रामीण परिवारों की सामाजिक-आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होगी। परिणाम रूपरेखा में इन विशिष्ट परिणामों का नीचे दिया गया है:

जल जीवन मिशन की आउटपुट-परिणाम रूप-रेखा

परिणाम 1: जलजनित रोगों में कमी तथा स्वस्थ ग्रामीण समुदाय

परिणाम संकेतक: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 के पिछले बुलेटिन में सूचित किए गए समस्त प्रसंगों की तुलना में उग्र डायरिया रोगों की संख्या में प्रतिशत घटाव

आउटपुट	संकेतक	सत्यापन के प्रकार
वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन [एफ.एच.टी.सी.] उपलब्ध कराया जाना	उपलब्ध कराए गए एफ.एच.टी.सी. की संख्या	आई.एम.आई.एस. डेटा, दृश्यमान एफ.एच.टी.सी., कार्यशीलता का आकलन, सोशल ऑडिट
	पर्याप्त मात्रा में अर्थात् 55 एल.पी.सी.डी. जल प्रदान करने वाले एफ.एच.टी.सी. की संख्या	प्रवाह मीटर, घरेलू मीटर, कार्यशीलता का आकलन
	निर्धारित गुणवत्ता अर्थात् बीआईएस मानकों के अनुसार जल प्रदान करने वाले एफ.एच.टी.सी. की संख्या	वितरित की गई फील्ड परीक्षण किट/ बैक्टीरियोलॉजिकल वायल, प्रयोगशालाओं में जांचे गए नमूने, कार्यशीलता का आकलन, कम्युनिटी फीडबैक
	घरों में जलजनित रोगों में % कमी	स्वास्थ्य डेटा, अस्पताल जाने के अवसरों की संख्या, आशा कार्यकताओं के पास उपलब्ध डेटा

परिणाम 2: महिलाओं की दुश्वारी में कमी

परिणाम संकेतक: उन महिलाओं की संख्या जिन्हें लंबी दूरी से जल लाने की दुश्वारी से छुटकारा मिला है।

आउटपुट	संकेतक	सत्यापन के प्रकार
सभी ग्रामीण परिवारों में एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध हो जाने से महिलाओं के उत्पादक घरेलू समय में वृद्धि हुई।	ग्राम पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई	ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूहों की बैठकों के कार्यवृतों की समीक्षा।

परिणाम 3: उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के विद्यालय छोडने में आई कमी

परिणाम संकेतक: उच्च प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं की ड्रापआउट दर -% से घटकर -% हुई तथा उपस्थिति -% से बढ़कर -% हुई

आउटपुट	संकेतक	सत्यापन के प्रकार
सभी ग्रामीण परिवारों में एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध हो जाने से उच्च प्राथमिक स्कूल की छात्राओं को पीने का पानी लंबी दूरी से लाने में राहत मिली।	स्कूल जाने वाली उच्च प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं की संख्या में % वृद्धि	स्कूल नामांकन और उपस्थिति रजिस्टर

परिणाम 4: ग्रामीण समुदायों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि

परिणाम संकेतक: ग्रामीण आय में - % की वृद्धि से ग्रामीण परिवारों की समृद्धि में सुधार

आउटपुट	संकेतक	सत्यापन के प्रकार
सभी ग्रामीण परिवारों में एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध हो जाने से रोजगार के प्राप्त अवसर ।	प्रति वर्ष रोजगार के दिनों की संख्या में % वृद्धि	स्थानीय रोजगार/ भुगतान रजिस्टर / स्थापित किए गए स्थानीय उद्यमों की संख्या

तालिका 12

आपदा प्रबंधन

जलवायु परिवर्तन के कारण घटित होने वाली प्रचंड मौसमी घटनाओं जैसे सूखा और बाढ़ से अप्रत्याशित तौर पर मीठे पानी की वर्तमान और भावी उपलब्धता में बदलाव आते जा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में और गुणवत्ता-युक्त पानी की अनिश्चित उपलब्धता के परिणामस्वरूप होने वाले प्रतिकूल प्रभाव से भोजन की उपलब्धता, स्वास्थ्य मानदंडों, पोषाहार और आजीविका सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, भूस्खलन, भूकंप आदि की बढ़ती घटनाओं से कभी-कभी जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचता है, जिसके परिणामस्वरूप पेयजल आपूर्ति बाधित होती है। ये घटनाएं, समुदायों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का काम कर रहे शहरी/ग्रामीण योजनाकारों के लिए एक चुनौती बन गई हैं और इसलिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत, आपदा प्रबंधन आयोजना को लागू करने में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रयासों को मजबूती दी जाएगी।

आपदा की स्थिति में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की चुनौतियां सामने आती हैं:

i.) आपदा के प्रभाव को दूर करने/कम करने के लिए अग्रिम आयोजना और तैयारी करना;

ii.) आपदा के समय तेजी से कार्रवाई करना; तथा

iii.) आपदा के उपरांत एक मजबूत और उत्थानशील आपूर्ति प्रणाली की सहायता से सेवाओं की बहाली।

इस प्रकार, इस आयोजना से अपेक्षा है कि पेयजल आपूर्ति के संदर्भ में उपर्युक्त चुनौतियों का समाधान हो सकेगा।

पूर्व-आपदा: इसे आयोजना चरण कहते हैं। इस अवधि के दौरान संसाधनों की ठोस आयोजना बनाने और उनकी कुशल तैनाती से आपदा के समय नुकसान कम होता है।

रोकथाम और शमन

i.) एक्वीफर्स की जल भंडारण क्षमता में सुधार करना सर्वोत्तम दीर्घावधि कार्यनीति है। विशेष रूप से वन क्षेत्रों में मौजूद एक्वीफर्स का स्वत: पुनर्भरण करना, भविष्य की पेयजल सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी जल संरक्षण विधि है। वन, अपने धरातल पर अपेक्षाकृत लम्बी अवधि तक बड़ी मात्रा में पानी को रोककर रख सकते हैं क्योंकि वनभूमि स्पंज का काम करती है और बाद में, जल धाराओं में धीरे-धीरे पानी छोड़ती रहती है। इस उदाहरण से पता चलता है कि कुछ पारितंत्र किस प्रकार से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं और बाढ़ के जोखिम में कमी लाते हैं। तथापि, इसके लिए दीर्घकालिक आयोजना और कार्रवाई की आवश्यकता होती है;

ii.) उथले और गहरे एक्वीफर्स से गुणवत्तायुक्त पानी की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों से सूखे की अवधि के दौरान और मानसून में देरी होने पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी;

iii.) उत्थानशील बुनियादी ढांचे की मौजूदगी, संकट की स्थिति में लाभकारी होती है और रोकथाम/शमन के लिए तथा आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए यह बहुत प्रभावी सिद्ध होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाते समय भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से बचने की सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा, पाइपों की एंकरिंग प्रभावी ढंग से की जानी चाहिए ताकि वे बाढ़ में/कीचड़ प्रवाह से बह न जाएं। शोधन संयंत्र, भूमिगत जलाशय, सार्वजनिक पेयजल पहुंच स्थल आदि जैसे जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे की अवस्थिति का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि उसे बाढ़ और चक्रवात, भूस्खलन, भू-धाव, भूकंप के दुष्प्रभावों आदि से सुरक्षित रखा जा सके;

iv.) आर.डब्ल्यू.एस. के ढांचे के निर्माण के समय, भूकंप/ बाढ़ या चक्रवात/भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)/केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण इंजिनियरिंग संगठन (सी.पी.एच.ई.ई.ओ.) जैसे संस्थानों द्वारा जारी मानकों/संहिता प्रावधानों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करने से दीर्घकाल तक टिकाऊ बने रहने वाले बुनियादी ढांचे का सृजन सुनिश्चित किया जा सकेगा;

v.) एस.एल.एस.एस.सी. से अपेक्षित है कि योजनाओं को मंजूरी देते समय वह सत्यापित करें कि प्रस्तावित जल आपूर्ति अवसंरचना को आपदाओं से कितना खतरा है और सत्यापन के बाद बैठक के कार्यवृतों में उसे अपना मत उपर्युक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, लिखित में दर्ज कराना चाहिए।

vi.) 'ग्राम कार्य योजना' तैयार करते समय, इन पहलुओं पर स्थानीय समुदायों के ज्ञान और जानकारी को कार्यस्थलों तथा आयोजना को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

आपदा के लिए तैयारी: इस प्रक्रिया में ऐसे उपाय शामिल होते हैं, जिनसे सरकारों, समुदायों और व्यक्तियों को आपदा स्थितियों में तेजी से कार्रवाई करने और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षमता प्राप्त होती है।

आकस्मिक आयोजनाओं में स्थायी जल स्रोतों की अवस्थिति और जल-आपूर्ति प्रणालियों की संरचना का उल्लेख होना चाहिए। प्रभावी आपदा तैयारियों और आपदा पश्चात रिकवरी में यह ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। आकस्मिक आयोजना में जलग्रहण क्षेत्रों, जलाशयों और वितरण प्रणालियों के प्रति संभावित जोखिमों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

आपदा-प्रवण (प्रोन) क्षेत्रों जैसे तटीय क्षेत्रों, बाढ़-प्रवण (प्रोन) क्षेत्रों, हिमालयी क्षेत्र के राज्यों को चाहिए कि वे निकटतम

संभावित सुरक्षित स्थानों पर स्थायी मोबाइल जल शोधन संयंत्र लगाने की योजना बनाएं और इन संयंत्रों की एक सूची तैयार करें। इसी तरह, हैंडपंप जैसे बहुत से स्पॉट सोर्स पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. और विभिन्न राज्य योजनाओं के तहत तैयार किए गए हैं। चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, हैंडपंप, पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए उस समय तक के लिए अंतरिम समाधान प्रदान करते हैं, जब तक कि पाइपलाइनों के माध्यम से पानी की आपूर्ति फिर से बहाल नहीं हो जाती। इस प्रकार, इन हैंड पंपों की कार्यशीलता की समय-समय पर जाँच करके उनका रख रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हैण्डपम्पों के प्लेटफ़ॉर्म को ऊंचा उठा देने से हैंडपंप के पानी में बाढ़ के पानी के मिश्रण को रोका जा सकेगा और आपदा की तैयारियों के लिए राज्यों के पास उपलब्ध धन का उपयोग करके या स्टेट फ़ंड द्वारा यह कार्य किया जा सकता है।

जवाबी कार्रवाई के लिए आपातकालीन तैयारी

सभी स्तरों, अर्थात् विभागीय (राज्य स्तर), जिला और ग्राम स्तर पर तैयारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तैयारियों के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं:

i.) आपदा पश्चात् होने वाली क्षति और जरूरतों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों की पहचान और उन तक पहुंच;

ii.) संक्रमणकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए आकलन और आयोजना; और आपदा प्रभावित प्रणालियों की पुनर्बहाली। राज्य सरकारों द्वारा संबंधित विषयगत पाठ्यक्रमों में एक ठोस और एकीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए;

iii.) शिविरों और बड़े पैमाने पर सामने आने वाली वाली अन्य विस्थापन परिस्थितियों में संक्रमणकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए आपातकालीन जल आपूर्ति किटों की पहले से व्यवस्था करके रखा जाना;

iv.) समवर्ती निगरानी के भाग के रूप में रोग चौकसी के संदर्भ में जल गुणवत्ता चौकसी;

v.) स्थानीय बाढ़ की स्थिति को कम से कम स्तर पर लाने, सीवेज ओवरफ्लो रूटिंग या भंडारण के लिए नई प्रणालियों का अनुकूलन करना या डिजाइन करना; तथा

vi.) नालियों और सीवरों को नियमित रूप से साफ करने के लिए निवारक रख रखाव की व्यवस्था करना।

आपदा के दौरान: इस अवधि के दौरान, पीड़ित लोगों की जरूरतों और सुविधाओं का ध्यान रखकर उनकी तकलीफों को समाप्त और कम किया जाता है।

आपदा की स्थिति में जवाबी कार्रवाई के प्रमुख घटक निम्निलिखित होंगे:

i.) संक्रमणकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधनों तक पहुंच;

ii.) शिविरों में और अन्य जन विस्थापन स्थितियों में, पहले से तैयार करके रखे गए आपातकालीन जल आपूर्ति किट;

iii.) प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल जल शोधन संयंत्रों की स्थापना;

iv.) क्षेत्र परीक्षण किट का उपयोग करके रोगों पर नज़र रखे जाने के संदर्भ में पानी की गुणवत्ता की चौकसी;

v.) पर्याप्त संख्या में शुद्धिकरण किटों की आपूर्ति।

आपदा के बाद: बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि जैसी आपदाओं की स्थिति में पेयजल और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना सबसे बड़े मुद्दों में से एक है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में लिया जाना चाहिए। किसी आपदा के बाद, महत्वपूर्ण चुनौती यह होती है कि तेजी से और स्थायी रिकवरी किस प्रकार की जाए, जिससे संकट कालीन परिस्थितियां पुन: पेश न हों। आपदा के बाद किए जाने वाले पुनर्निर्माण का उद्देश्य, आपदापूर्व जल आपूर्ति की स्थिति को बहाल करना होता है। इसमें क्षतिग्रस्त जल स्रोत और जल आपूर्ति अवसंरचना के त्वरित और प्रभावी प्रतिस्थापन जैसे कार्यकलाप शामिल हैं। ऐसा करते समय, लंबी अवधि के विकास परिदृश्यों और संभावित आपदा-प्रवणता पर ध्यान दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जल आपूर्ति के बुनियादी ढाँचे को फिर से और बेहतर तरीके से तैयार किया जाए। इस प्रकार, सामग्री के चयन के साथ-साथ निर्माण आयोजना में आपदा के प्रति उत्थानशीलता का सायास एकीकरण करने से जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को आपदा से अप्रभावित रखने वाली अवसंरचना का सृजन हो सकेगा बजाय इसके कि उसी प्रकार की स्थितियां पुन: निर्मित हो जाएं।

वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में राज्यों को किए जाने वार्षिक आबंटन के 25% भाग का उपयोग फ्लेक्सी-फंड के रूप में किया जा सकता है। आपदा पश्चात रिकवरी कार्यों के लिए धन की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जल जीवन मिशन के तहत राज्यों के पास उपलब्ध फ्लेक्सी-फंड का उपयोग किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्राकृतिक आपदाओं/महामारियों और आंतरिक संकटों से उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित चुनौतियों/मुद्दों का ध्यान रखने के लिए जल जीवन मिशन के तहत उपलब्ध वार्षिक आबंटन का कम से कम 5% भाग अलग करके रखें और यदि यह राशि अप्रयुक्त रहे तो इसका उपयोग राज्य द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में एफ.एच.टी.सी. कवरेज के लिए किया जा सकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, राज्यों को अनुवर्ती वित्त आयोगों द्वारा राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एस.डी.आर.एफ.) भी प्रदान की जाती रही है। उस निधि का उपयोग पोस्ट डिजास्टर रिकवरी कार्यों में पेयजल और स्वच्छता प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि आपदा के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के अनुरोध पर गृह मंत्रालय/कृषि मंत्रालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीमों का गठन किया जाता है, और वे राज्य का दौरा करके आपदा का आकलन करती हैं और इस हेतु धनराशि की सिफारिश करती हैं। इस सिफारिश के आधार पर, एस.डी.आर.एफ.से ऊपर अतिरिक्त फंड राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष (एन.डी.आर.एफ.) के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 35 खंड 2 (ख) में यह उपबंध है कि-

"भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास आयोजनाओं और परियोजना में आपदाओं के शमन और रोकथाम के लिए उपायों का एकीकरण सुनिश्चित किया जाए"।

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) विभाग/राष्ट्रीय मिशन के पोर्टल पर उपलब्ध है। आपदा की स्थिति में पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर राज्य को एक सुविचारित आपदा प्रबंधन कार्यनीति तैयार करनी चाहिए।

बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

अतिरिक्त वित्त-पोषण के लिए राज्यों को एक महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध होता है और वह स्रोत है- बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाएं (ई.ए.पी.)। इस स्रोत के माध्यम से राज्य, जल जीवन मिशन कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली धन की कमी को पूरा कर सकते हैं। राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे ई.ए.पी. का अंतिम लक्ष्य एफ.एच.टी.सी. की व्यवस्था करना है, और ऐसी परियोजनाएं ग्रामीण और शहरी - दोनों क्षेत्रों को कवर करने वाली होनी चाहिए। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित ई.ए.पी. के माध्यम से बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त करें।

ई.ए.पी.के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से, यह उल्लेख किया जाएगा कि इसके तहत प्रदान किए जाने वाले एफ.एच.टी.सी. की संख्या क्या होगी और यह भी बताना होगा कि एस.ए.पी. पर आधारित ग्रामीण कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों के समग्र प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो सकेगी। राज्यों को आर्थिक कार्य विभाग, जो बाहरी सहायता प्रक्रमण प्रक्रिया के लिए नोडल विभाग है, के दिनांक 25.11.2019 के पत्र सं. 8/1/2019-बी.पी.सी.एण्ड टी. के अंतर्गत जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

बाह्य सहायता की मांग करने की संक्षिप्त प्रक्रिया निम्नानुसार है:

i.) सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार अनंतिम वित्तीय विवरण के साथ एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पी.पी.आर.) प्रस्ताव तैयार करना होगा। उस पी.पी.आर. को आर्थिक कार्य विभाग के ऑनलाइन पोर्टल[24] पर जमा कराया जाना होगा। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नोडल अधिकारी ऑनलाइन पी.पी.आर. को सत्यापित/पृष्ठांकित करेगा और संबंधित पोर्टल पर ही इस प्रस्ताव को, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय और नीति आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन मार्क करेगा। यदि अपेक्षित गतिविधियाँ एक से अधिक मंत्रालयों से संबंधित हों, तो इन्हें सभी मंत्रालयों को पृष्ठांकित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, शहरी और ग्रामीण जल आपूर्ति - दोनों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पी.पी.आर. जमा करते समय राज्यों से अपेक्षित होगा कि वे, बाहरी सहायता लेने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय दोनों को पी.पी.आर. टैग करें;

ii.) पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, पी.पी.आर. का प्रेषण, संबंधित मंत्रालयों के अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को ऑनलाइन किया जाना चाहिए। विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में, पी.पी.आर. को सूचना के लिए गृह मंत्रालय को प्रेषित किया जाना है। विधानमंडल रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिए, पी.पी.आर. को गृह मंत्रालय के नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित/पृष्ठांकित किया जाएगा और इस पी.पी.आर. को भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों को ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा;

iii.) जिन नोडल मंत्रालयों/विभागों को पी.पी.आर. प्रेषित किया गया है, वे क्रमशः पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में अपनी टिप्पणी 45 दिन और अन्य राज्यों के मामले में अपनी टिप्पणी 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन दे सकते हैं;

iv.) बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं संबंधी प्रस्ताव का ताल-मेल, राज्य तथा भारत सरकार की विकास प्राथमिकताओं के साथ होना चाहिए। इस परियोजना के "वित्तपोषण प्लस" तत्वों पर विशेष बल दिया जाना है;

v.) संबंधित मंत्रालय/विभाग, आवश्यक तकनीकी मूल्यांकन करने के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट आर्थिक कार्य विभाग को ऑनलाइन भेज देंगे। संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में, रिपोर्ट की एक प्रति, सूचना के लिए गृह मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएगी;

vi.) सिफारिशों/टिप्पणियों के साथ ऑनलाइन प्राप्त पी.पी.आर. को आर्थिक कार्य विभाग की स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखा जाएगा। मानदंडों को पूरा न करने वाली परियोजनाओं को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा, यथा-स्थिति, अस्वीकृत या वापस कर दिया जाएगा।

[24]https://eapdea.gov.in/ppr/

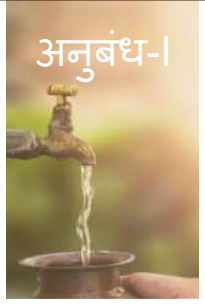

राज्य-वार घरेलू नल कनेक्शन

पाइपलाइन जल आपूर्ति कनेक्शन वाले अलग-अलग ग्रामीण परिवारों की संख्या (राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा-सूचित, 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार)				
क्र. सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल परिवार**	**कुल घरेलू कनेक्शन**	**स्थायी जल आपूर्ति वाले कुल घरेलू कनेक्शनों का प्रतिशत**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	65,096	6,604	10.15
2	आंध्र प्रदेश	91,29,939	30,60,696	33.52
3	अरुणाचल प्रदेश	2,20,826	20,069	9.09
4	असम	57,92,987	127962	2.21
5	बिहार	1,78,46,077	3,36,178	1.88
6	छत्तीसगढ़	43,17,108	3,85,417	8.93
7	गोवा*	16,14,59	0	0
8	गुजरात	64,77,917	50,82,540	78.46
9	हरियाणा	32,88,145	17,58,292	53.47
10	हिमाचल प्रदेश	13,48,841	7,59,047	56.27
11	जम्मू और कश्मीर	16,36,151	4,91,152	30.02
12	झारखंड	50,28,402	2,88,992	5.75
13	कर्नाटक	80,72,422	35,36,476	43.81
14	केरल	91,75,250	15,36,707	16.75
15	मध्य प्रदेश	1,08,90,226	13,28,100	12.2
16	महाराष्ट्र	1,32,03,245	50,74,878	38.44
17	मणिपुर	4,38,943	24,512	5.58
18	मेघालय	4,60,527	4,359	0.95
19	मिजोरम	1,03,949	16,359	15.74
20	नागालैंड	3,17,975	15,559	4.89
21	ओडिशा	81,25,852	3,19,955	3.94
22	पुदुचेरी	82,258	41,418	50.35
23	पंजाब	33,01,599	17,59,212	53.28
24	राजस्थान	92,84,150	11,49,036	12.38
25	सिक्किम	88,013	87,431	99.34
26	तमिलनाडु	98,62,767	29,33,243	29.74
27	तेलंगाना	54,09,686	18,13,791	33.53
28	त्रिपुरा	8,59,052	27,358	3.18
29	उत्तर प्रदेश	2,58,81,064	3,45,452	1.33
30	उत्तराखंड	15,09,758	2,16,182	14.32
31	पश्चिम बंगाल	1,63,35,210	2,14,683	1.31
जोड़		**17,87,14,894**	**3,27,61,660**	**18.33**

*गोवा में 30.11.2019 तक की स्थिति के अनुसार कवरेज 88.51% है
स्रोत: आई.एम.आई.एस., डी.डी.डब्ल्यू.एस.

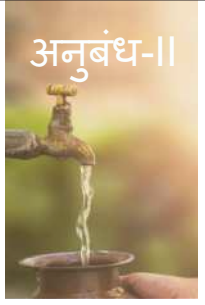

वर्ष 20___ - 20__ के लिए उपयोग प्रमाणपत्र

(आर.डब्ल्यू.एस. के सचिव/ प्रभारी प्रधान सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा)

(एस.सी.एस.पी., टी.एस.पी. और सामान्य मदों के तहत निधियों के आबंटन, अवमुक्ति और उपयोग का अलग-अलग ब्यौरा पैरा 1 और 2 में दिया जाना होगा)

केन्द्रीय निधि / राज्य निधि*

क्रम संख्या पत्र संख्या और दिनांक .....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हाशिए पर दिए गए विवरण के अनुसार_____ को भारत सरकार / (राज्य का नाम)* से वर्ष 20___-___ के लिए सहायता अनुदान के रूप में _____ (यथा-स्थिति) द्वारा केवल रु._____ की राशि प्राप्त की गई थी। _____ रूपये की धनराशि बैंक ब्याज थी जिसे कवरेज/ जे.ई. - ए.ई.एस. में जमा किया गया था। इसके अलावा, पिछले वर्ष 20__-__ की अनखर्ची धनराशि रु _____ को वर्ष के दौरान उपयोग के लिए अग्रेनीत करने की अनुमति दी गई थी।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कुल____ रूपये की निधि में से_____ से____ तक के दौरान उस उद्देश्य, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था, के लिए केवल रु. ___ धनराशि का उपयोग किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष के अंत में केवल____ रु. का अप्रयुक्त शेष था और उसे अगले वर्ष इस कार्यक्रम के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	राशि (लाख रु. में)			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	कुल
1.	आदि शेष				
2.	अनुदान की प्राप्ति (i) संस्वीकृति आदेश संख्या और दिनांक (ii) संस्वीकृति आदेश संख्या और दिनांक				
3.	ब्याज				
4.	अन्य प्राप्तियाँ				
	कुल निधि				
5.	व्यय				
6.	अन्त शेष				

3. प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों पर अनुदान संस्वीकृत किया गया था, उन्हें विधिवत पूरा किया गया है / पूरा किया जा रहा है और यह देखने के लिए कि जिस प्रयोजन के लिए धन की संस्वीकृति दी गई थी, उस धन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, मैंने निम्नलिखित जाँच की है।

   i) सनदी लेखाकार/ महालेखापरीक्षक (जैसा भी मामला हो) द्वारा ..... से ..... तक का विधिवत संपरीक्षित लेखा विवरण प्राप्त और स्वीकृत किया गया।

   ii) यह सुनिश्चित किया गया है कि वास्तविक और वित्तीय निष्पादन, भारत सरकार/राज्य सरकार* द्वारा जारी कार्यक्रम दिशानिर्देशों में यथा-निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार रहा हो ।

4. पूर्वोक्त निधि के उपयोग के परिणामस्वरूप निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं:

   i) कवरेज के संदर्भ में परिणाम (सत्यापन योग्य स्वरूप में)

क. .....माह तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) का प्रावधान				
क्र. सं.	**प्रदान किए गए एफ.एच.टी.सी.**	**वर्ष के लिए ए.ए.पी. लक्ष्य**	**वर्ष के दौरान/ ..... तक उपलब्धियाँ**	**उपलब्धियों का %**
1.	प्रदान किए गए कुल एफ.एच.टी.सी.			
2.	एस.सी. परिवारों को प्रदान किए गए एफ.एच.टी.सी.			
3.	एस.टी. परिवारों को प्रदान किए गए एफ.एच.टी.सी.			
4.	अल्पसंख्यक केन्द्रित जिलों में प्रदान किए गए एफ.एच.टी.सी.			
5.	आकांक्षी जिलों में प्रदान किए गए एफ.एच.टी.सी.			

ख. कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से ..... माह तक गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों का कवरेज (जे.ई.- ए.ई.एस. निधियों सहित)				
क्र. सं.	**संदूषण**	**वर्ष के लिए ए.ए.पी. लक्ष्य**	**वर्ष के दौरान/ ..... तक उपलब्धियाँ**	**उपलब्धियों का %**
1.	जे.ई.- ए.ई.एस. प्रभावित			

ग. कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से ..... माह तक गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों का कवरेज (एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम. निधियों सहित)				
क्र. सं.	**संदूषण**	**वर्ष के लिए ए.ए.पी. लक्ष्य**	**वर्ष के दौरान/ ..... तक उपलब्धियाँ**	**उपलब्धियों का %**
1.	आर्सेनिक			
2.	फ्लोराइड			
3.	लौह तत्व			
4.	नाइट्रेट			
5.	लवणता			
6.	भारी धातु			
	कुल			

ii) कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से कवरेज और योजनाओं के कार्यान्वयन के संदर्भ में परिणाम (सत्यापन योग्य स्वरूप में)

क्र. सं.	**कार्यान्वित योजनाओं का प्रकार**	**वर्ष के लिए ए.ए.पी. लक्ष्य**	**वर्ष के दौरान/ ..... तक उपलब्धियाँ**	**उपलब्धियों का %**
क.	एकल ग्राम पाइपलाइन जल आपूर्ति योजनाएं धरातली स्रोत भूजल स्रोत			
ख.	बहु-ग्राम पाइपलाइन जल आपूर्ति योजनाएं धरातली स्रोत भूजल स्रोत			
	जोड़			

हस्ताक्षर_____पदनाम_____ स्थान _____ दिनांक _____

प्रति हस्ताक्षर (ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी सचिव के) _____ स्थान _____ दिनांक _____

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए प्रारूप

(जल जीवन मिशन/ सहायता और जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी के लिए समेकित लेखापरीक्षा रिपोर्ट)

(राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) और सहायता/ जल गुणवत्ता निगरानी एवं चौकसी निधि की लेखा परीक्षा रिपोर्टें अलग-अलग प्रस्तुत की जाएं)

इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे: -

i.) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

ii.) प्राप्ति और भुगतान लेखा

iii.) आय और व्यय लेखा

iv.) तुलन पत्र

v.) लेखाओं के भाग के रूप में टिप्पणियां (वास्तविक आउटपुट के बारे में रिपोर्टिंग)

vi.) लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां 'अनुलग्नक' के रूप में (किसी भी टिप्पणी के मामले में, दिए गए उत्तर पर सनदी लेखाकार द्वारा प्रति हस्ताक्षर आवश्यक हैं)

अति महत्वपूर्ण टिप्पणी: सभी दस्तावेज की मूल प्रति दी जाएगी और एस.डब्ल्यू.एस.एम. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आधिकारिक मुहर के साथ इन पर प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

i.) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

डाक पता:

1. हमने, 31 मार्च, 20.. तक की स्थिति के अनुसार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ('अनुदान प्राप्तकर्ता') - "लेखा - पूर्व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) और जल जीवन मिशन (जैसा भी मामला हो)" के संलग्न तुलन पत्र की लेखा परीक्षा की है और साथ ही, उसके साथ संलग्न, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखे की भी लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण अनुदानप्राप्तकर्ता के प्रबंधकवर्ग की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने की है।

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा, सामान्य तौर पर भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की आयोजना इस प्रकार तैयार करें कि हमें इस आशय का पर्याप्त आश्वासन प्राप्त हो सके कि ये वित्तीय विवरण, गंभीर मिथ्याकथन से मुक्त हैं। किसी लेखा परीक्षा में यह कार्य शामिल होता है कि वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और किए गए प्रकटीकरणों की, परीक्षण के आधार पर जाँच की जाए। लेखापरीक्षा के अंतर्गत, प्रबंधकवर्ग द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है। हम मानते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा से हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ है।

3. ऊपर उल्लिखित अनुलग्नक में हमारी टिप्पणी के अलावा, हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

   i. हमने, अपने लेखा परीक्षा प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार प्राप्त किए हैं;

   ii. हमारी राय में, अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा आवश्यक लेखा बहियां उचित स्थिति में तैयार की गई हैं, जैसा कि उन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रकट होता है;

   iii. इस रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय लेखे और प्राप्ति व भुगतान लेखे लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

   iv. हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एवं इस रिपोर्ट में संलग्न हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. तुलन पत्र से 31.3.20.. तक की स्थिति के अनुसार, अनुदान प्राप्तकर्ता "लेखा - पूर्व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)/ जल जीवन मिशन-जे.जे.एम. (जैसा भी मामला हो)" के क्रियाकलापों और स्थिति की वास्तविक और सही तस्वीर प्राप्त होती है ।

   ख. आय और व्यय लेखे से, 31.03.20.. को समाप्त अवधि के संबंध में, व्यय से अधिक आय की वास्तविक और सही तस्वीर प्राप्त होती है।

   ग. प्राप्ति और भुगतान लेखे से, कार्यक्रम/योजना के अंतर्गत, 31.03.20.. को समाप्त हुई अवधि में हुए लेनदेनों की वास्तविक और सही तस्वीर प्राप्त होती है।

   घ. आय और व्यय लेखे में संसूचित किया गया व्यय, उसी अवधि से जुड़े उपयोग प्रमाणपत्र (त्रों) में उचित रूप से परिलक्षित हो रहा है।

(मुहर सहित सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर)

पूरा नाम _____

सदस्यता सं._____

सी.ए.जी पैनल सूचीकरण संख्या एवं वर्ष/ संपर्क सं.

ii.) प्राप्ति और भुगतान लेखा

1 अप्रैल, 20.. से 31 मार्च, 20.. तक की अवधि के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

योजना का नाम - जल जीवन मिशन (पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)

(रू. लाख में)

प्राप्तियां	राशि	भुगतान	राशि
1. आदि शेष i) रोकड़ शेष ii) बैंक में नकदी iii) मंडल/जिलों आदि में जमा राशियाँ		1. निम्नलिखित को दिए गए अग्रिम i) कार्यान्वयन एजेंसियाँ ii) अन्य कोई एजेंसियाँ आदि	
2. अनुदानों की प्राप्तियां i) केन्द्र सरकार ii) राज्य सरकार iii) अन्य एजेंसियाँ		2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और/ या जे.जे.एम. के अंतर्गत किए गए अनुमोदित कार्य के प्रयोजन से व्यय; एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. और/या जे.जे.एम. (सामान्य घटक) एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम. जे.ई. - ए.ई.एस.	
3. बैंकों से प्राप्त ब्याज		3. लेखा परीक्षा शुल्क	
4. निम्नलिखित से प्राप्त अग्रिम/ऋण/ अनुदान का पुनर्भुगतान i) कार्यान्वयन एजेंसियाँ ii) अन्य कोई एजेंसियाँ आदि		4. अंत शेष	
5. विविध			

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

कार्यालय की मुहर

संपर्क सं.

(मुहर सहित सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर)

पूरा नाम: _____

सदस्यता सं._____

सी.ए.जी पैनल सूचीकरण संख्या और वर्ष

iii.) आय और व्यय लेखा

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

1 अप्रैल, 20.. से 31 मार्च, 20.. तक की अवधि के लिए आय और व्यय लेखा

योजना का नाम - जल जीवन मिशन (पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)

(रू. लाख में)

व्यय	धनराशि	आय	धनराशि
1. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और/ या जे.जे.एम. के अंतर्गत किए गए अनुमोदित कार्य के प्रयोजन से व्यय; एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. और/या जे.जे.एम. (सामान्य घटक) एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम. जे.ई. - ए.ई.एस. 2. लेखा परीक्षा शुल्क 3. तुलन पत्र में अग्रेनीत व्यय से अधिक आय i) रोकड़ शेष ii) बैंक में नकदी iii) मंडल/जिलों आदि में जमा राशियाँ 2. अनुदानों की प्राप्ति i) केन्द्र सरकार ii) राज्य सरकार iii) अन्य एजेंसियाँ 3. बैंकों से प्राप्त ब्याज 4. निम्नलिखित से प्राप्त अग्रिम/ऋण/ अनुदान का पुनर्भुगतान i) कार्यान्वयन एजेंसियाँ ii) अन्य कोई एजेंसियाँ आदि 5. विविध		1. निम्नलिखित से प्राप्त सहायता अनुदान/सब्सिडी (क) केन्द्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) अन्य एजेंसियाँ 2. वर्ष के दौरान बैंक खातों से प्राप्त हुआ ब्याज वर्ष के दौरान प्राप्त जोड़ें: वर्ष के दौरान उपार्जित घटाएं: पिछले वर्ष से संबंधित 3. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा खर्च न किए गए अनुदानों का रिफंड 4. विविध प्राप्तियाँ 5. तुलन पत्र में अग्रेनीत अतिरिक्त व्यय	

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

कार्यालय की मुहर

संपर्क सं.

(मुहर सहित सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर)

पूरा नाम: _____

सदस्यता सं._____

सी.ए.जी. पैनल सूचीकरण संख्या और वर्ष

iv.) तुलन पत्र

31 मार्च, 20.. की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

योजना का नाम - जल जीवन मिशन (पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)

(रू. लाख में)

पूँजी निधियों की आवश्यकता	पिछले वर्ष की धनराशि	चालू वर्ष की धनराशि
संचित निधि आदि शेष जोड़ें/घटाएँ आय और व्यय खाते से अंतरित बकाया **मौजूदा देयताएँ** i.) बकाया व्यय/देय ii.) अन्य कोई देयता		
जोड़		
परिसंपत्तियां		
नियत परिसंपत्तियां (i) वाहन (ii) फर्नीचर और जुड़नार (iii) कार्यालय उपकरण (iv) कम्प्यूटर और संबद्ध उपस्कर (v) अन्य आदि **वर्तमान परिसंपत्तियाँ और अग्रिम** (i) स्टॉक (ii) अन्य योजनाओं में अस्थायी रूप से अंतरित वसूलीयोग्य निधियाँ (iii) अंत शेष (क) रोकड़ शेष (ख) बैंक में नकदी (ग) खाते में प्राप्य राशियां और वसूलीयोग्य अग्रिम (i) कार्यान्वयन एजेंसियाँ (ii) अन्य एजेंसियाँ (iii) कर्मचारी (iv) आपूर्तिकर्ता आदि		
जोड़		

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

कार्यालय की मुहर

संपर्क सं.

(मुहर सहित सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर)

पूरा नाम: _____

सदस्यता सं._____

सी.ए.जी. पैनल सूचीकरण संख्या और वर्ष

प्राप्तियों का घटक-वार विवरण

राज्य जल और स्वच्छता मिशन _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष के लिए एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. और/ या जे.जे.एम. के अंतर्गत प्राप्त धन का घटक वार विवरण निम्नानुसार है।

	आदि शेष	अनुदान	बैंक से प्राप्त ब्याज	व्यय	अंत शेष
सामान्य घटक (एफ.एच.टी.सी. का कवरेज)					
एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम.					
जे.ई. - ए.ई.एस.					
जोड़					

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

कार्यालय की मुहर

संपर्क सं.

(मुहर सहित सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर)

पूरा नाम: _____

सदस्यता सं._____

सी.ए.जी. पैनल सूचीकरण संख्या और वर्ष

संपर्क सं. _____

v.) लेखाओं के भाग के रूप में दी गई टिप्पणियाँ

राज्य जल और स्वच्छता मिशन

आय और व्यय लेखे में यथा-संसूचित प्रयुक्त निधियों के लिए वास्तविक परिणाम: जल जीवन मिशन (पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.):

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के घटक	वास्तविक परिणाम (सत्यापन योग्य स्वरूप में)
एफ.एच.टी.सी. कवरेज : i. हैंडपम्प ii. एकल ग्राम पाइपलाइन जल आपूर्ति योजनाएं - धरातली स्रोत - भूजल स्रोत iii. बहु ग्राम पाइपलाइन जल आपूर्ति योजनाएं - धरातली स्रोत - भूजल स्रोत iv. अन्य (डगवेल, सेनेटरी वेल) v. स्थायित्व संरचनाएँ और उनकी श्रेणी आदि vi. जे.ई. - ए.ई.एस. vii. एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम. viii. अन्य (यदि कोई हो)	

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

कार्यालय की मुहर

संपर्क सं.

(मुहर सहित सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर)

पूरा नाम: _____

सदस्यता सं._____

सी.ए.जी. पैनल सूचीकरण संख्या और वर्ष

संपर्क सं.

vi.) लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

राज्य जल और स्वच्छता मिशन _____

अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन का नाम:

क्र. सं.	मुद्दे	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
1.	प्राप्ति और भुगतान लेखे का आदि शेष और अंत शेष रोकड़ बही से मेल खाता है।	
2.	गत वर्ष का अंत शेष, अंगीकृत आदि शेष से मेल खाता है।	
3.	क्या अनुदान प्राप्तकर्ता या अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों ने इस अवधि के दौरान, मौजूदा दिशानिर्देशों के उल्लंघन में एक योजना से दूसरी केन्द्रीय योजना में या राज्य द्वारा वित्त-पोषित योजना में निधियों को डायवर्ट/अंत:अंतरित किया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।	
4.	क्या वर्ष के दौरान अनुदान प्राप्तकर्ता या अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा धन का कोई गलत उपयोग/ असंगत व्यय किया गया है और धन की हेराफेरी की गई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।	
5.	योजना के लिए बैंक खाते निर्धारित संख्या में ही हैं	
6.	वर्ष के दौरान किसी भी समय पर नकारात्मक शेष नहीं था।	
7.	क्या धनराशि जारी करते समय मंत्रालय द्वारा संस्वीकृति आदेश में कुछ शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है, क्या वे शर्तें पूरी की गई हैं।	
8.	योजना की निधि केवल बचत खाते में ही रखी गई है।	
9.	अर्जित ब्याज को योजना की निधि में जोड़ दिया गया है।	
10.	क्या ब्याज की धनराशि का उपयोग केवल मौजूदा दिशानिर्देशों में यथा-निर्धारित कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए ही किया गया है।	
11.	कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष के लिए राज्य का हिस्सा वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ है।	
12.	सभी प्राप्तियां/रिफंड, योजना के बैंक खाते में सही ढंग से लेखांकित और प्रेषित किए गए हैं	
13.	योजना की निधियों को राज्य के ख़जाने में नहीं रखा जा रहा है।	
14.	बैंक से मिलान नियमित रूप से किया जा रहा है।	
15.	पिछले लेखा परीक्षक का नाम और पता	

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

कार्यालय की मुहर

संपर्क सं.

(मुहर सहित सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर)

पूरा नाम: _____

सदस्यता सं._____

सी.ए.जी. पैनल सूचीकरण संख्या और वर्ष

संपर्क सं.

अमान्य खर्चों की सांकेतिक सूची

i) भूमि, वाहन आदि की खरीद

ii) सेंटेज चार्ज

iii) भवन, कार्यालय भवन का निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत, भवन का विस्तार, कॉन्फ्रेंस हॉल, गेस्ट हाउस, आवासीय भवन, आदि का निर्माण/नवीनीकरण/ मरम्मत।

iv) निविदा प्रीमियम

v) जे.जे.एम. योजनाओं से राज्य योजनाओं के लिए फंड का डाइवर्जन

vi) योजनाओं की अनुमानित/ अनुमोदित लागत से अधिक व्यय

vii) स्थायी कर्मचारी को वेतन का भुगतान

कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आई.एस.ए.) के चयन के लिए मानदंड

एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ऐसी उपयुक्त कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों की पहचान की जाएगी जो निम्नलिखित क्षेत्र में काम कर रही हों-

i) पेयजल और सामुदायिक प्रबंधन

ii) जल गुणवत्ता

iii) वर्षा जल संचयन/ पुनर्भरण, जल संसाधन प्रबंधन

iv) क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन

v) लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग

vi) जेंडर और जल

कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित होंगे:

i) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संगठनों या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 के तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यासों या कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत निगमों या जिलों के अंन्दर मौजूद अनुभवी स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) सहित 4 (क) के तहत आने वाले पंजीकृत संगठन, जिन्हें न्यूनतम 3 साल का अनुभव हो;

ii) संगठन को एक गैर-लाभकारी संगठन होना चाहिए या ऐसा संगठन होना चाहिए, जो अपने लाभ या अन्य आय, यदि कोई हो, का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों को बढ़ावा देने में करता हो;

iii) उस व्यक्ति को पूर्वोक्त क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव, गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष/ बोर्ड/ या संगत प्राधिकारी के रूप में हो, जिसका प्रस्ताव इस पहल का नेतृत्व करने के लिए किया गया हो;

iv) सामुदायिक मोबिलाइजेशन में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए.) तकनीकों और अन्य संचार साधनों का उपयोग करने का अनुभव;

v) पिछले तीन वर्षों के विधिवत संपरीक्षित और सही ढंग से तैयार किए गए लेखे और आयकर रिटर्न तथा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट।

आई.एस.ए. की चयन प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

i) जो संगठन पैनल में शामिल होने की इच्छा रखते है, वे अपना पंजीकरण जे.जे.एम. पोर्टल पर कराएंगे और एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा पोर्टल से आई.एस.ए. के चयन के लिए एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनायी जाएगी और उन्हें उनके राज्य के लिए पैनल में सूचीबद्ध किया जाएगा;

ii) संबंधित क्षेत्रों में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले संगठनों पर ही विचार किया जा सकता है और समुदाय-आधारित ग्रामीण जल आपूर्ति को सुकर बनाने की तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाले आई.एस.ए. को प्राथमिकता दी जाएगी।

कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों की पूर्व-आवश्यकताएं:

i) वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संगठन द्वारा अलग बैंक खाता खोला जाएगा।

ii) ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में काम करना उनके 'मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन' में एक गतिविधि के रूप में प्रतिबिंबित होना चाहिए।

iii) विभाग द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी/ अन्य पक्ष एजेंसी द्वारा संगठन का निरीक्षण किया जा सकता है।

कार्यशीलता मूल्यांकन

1. डी.डी.डब्ल्यू.एस., भारत सरकार द्वारा एफ.एच.टी.सी. की कार्यशीलता का मूल्यांकन किया जाएगा।
2. पूरे हो चुके एस.वी.एस. और एम.वी.एस. के साथ-साथ उन परिवारों के नमूना सेट का सर्वेक्षण किया जाएगा, जो इन योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए हैं।
3. एफ.एच.टी.सी. की कार्यशीलता का मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों पर किया जाएगा:

   I) एफ.एच.टी.सी. के माध्यम से जल आपूर्ति की मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता:

	पूरी तरह से कार्यशील	आंशिक रूप से कार्यशील	निष्क्रिय
मात्रा	> = 55 एल.पी.सी.डी.	>40 एल.पी.सी.डी. <55 एल.पी.सी.डी.	<40 एल.पी.सी.डी.
गुणवत्ता	पीने योग्य	पीने योग्य	पीने योग्य नहीं
नियमितता *	12 महीने या दैनिक आधार पर	9-12 महीने <दैनिक आधार पर	<9 महीने <दैनिक आधार पर

   i) क्या ग्राम पंचायत की उप-समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो क्या प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है?

   ii) क्या जल प्रशुल्क एकत्र किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-सा तंत्र मौजूद है?

   iii) क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना उपलब्ध है? स्रोत स्थायित्व के अन्य कौन-कौन से उपाय किए गए हैं?

   iv) क्या अपशिष्ट निक्षेप जलाशय या अन्य संरचनाओं के माध्यम से गंदले जल के प्रबंधन के लिए प्रावधान किया गया है?

   v) क्या वर्षा जल संचयन के लिए प्रावधान किया गया है?

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत फ्लेक्सी-फंड के लिए दिशा-निर्देश

फाइल संख्या. 55 (5)/ पीएफ-II/ 2011
वित्त मत्रांलय
व्यय विभाग
योजना वित्त- II प्रभाग

नई दिल्ली,

दिनांक - 6 सितंबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत फ्लेक्सी-फ़ंड के लिए दिशा-निर्देश

1. उपर्युक्त विषय पर कृपया इस विभाग के दिनांक 6 जनवरी, 2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ ग्रहण करें। यह विनिर्धारित किया गया था कि केन्द्रीय मंत्रालयों को अपने बजट का 10% हिस्सा, प्रत्येक सी.एस.एस. के तहत एक फ्लेक्सी-फंड के रूप में उपलब्ध कराना चाहिए, सिवाय उन योजनाओं के जो किसी कानून से बनी हों या जिनमें बजटीय आबंटन का पूरा या काफी बड़ा अनुपात लचीले वित्तपोषण का हो।

2. मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की सिफारिशों और हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर, नीति आयोग ने दिनांक 17 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या. ओ-11013/02/2015-सी.एस.एस. और सी.एम.सी. के माध्यम से सी.एस.एस. के युक्तिकरण के लिए निर्देश जारी किए हैं। उक्त का.ज्ञा. के पैरा 6 के अनुसार, प्रत्येक सी.एस.एस. में उपलब्ध फ्लेक्सी-फंड को राज्यों के संबंध में, प्रत्येक योजना के तहत समग्र वार्षिक आबंटन के 10% के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 25% और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 30% कर दिया गया है।

3. ये निर्देश केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए लागू होंगे, सिवाय उन योजनाओं के, जो किसी विधान से बनी हैं (जैसे मनरेगा), या, ऐसी योजनाओं के, जहाँ बजटीय आबंटन का पूरा या काफी बड़ा अनुपात लचीला होता है (जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन आदि)। इस विभाग के का.ज्ञा. संख्या. 55(5)/ पीएफ-II/ 2011 दिनांक: 6 जनवरी, 2014 के प्रावधानों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है:

उद्देश्य

4. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आने वाले फ्लेक्सी-फंड घटक का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है:

   (i) उप-शीर्ष स्तर पर किसी निश्चित योजना के समग्र उद्देश्य के भीतर राज्यों को स्थानीय जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीलापन प्रदान के लिए;

   (ii) उप-शीर्ष स्तर पर किसी निश्चित योजना के समग्र उद्देश्य के भीतर कार्यदक्षता में सुधार हेतु प्रायोगिक नवाचार करने के लिए;

   (iii) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उपशमन/ राहत गतिविधियाँ चलाने, या आंतरिक सुरक्षा गड़बड़ी से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

निधि आबंटन और अनुमोदन

5. राज्य, यदि चाहें, तो केन्द्र द्वारा प्रायोजित किसी भी योजना का 25% (किसी वित्तीय वर्ष में किसी निश्चित योजना के लिए केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी सहित) हिस्सा, किसी भी ऐसी उप-योजना या घटक या नवाचार पर खर्च किए जाने वाले फ्लेक्सी फंड के रूप में निर्धारित कर सकते हैं, जो अनुमोदित योजना के समग्र उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हो।

6. राज्य, जो फ्लेक्सी-फंड सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें फ्लेक्सी-फंड घटक के तहत परियोजनाओं या गतिविधियों को मंजूरी देने के लिए आर.के.वी.वाई. की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एस.एल.एस.सी.) का गठन करना चाहिए। तथापि, किसी भी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत फ्लेक्सी-फंड सुविधा लागू करने से पहले संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय की भागीदारी एस.एल.एस.सी. में अनिवार्य होगी।

7. यह बात नोट की जा सकती है कि किसी भी केन्द्र प्रायोजित योजना की मुख्य विशेषता नाम, संक्षिप्ताक्षर और लोगो होते हैं, जिन्हें फ्लेक्सी फंड घटक के लिए भी बरकरार रखा जाना चाहिए। यदि राज्य द्वारा, इन प्रमुख विशेषताओं में से किसी को भी बदल दिया जाता है, तो केन्द्रीय योगदान समाप्त हो जाएगा और फ्लेक्सी फंड घटक, विशुद्ध रूप से एक राज्य योजना का रूप ले लेगा।

फ्लेक्सी-फंड का उपयोग

8. फ्लेक्सी-फंड, मूल केन्द्र प्रायोजित योजना का हिस्सा बना रहेगा। इस निधि को योजना, उप-योजना और इसके घटकों के स्तर पर संचालित किया जा सकता है, लेकिन अम्ब्रेला कार्यक्रम के स्तर पर नहीं; उदाहरण के लिए, फ्लेक्सी-फंड का उपयोग, प्राथमिक शिक्षा योजना के तहत कोई अभिनव घटक सृजित किए जाने सहित किसी भी उप-योजना या घटक पर किया जा सकता है, लेकिन उच्च शिक्षा या किसी अन्य क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा निधि को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हालांकि, परिणामों की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए एक अम्ब्रैला कार्यक्रम के तहत भिन्न-भिन्न योजनाओं को आमेलित करने के लिए फ्लेक्सी-फ़ंड का उपयोग करने की अनुमति होगी; उदाहरण के लिए, पोषाहार मिशन का उपयोग आंगनवाड़ी सेवाओं को, मातृत्व लाभ के साथ आमेलित करने के लिए किया जा सकता है और स्वास्थ्यचर्या नेटवर्क का उपयोग प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को एक निरंतरता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

9. यह भी ध्यान दिया जाए कि फ्लेक्सी-फंड्स का उद्देश्य राज्यों को स्थानीय जरूरतों को पूरा करने और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में नवाचार करने में सक्षम बनाना है। राज्य की अपनी योजनाओं और परियोजना खर्चों की एवज में फ्लेक्सी-निधियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपयोग सरकारी अधिकारियों के लिए कार्यालयों/ आवासों के निर्माण/ मरम्मत, सामान्य प्रचार, कार्यालयों के लिए वाहनों/ फर्नीचर की खरीद, उपभोक्ता ड्यूरेबल्स/गैर-ड्यूरेबल्स के वितरण, कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन/ पुरस्कार और अन्य अनुत्पादक व्यय के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए।

निगरानी, मूल्यांकन और लेखा परीक्षा

10. मौजूदा एम.आई.एस. में मॉड्यूल जोड़कर, फ्लेक्सी-फंड के उपयोग के लिए वेब-आधारित रिपोर्टिंग को डिज़ाइन किया जा सकता है। सभी राज्यों में अधिक पारदर्शिता और अभिगम सुनिश्चित करने के लिए परिणाम (मध्यम अवधि) और आउटपुट (अल्पावधि) की जानकारी को, चित्रों/ छवियों और उत्तम प्रथाओं के साथ-साथ एम.आई.एस. का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

11. फ्लेक्सी-फंडों का मूल्यांकन मौजूदा मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से किया जा सकता है, जिनमें मंत्रालयों, नीति आयोग या स्वतंत्र अन्य पक्षों द्वारा तय मूल्यांकन तंत्र भी शामिल हैं। मूल्यांकन के लिए नियम और शर्तें इस तरह से डिज़ाइन की जा सकती हैं कि समग्र योजना के साथ-साथ फ्लेक्सी-फ़ंड के परिणामों को अभिनिर्धारित किया जा सके और मापा जा सके।

12. प्रत्येक सी.एस.एस. के अंतर्गत आने वाले फ्लेक्सी-फंड उन्हीं लेखापरीक्षा अपेक्षाओं के अधीन होंगे, जो कि मूल केन्द्र प्रायोजित योजना पर लागू होती हैं, इनमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा भी शामिल है।

13. ये दिशा-निर्देश, वित्त मंत्री के अनुमोदन से जारी किए गए हैं और तत्काल प्रभाव से लागू हैं।

6/9/2016

(अरूणीश चावला)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

1. सचिव, सभी विभाग/ मंत्रालय, भारत सरकार।
2. मुख्य सचिव, सभी राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र।

राज्यों द्वारा पैनल में शामिल की जाने वाली अन्य पक्ष एजेंसियों के चयन के लिए प्रस्तावित मानदंड और विचारार्थ विषय

अन्य पक्ष निरीक्षण एजेंसियों के चयन के लिए मानदंड:

i) फर्म/ एजेंसी/ संस्था के पास जल आपूर्ति और/ या सिविल अवसंरचना से संबंधित परियोजना कार्यों के निरीक्षण का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए;

ii) फर्म को कम से कम दो परियोजनाओं की निगरानी कर चुकने का अनुभव होना चाहिए;

iii) फर्म/ एजेंसी के पास सिविल/ मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल और पर्यावरण के क्षेत्र में बहु-विषयी इंजीनियरी मानव संसाधन होना चाहिए;

iv) फर्म का न्यूनतम कारोबार 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।

अन्य पक्ष निरीक्षण एजेंसियों के विचारार्थ विषय:

1.) निम्नलिखित पहलुओं को कवर करते हुए अंत:ग्राम अवसंरचना के तहत निष्पादित सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल घटकों से संबंधित सभी इंजीनियरिंग कार्यों का निरीक्षण करने के लिए -

क. निम्नलिखित की नमूना जाँच

i) निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री की परीक्षण रिपोर्ट;

ii) कार्यस्थल पर निर्माण के समय पर अपनाए गए गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय;

iii) कार्यस्थल पर निर्माण के समय पर अपनाए गए सुरक्षा उपाय;

iv) निष्पादन एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रमिकों का भुगतान ।

ख. भुगतान के लिए जमा बिल के अनुसार निष्पादित कार्यों की मात्रा और गुणवत्ता

ग. निष्पादित कार्य के लिए भुगतान के बारे में सिफारिशें।

घ. ट्रायल रन के दौरान अंत:ग्राम अवसंरचना का कार्यकरण

2.) सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल घटकों से संबंधित सभी इंजीनियरिंग कार्यों का निरीक्षण करने के लिए अन्त:ग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर (इनटेक स्ट्रक्चर, ट्रीटमेंट प्लांट, इंट्रा और इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क, बैलेंसिंग/ इंटरमीडिएट जलाशय, पम्पिंग और इलेक्ट्रिकल प्रणाली आदि) को छोड़कर अन्य निष्पादित कार्यों का निरीक्षण करना, इस निरीक्षण में निम्नलिखित पहलुओं को कवर किया जाएगा-

क. निम्नलिखित की नमूना जाँच

i) निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री की परीक्षण रिपोर्ट;

ii) कार्यस्थल पर निर्माण के समय पर अपनाए गए गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय;

iii) कार्यस्थल पर निर्माण के समय पर अपनाए गए सुरक्षा उपाय;

iv) निष्पादन एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रमिकों का भुगतान ।

ख. भुगतान के लिए जमा बिल के अनुसार निष्पादित कार्यों की मात्रा और गुणवत्ता

ग. निष्पादित कार्य के लिए भुगतान के बारे में सिफारिशें।

घ. ट्रायल रन के दौरान अंत:ग्राम अवसंरचना का कार्यकरण

3.) अन्य पक्ष द्वारा निरीक्षण कराए जाने की दृष्टि से राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा-निर्धारित कोई अन्य कार्य।

बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं की प्रस्तुति, कार्यान्वयन और निगरानी संबंधी दिशानिर्देश

सं. 8/1/2019-बी.पी.सी.एंड टी.
वित्त मत्रांलय
आर्थिक कार्य विभाग
(बी.पी.सी.एंड टी. अनुभाग)

दिनांक 25 नवंबर, 2019

विषय: बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई.ए.पी.) की प्रस्तुति, कार्यान्वयन और निगरानी संबंधी दिशा-निर्देश

1. आर्थिक मामलों का विभाग (आर्थिक कार्य विभाग) भारत और बहुपक्षीय एजेंसियों, द्विपक्षीय एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के बीच होने वाले समस्त आदान-प्रदान (ऋण, क्रेडिट, अनुदान, तकनीकी सहायता आदि) के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक केन्द्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। बाह्य वित्त की प्राप्ति बहुपक्षीय विकास बैंकों (एम.डी.बी.), द्विपक्षीय एजेंसियों, और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (आई.एफ़.आई.) से ऋण/ क्रेडिट/सरकारी विकास सहायता (ओ.डी.ए.)/तकनीकी सहायता (टी.ए.) के रूप में होती है। भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों से प्राप्त उन परियाजनाओं जिनमें बाह्य वित्त सहायता की मांग की गई होती है, की जांच और प्रक्रमण का कार्य आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जाता है, और उसके बाद उन्हें संबंधित एजेंसी/संस्था के समक्ष पेश किया जाता है।

2. आर्थिक कार्य विभाग ने समय-समय पर बाह्य सहायता के लिए परियोजना प्रस्तावों से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि इसकी प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाकर बाह्य वित्त पोषण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2004-पी.एम.यू. दिनांक 9 मई 2005, सं. 3/6/2017- बी.पी.सी. एंड टी., दिनांक 5 अप्रैल, 2018 और सं. 3/9/2015 दिनांक 17 मई 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का अनुरोध है। इन कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से बाह्य सहायता परियोजनाओं की प्रस्तुति, कार्यान्वयन और निगरानी सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अधिक्रमण में, इस संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं:

3. **प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पी.पी.आर.) की तैयारी और प्रस्तुतीकरण - राज्य सेक्टर की परियोजनाएँ:** राज्य सेक्टर की परियोजनाओं के मामले में, राज्य सरकार/ परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण (पी.आई.ए.) द्वारा, इस उद्देश्य के लिए विकसित किये गए आर्थिक कार्य विभाग के वेब पोर्टल [http://eapdea.gov.in/ppr] के माध्यम से एक ऑनलाइन प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पी.पी.आर.) प्रस्तुत की जाएगी। 1 जनवरी 2019 से वेब पोर्टल कार्य कर रहा है और आर्थिक कार्य विभाग द्वारा, केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर ही विचार किया जाता है। प्रस्तुत पी.पी.आर. को राज्य के संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित/ एंडोर्स किया जायेगा। नोडल अधिकारी उस प्रस्ताव को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय, और नीति आयोग की विवेचना हेतु (पोर्टल पर ही) ऑनलाइन मार्क करेगा। यदि गतिविधियाँ एक से अधिक केन्द्रीय मंत्रालयों के डोमेन से संबंधित हैं, तो उन सभी मंत्रालयों के लिए प्रस्ताव को मार्क किया जाना चाहिए। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की जाएगी और वे अपने सुझाव/ टिप्पणियां देंगे और साथ ही पोर्टल पर इस प्रस्ताव के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इन सुझावों/टिप्पणियों को वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे और संबंधित मंत्रालय/ विभाग/ संस्थान को मार्क करेंगे। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित मंत्रालय/ विभाग/ संस्थान को कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

4. **उत्तर पूर्व क्षेत्र में राज्य सेक्टर परियोजनाएं:** उत्तर-पूर्वी (एन.ई.) राज्यों से प्राप्त राज्य सेक्टर परियोजनाओं के मामले में, राज्य सरकार/परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण (पी.आई.ए.) पूर्वोल्लिखित ढंग से वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पी.पी.आर. दर्ज कराएंगे। प्रस्तुत पी.पी.आर. को राज्य के संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित/ एंडोर्स किया जायेगा। नोडल अधिकारी उस प्रस्ताव को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय, और नीति आयोग की विवेचना हेतु (पोर्टल पर ही) ऑनलाइन मार्क करेगा। यदि प्रस्तावित गतिविधियाँ एक से अधिक केन्द्रीय मंत्रालयों के डोमेन से संबंधित हैं, तो उन सभी मंत्रालयों के लिए प्रस्ताव को मार्क किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रस्ताव को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एम.डी.ओ.एन.ई.आर.), गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय), और विदेश मंत्रालय (एम.ई.ए.) को भी मार्क किया जाना चाहिए। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय और नीति आयोग इस प्रस्ताव की जांच करेंगे और अपने सुझाव/ टिप्पणियां देंगे और साथ ही पोर्टल पर इस प्रस्ताव के प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर उसे वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे तथा संबंधित मंत्रालय/ विभाग/

संस्था को मार्क करेंगे। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित मंत्रालय/ विभाग/ संस्था को कोई टिप्पणी नहीं देनी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के नोडल मंत्रालय के रूप में, एम.डी.ओ.एन.ई.आर. की स्वयं की टिप्पणियों के साथ-साथ नीति आयोग और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों की टिप्पणियां, निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करना सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी एम.डी.ओ.एन.ई.आर. की होगी।

5. **केन्द्रीय सेक्टर परियोजनाएं:** केन्द्रीय सेक्टर परियोजनाओं के मामले में, केन्द्रीय मंत्रालय/ विभाग/ पी.आई.ए. द्वारा पूर्वोल्लिखित ढंग से वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पी.पी.आर.) प्रस्तुत की जाएगी। प्रस्तुत पी.पी.आर. को मंत्रालय/ विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित/ एंडोर्स किया जायेगा। नोडल अधिकारी उस प्रस्ताव को नीति आयोग की विवेचना हेतु ऑनलाइन मार्क करेगा। नीति आयोग की टिप्पणी/ सहमति, पोर्टल पर इस प्रस्ताव की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि नीति आयोग को कोई टिप्पणी नहीं देनी है।

6. वे प्रस्ताव जो बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए दिए गए हैं, आम तौर पर राज्य सरकार के साथ-साथ भारत सरकार की विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ भी मेल खाने वाले होने चाहिए। विकास सहयोग कार्यक्रम/देश भागीदारी फ्रेमवर्क/ बाहरी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों की देश भागीदारी कार्यनीति भी सरकार की प्राथमिकताओं के साथ मेल खाने वाली होनी चाहिए । बाह्य वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव को संसाधित करते समय, परियोजना के "वित्त प्लस" तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं को केवल वित्तपोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं के पूरक के रूप में नहीं देखा जाता है।

7. संस्तुतियों/ टिप्पणियों के साथ केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राप्त पी.पी.आर. को ही आर्थिक कार्य विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। जो परियोजनाएं, बाह्य सहायता के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें यथा-स्थिति, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा या तो अस्वीकृत कर दिया जाएगा या वापस कर दिया जायेगा।

8. संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव

(I) **विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों की स्वतंत्र परियोजनाएं :**

(i) विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों में परियोजना के अनुमोदन, पूंजी प्रवाह और प्रशासन की प्रक्रिया, राज्य सरकारों द्वारा बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के ही समान होगी।

(ii) संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पी.पी.आर. को अपने सक्षम स्तर पर (यदि आवश्यक हो तो अपने मंत्रिमंडल द्वारा) विधिपूर्वक अनुमोदित करके, पूर्वोल्लिखित ढंग से वेब पोर्टल पर दर्ज कराया जाएगा। प्रस्तुत पी.पी.आर. को राज्य के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित/ एंडोर्स किया जायेगा। नोडल अधिकारी उस प्रस्ताव को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय, और नीति आयोग की विवेचना हेतु (पोर्टल पर ही) ऑनलाइन मार्क करेगा। यदि प्रस्तावित गतिविधियाँ एक से अधिक केन्द्रीय मंत्रालयों के डोमेन से संबंधित हैं, तो उन सभी मंत्रालयों हेतु प्रस्ताव को मार्क किया जाना चाहिए। प्रस्ताव को सूचना हेतु गृह मंत्रालय को भी मार्क किया जाना चाहिए। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय और नीति आयोग इस प्रस्ताव की जांच करेंगे और अपने सुझाव/ टिप्पणियां देंगे और साथ ही पोर्टल पर इस प्रस्ताव के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उसे वेब पोर्टल पर अपलोड भी करेंगे तथा संबंधित मंत्रालय/ विभाग/ संस्था को मार्क करेंगे। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित मंत्रालय/ विभाग/ संस्था को कोई टिप्पणी नहीं देनी है।

(iii) आर्थिक कार्य विभाग में संबंधित बहुपक्षीय/ द्विपक्षीय संभाग की सलाह पर आर्थिक कार्य विभाग का बजट विभाग, व्यय बजट में संबंधित संघ राज्यक्षेत्र के अनुदानों की मांग में उक्त बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजना के लिए आवश्यक बजट आबंटन करेगा।

(iv) विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों में इन परियोजनाओं के लिए वित्त प्रवाह भी निरंतर होना चाहिए। चूँकि विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों की अपनी अलग समेकित निधि होती है, इसलिए केन्द्र सरकार से बाह्य ऋण के माध्यम से प्राप्त कोष एवं उसका पुनर्भुगतान भी, सम्बंधित संघ राज्यक्षेत्र के अपने लोक ऋण के तहत दर्शाया जाना चाहिए।

(v) इस प्रकार की परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी की जिम्मेदारी, संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की होगी। तथापि जब भी आवश्यकता होगी, गृह मंत्रालय प्रशासनिक समन्वय करेगा।

(II) ग़ैर विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों की स्वतंत्र परियोजनाएँ:

(i) ग़ैरविधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्र के मामले में, ऐसे संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा, पी.पी.आर. पूर्वोल्लिखित ढंग से वेब पोर्टल पर दर्ज कराए जाएंगे। इस प्रकार से प्रस्तुत पी.पी.आर. को गृह मंत्रालय के संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन

सत्यापित/ एंडोर्स किया जाना होगा। नोडल अधिकारी उस प्रस्ताव को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय, और नीति आयोग की विवेचना हेतु (पोर्टल पर ही) ऑनलाइन मार्क करेगा। यदि प्रस्तावित गतिविधियाँ एक से अधिक केन्द्रीय मंत्रालयों के डोमेन से संबंधित हैं, तो उन सभी मंत्रालयों हेतु प्रस्ताव को मार्क किया जाना चाहिए। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय और नीति आयोग इस प्रस्ताव की जांच करेंगे और अपने सुझाव/ टिप्पणियां देंगे और साथ ही पोर्टल पर इस प्रस्ताव के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उसे वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे तथा संबंधित मंत्रालय/ विभाग/ संस्था को मार्क भी करेंगे। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित मंत्रालय/ विभाग/ संस्था को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। स्वयं गृह मंत्रालय की टिप्पणियों के साथ-साथ नीति आयोग और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों की टिप्पणियां निर्धारित समय के भीतर प्राप्त हों, इसे सुनिश्चित करना गृह मंत्रालय की ज़िम्मेदारी होगी।

(ii) इसके बाद गृह मंत्रालय, संगत मंत्रालयों से प्राप्त विवरण के आधार पर, "स्थायी वित्त समिति (एसएफसी)/ व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.)/ कैबिनेट अनुमोदन सहित सभी आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियां प्राप्त करेगा।

(iii) आर्थिक कार्य विभाग का बजट डिवीजन, आर्थिक कार्य विभाग के संबंधित प्रभाग/ ऑफिस ऑफ़ कंट्रोलर ऑफ़ एड, अकाउंट्स एंड ऑडिड (सी.ए.ए.ए.) की सलाह पर, संबंधित संघ राज्यक्षेत्र की अनुदान मांगों में ऐसी बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए व्यय बजट में आवश्यक बजटीय आबंटन करेगा।

(iv) विधायिक रहित संघ राज्यक्षेत्रों के पास अलग समेकित निधि नहीं होती है। उनका राजस्व प्रवाह, भारत के समेकित कोष (सी.एफ.आई.) में से होता है और कार्यशील मुख्य लेखा-शीर्षों के माध्यम से उनके व्यय भी सी.एफ.आई. में से पूरे किये जाते हैं। अतः विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्रों की बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के मद में जुटाई गई निधि, संघ सरकार के खातों के माध्यम से प्रवाहित होगी और केन्द्र सरकार के ऋण में गिनी जाएगी।

(v) ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन/ कार्यान्वयन की निगरानी संबंधित संगत मंत्रालय द्वारा की जाएगी। तथापि, गृह मंत्रालय ऐसे प्रस्तावों के समग्र समन्वय और प्रशासनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।

(III) बहु-राज्यीय/ केन्द्रीय सेक्टर के लिए विधायिका सहित अथवा विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्रों में बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

(i) विधायिका वाले सम्बंधित संघ राज्यक्षेत्र, सीधे संबंधित संगत मंत्रालय को अपनी आवश्यकताओं से अवगत कराएंगे एवं गृह मंत्रालय को सूचित करेंगे। विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्र, संगत मंत्रालय को अपनी आवश्यकताओं का प्रस्ताव, गृह मंत्रालय के माध्यम से देंगे।

(ii) संबंधित संगत मंत्रालय, संघ राज्यक्षेत्रों के घटक के साथ, निम्नलिखित मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, इस तरह की बहु राज्यीय/केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना को तैयार और प्रस्तुत करेंगे तथा अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

(iii) ऐसी योजनाओं के संदर्भ में बजट प्रावधान, विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में कार्यशील लेखा-शीर्षों के अधीन संगत मंत्रालय/ विभाग की अनुदान मांगों में उपलब्ध कराया जाएगा और विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, मुख्य लेखा-शीर्ष 'विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 3602-अनुदान सहायता' के तहत किया जायेगा।

9. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करना: आर्थिक कार्य विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद, राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों को शीघ्रतिशीघ्र संगत मंत्रालय और वित्त पोषण एजेंसी के समक्ष, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करनी चाहिए। केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के मामले में डी.पी.आर. संबंधित मंत्रालय/ विभाग द्वारा वित्तपोषण एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में मापे जा सकने योग्य स्वरूप में परियोजना के डिजाइन में तकनीकी-आर्थिक (आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक लागत-लाभ, मूल्य संवर्धन, आदि), पारिस्थितिकीय (भूमि उपयोग, पारितंत्रीय स्थायित्व आदि), सामाजिक-सांस्कृतिक (लक्षित जनसंख्या और लिंग मामले, भागीदारी, सामाजिक प्रभाव, आदि) और संस्थागत (संस्थागत और संगठनात्मक विश्लेषण, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, आदि) आयामों के कार्यनीतिक तत्वों का समुचित उल्लेख किया गया होना चाहिए।

यह प्रस्तुति, सामान्य संरचना के अनुसार होनी चाहिए जैसा कि व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(2)-पीएफ-II/03 दिनांक 07.05.2003 में बताया गया है। कार्य योजना, लागत और समय सारणी के साथ मैट्रिक्स प्रारूप में लक्ष्य/आउटपुट, नकदी प्रवाह विवरण आदि को इंगित करने वाली, उद्देश्य-उन्मुख परियोजना डिजाइन भी डी.पी.आर. का हिस्सा होनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए उपर्युक्त मैट्रिक्स की एक सांकेतिक रूपरेखा संलग्न है (अनुबंध)।

10. समतुल्य वित्तपोषण और बजट प्रावधान: राज्य सरकारों/संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि परियोजना के लिए आवश्यक समतुल्य निधि, जहां भी लागू हो, सुनिश्चित की जाए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हों। इस संबंध में आवश्यक निर्देश अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 5/1/99-एफबी-II दिनांक 12 मई, 1999 और सं. 12/24/94-ई.एफ.सी. (समन्वय) दिनांक 20 सितंबर 1994 के अंतर्गत जारी किए गए हैं (प्रतियां संलग्न)।

11. तकनीकी सहायता प्रस्ताव: तकनीकी सहायता (टी.ए.) अनुदान या तकनीकी सहायता ऋण के प्रस्ताव भी सम्बंधित पी.आई.ए./राज्य सरकार/केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा, यथा-स्थिति, ऋण/क्रेडिट (पी.पी.आर.) के लिए निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। उन प्रस्तावों जिनमें एम.डी.बी./ आई.एफ.आई./ द्विपक्षीय एजेंसियों से लेन-देन सलाहकार सेवाएँ लेने की मांग की गई है, के संबंध में भी इसी पद्धति का पालन किया जाना होगा।

12. अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ: बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजना को बाह्य वित्तपोषण एजेंसी का मूल्यांकन पूरा होते ही और सौदे की वार्ता शुरू होने से पहले, यथा-स्थिति, ई.एफ.सी./ पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पी.आई.बी.) का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रोसेस कर दिया जाना चाहिए। इस परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना भी आवश्यक होगा। संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के वित्तीय सलाहकार, ई.एफ.सी./ पी.आई.बी. का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए फ़ास्ट ट्रैक आधार पर समय रहते कार्रवाई शुरू कर सकते हैं और वे, ई.एफ.सी./ पी.आई.बी. मेमो के परिचालन के चार सप्ताह पूरे होने के तुरंत बाद योजनाओं/ परियोजना के लिए ई.एफ.सी./पी.आई.बी. का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए समय रहते कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। विस्तृत निर्देश, व्यय विभाग के परिपत्र क्रमांक 1 (1) पीएफ II/2011, दिनांक 31 मार्च 2014 में देखे जा सकते हैं।

13. यदि प्रस्तावित परियोजना को 'सुधार कार्यक्रम' के तहत लागू किया जाना है अथवा 'संशोधित रूप-रेखा शर्तों (उदाहरण के लिए प्रयोक्ता शुल्क लागू करना/ ख़त्म करना/कम करना, प्रचालन एवं रख-रखाव लागत वसूल करना, प्रोत्साहन राशि/सब्सिडी पुनर्वास योजना आदि उपलब्ध कराना) में बदलाव करके सुधार लाने' के अधीन कार्यान्वित किया जाना है जिससे परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सके, तो परियोजना को आर्थिक मामलों के विभाग में प्रेषित किये जाने से पहले ये उपाय पूरे कर लिए जाने चाहिए। प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत, परियोजना कार्यान्वयन में अन्य संगठनों (जैसे एन.जी.ओ., स्वैच्छिक संगठनों/ नागरिक समाज) की भूमिका और जवाबदेही का उल्लेख किया जाना चाहिए। परियोजना का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए, परियोजना के पूर्ण होने पर परियोजना की संगठनात्मक/संस्थागत संरचना (स्वामित्व) का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

14. बाह्य सहायता-प्राप्त सभी परियोजनाओं के लिए, एक परियोजना कार्यान्वयन टीम गठित की जानी चाहिए, जिसे स्वीकृत समय और लागत के भीतर परियोजना के निष्पादन के लिए पूरी तरह से जवाबदेही लेनी होगी। टीम के पास कोई समवर्ती जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परियोजना की समाप्ति तक यह सुचारू ढंग से कार्य करेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परियोजना टीम को, परियोजना के कार्यान्वयन से पहले समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। ई.एफ.सी./ पी.आई.बी. मेमो में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। जिस परियोजना में इस तरह की स्पष्ट व्यवस्था नहीं होगी, उस परियोजना पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. बाह्य सहायता का प्रस्ताव किसी केन्द्रीय मंत्रालय या राज्य सरकार द्वारा सीधे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों को नहीं भेजा जाएगा। बाह्य सहायता के नियमों और शर्तों के बारे में, आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से चर्चा को छोड़कर बाहरी वित्तपोषण एजेंसी से चर्चा नहीं की जानी चाहिए। अतः, राज्य सरकारों/ केन्द्रीय मंत्रालयों से यह अनुरोध है कि एम.डी.बी./ आई.एफ.आई./ द्विपक्षीय एजेंसियों से बाह्य वित्तीय सहायता/ तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें ।

16. निगरानी और मूल्यांकन: परियोजना प्राधिकारी, परियोजना के कार्य-निष्पादन और प्रभाव दोनों के संदर्भ में, व्यापक मूल्यांकन को, परियोजना की डिज़ाइन में शामिल करके परियोजनाओं की निगरानी में सुधार ला सकते हैं। परियोजना के मूल्यांकन चाहे वह समवर्ती हो, मध्यावधि या परियोजना-पश्चात् हो, की व्यवस्था का उल्लेख प्रस्तावित परियोजना में किया जाना चाहिए। समवर्ती मूल्यांकन के अंतर्गत परियोजना चक्र/ कार्यक्रम में महत्वपूर्ण समझे जाने वाले किसी बिंदु पर गहनता से ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

यह समवर्ती मूल्यांकन, किसी कार्य-चरण के अंत में या जब कभी विशेष परिस्थितियों की मांग हो अथवा परियोजना की समाप्ति पर किया जा सकता है। यह देखने के लिए कि परियोजना कार्य, लागत और उद्देश्य के अनुरूप संचालित किया जा रहा है, मूल्यांकन का काम, विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा भी कराया जा सकता है। परियोजनाओं के समवर्ती मूल्यांकन के संबंध में बाह्य वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन भी किया जा सकता है।

17. परियोजना अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे परियोजना के पूर्ण होने पर (अ) भौतिक-वित्तीय मापदंडों पर परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट और (ख) परियोजना लक्ष्य- प्राप्ति मापदंडों के बारे में मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। परियोजना के पूर्ण होने के दो या तीन वर्ष बाद, किसी चयनित परियोजना का एक प्रभाव आकलन अध्ययन भी किया जा सकता है जिससे परियोजना के उद्देश्यों और लक्षित परियोजना उद्देश्यों की तुलना में परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति और वास्तविक उपलब्धि का पता लगाया जा सके। यह कार्य किसी प्रतिष्ठित निष्पक्ष संस्थान या संगठन द्वारा किया जाना चाहिए। इस तरह के दीर्घकालिक प्रभाव मूल्यांकन से यह अपेक्षा की जाती है कि इससे, परियोजनाओं के प्रभाव की निरंतरता की सहायता से परियोजनाओं की एक आदर्श सूची निर्मित की जा सकेगी, जिन्हें प्रोत्साहित किया और दोहराया जा सकता है। साथ ही, उन परियोजनाओं की नकारात्मक प्रभाव सूची भी बनाई जा सकती है, जो अपने लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति में असफ़ल रहीं, और उनमें सुधार किया जा सकता है। केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन की जिम्मेदारी संबंधित केन्द्रीय सेक्टोरल मंत्रालय/ विभाग के पास होगी। राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सेक्टर की परियोजनाओं के मामले में, संबंधित राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र ही परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगे।

27/11/2019

(रजत कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011 23094818

नोट,

1. सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों के सचिव
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/ संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिव
3. सी.इ.ओ., नीति आयोग
4. आर्थिक कार्य विभाग में सभी क्रेडिट डिवीजनों के प्रभाग प्रमुख

बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्रक्रिया

मैट्रिक्स की एक रूपरेखा

कार्यनीति	संकेतक	सत्यापन के स्रोत/ साधन	अनुमान/ जोखिम
लक्ष्य (सरकार की प्राथमिकता/ कार्यक्रम/ नीति से संबद्ध)			
परिणाम / निष्कर्ष लक्षित आबादी को प्राप्त होने वाली वस्तुएं/ सेवाएं / सामग्री/ अपेक्षित बदलाव, जो वे परियोजना के हस्तक्षेप के बिना अपने दम पर हासिल नहीं कर सकते			
गतिविधियां (प्रयोगकर्ता संसाधनों, अर्थात् मानव, वित्तीय, उपकरण आदि द्वारा किए जाने वाले कार्य)	इनपुट / लागत		

व्यय विभाग
का.ज्ञा. संख्या - 1 (2) - दिनांक 7 मई, 2003

डी.पी.आर. की सामान्य संरचना

(i) **संदर्भ/ पृष्ठभूमि:** इस खंड में सेक्टर/ उप-सेक्टर, राष्ट्रीय प्राथमिकता, कार्यनीति और नीतिगत रूप-रेखा के एक संक्षिप्त विवरण के साथ-साथ मौजूदा स्थिति का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।

(ii) **हल की जाने वाली समस्याएं:** इस खंड में स्थानीय/ क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय स्तर पर, यथा-स्थिति, परियोजना/ योजना के माध्यम से हल की जाने वाली समस्याओं का विस्तृत ब्यौरा दिया जाना चाहिए। आधारभूत डेटा/ सर्वेक्षणों/ रिपोर्टों की सहायता से, इन समस्याओं की प्रकृति और परिमाण के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए। हल की जाने वाली समस्याओं की प्रकृति और परिमाण के बारे में स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होना चाहिए।

(iii) **परियोजना के उद्देश्य:** इस खंड में उन विकास उद्देश्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए जो प्राप्त किए जाने प्रस्तावित हैं, और यह विवरण, उन उद्देश्यों को, उनके महत्व के क्रम में रखकर देना चाहिए। प्रत्येक विकास उद्देश्य के लिए प्राप्य परिणाम/ आउटपुट स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए। इस खंड में परियोजना का सामान्य विवरण भी दिया जाना चाहिए।

(iv) **लक्षित लाभार्थी:** लक्षित लाभार्थियों की स्पष्ट पहचान दी जानी चाहिए। परियोजना निर्माण के समय हितधारकों के साथ किए जाने वाले परामर्श सहित हितधारक विश्लेषण किया जाना चाहिए। परियोजना में लागत सहभागिता और लाभार्थी की भागीदारी के विकल्प तलाशे और शामिल किए जाने चाहिए। समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों पर परियोजना के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और प्रतिकूल प्रभाव के मामले में उपचारात्मक उपाय सुझाए जाने चाहिए।

(v) **परियोजना की कार्यनीति:** इस खंड में विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध वैकल्पिक कार्यनीतियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तावित कार्यनीति के चयन के कारणों को सामने लाया जाना चाहिए। गैर-सरकारी संगठनों के समावेश पर विचार किया जाना चाहिए। अवस्थानों को प्राथमिकता दिए जाने के आधार को इंगित किया जाना चाहिए (जहां प्रासंगिक हो)। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से सरकारी निधि का लाभ उठाने के विकल्पों और अवसरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस विकल्प की तलाश गहनता से की जानी चाहिए।

(vi) **कानूनी रूप-रेखा:** इस खंड में वह कानूनी रूप-रेखा प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसके भीतर परियोजना को लागू किया जाएगा और जहाँ तक परियोजना के उद्देश्यों की उपलब्धि पर प्रभाव का प्रश्न है, उस सीमा तक कानूनी रूप-रेखा की ताकत और कमजोरी के बारे में बताया जाना चाहिए।

(vii) **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन:** पर्यावरणीय प्रभाव का, जहां भी आवश्यक हो, आकलन किया जाना चाहिए, और प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उपायों, यदि कोई हों, का अभिनिर्धाराण किया जाना चाहिए। इस खंड में भूमि अधिग्रहण, वन भूमि के डायवर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की जानी चाहिए।

(viii) **चल रही पहल:** इस खंड में उन चालू पहलों का विवरण दिया जाना चाहिए और उन तौर-तरीकों का विवरण भी दिया जाना चाहिए, जिन्हें अपनाकर प्रस्तावित परियोजना के माध्यम से दोहराव से बचा जाएगा और तालमेल बनाया जाएगा।

(ix) **प्रौद्योगिकी मुद्दे:** इस खंड में प्रौद्योगिकी विकल्पों, यदि कोई हों, का विवरण, विकल्पों का मूल्यांकन देने के साथ ही प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी के विकल्प चयन के आधार का ब्यौरा होना चाहिए।

(x) **प्रबंधन व्यवस्था:** परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए भिन्न-भिन्न एजेंसियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर संगठन की संरचना के साथ-साथ निगरानी और समन्वय व्यवस्था के बारे में बताया जाना चाहिए।

(xi) **वित्त और परियोजना बजट के साधन:** इस खंड में वित्त के साधनों, विकल्पों के मूल्यांकन, परियोजना बजट, अनुमानित लागत और व्यय की चरणबद्धता पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। लागत साझीदारी और लागत वसूली (प्रयोक्ता शुल्क) के विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए और कुल परियोजना लागत में इसका समावेशन किया जाना चाहिए।

बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं का आकलन, ऋण वित्त की लागत और उसकी अवधि के आधार पर किया जा सकता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से धन जुटाने के विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए और परियोजना लागत में इसका समावेश किया जाना चाहिए।

(xii) **समय सीमा:** इस खंड में परियोजना प्रारंभन के लिए प्रस्तावित 'आरंभ' तिथि का संकेत देना चाहिए और जहाँ भी प्रासंगिक हो, एक पी.ई.आर.टी., सी.पी.एम. चार्ट दिया जाना चाहिए।

(xiii) **जोखिम विश्लेषण:** इस खंड में परियोजना जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन पर और इन जोखिमों को कैसे कम किया जाना प्रस्तावित है, इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। जोखिम विश्लेषण में कानूनी/संविदात्मक जोखिम, पर्यावरणीय जोखिम, राजस्व जोखिम, परियोजना प्रबंधन जोखिम, नियामक जोखिम आदि शामिल किए जा सकते हैं।

(xiv) **मूल्यांकन:** इस खंड में, पूर्व में लागू समान परियोजनाओं के मूल्यांकन से ली गई सीख पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। परियोजना के लिए मूल्यांकन की व्यवस्था, चाहे समवर्ती हो, मध्य अवधि हो या परियोजना के बाद की हो, स्पष्ट की जानी चाहिए। यह नोट किया जाए कि एक पंचवर्षीय योजना अवधि से दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि तक परियोजनाओं/योजनाओं की निरंतरता, किसी स्वतंत्र तथा गहन मूल्यांकन के बिना स्वीकार्य नहीं होगी।

(xv) **सफलता मानदंड:** यह निर्धारित करने कि विकास के उद्देश्य हासिल कर लिए गए हैं या नहीं, सफलता के मापदंड, मापे जाने योग्य स्वरूप में बताए जाने चाहिए। बेस-लाइन डेटा उपलब्ध होना चाहिए जिसकी तुलना से परियोजना की सफलता का आकलन परियोजना के अंत में किया जा सके (प्रभाव आकलन)। इस संबंध में, यह आवश्यक है कि बड़ी, लाभार्थी-उन्मुख परियोजनाओं के मामले में बेस-लाइन सर्वेक्षण किए जाएं।

परियोजना के प्रत्येक प्राप्य परिणाम/आउटपुट के लिए सफलता के मापदंडों को, नजदीकी लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि का आकलन करने की दृष्टि से, मापे जा सकने योग्य स्वरूप में भी विनिर्धारित किया जाना चाहिए।

(xvi) **वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण:** परियोजना का वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण किया जाए, जहां वित्तीय रिटर्न परिगणित किए जा सकते हों। यह विश्लेषण आम तौर पर निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आवश्यक होगा, लेकिन सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए हमेशा संभव नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसी परियोजनाओं में लाभ को आसानी से परिगणित नहीं किया जा सकता है।

(xvii) **स्थायित्व:** इस खंड में स्थायित्व से संबंधित मुद्दे, जिनमें परियोजना के पूरा होने के बाद हितधारक प्रतिबद्धता, परिसंपत्तियों का प्रचालन और रख-रखाव शामिल है, और अन्य संबंधित मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए।

नोट: ई.एफ.सी./ पी.आई.बी. प्रारूप की अपेक्षाओं को भी डी.पी.आर. तैयार करते समय ध्यान में रखा जाए।

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: _____

   ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख : _____

   डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख : _____

2. ग्राम का नाम: _____

   ग्राम पंचायत का नाम: _____

   ब्लॉक का नाम: _____

   जिला का नाम: _____

   राज्य का नाम: _____

   ग्राम जनगणना कोड: _____

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. **ग्राम समुदाय की आकांक्षा** : ..... (संख्या) मवेशी कुंडों को और ..... (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात ..... घन्टे निर्धारित गुणवत्ता * वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष ..... तक ..... ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

   हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

   यह संकल्प लिया जाता है कि पूंजी लागत का ___%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

   (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): _____

   समिति को क्या कहा जाता है: _____

   अध्यक्ष का नाम: _____

   लिंग: _____

   आयु: _____

सदस्य का नाम	लिंग	आयु

III. सामान्य विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार :	वर्तमान पंचायत/ आंगनवाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार:
जनसंख्या: ______	वर्तमान जनसंख्या: ______
परिवारों की संख्या: ______	परिवारों की संख्या: ______
महिलाओं की संख्या: ______	महिलाओं की संख्या: ______
पुरुषों की संख्या: ______	पुरुषों की संख्या: ______
बच्चों की संख्या: ______	बच्चों की संख्या: ______
एफ.एच.टी.सी. की संख्या: ______	एफ.एच.टी.सी. की संख्या:______

7. **जनसंख्या अनुमान:**

   मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण -वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): ________________

9. कृषि फसल पैटर्न: ______________________

प्रमुख फसलें	खरीफ	रबी
गन्ना	☐	☐
धान	☐	☐
मक्का	☐	☐
कपास	☐	☐
गेहूँ	☐	☐
अन्य	☐	☐

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): ____

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): ____

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ /नहीं)
    ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ /नहीं)
    ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14.

क्र. सं.	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	सोख्ता गड्ढों की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
1.	स्कूल			
2.	आंगनवाड़ी			
3.	स्वास्थ्य केन्द्र			
4.	ग्राम पंचायत भवन			
5.	अन्य			

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या^{n} X दर: _____ के.एल.डी.
मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: _____ के.एल.डी.
मवेशी कुंडों की आवश्यक संख्या:_____
मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या^{n} X दर:_____के.एल.डी.
अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या^{एन} X दर: _____ के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त:

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: _____

21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृश्य तुलना	
पीएच	पट्टी रंग तुलना	
पूर्ण लवणता	टिट्रीमेट्रिक विधि	
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रीमेट्रिक विधि	
क्लोराइड	टिट्रीमेट्रिक विधि	
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
आयरन	दृश्य रंग तुलना	
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
फ्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	
आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आबादी

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): _____ के.एल.डी.
अलग-अलग सोख्ता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: _____
उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोख्ता गड्ढों की आवश्यकता है: _____
आवश्यक सामुदायिक सोख्ता गड्ढ़ों की संख्या : _____
क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ /नहीं): _____
यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: _____ _____
यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? _____

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारत जल स्रोत: _____ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: _____
इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: _____
वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: _____
योजना की लागत: _____ भारत सरकार का हिस्सा: _____ राज्य का हिस्सा: _____
समुदाय का हिस्सा: _____व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: _____ वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/ प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29.

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदहवां वित्त आयोग	ग्राम पंचायत	ग्रे-वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम आदि।	
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एस.बी.एम.-जी)	पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	ग्रे-वाटर मैनेजमेंट -सोख्ता गड्ढे (व्यक्तिगत / सामुदायिक), अपशिष्ट तलछट तालाब आदि।	
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ	

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान, एक्वीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंत:ग्राम अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंत:ग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंत:ग्राम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: _____

पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर : _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): _____

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष:
पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:
जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:
पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1.

2.

3.

4.

5.

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

जिला कार्य योजना (डी.ए.पी.)

जिला जल और स्वच्छता मिशन, 'जिला कार्य योजना' की तैयारी करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार है। यह योजना जिले में तैयार सभी ग्राम कार्य योजनाओं को मिलाकर तैयार की जाएगी। वर्ष 2024 तक एफ.एच.टी.सी. का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोड-मैप देने के अलावा, इस योजना में जिले की दीर्घकालिक पेय जल सुरक्षा योजना भी शामिल होगी। इसके लिए, इस कार्य योजना के अंतर्गत धरातली और भू-जल की मात्रा के आधार पर, राज्य के बाहर से लंबी दूरी के जल अंतरण से उपलब्ध होने वाले पानी के आधार पर एक जिला वार्षिक जल बजट तैयार किया जाएगा, और घरेलू, कृषि, औद्योगिक, आदि उपयोगों का आकलन किया जाएगा। इसमें उन जल संरक्षण गतिविधियों का विवरण भी होगा जो कि जल भंडारों के कायाकल्प और पुनर्स्थापन द्वारा धरातली स्रोतों की क्षमता बढ़ाकर और भू-जल एक्वीफर्स को रीचार्ज करके पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से शुरू की जानी होंगी।

इस योजना में सभी हितधारकों को प्रशिक्षित करके, जिला स्तर पर कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों/ राज्य स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन करके, अन्य जिलों के साथ आदान-प्रदान यात्राओं आदि के माध्यम से सभी हितधारकों के क्षमता संवर्धन पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। आयोजना की तैयारी के लिए एक प्रारूप का सुझाव नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	घटक का नाम	टिप्पणियाँ
I	**सामान्य** i) जिले का नाम ii) जिले के कलेक्टर/डी.एम./जिला पंचायत के सी.ई.ओ. और ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी इंजीनियर के मोबाइल नंबर और ईमेल आई.डी. सहित संपर्क का पूर्ण विवरण। यदि ग्रामीण जल आपूर्ति में एकाधिक विभाग शामिल हैं, तो इन विभागों से जिला स्तर के सभी अधिकारियों का संपर्क विवरण प्रदान करें। iii) विकास खंडों की संख्या iv) ग्राम पंचायतों की संख्या v) जनगणना कोडित राजस्व गांवों की संख्या vi) गांवों में घरों की कुल संख्या vii) जल जीवन मिशन के तहत शामिल किए जाने वाले गांवों की संख्या viii) पहले से ही एफ.एच.टी.सी. वाले घरों की संख्या ix) मार्च 2024 तक प्रदान करने हेतु अपेक्षित एफ.एच.टी.सी. की संख्या	
II	जिला जल सुरक्षा क. क्या जिला जल बजट तैयार किया गया है? ख. जल बजट के आधार पर क्या पूरे वर्ष के लिए पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पानी की उपलब्धता पर्याप्त है? ग. जल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले संरक्षण के प्रयास - भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, जिलों में जल निकायों की बहाली/ कायाकल्प, भूजल प्रबंधन आदि के माध्यम से धरातली जल स्रोत की क्षमता वृद्धि। घ. जल संरक्षण और उसके लिए निधि के अभिनिर्धारण की प्रस्तावित कार्य योजना । ड. अभिनिर्धारित धन स्रोतों के साथ किए जाने वाले कार्यों का वर्षवार विवरण।	

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>घटक का नाम</th><th>टिप्पणियाँ</th></tr>
<tr><td>III</td><td>एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए त्रैमासिक और वार्षिक कार्य योजना
<table>
<tr><td></td><td colspan="6">एफ.एच.टी.सी. का प्रावधान (संख्या में)</td></tr>
<tr><td>तिमाही</td><td>2019-20</td><td>2020-21</td><td>2021-22</td><td>2022-23</td><td>2023-24</td><td>कुल</td></tr>
<tr><td>पहली तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>दूसरी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>तीसरी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>चौथी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>जोड़</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>एकीकृत 'ग्राम कार्य योजनाओं' के अनुसार</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय कार्य योजना
<table>
<tr><td></td><td colspan="6">ग्रामीण क्षेत्रों में एफ.एच.टी.सी. का प्रावधान (करोड़ रुपए में)</td></tr>
<tr><td>तिमाही</td><td>2019-20</td><td>2020-21</td><td>2021-22</td><td>2022-23</td><td>2023-24</td><td>कुल</td></tr>
<tr><td>पहली तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>दूसरी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>तीसरी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>चौथी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>जोड़</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
इसमें, मेल-जोल के माध्यम से गंदले जल के प्रबंधन और स्रोत स्थायित्व के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता भी शामिल होगी।</td><td>एकीकृत 'ग्राम कार्य योजनाओं' के अनुसार</td></tr>
<tr><td>V</td><td>जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक भूमि
क. जे.जे.एम. के तहत आवश्यक कुल भूमि की सीमा - हेक्टेयर में
ख. जे.जे.एम. के तहत उपयोग के लिए उपलब्ध कुल सरकारी/ पंचायती भूमि- हेक्टेयर में
ग. अधिग्रहीत की जाने वाली कुल भूमि (जनवरी-मार्च 2019 तिमाही से प्रारंभ त्रैमासिक योजना का विवरण दें)
घ. उन योजनाओं की संख्या जिनके निर्माण के लिए निर्बाध भूमि उपलब्ध है।
ड. उन योजनाओं की संख्या जहां निर्माण कार्य के लिए सौंपे जाने हेतु भूमि उपलब्ध है।</td><td></td></tr>
<tr><td>VI</td><td>अपेक्षित मानव संसाधन
1. विभिन्न स्तरों पर जे.जे.एम. को लागू करने के लिए और 2023-24 तक भरे जाने के लिए अपेक्षित विभागीय अधिकारियों के पदों की कुल संख्या। सभी पदों के लिए स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों का विवरण दें।
2. डी.पी.एम.यू. के लिए अपेक्षित बहु-विषयी अनुभव वाले व्यक्तियों की संख्या
3. जिला स्तर पर सरपंचों/वी.डब्ल्यू.एस.सी. सदस्यों/गैर-सरकारी संगठनों/एस.एच.जी. की क्षमता निर्माण- कृपया अनुमानित संख्या, आवश्यक निधि, इसके स्रोत, वर्ष-वार प्रस्तावित प्रशिक्षण आदि का अभिनिर्धारण करें।
4. ऊपर 1 और 2 के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या। वार्षिक योजना का विवरण दें। (प्रशिक्षण योजना)
5. कार्यशाला/संगोष्ठी/विचार-गोष्ठी/ यात्रा विनिमय कार्यक्रम आयोजित करने की वर्षवार आयोजना।</td><td></td></tr>
</table>

क्र. सं.	घटक का नाम	टिप्पणियाँ
VII	गाँवों के जल स्रोतों और शुरू किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों$ का अभिनिर्धारण।	'ग्राम कार्य योजना' के आधार पर तैयार किया जाना है। घर के भीतर न्यूनतम सेवा स्तर 55 एल.पी.सी.डी. है।

क्र. सं.	स्रोत का प्रकार	कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या	प्रदान किए जाने वाले एफ.एच.टी.सी. की संख्या
	क. रेट्रोफिटेड पी.डब्ल्यू.एस. योजनाएं - मौजूदा कार्यशील योजनाएं जिनमें स्टैंड पोस्ट और/ या आंशिक एफ.एच.टी.सी. शामिल हैं और इसमें नवीकरण की आवश्यकता वाली योजनाएं शामिल हैं ।		
1	स्रोत पर्याप्त है। रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता है। क. भूजल आधारित योजनाओं की संख्या ख. धरातली जल आधारित योजनाओं की संख्या ग. क्षेत्रीय योजना/थोक जल अंतरण के हिस्से के रूप में गाँव के बाहर के धरातली जल स्रोतों की संख्या -मौजूदा योजनाएं		
2	निम्नलिखित पर आधारित बढ़ोतरी और रेट्रोफिटिंग क. स्थानीय भूजल स्रोतों की संख्या ख. धरातली जल स्रोतों की संख्या ग. क्षेत्रीय योजना/थोक जल अंतरण के हिस्से के रूप में गाँव के बाहर के धरातली जल स्रोतों की संख्या		
3	अन्य प्रकार की योजनाएँ		
	उप-जोड़ जोड़ क		
	ख. नई योजनाएँ		
4	क्षेत्रीय योजना/थोक जल अंतरण के हिस्से के रूप में गाँव के बाहर के धरातली जल स्रोतों की संख्या ।" (संख्या)		
5	भू-जल आधारित योजनाओं की संख्या*		
6	स्थानीय धरातली जल आधारित योजनाओं की संख्या*		
7	धरातली जल, भूजल और बारिश के पानी के मिल-जुले उपयाग के आधार पर बनी योजनाएं		
8	सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों का उपयोग करके और 55 एल.पी.सी.डी. प्रदान करने वाली स्व-स्थाने जलशोधन वाली भूजल आधारित योजनाएं ।		
9	5-8 एल.पी.सी.डी. की क्षमता वाली मौजूदा सी.डब्ल्यू.पी.पी. योजनाएं जिन में एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए नई योजनाओं की आवश्यकता है।		
10	छिट-पुट/पहाड़ी/गर्म और ठंडे रेगिस्तानी/गांवों से परे दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित घरों, जहाँ एफ.एच.टी.सी.प्रदान करना खर्चीला है और उसके लिए स्थानीय समाधान/ तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, के लिए योजनाओं की आवश्यकता		यहां एफ.एच.टी.सी. के बजाय स्टैंडपोस्टों और कवर किए जाने वाले घरों की संख्या दें ।

क्र. सं.	घटक का नाम				टिप्पणियाँ
	11	अन्य प्रकार की योजनाएं (निर्दिष्ट करें)			
		* इन योजनाओं में मौजूदा हैंड पंप आधारित जल आपूर्ति योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा।			
		उप-जोड़ ख			
		सकल जोड़ (क + ख)			
	$ कृपया उन जिलों में मौजूदा परिसंपत्तियों की एक सूची प्रदान करें जिनका उपयोग जे.जे.एम. के तहत किया जा सकता है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि केवल अपने इष्टतम उपयोग के लिए मौजूदा परिसंपत्तियों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के बाद, नई परिसंपत्तियों को निर्माण के लिए प्रस्तावित किया जाना/लिया जाना चाहिए।				
VIII	कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आई.एस.ए.) की आवश्यकता क. जिले में ऐसे गाँवों की संख्या जिन्हें आई.एस.ए. की आवश्यकता है ख. जिले के ऐसे गाँवों की संख्या जिनके पास सुदृढ़ वी.डब्ल्यू.एस.सी. हैं और उन्हें आई.एस.ए. की आवश्यकता नहीं है ग. एकल आई.एस.ए. द्वारा कवर किए गए गांवों की संख्या घ. आई.एस.ए.की तिमाही-वार प्रस्तावित तैनाती का विवरण				

	ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों की तैनाती					
तिमाही	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
पहली तिमाही						
दूसरी तिमाही						
तीसरी तिमाही						
चौथी तिमाही						
जोड़						

IX	आई.ई.सी. गतिविधियाँ क. जिला में आई.ई.सी. गतिविधियां संचालित करने के लिए आवश्यक एजेंसियों की संख्या ख. गांवों में आई.ई.सी. गतिविधियों के लिए एजेंसियों की प्रस्तावित तैनाती का विवरण।

	ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों की तैनाती					
तिमाही	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Total
पहली तिमाही						
दूसरी तिमाही						
तीसरी तिमाही						
चौथी तिमाही						
जोड़						

ग. रेडियो जिंगल्स, नुक्कड़ नाटकों, वॉल पेंटिंग, पैम्फलेट आदि के माध्यम से आई.ई.सी. की कार्यनीति के बारे में बताएं।

क्र. सं.	घटक का नाम	टिप्पणियाँ
X	जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं क. जिले में जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की संख्या । ख. एन.ए.बी.एल. प्रमाणन के लिए प्रस्तावित प्रयोगशालाओं की वर्ष-वार संख्या। ग. सभी स्रोतों के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण किस प्रकार कराए जाने की योजना है। कृपया उल्लेख करें कि मौजूदा कॉलेजों (इंजीनियरिंग/विज्ञान) को शामिल करने और पी.पी.पी. मॉडल पर जल गुणवत्ता परीक्षण की संभावना का पता लगाने की योजना क्या है। इसके लिए इन दोनों को राज्य स्तर के तंत्र के आधार पर किस प्रकार से अपनाया जाना है। घ. डब्ल्यू.क्यू.एम.एस. के लिए जिला स्तर की आयोजना।	
XI	सभी योजनाओं के लिए जिला स्तर पर प्रचालन और रख-रखाव (ओ.एंड एम.) क. ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए कुल प्रचालन व रख-रखाव लागत i. ऊर्जा की लागत ii. निवारक रख रखाव लागत iii. ब्रेक डाउन रख रखाव लागत iv. प्रचालन व रख रखाव स्टाफ के लिए भुगतान v. जल गुणवत्ता परीक्षण vi. अन्य प्रचालन व रख रखाव शुल्क जोड़ ख. अपनाया जाने वाला प्रस्तावित जल प्रशुल्क ग. संग्रहण के लिए प्रस्तावित जल प्रशुल्क क्या प्रचालन और रख रखाव प्रभार को कवर करने के लिए पर्याप्त है? घ. यदि उपर्युक्त का उत्तर 'नहीं' में है, तो इसे कैसे पूरा किया जाना प्रस्तावित है? ङ. मौजूदा प्रचालन व रख-रखाव फंड का प्रति वर्ष आबंटन - लाख रुपए में	
XII	अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित शिकायत निवारण तंत्र का विवरण (यह तंत्र, इस संबंध में बनाई गई राज्य नीति के अनुरूप होना चाहिए)	

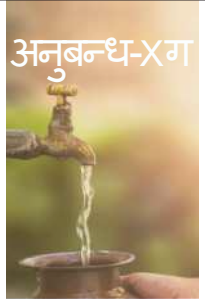

राज्य कार्य योजना

राज्य जल और स्वच्छता मिशन, एस.ए.पी. को तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार होगा; राज्य कार्य योजना को एन.जे.जे.एम. द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यह आयोजना राज्य में तैयार सभी जिला कार्य योजनाओं के एकीकरण पर आधारित होगी। वर्ष 2024 के भीतर एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने के लिए रोड-मैप देने के अलावा, इस आयोजना में राज्य की दीर्घकालिक पेय जल सुरक्षा योजना भी शामिल होगी। इसके लिए, राज्य कार्य योजना में धरातली जल और भूजल की मात्रा, राज्य के बाहर से लंबी दूरी के जल अंतरण से उपलब्ध होने वाले पानी (जैसे तमिलनाडु के लिए कृष्णा, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर), राज्य के भीतर क्षेत्रीय जल अंतरण की आयोजना, छिट-पुट/ पहाड़ी/ दुर्गम इलाकों आदि के लिए अभिनव/ प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप आदि के आधार पर राज्य वार्षिक जल बजट तैयार किया जाएगा, जो और घरेलू, कृषि, औद्योगिक, आदि जल उपयोगों का आकलन किया जाएगा । इस बजट में उन जल संरक्षण गतिविधियों का विवरण भी होगा, जो जल भंडारों के कायाकल्प और पुनर्स्थापन द्वारा धरातली जल स्रोतों की क्षमता बढ़ाने और भूजल एक्वीफर्स का पुर्नभरण करके पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से शुरू की जाएंगी।

इस आयोजना में सभी हितधारकों को प्रशिक्षित करके, राज्य स्तर पर कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों/ विचार-संगोष्ठियों का आयोजन करके, अन्य राज्यों के साथ आदान-प्रदान यात्राओं आदि के माध्यम से सभी हितधारकों के क्षमता संवर्धन पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। आयोजना तैयार करने के लिए एक प्रारूप का सुझाव नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	घटक का नाम	टिप्पणियाँ
I	**सामान्य** i) राज्य का नाम ii) प्रधान सचिव/एस.डब्ल्यू.एस.एम. के प्रमुख अधिकारी/ग्रामीण जल आपूर्ति इंजीनियर-इन-चीफ/ चीफ इंजीनियर का पूर्ण संपर्क विवरण - मोबाइल नंबर और ई-मेल आई.डी. सहित। यदि ग्रामीण जल आपूर्ति में एकाधिक विभाग शामिल हैं, तो इन विभागों के, राज्य स्तर के सभी अधिकारियों का संपर्क विवरण प्रदान करें। iii) जिलों की संख्या iv) विकास खंडों की संख्या v) ग्राम पंचायतों की संख्या vi) जनगणना कोडित राजस्व गांवों की संख्या vii) गांवों में घरों की कुल संख्या viii) जल जीवन मिशन के तहत शामिल किए जाने वाले गांवों की संख्या ix) पहले से ही एफ.एच.टी.सी. वाले घरों की संख्या x) मार्च 2024 तक कितने एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाने अपेक्षित हैं	
II	राज्य जल सुरक्षा क. क्या राज्य जल बजट तैयार कर लिया गया है? ख. जल बजट के आधार पर, क्या पूरे वर्ष के लिए पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जल की उपलब्धता पर्याप्त है? ग. जल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले संरक्षण के प्रयास - भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, जिलों में जल भंडारों की बहाली/कायाकल्प, गंदले जल के प्रबंधन आदि के माध्यम से धरातली जल स्रोत क्षमता संवर्धन। घ. जल संरक्षण और उसके लिए निधि अभिनिर्धारण हेतु प्रस्तावित कार्य योजना । ड. अभिनिर्धारित वित्त-पोषण स्रोतों के साथ-साथ किए जाने वाले कार्यों का वर्ष-वार विवरण।	

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>घटक का नाम</th><th>टिप्पणियाँ</th></tr>
<tr><td>III</td><td>एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए त्रैमासिक और वार्षिक कार्य योजना
<table>
<tr><td></td><td colspan="6">एफ.एच.टी.सी. का प्रावधान (संख्या)</td></tr>
<tr><td>तिमाही</td><td>2019-20</td><td>2020-21</td><td>2021-22</td><td>2022-23</td><td>2023-24</td><td>कुल</td></tr>
<tr><td>पहली तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>दूसरी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>तीसरी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>चौथी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>जोड़</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>एकीकृत 'जिला कार्य योजनाओं' के अनुसार</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय कार्य योजना
<table>
<tr><td></td><td colspan="6">ग्रामीण क्षेत्रों में एफ.एच.टी.सी.का प्रावधान (करोड़ रुपए में)</td></tr>
<tr><td>तिमाही</td><td>2019-20</td><td>2020-21</td><td>2021-22</td><td>2022-23</td><td>2023-24</td><td>कुल</td></tr>
<tr><td>पहली तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>दूसरी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>तीसरी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>चौथी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>जोड़</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
वित्त पोषण की आवश्यकता के अंतर्गत, मेल-जोल के माध्यम से गंदले जल के प्रबंधन और स्रोत स्थायित्व कार्य भी शामिल होंगे।</td><td>एकीकृत 'जिला कार्य योजनाओं' के अनुसार</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित भूमि
क. जे.जे.एम. के तहत अपेक्षित कुल भूमि सीमा - हेक्टेयर में
ख. जे.जे.एम. के तहत उपयोग के लिए उपलब्ध कुल सरकारी/ पंचायती भूमि - हेक्टेयर में
ग. अधिग्रहीत की जाने वाली कुल भूमि (जनवरी-मार्च 2019 तिमाही से लेकर आगे की त्रैमासिक योजना दी जाए)
घ. उन योजनाओं की संख्या जिनके निर्माण के लिए निर्बाध भूमि उपलब्ध है।
ङ. उन योजनाओं की संख्या जहां निर्माण कार्य हेतु सौंपे जाने के लिए भूमि तैयार है।</td><td></td></tr>
<tr><td>V</td><td>अपेक्षित मानव संसाधन
1. जे.जे.एम. को लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर और वर्ष 2023-24 तक विभागीय अधिकारियों के कुल अपेक्षित पदों की संख्या। सभी पदों के लिए संस्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों का विवरण दें।
2. एस.पी.एम.यू. के लिए अपेक्षित बहु-विषयी अनुभव वाले व्यक्तियों की संख्या
3. राज्य स्तर पर सरपंचों/वी.डब्ल्यू.एस.सी. सदस्यों/गैर-सरकारी संगठनों/एस.एच.जी. का क्षमता संवर्धन- अनुमानित संख्या, अपेक्षित निधि, इसके स्रोत, वर्ष-वार प्रस्तावित प्रशिक्षण आदि का अभिनिर्धारण।
4. ऊपर 1 से 3 के लिए अपेक्षित क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या। वार्षिक योजना (प्रशिक्षण योजना) का विवरण दें।
5. राज्य स्तर पर कार्यशाला/ संगोष्ठी/ विचार-गोष्ठी/ विनिमय यात्रा कार्यक्रम आयोजित करने की वर्ष-वार आयोजना।</td><td></td></tr>
</table>

क्र. सं.	घटक का नाम				टिप्पणियाँ
VII	गाँवों में मौजूद जल स्रोतों का अभिनिर्धारण और शुरू किए जाने वाले अपेक्षित कार्य$				'जिला कार्य योजना' के आधार पर तैयार किया जाना है। घर के भीतर न्यूनतम सेवा स्तर 55 एल.पी.सी.डी. है।
	क्र. सं.	स्रोत का प्रकार	कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या	प्रदान किए जाने वाले एफ.एच.टी.सी. की संख्या	
		क. रेट्रोफिटेड पी.डब्ल्यू.एस. योजनाएं - स्टैंड पोस्ट की सुविधा वाली मौजूदा कार्यशील योजनाएं और/या आंशिक एफ.एच.टी.सी.; इसमें नवीकरण की आवश्यकता वाली योजनाएं भी शामिल हैं ।			
	1	स्रोत पर्याप्त है। रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता है। क. भूजल आधारित योजना ख. धरातली जल आधारित योजना ग. क्षेत्रीय योजना/ थोक जल अंतरण के हिस्से के रूप में गाँव के बाहर से धरातली जल - मौजूदा योजनाएं			
	2	निम्नलिखित पर आधारित बढ़ोतरी और रेट्रोफिटिंग क. स्थानीय भूजल स्रोत ख. धरातली जल स्रोत ग. क्षेत्रीय योजना/थोक जल अंतरण के हिस्से के रूप में गाँव के बाहर से धरातली जल			
	3	अन्य प्रकार की योजनाएँ			
		उप-जोड़ जोड़ क			
		ख. नई योजनाएँ			
	4	क्षेत्रीय योजना/थोक जल अंतरण के भाग के रूप में गाँव के बाहर से धरातली जल*			
	5	भू-जल आधारित योजना*			
	6	स्थानीय धरातली जल आधारित योजना*			
	7	धरातली, जमीनी और वर्षा जल के मिल-जुले प्रयोग पर आधारित योजनाएं			
	8	सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों का उपयोग करके और 55 एल.पी.सी.डी. प्रदान करके स्व-स्थाने जल शोधन वाली भूजल आधारित योजनाएं			
	9	5-8 एल.पी.सी.डी. क्षमता वाली मौजूदा सी.डब्ल्यू.पी.पी. योजनाएं जिनके अंतर्गत एफ.एच.टी.सी. प्रदान करने के लिए नई योजनाओं की आवश्यकता है।			
	10	गांवों से दूर छिट-पुट/ पहाड़ी/ गर्म और ठंडे रेगिस्तानी/ दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित घरों के लिए योजनाएँ, जहाँ एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना खर्चीला है और उसके लिए स्थानीय समाधान/ प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।		एफ.एच.टी.सी. के बजाय स्टैंडपोस्टों की संख्या और कवर किए जाने वाले घरों की संख्या का विवरण दें ।	

क्र. सं.	घटक का नाम				टिप्पणियाँ
	11	अन्य प्रकार की योजनाएं (निर्दिष्ट करें)			
		*इन योजनाओं में मौजूदा हैंड पंप आधारित जल आपूर्ति योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा।			
		उप-जोड़ ख			
		कुल जोड़ (क + ख)			
	$ कृपया जिलों की उन मौजूदा परिसंपत्तियों की एक सूची उपलब्ध कराएं, जिनका उपयोग जे.जे.एम. के तहत किया जा सकता है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि केवल अपने इष्टतम उपयोग के संबंध में मौजूदा परिसंपत्तियों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के बाद ही, नई परिसंपत्तियों का निर्माण प्रस्तावित/ शुरू किया जाना होगा।				
VIII	कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आई.एस.ए.) की आवश्यकता क. कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों को पैनल में शामिल करने की स्थिति ख. राज्य में ऐसे गाँवों और जिलों की संख्या जिन्हें कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों की आवश्यकता है ग. राज्य के ऐसे गाँवों की संख्या जिनके पास मजबूत वी.डब्ल्यू.एस.सी. हैं और जिन्हें कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों की आवश्यकता नहीं है घ. एकल आई.एस.ए. द्वारा कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या ङ. आई.एस.ए. की तिमाही-वार प्रस्तावित तैनाती का विवरण				

	ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों की तैनाती					
तिमाही	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
पहली तिमाही						
दूसरी तिमाही						
तीसरी तिमाही						
चौथी तिमाही						
जोड़						

IX	आई.ई.सी. गतिविधियाँ क. आई.ई.सी. एजेंसियों को पैनल में शामिल करने की स्थिति। ख. राज्य में आई.ई.सी. शुरू करने के लिए आवश्यक एजेंसियों की संख्या । ग. गांवों में आई.ई.सी. गतिविधियां चलाने के लिए एजेंसियों की प्रस्तावित तैनाती का विवरण। घ. रेडियो जिंगल्स, नुक्कड़ नाटकों, वॉल पेंटिंग, पैम्फलेट आदि के माध्यम से आई.ई.सी. की कार्यनीति को समझाया जाए।					

	ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों की तैनाती					
तिमाही	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
पहली तिमाही						
दूसरी तिमाही						
तीसरी तिमाही						
चौथी तिमाही						
जोड़						

क्र. सं.	घटक का नाम	टिप्पणियाँ
X	जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं क. राज्य में जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की संख्या । ख. एन.ए.बी.एल. प्रमाणन के लिए प्रस्तावित प्रयोगशालाओं की वर्ष-वार संख्या। ग. सभी स्रोतों के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण किस प्रकार कराए जाने की योजना है। कृपया उल्लेख करें कि मौजूदा कॉलेजों (इंजीनियरिंग/विज्ञान) को इस कार्य में शामिल करने और पी.पी.पी. मॉडल जल गुणवत्ता परीक्षण का उपयोग करने की योजना है। दोनों विधियों को इस संबंध में उपलब्ध राज्य स्तर के तंत्र के आधार पर अपनाया जाएगा। ङ. डब्ल्यू.क्यू.एम.एस. के लिए आयोजना।	
XI	सभी योजनाओं के लिए राज्य स्तर पर प्रचालन और रख रखाव (ओ.एंड एम.)। क. ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए कुल प्रचालन और रख रखाव लागत क. ऊर्जा लागत ख. निवारक रख रखाव लागत ग. ब्रेकडाउन रख रखाव लागत घ. प्रचालन और रख रखाव स्टाफ के लिए भुगतान ङ. जल गुणवत्ता परीक्षण च. अन्य प्रचालन और रख रखाव प्रभार कुल ख. अपनाया जाने वाला प्रस्तावित जल प्रशुल्क ग. क्या प्रस्तावित जल प्रशुल्क प्रचालन और रख रखाव प्रभार को कवर करने के लिए पर्याप्त है? घ. यदि उपर्युक्त का उत्तर 'नहीं' में है, तो इसे किस प्रकार पूरा किया जाना प्रस्तावित है? ङ. मौजूदा प्रचालन व रख-रखाव फंड का आबंटन - प्रति वर्ष लाख रुपए में	
XII	अन्य पक्ष निरीक्षण एजेंसियां क. पैनल में शामिल किए जाने की स्थिति ख. राज्य में अपेक्षित एजेंसियों की संख्या ग. प्रत्येक एजेंसी को सौंपे गए जिलों की संख्या	
XIII	प्रस्तावित संस्थागत सुधारों का विवरण	
XIV	भिन्न-भिन्न प्रकार के वित्तपोषण मॉडल का विवरण जिन्हें अपनाया जाना प्रस्तावित है।	
XV	शिकायत निवारण तंत्र जिसे अपनाया जाना प्रस्तावित है, का विवरण दें।	

बुनियादी जल गुणवत्ता मानकों की सूची

क्र. सं.	विशेषता	इकाई	अपेक्षा (स्वीकार्य सीमा)	वैकल्पिक स्रोत की अनुपस्थिति में अनुमेय सीमा
1.	पी.एच. मान	–	6.5-8.5	कोई ढील नहीं
2.	पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ	मिलीग्राम/ लीटर	500	2000
3.	गंदगी	एनटीयू	1	5
4.	क्लोराइड	मिलीग्राम/लीटर	250	1000
5.	पूर्ण क्षारीयता	मिलीग्राम/लीटर	200	600
6.	पूर्ण खारापन	मिलीग्राम/लीटर	200	600
7.	सल्फेट	मिलीग्राम/लीटर	200	400
8.	आयरन	मिलीग्राम/लीटर	1.0	कोई ढील नहीं
9.	पूर्ण आर्सेनिक	मिलीग्राम/लीटर	0.01	कोई ढील नहीं
10.	फ्लोराइड	मिलीग्राम/लीटर	1.0	1.5
11.	नाइट्रेट	मिलीग्राम/लीटर	45	कोई ढील नहीं
12.	पूर्ण कोलीफॉर्म बैक्टीरिया	100 मिलीलीटर के किसी भी नमूने में पता लगने योग्य नहीं होना चाहिए।		
13.	ई, कोली या थर्मोटॉलरेन्ट कोलीफॉर्म बैक्टीरिया	100 मिलीलीटर के किसी भी नमूने में पता लगने योग्य नहीं होना चाहिए।		

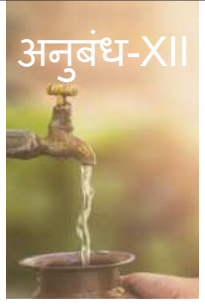

जापानी एन्सेफलाइटिस (जे.ई.) और एडवांस्ड एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (ए.ई.एस.) से सर्वाधिक गंभीर रूप से प्रभावित 60 गंभीर (उच्च प्राथमिकता) जिलों की सूची

क्र. सं.	राज्य	राज्य क्र. सं.	जिला	क्र. सं.	राज्य	राज्य क्र. सं.	जिला
1.	असम	1.	बारपेटा	31.	उत्तर प्रदेश	1.	आजमगढ़
2.	असम	2.	धेमाजी	32.	उत्तर प्रदेश	2.	बहराइच
3.	असम	3.	डिबरुगढ़	33.	उत्तर प्रदेश	3.	बलिया
4.	असम	4.	गोलाघाट	34.	उत्तर प्रदेश	4.	बलरामपुर
5.	असम	5.	जोरहाट	35.	उत्तर प्रदेश	5.	बस्ती
6.	असम	6.	लखीमपुर	36.	उत्तर प्रदेश	6.	देवरिया
7.	असम	7.	शिवसागर	37.	उत्तर प्रदेश	7.	गोंडा
8.	असम	8.	सोनितपुर	38.	उत्तर प्रदेश	8.	गोरखपुर
9.	असम	9.	तिनसुकिया	39.	उत्तर प्रदेश	9.	हरदोई
10.	असम	10.	उदलगुड़ी	40.	उत्तर प्रदेश	10.	कानपुर देहात
11.	बिहार	1.	अरड़िया	41.	उत्तर प्रदेश	11.	कुशीनगर
12.	बिहार	2.	दरभंगा	42.	उत्तर प्रदेश	12.	लखीमपुर खीरी
13.	बिहार	3.	गया	43.	उत्तर प्रदेश	13.	महाराजगंज
14.	बिहार	4.	गोपालगंज	44.	उत्तर प्रदेश	14.	मऊ
15.	बिहार	5.	जहानाबाद	45.	उत्तर प्रदेश	15.	रायबरेली
16.	बिहार	6.	मुजफ्फरपुर	46.	उत्तर प्रदेश	16.	सहारनपुर
17.	बिहार	7.	नालंदा	47.	उत्तर प्रदेश	17.	संत कबीर नगर
18.	बिहार	8.	नवादा	48.	उत्तर प्रदेश	18.	श्रावस्ती
19.	बिहार	9.	पश्चिम चंपारण	49.	उत्तर प्रदेश	19.	सिद्धार्थ नगर
20.	बिहार	10.	पटना	50.	उत्तर प्रदेश	20.	सीतापुर
21.	बिहार	11.	पूर्वी चंपारण	51.	पश्चिम बंगाल	1.	बांकुड़ा
22.	बिहार	12.	समस्तीपुर	52.	पश्चिम बंगाल	2.	बर्धवान
23.	बिहार	13.	सारण	53.	पश्चिम बंगाल	3.	बीरभूम
24.	बिहार	14.	सीवान	54.	पश्चिम बंगाल	4.	दक्षिण दिनाजपुर
25.	बिहार	15.	वैशाली	55.	पश्चिम बंगाल	5.	दार्जिलिंग
26.	तमिलनाडु	1.	करूर	56.	पश्चिम बंगाल	6.	हुगली
27.	तमिलनाडु	2.	मदुरै	57.	पश्चिम बंगाल	7.	हावड़ा
28.	तमिलनाडु	3.	तंजावुर	58.	पश्चिम बंगाल	8.	जलपाईगुड़ी
29.	तमिलनाडु	4.	तिरुवरुर	59.	पश्चिम बंगाल	9.	मालदा
30.	तमिलनाडु	5.	विल्लुपुरम	60.	पश्चिम बंगाल	10.	मिदनापुर पश्चिम

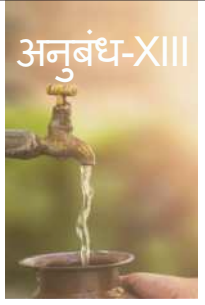

जे.ई.-ए.ई.एस. उद्देश्य और आर.डब्ल्यू.एस.एस.पी.-एल.आई.एस. उद्देश्य के तहत निधि जारी किए जाने की प्रक्रिया

निधियां, 2 किस्तों में जारी की जाएंगी।

क) पहली किस्त (50%) जारी किया जाना :

i) उन राज्यों के लिए जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष के दौरान दूसरी किस्त आहरित की है - गत वर्ष जारी की गई धनराशि के 10% से ऊपर के आदि अधिशेष को समावेशित करने के बाद धनराशि इन राज्यों को जारी की जाएगी।

या

ii) उन राज्यों के लिए जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष के दौरान दूसरी किस्त आहरित नहीं की है - गत वर्ष जारी की गई धनराशि के 10% से ऊपर के आदि अधिशेष को समावेशित करने के बाद और उपयोग प्रमाणपत्र, जांच सूची समेत अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अनुरोध प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद धनराशि इन राज्यों को जारी की जाएगी।

iii) निधि के इस हिस्से को जारी करते समय, निर्धारित सीमा से ऊपर की अधिशेष राशि (पिछले वर्ष जारी की गई धनराशि का 10%) की कटौती कर ली जाएगी। तथापि, पहली किस्त की शेषराशि को उसी समय जारी कर दिया जाएगा जब राज्यों द्वारा उपलब्ध निधि के कम से कम 60% का खर्च दर्शाने वाला उपयोग प्रमाणपत्र जमा कर दिया जाएगा।

iv) कुल जारी की गई राशि के 10% को ही अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत करने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई राशि ऐसी है, जिसके लिए मार्च के महीने में संस्वीकृति आदेश जारी किया गया है, तो उस राशि की गिनती, अतिरिक्त आदि शेष के खाते में नहीं की जाएगी।

ख) दूसरी किस्त (50%) जारी करना : निम्नलिखित के साथ राज्यों से अनुरोध प्रस्ताव की प्राप्ति पर:

i) उपलब्ध शेष राशि (केन्द्रीय निधि) और राज्य समतुल्य निधि अंश के उपलब्ध शेष के 60% के बराबर राशि के संबंध में चालू वर्ष के लिए अनंतिम उपयोग प्रमाणपत्र;

ii) पिछले वर्ष से पहले के वर्ष की महालेखाकार की रिपोर्ट/ पिछले वर्ष का संपरीक्षित लेखा विवरण;

iii) पिछले वर्ष के लिए अंतिम केन्द्रीय और राज्य उपयोग प्रमाणपत्र।

वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अंतिम दिनों के दौरान इस निधि की उपलब्धता की स्थिति में, इसकी प्रविधि और प्रभाजन प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार तय होगी।

एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम. प्रयोजन के तहत निधि जारी किए जाने की प्रक्रिया : एन.डब्ल्यू.क्यू.एस.एम. के लिए अलग दिशा-निर्देश जारी किया गया है और निधियां जारी करने का काम, इसी दिशा-निर्देश के अनुसार तथा इस संबंध में लागू सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

नोट:

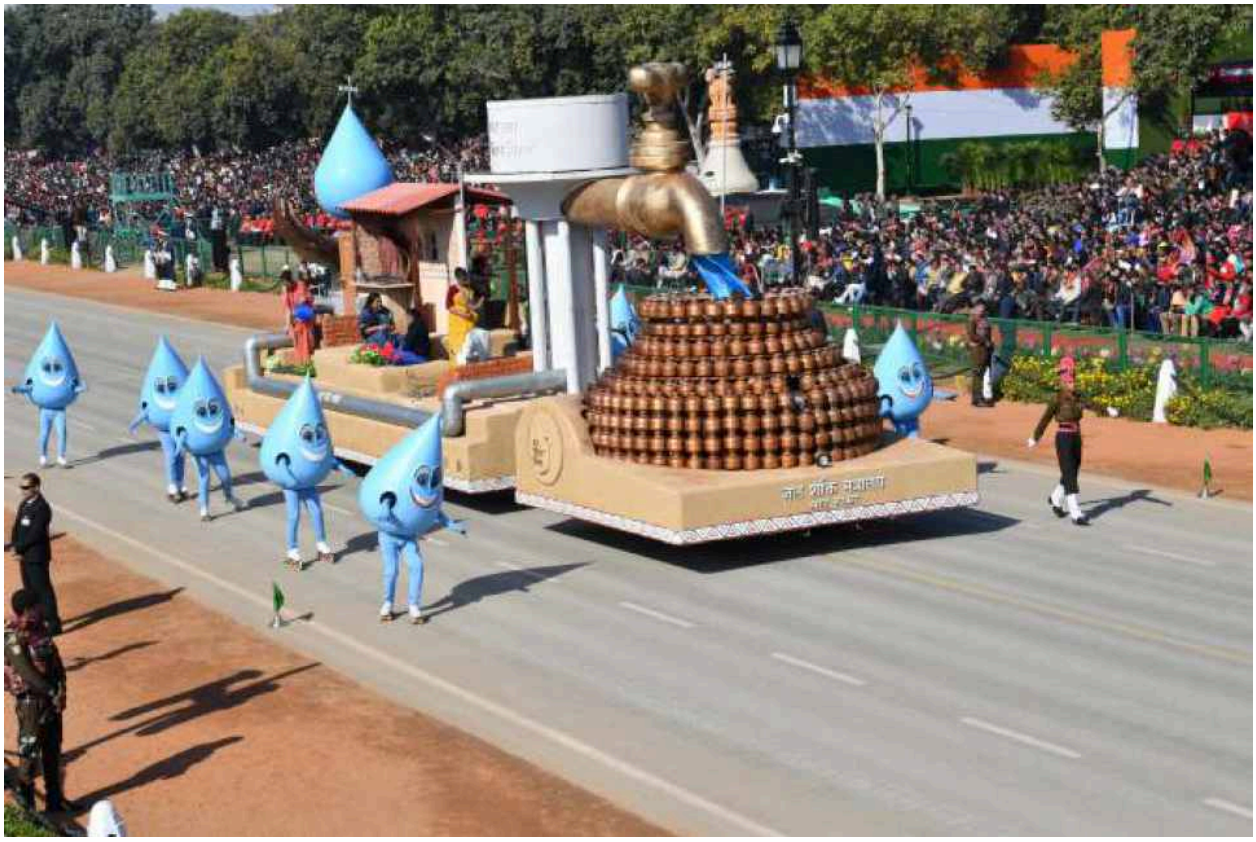

हर घर जल

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जलशक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन

नई दिल्ली 110003